खण्ड-374, अंक-6
गुरूवार, 24 माघ, शक संवत् 1907
(13 फरवरी, 1986 ई0)

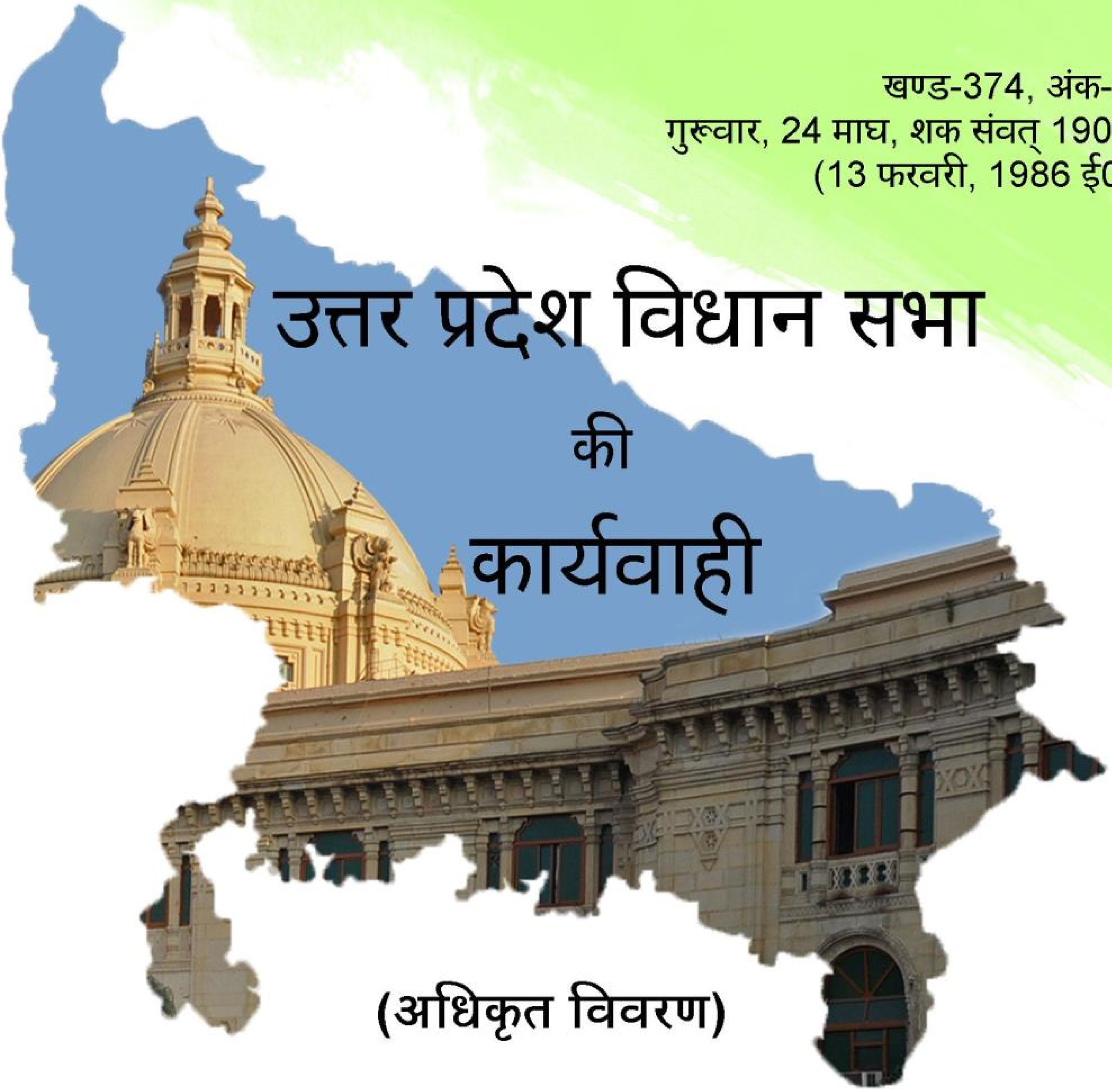

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–73
मुजफ्फरनगर जनपद के हिण्डन और कृष्णा नदियों में मिलों के गन्दे पानी के गिरने से जल प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	73
1985–86 के पारित वित्तीय अनुदानों की धनराशि जनपदों में वितरित न किए जाने से शासकीय कार्यों में अवरोध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील के कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों को राहत दिए जाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में भारी ओला वृष्टि से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल में पीने के पानी की टंकी खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	75
श्री मदन मोहन महाविद्यालय भाटपार रानी, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
प्रदेश में कृषि डिप्लोमा धारियों में व्याप्त बेरोजगारी एवं भुखमरी के कारण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	77–79
1986 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–99 का सुसंगत उत्तर न दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79
'सिसवा काण्ड' की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट शासन द्वारा समय से सदन के पटल पर न रखे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	80
प्रदेश में नलकूप लगाए जाने के विनिश्चय का अधिकार विधान मण्डल के सदस्यों को न देकर मुख्य मन्त्री द्वारा सांसदों को दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	80–82
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर सदन के स्थगन के कारण चर्चा का समय कम हो जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	82–84
वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	84
वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही न किए जाने तथा विलम्ब किए जाने पर आपत्ति ..	85–87
जिला चिकित्सालय, फैजाबाद मे डायलेसिस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	88
जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कटरा गोसाईगंज तथा तेलियागढ़ मुहल्ले के सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच की मांग के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	88
राजकुमार संजय सिंह, परिवहन मन्त्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर व्यवस्था का प्रश्न	88
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	88–107
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	107–152
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	152
नत्थियां	153–162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, दिनांक 13 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	बंशीधर राज, श्री	खीरी
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा0	आगरा	बहादुर सिंह, श्री	आगरा
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	बुधपाल सिंह 'खुर्जावाले', श्री	बुलन्दशहर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच
ताराचन्द्र सोनकर, चौधरी	लखनऊ	मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
दिनेश जौहरी, डा0	बरेली	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
नेक चन्द्र पाण्डेय, श्री	कानपुर	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं

उत्तर प्रदेश संसदीय

राजपती देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
राम लाल, श्री	सीतापुर	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी गढ़वाल	हरिश्चन्द्र (हरीश जी) श्री	बस्ती
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी		

नोट—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री ।

संसद पुस्तकालय

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 13 फरवरी, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राजस्व परिषद् को समाप्त करने संबंधी विचाराधीन राजस्व संहिता विधेयक

*1—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा राजस्व संहिता विधेयक सदन में पेश करने और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् को समाप्त करने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)—

राजस्व परिषद् के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखने अथवा उसमें परिवर्तन किये जाने तथा राजस्व संहिता को अधिनियमित कराये जाने के प्रश्न पर शासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और मत स्थिर हो जाने के बाद विधेयक सदन में पुरः स्थापित किया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, इस प्रश्न में दो बातें हैं। एक तो मैंने जानकारी चाही है कि राजस्व परिषद् को क्या सरकार समाप्त करने का फैसला कर चुकी है या नहीं ?

दूसरा प्रश्न है कि राजस्व संहिता विधेयक कब तक इस सदन में पुरः स्थापित करेंगे ? और उस सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि इस बात पर मंत्रि परिषद् किसी निश्चय पर पहुंच गयी है कि नहीं कि राजस्व परिषद् को समाप्त करना है या नहीं? राजस्व परिषद् को समाप्त करना है तो कब से करेंगे या यह फैसला लिये हैं कि राजस्व संहिता का जो वर्तमान स्वरूप है उसमें आमूल परिवर्तन करेंगे या नई व्यवस्था लागू करेंगे? यदि वर्तमान स्वरूप में ही कुछ संशोधन करेंगे तो उसका प्रारूप क्या होगा?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, तिवारी जी ने दो प्रश्न किये हैं—एक तो यह कि राजस्व परिषद् के बारे में क्या निर्णय लिया जा रहा है और दूसरे राजस्व संहिता विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि इन दोनों बातों पर ही आपका विशेष ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूं कि इसमें जो मंत्रि परिषद् की उप-समिति बनी थी उसकी दो बैठकें ही हो पायी हैं चूंकि बीच में नेतृत्व परिवर्तन हो गया और जो प्रवर समिति की पुरानी संस्तुतियां प्राप्त हुई थीं उन पर चिंतन हो रहा है। इसलिये किसी निष्कर्ष पर अभी उपसमिति नहीं पहुंची है और चिंतन हो जाने के बाद मंत्रि परिषद् में विचार होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

दूसरा प्रश्न राजस्व संहिता विधेयक के बारे में था उसके सम्बन्ध में जानना चाहूंगा कि किन-किन मुद्दों पर विचार कर चुके हैं और किन-किन पर हो रहा है और प्रमुख कौन-कौन मुद्दे हैं जिन पर मंत्रि परिषद् में मतैक्य नहीं हो पाया है?

श्री गौरी शंकर—

मंत्रि परिषद् की उप समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, विचार करना है, इसलिये अभी कुछ बताना संभव नहीं है कि क्या-क्या बिन्दु हैं, जिन पर मतैक्य नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि चिन्तन हो रहा है तो यह चिन्तन और मनन की प्रक्रिया कब तक चलेगी? क्या यह प्रक्रिया सत्रावसान के पहले समाप्त हो जायेगी और कुछ निश्चय हो सकेगा?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, चिन्तन तो शाश्वत प्रक्रिया है और चिन्तन विहीन हो जायेंगे तो यहां आने का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा। इसलिये चिन्तन हो रहा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि राजस्व परिषद् को समाप्त करने का फैसला इनका संकल्प है अथवा नहीं। सीधा प्रश्न है कि क्या शासन का यह विचार पक्का है कि राजस्व परिषद् को समाप्त करेगा?

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि अभी उप समिति की रिपोर्ट नहीं आयी है तो वह कैसे यह बतायें?

श्री रघुवर दयाल वर्मा –

राजस्व परिषद् को समाप्त करने का इनका विचार है कि नहीं यही प्रश्न पूछना है। बिलकुल स्पष्ट हो जाए, शासन चाहता है या नहीं, या कमेटी बनाकर वैसे ही रखना चाहता है और इसे टाल देना चाहता है। जो संस्तुतियां इनको करनी हैं, जो प्रारूप बदलना है, उस प्रारूप को बदलने की प्रक्रिया को कितना लम्बा ले जायेंगे? इसी को देखकर हमारा सन्देह है कि अभी इनका पक्का इरादा नहीं है कि राजस्व परिषद् को समाप्त किया जाए।

श्री गौरीशंकर–

माननीय सदस्य के लिए सरकार की सदाशयता पर शंका करने का कोई औचित्य नहीं है। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम प्रवर समिति के चिन्तन पर मंत्रिमण्डल की उप समिति का गठन न करते। यह इसीलिए किया है कि उस पर पूर्ण रूप से चिंतन हो जाये, क्योंकि इसमें भूमि विवादों का गम्भीर मामला है। इस पर गम्भीर चिंतन की आवश्यकता है। उसका मत जानने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।

श्री मित्रसेन–

सिद्धान्ततः राजस्व परिषद् को समाप्त करने के लिये यह सहमत है...

श्री गौरीशंकर–

यह कहां कह दिया मैंने, मान्यवर?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी सहमति की नहीं चिन्तन की बात है।

श्री मित्रसेन–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किन-किन मुद्दों पर यह विचार कर रहे हैं और किन-किन मुद्दों पर निर्णय लिया जा चुका है? यह कितने दिनों से विचाराधीन है और अभी कितने और दिन यह विचाराधीन रहेगा?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो वह बता चुके हैं, समय चाहें तो बता दें। समय का मतलब यह है जैसा आप जानते हैं, वह जल्दी करने की बात कह सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कहेंगे?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी मंत्री जी ने कहा कि चिन्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है, लेकिन चिन्तन के लिए चिंतन मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इमरजेंसी के बाद जब नई सरकार बनी थी, उसने सबसे पहले फैसला इस संबंध में लिया था और इसके लिये एक सेलेक्ट कमेटी का गठन किया गया था। सौभाग्य से उसमें हमें भी कार्य करने का मौका मिला। फिर सरकार बदल गई और नई सरकार में फिर सेलेक्ट कमेटी बनी और सौभाग्य से उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस प्रकार चिन्तन तो हो गया और उसमें राजस्व परिषद् का एबोलीशन करने का विचार प्रारूप में आ गया। पर अब उसके बाद क्या आवश्यकता आ गई कि फिर से चिन्तन करने की बात सरकार ने सोची? उसने चिंतन करने के बाद जो मामले प्राविधानित कर दिये थे, उसमें पुनः चिन्तन कराये जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जिससे इस मामले में अनाश्यक देर हो रही है।

श्री गौरीशंकर–

इस विधेयक में इस तरह का प्रस्ताव नहीं था कि राजस्व परिषद् को समाप्त किया जाये या संशोधित रूप में उसकी स्थापना की जाए। ऐसी स्थिति में, चूंकि प्रवर समिति के बाद ही इस पर चिंतन हुआ था और उसमें मंत्रिपरिषद् की उप समिति उस पर विचार कर रही है, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो यथाशीघ्र इस पर निर्णय हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो वह विधेयक आया था, उसमें राजस्व परिषद् के वर्तमान स्वरूप में संशोधन करने का विचार था, तो अब उसकी क्या आवश्यकता पड़ गई, उसके बाद फिर दुबारा चिंतन करने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो पहली सरकार का था, अब यह दूसरी सरकार के विचार करने का विषय है। उनको चिंतन करने का तो हमेशा, हर स्तर पर अधिकार प्राप्त है। अब इसमें क्या पूछने की बात है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किन्तु उसका कारण तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कारण क्या बतायेंगे वह, उप समिति विचार तो कर रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, जैसा कि माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा 7वीं विधान सभा से इस मामले पर विचार चल रहा है। 8वीं विधान सभा गयी और उसके बाद 9वीं विधान सभा चल रही है और मंत्री जी कह रहे हैं कि मंत्रि परिषद् की समिति जब विचार कर चुकेगी तब सदन को अवगत करायेंगे। तो क्या मंत्री जी सदन को आश्वस्त करेंगे? वह कोई सीमा निर्धारित करेंगे, जिससे इस सत्र में या अगले सत्र तक विचार पूरा हो जायगा? और 9वीं विधान सभा में ही यह विधेयक पुरःस्थापित हो जायेगा?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि इसको पहले पुरःस्थापित किया गया था तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 196 (5) के अनुसार वह व्यपगत हो

गया था और उसके बाद मंत्रि परिषद् की जो कमेटी बनी वहां इसमें विचार हो रहा है। जैसे ही उनका अभिमत हमें प्राप्त हो जायगा तो मुख्य मंत्री जी की अनुमति से यह मंत्रि परिषद् में जायगा और उसके बाद पुरःस्थापित किया जायगा। इसमें कोई कदाशयता की शंका करना उचित नहीं है।

वाराणसी के प्राचीन गुरूधाम मन्दिर की भूमि का अधिग्रहण

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी के ऐतिहासिक व पुरातात्विक गुरूधाम मंदिर का अधिग्रहण अभी हाल में ही कर लिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जी हां, वाराणसी स्थित प्राचीन एवं पुरातात्विक महत्व के गुरूधाम मंदिर (श्री, श्री ठाकुर करुणा निधान) एवं उससे संलग्न अवशेष भूमि को जिसका कुल क्षेत्रफल 1.73 एकड़ है, शासकीय अधिसूचना संख्या-10915/चार-85-7 (17)/85, दिनांक 9 दिसम्बर, 1985 द्वारा परिरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

जिला अधिकारी वाराणसी से प्राप्त सूचना एवं श्री केशव कुमार शर्मा, माननीय सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 85 को वाराणसी स्थित प्राचीन गुरूधाम मंदिर का अस्तित्व खतरे में होने के सम्बन्ध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् शासन द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच करायी गयी तथा इस बात से संतुष्ट होने के उपरान्त कि उक्त मन्दिर यथेष्ट ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व का है, शासन द्वारा उ0 प्र0 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उ0 प्र0 अधिनियम सं0-7 सन् 1957) के अधीन उ0 प्र0 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्वीय स्थानों पर यथा प्रागोज्य प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम-1904 (अधिनियम संख्या-7 सन् 1904) की धारा-3 की उप धारा-1 के अधीन इस मंदिर एवं उससे संलग्न अवशेष भूमि को परिरक्षित स्मारक घोषित किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित मंदिर का जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है उसको देखते हुये सरकार ने इसको परिरक्षित घोषित कर दिया है। तो मैं दो बातें जानना चाहता हूं। एक तो यह कि इस मंदिर के पास कुल कितनी भूमि थी और उस भूमि के कितने भाग को परिरक्षित घोषित किया गया है? वहां के सौन्दर्यीकरण के लिये परिरक्षण के लिये, मरम्मत के लिये सरकार ने कोई योजना बनायी है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने बताया है कि इस वक्त 1.73 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है। मंदिर के पास कुल 13 एकड़ भूमि है। इसमें से 10.07 एकड़ भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, नगर महा पालिका, वाराणसी ने पहले अधिग्रहीत किया है। 1.87 एकड़ भूमि वहां की सुख धाम रिफ्यूजी गृह निर्माण समिति को लीज पर दी गयी है जो भूमि बची थी उसको ग्रहण किया

गया है। इसके बारे में एक समिति बनायी गयी है। वह समिति और हमारे अधिकारी मिलकर सौन्दर्यीकरण की योजना तैयार कर रहे हैं। जैसे ही योजना तैयार हो जायेगी वैसे उसके ऊपर कार्यवाही होगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुये, उस मंदिर के पास बहुत जमीन और सम्पत्ति थी। उस मंदिर की भूमि पर नगर महापालिका ने और कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया। जो जानकारी आपने दी है उसके अनुसार जो जमीन बची थी उसको अधिग्रहीत किया गया है। तो जो जमीन चली गयी है, लोगों ने कब्जा कर लिया है वह उस मंदिर की संपत्ति है और उसकी आय उस मंदिर को जानी चाहिये। तो इसके बारे में शासन कोई योजना बनायेगा या कोई नीति बनायेगा ? दूसरी चीज जो समिति बनी है उसमें कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक भूमि का संबंध है यह बात सही है कि यह मंदिर महत्वपूर्ण है और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है। कुछ लोग वहां आस-पास धीरे-धीरे नाजायज कब्जा करते जा रहे थे और चारों तरफ के आकार को ढका जा रहा था, इसलिये उसके अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ी। जहां तक समिति की बात है तो हमारे विभाग के जो निदेशक स्टेट आर्कियोलोजी हैं वह समिति में हैं। और सांस्कृतिक विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्हें भी लिया जा रहा है और पब्लिक के आदमियों में से भी कुछ लोगों को सम्बद्ध करके विश्वास में लेकर काम किया जायेगा, परन्तु अभी कोई विधिवत कमेटी नहीं बनायी गयी है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में लगभग 13 एकड़ जमीन मंदिर के अधिकार में थी। इसमें से 10 एकड़ जमीन डेवलपमेंट ट्रस्ट, वाराणसी द्वारा अधिगृहत कर ली गयी इससे साढ़े तीन एकड़ जमीन का एक बड़ा भाग आवास समिति के लिए मंदिर द्वारा पट्टा कर दिया गया इससे स्पष्ट होता है कि मंदिर की जमीन को प्रबंध समिति द्वारा जिन लोगों को बेची या पट्टे पर दी गयी थी, उसका अधिग्रहण शासन नहीं करने जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उन निजी पट्टे मालिकों को जिन्होंने मंदिर की जमीन खरीदी है, अधिग्रहणों के पूर्वाग्राहिता के कारण अधिग्रहण की जा रही है, और उस पर पुनर्विचार कर इस जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कराने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

यह मंदिर एक बंगाली परिवार का रहा। वह लोग इसमें अपनी पूजा पाठ करते रहे। इसकी कुछ भूमि को इस परिवार के लोगों ने बेची और कुछ भूमि को नगर महापालिका ने भी अधिग्रहण किया, उसमें इन परिवार वालों की स्वीकृति नहीं थी। फिर स्थिति यह हुयी कि उसमें पूजा आदि बंद हो गयी। फिर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश शासन से अनुरोध किया कि यह मंदिर अपने ढंग का एक अलग मंदिर है, इसमें तांत्रिक मण्डल बना है, वैसे

तांत्रिक मंडल और भी मंदिरों में बने हैं परन्तु इसका अपना एक अलग ही ढंग है । इसकी बनावट प्राचीन संस्कृति व सभ्यता की याद दिलाती है, इसलिए इस मंदिर का आर्कलाजिकल दृष्टि से भी बड़ा महत्व है । इसलिए शासन ने उसका अधिग्रहण कर लिया और जो जमीन नगर महापालिका के पास है उससे भी अनुरोध किया गया है कि वह भी कोई निर्माण कार्य उस पर अभी न करे और जो अधिग्रहण कुछ निवासियों को हुआ है जिसमें वहां के वकील हैं, कुछ और संभ्रांत परिवार के लोग हैं तथा कुछ सिन्धी आदि हैं, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि मामला अभी सरकार के विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल कोई निर्माण कार्य न किया जाए और पुरातत्व विभाग द्वारा एक कमेटी बनायी जा रही है, जिसमें काशी के लोगों को भी मिलाया जा रहा है, उसकी सूची जब पूरी तैयार हो जायेगी तो आपको भेज दी जायेगी ताकि उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रह सके ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

मान्यवर, बहुत ही पुराना प्राचीन सभ्यता से संबंधित अपने ढंग का एक अकेला मंदिर है, जिसके ऊपर मा0 मंत्री जी ने अभी प्रकाश डाला तो मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि अधिग्रहण में जो देरी हुयी है, वहां के किसी अधिकारी को इस संबंध में दण्डित किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मैंने अभी कहा कि वह एक पारिवारिक मंदिर है, सार्वजनिक मंदिर नहीं है उसे कुछ लोगों के अनुरोध पर सार्वजनिक स्वरूप दे दिया गया है ।

(एक साथ कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अब इस प्रश्न में काफी स्थिति स्पष्ट हो गयी है और यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिस पर कि चर्चा हो । 5-6 मिनट तो इस पर सवाल हो गये और काफी स्थिति स्पष्ट हो गयी । इसलिए अब इस पर समय और अधिक नहीं दिया जा सकता है । कृपया बैठ जाएं ।

(शोर)

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, एक श्री घोसाल जी थे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे परिसर को एक ट्रस्ट बना दिया था और यह घोषणा की गयी थी कि इसके सेवक न इसे बेच सकते हैं और न गिरवी रख सकते हैं, मान्यवर, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, इसके संबंध में घोर अनियमितताएं की गयी हैं । जो शिलान्यास नौबतखाने में लगा है, उसके अंतर्गत उपरोक्त बातें लिखी हुई हैं, जिसकी पुष्टि महान तांत्रिक कविराज गोपी नाथ जी एवं आनन्दमयी माता ने भी की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न पूछें आप ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, इस मंदिर की भूमि का जो नगर महा पालिका ने अधिग्रहण किया था और 3.5 एकड़ जमीन नारायण कुण्ड और कुंए के साथ छोड़ दी गयी थी, उसे सिंधियों के एक संघ ने कालोनी का नक्शा पास करा कर मकान बनवाने शुरू कर दिये तथा मंदिर के मुख्य स्थापन का भी अतिक्रमण किया, जिससे जनता में घोर असंतोष है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये। प्रश्न आप क्या पूछना चाहते हैं ?

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, क्या शासन इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करा कर सिंधियों की कालोनी में निर्मित भवनों का अधिग्रहण एवं उसमें और कोई भी भवन न बनें इसके लिए सुनिश्चित आदेश देगा और सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो ट्रस्ट की सम्पत्ति थी। उसे बेचने का किसी का अधिकार नहीं था। शासन उसे वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह जो समिति बनी हुई है, नगर पालिका ने जो अधिग्रहण किया है, वह समिति उसको भी देख रही है। वह मामला जिला कोर्ट, बनारस में है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958, के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री किशन सिंह तड़ागी–

[दिनांक 7-2-86 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

*2–श्री कल्यान सिंह–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोण्डा के भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के वाहन द्वारा बीज ढुलाई का कथित कार्य

*3–श्री राम जनम–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा के भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की मोबाइल वान (बस) से जिला के अन्दर एवं बाहर बीज की ढुलाई का कार्य लिया जा रहा है ? यदि हां, तो मोबाइल वान बनवाने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी सही है कि बीज ढुलाई का काम लेने के लिए सचल मृदा परीक्षण का कार्य पूर्णतया बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

वर्तमान समय में बीज की ढुलाई का कार्य नहीं लिया जा रहा है।

समन्वित ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वाहन की चेसिस खरीदी गई और उसकी बाडी बनने के बाद उपकरण व स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण बीज ढुलाई के कार्य में लगा दिया गया था।

जी नहीं। मृदा परीक्षण का कार्य गोण्डा जनपद में स्थिर भूमि परीक्षण प्रयोगशाला तथा फैजाबाद मण्डल में उपलब्ध मंडलीय सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला से कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम जनम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह भूमि परीक्षण प्रयोगशाला की मोबाइल वान (बस) थी, तो उसे किन परिस्थितियों में

बीज ढुलाने के काम में लाया गया और कितने दिनों तक बीज ढुलाने का काम उससे लिया गया?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह वाहन 1 सितम्बर, 1984 को बन करके तैयार हुआ, अब किस तारीख से किस तारीख तक इससे बीज ढुलाने का काम लिया गया, यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगा।

[बृहस्पतिवार, दिनांक 13 फरवरी, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

खाद्य तथा औषधि नियंत्रक के पद पर श्री महेश चन्द्र बिन्दल की नियुक्ति संबंधी पत्र एवं मुकदमा

*1–श्री शारदा प्रताप (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य तथा औषधि नियंत्रक (श्री रमेश चन्द्र बिन्दल) की नियुक्ति के विषय में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने उनके द्वारा प्रमाण पत्रों में की गयी अनियमितताओं के कारण उनकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी है, परन्तु शासन ने उनकी नियुक्ति को अभी तक बनाये रखा है? यदि हां, तो क्यों? क्या इस संबंध में श्री भूधर नारायण मिश्र, भू0 पू0 विधायक का दिनांक 27-10-84 का कोई पत्र मा0 मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव तथा स्वास्थ्य सचिव को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

प्रश्नगत पद पर नियुक्ति हेतु श्री महेश चंद्र बिंदल (श्री रमेश चंद्र बिंदल नहीं) के बारे में लोक सेवा आयोग ने पूर्व में की गई अपनी औपबन्धिक संस्तुति को इस आधार पर निरस्त कर दिया है कि श्री बिन्दल औषधि नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु वांछित प्रकार एवं अवधि का अनुभव धारित न करने के कारण उक्त पद के लिए अनर्ह रहे हैं। किन्तु लोक सेवा आयोग की उक्त संस्तुति के निरस्तीकरण के पहले से ही श्री बिन्दल की उक्त पर नियुक्ति का यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन रहा है तथा सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है। अतः इस मामले के न्यायाधीन होने की दशा में प्रश्नगत नियुक्ति के बारे में तथा उसी विषय में शासन को प्राप्त हुए भूतपूर्व विधायक श्री भूधर नारायण मिश्र के पत्र दिनांक 27-10-84 के संबंध में शासन द्वारा अलग से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

*2–श्री सरदार सिंह–

[आश्वासन समिति में विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

वर्षा से नष्ट हुई फसल के लिए फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मांग

*3–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्टूबर, 85 की मूसलाधार वर्षा से बर्बाद काश्तकारों की फसल की क्षतिपूर्ति के लिए क्या फसल बीमा योजना से क्षतिपूर्ति करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसलों की क्षतिपूर्ति उसी दशा में करने की व्यवस्था है जब किसी क्षेत्र की वास्तविक

औसत उपज, उसी क्षेत्र की गारंटीड उपज, जो गत पांच वर्षों की औसत उपज के 80 प्रतिशत के बराबर निर्धारित है, से कम हो। इसी आधार पर सितम्बर, अक्टूबर, 1985 की वर्षा से हुई क्षति की पूर्ति भी आधारित होगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि गारन्टीड उपज से कम हो, पिछले वर्षों में जो क्षति हुई है उसके हिसाब से। मान्यवर, मैंने जो स्पष्ट प्रश्न किया है वह है, दैवी आपदा बाढ़ और वर्षा का। यह तो आपने सामान्य स्थिति का उत्तर दिया है। बाढ़ और वर्षा से 55 जिलों को भारी नुकसान हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि जिसका 80 प्रतिशत से और 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस योजना के तहत जो नियम हैं, उन्हीं के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। इसमें बाढ़ और वर्षा का विशेष प्राविधान नहीं है। फसल बीमा योजना की मंशा यही है कि फसल को नुकसान हुआ हो, वह बरसात से भी हो सकता है। अगर वह इस योजना के अंतर्गत आता है तो क्षतिपूर्ति की जाएगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि वर्षा और बाढ़ का मामला इसमें नहीं आता, फिर स्वयं को संभालकर कहने लगे बाढ़ वर्षा सम्मिलित है। इसमें कौन सी बात सही मानी जाए। मान्यवर, मेरा निवेदन है किसानों के हित में, इन्होंने उत्तर सामान्य स्थिति के बारे में दिया है, कि 80 प्रतिशत से कम होगी तो क्षतिपूर्ति निर्धारित करेंगे। मैंने निवेदन किया असामान्य स्थिति में, दैवी आपदा का कोप भीषण हो जाए उसे फसल बीमा योजना में सम्मिलित कराके क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सामान्य और असामान्य स्थिति जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। सामान्य स्थिति में सामान्य उपज सम्मिलित है सामान्य उपज 100 प्रतिशत की होगी। असामान्य स्थिति में वर्षा, ओले और बाढ़ आ जाने के कारण जो उपज कम होगी और वह 80 प्रतिशत से कम उपज होगी, तो क्षतिपूर्ति की जाती है। वह भी औसत लगाया जाता है, पांच वर्षों का।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, सितम्बर, अक्टूबर, 1985 की बाढ़ में 100 फीसदी और 50 फीसदी से अधिक फसल नष्ट हो गई है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस फसल बीमा योजना के अंतर्गत लेने या क्षतिपूर्ति करने पर विचार कर रहे हैं या नहीं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न फसल बीमा योजना से सम्बन्धित है, यह राहत कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। राहत अलग है और फसल बीमा के तहत क्षतिपूर्ति अलग चीज है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं, जैसा मंत्री जी ने कहा कि 80 प्रतिशत नुकसान हो जाता है, तो क्षतिपूर्ति की जाती है, तो इसका आधार क्या है? राजस्व विभाग का जो आंकड़ा होता है। वह माना जाता है या बीमा वालों का अपना आंकड़ा होता है। इसमें किसका आंकड़ा माना जाता है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह बीमा योजना के तहत ही निर्धारित किया जाता है। उसी से सम्बन्धित इंश्योरेंश कम्पनी के लोग आंकड़े देते हैं। रिपोर्टिंग जरूर की जाती है कि यहां इतनी क्षति हुई है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

राजस्व विभाग 50 प्रतिशत कहेगा, और बीमा वाले कुछ कहेंगे, इसको जरा साफ कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह क्लीयर हो गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अतिवृष्टि और बाढ़ के अंतर्गत यदि यह स्थिति पैदा हो जाय कि 100 प्रतिशत नुकसान हो चुका है, राजस्व परिषद् के आंकड़ों के अनुसार तो मान्यवर, फसल बीमा को निर्देशित करेंगे मंत्री जी कि उसी आंकलन को सही मानकर, उसी आधार पर क्षति का मुआवजा देने का कष्ट करेंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि 55 जिलों में से कितने जिलों में यह योजना लागू है और उनकी कितनी क्षतिपूर्ति की जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह फसल बीमा योजना अलग-अलग फसलों की है। खरीफ की बात है, तो उसमें धान, मक्का, मूंगफली और उर्द की जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी। अगर 100 प्रतिशत की क्षति हुई है तो 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति की जायेगी, लेकिन अगर कहीं क्षति 80 प्रतिशत से कम हुई है, तो क्षति पूर्ति नहीं की जायेगी।

श्री राम सरन—

मान्यवर, गजब हो जायेगा...

श्री उपाध्यक्ष—

कहां गजब हो रहा है, राम सरन जी। बहुत सवाल हो चुके हैं।

श्री राम सरन—

मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि इस फसल बीमा योजना के तहत, प्रदेश में किसानों की जितनी फसल तबाह हुई है, एक रुपया दो रुपया किसी किसान को मिला है, यदि आपकी जानकारी में हो तो बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना की आवश्यकता पड़ेगी वह कह देंगे।

श्री राम सरन—

आवश्यक बात है, किसी को एक चार आना भी नहीं मिला है।

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ऐसा नहीं है। 84-85 में मुआवजे की जो धनराशि दी गई वह 2 लाख 84 हजार रबी में और 3 लाख 20 हजार खरीफ में दी गई है।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खरीफ फसल की बीमा योजना कितने जिलों में लागू है और जहां लागू नहीं है, वहां लागू कब करेंगे तथा रबी फसल की बीमा योजना कितने जिलों में लागू है, व जिन जिलों में लागू नहीं है, वहां कब लागू करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने पहले निवेदन किया अलग-अलग फसलों की बीमा योजना लागू है। खरीफ में चार फसलें आती हैं जिसमें धान, मक्का, मूंगफली और उर्द हैं। धान में 46 जिले, मक्का में 12 जिले, मूंगफली में 9 जिले और उर्द में 17 जिले हैं।

लखनऊ शहर के लक्ष्मणपुरी में राज्य कर्मचारियों के लिये खोली गयी डिस्पेंसरी

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों के लिए कोई डिस्पेंसरी लखनऊ शहर से बाहर खोली गयी है? यदि हां, तो किस स्थान पर और उससे कितने राज्य कर्मचारी प्रतिदिन सुविधा उठा रहे हैं? क्या इसे लखनऊ के बीच शहर में स्थानान्तरित किये जाने पर शासन विचार कर रहा है? यदि हां, तो कहां पर? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)–

राज्य कर्मचारियों के लिए एक डिस्पेंसरी लखनऊ शहर के लक्ष्मणपुरी (इन्दिरा नगर के निकट) में खोली गई है। इसमें प्रतिदिन लगभग 25 कर्मचारी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। इस डिस्पेंसरी को लखनऊ के बीच शहर में ट्रांसफर करने का विचार नहीं है, क्योंकि यह योजना परीक्षण के तौर पर चलायी जा रही है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने इसमें कहा है कि प्रतिदिन लगभग 25 कर्मचारी इसमें चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें औसतन साढ़े तीन राज्य कर्मचारी प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि दो नवम्बर, 1985 को अपर निदेशक श्री ए0 एस0 गुप्ता ने इस डिस्पेंसरी का आकस्मिक निरीक्षण किया। उस समय उन्होंने यह आदेश दिया कि इस डिस्पेंसरी को तत्काल इंदिरानगर, महानगर या निरालानगर जैसे किसी स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय, क्योंकि वर्तमान स्थान पर इस समय केवल 104 कर्मचारी प्रतिमाह ही लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें पुराने रोगियों को नहीं गिना जा रहा है, जो नये आ रहे हैं उनका दैनिक औसत साढ़े तीन व्यक्ति प्रतिदिन है। इसीलिए अपर निदेशक ने मुख्य चिकित्सा-अधिकारी को इसके स्थानान्तरण के बारे में लिखा। क्या उनके इस सुझाव के आधार पर डिस्पेंसरी का स्थानान्तरण करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह डिस्पेंसरी इंदिरानगर में तो चल ही रही है। लक्ष्मणपुरी इन्दिरानगर का ही एक स्थान है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस डिस्पेंसरी के खुलने के बाद इसमें जो चिकित्सक दिया गया, वह कुछ दिनों तक सचिवालय में ही नियुक्त रहा, तो जिस अधिकारी ने उनको सचिवालय में ही रोक रखा, उसके विरुद्ध कुछ कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

श्रीमन्, इसमें किसी की गैर जिम्मेदारी नहीं है। चिकित्सक की उपलब्धता के साथ-साथ नियुक्ति की जाती है। सचिवालय के अन्दर जो चिकित्सक था, उनके स्थान पर जब यहां पर दूसरा चिकित्सक उपलब्ध हो गया तो उनको लक्ष्मणपुरी भेज दिया गया।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

जब इतनी दूर डिस्पेंसरी होने से इतने कम मरीज उससे लाभान्वित हो रहे हैं तो उसको शहर के अन्दर स्थानान्तरित करने में क्या आपत्ति है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

मान्यवर, लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर राज्य कर्मचारी रहते हैं । उत्तर प्रदेश के 8 महानगरों में अभी यह योजना अनुभव के लिए चलाई जा रही है । इसका 13 लाख का बजट है । उत्तर प्रदेश में करीब साढ़े 11 लाख राज्य कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न अंचलों में फैले हुए हैं । उनकी कठिनाई यह है कि उन्हें दवा नहीं मिलती इसलिए श्रीमन्, आपने यह निर्णय लिया। उन निर्णयों के कार्यान्वयन होने के उपरान्त हम आगे इस पर विचार करेंगे ।

श्री गोपाल दास यादव –

मान्यवर, अन्य जगह पर भी जहां इस तरह की सुविधा अभी राज्य कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं है, कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

मान्यवर, यह निर्णय शासन ने लिया हुआ है कि प्रदेश में इस प्रकार के 100 चिकित्सालय स्थापित किये जायं । अभी यह निर्णय शासन का है, उस पर धीरे-धीरे कार्यवाही हो रही है।

सीतापुर के लिए बृहद् एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु दिया गया लाइसेन्स

*5–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को प्रत्येक जिले में एक मध्यम तथा एक लघु उद्योग स्थापित किये जाने की योजना के अधीन सीतापुर में कौन उद्योग कब तक स्थापित किया जाना है और इस हेतु कौन सा स्थान चयनित किया जा रहा है ?

श्री गौरी शंकर –

जनपद सीतापुर के लिए उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वृहद्/मध्यम उद्योगों के लाइसेन्स दिये गये हैं जिसमें से तीन लाइसेन्स सर्वश्री ओरियेन्ट जनरल इन्डस्ट्रीज कलकत्ता को दिये गये हैं । इनमें से बैट्रीज प्रोजेक्ट की एक इकाई अडवेनियां ग्रान्ट (कटीली) महोली रोड पर स्थापित होने का कार्य प्रगति पर है। यह उद्योग कब तक स्थापित हो सकेगा इस संबंध में इस समय निश्चित रूप से कुछ कह सकना सम्भव नहीं है । लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 1985-86 में 200 उद्योगों का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सीमा पर 25-8-85 को इस उद्योग का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने किया। उसको लाइसेन्स भी मिल गया और सरकार की ओर से 40 एकड़ भूमि भी उन्होंने अपने कब्जे में कर ली है । मैंने यह प्रश्न किया था कि उद्योग कब तक स्थापित हो जायेगा, उत्तर है स्थापित होने का कार्य प्रगति पर है। मैं जानना चाहता हूं कि कार्य क्या प्रगति पर है ? मान्यवर, मैंने 7 दिन पहले स्थल का निरीक्षण किया वहां केवल साइन बोर्ड ही लगा है ।

श्री गौरी शंकर –

मान्यवर, इस उद्योग का शिलान्यास 25-8-85 को सम्पन्न हुआ था, इसकी बाबत 40 एकड़ भूमि भी उपलब्ध की जा चुकी है । इनका पश्चिमी जर्मनी की एक इकाई के साथ अनुबंध हो चुका है, चूंकि अनुबंध हो चुका है, इसलिए कार्य प्रगति पर है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, अनुबंध डेढ़ साल पहले हो चुका है, एक साल पहले उन्होंने 40 एकड़ जमीन हड़प ली है । तत्कालीन मुख्यमंत्री

जी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि गुप्ता जी आप चलिएगा । मैं उनके साथ मंच पर उस शिलान्यास समारोह में दुस्साहस करके सम्मिलित हुआ था । मान्यवर, जब उद्योग कार्यालय से इस प्रश्न की जानकारी प्राप्त की, तो उद्योग कार्यालय ने बड़ी खोज की, उन्होंने अपने आदमी कलकत्ता भेजे, टेलेक्स भेजे कि इसका मालिक कहां है ।

श्री उपाध्यक्ष –

माननीय गुप्त जी आप प्रश्न करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रगति को वह स्पष्ट कर दें । यदि मंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें ताकि 15 दिन के बाद माननीय मंत्री जी प्रगति को स्पष्ट कर सकें कि कौन सी प्रगति वहां पर हुई है ?

श्री गौरी शंकर –

मान्यवर, आपकी कृपा से मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि शासन के पास वित्तीय संसाधनों की कमी है । फिर इस मामले में तो शासन केवल प्रोत्साहन का काम कर सकता है । कलकत्ता की यह निजी क्षेत्र की कम्पनी है और पश्चिम जर्मनी की कम्पनी के साथ अनुबन्ध कराने में सरकार ने उसे प्रोत्साहित किया । दूसरा यह है कि निजी क्षेत्र की कम्पनियों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है । चूंकि अब अनुबन्ध हो चुका है, कार्य जरूर चालू होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

मान्यवर, यह नीति विषयक मामला है । सरकार ने यह निर्णय ले लिया कि प्रत्येक जिले में लघु उद्योग और मध्यम श्रेणी के उद्योग लगाये जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से आधार तैयार किये गये हैं, जिनके आधार पर आप प्रत्येक जिले में लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग लगा रहे हैं । मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि राजनैतिक हित में और राजनैतिक दृष्टि से ये उद्योग लगाये जा रहे हैं । विपक्ष और यहां तक कि उन जन प्रतिनिधियों से कोई सहमति नहीं ली जा रही है । क्या आपने इस संबंध में कोई कमेटी बनाई है ? या फिर जन प्रतिनिधियों की कोई कमेटी बनाई है ?

श्री उपाध्यक्ष –

आपका प्रश्न तो बहुत विस्तृत है ।

श्री गौरी शंकर –

मान्यवर, किस जनपद में कौन सा उद्योग लगाया जाय, यह विषय भारत सरकार पर निर्भर करता है । दूसरा, आपने जो मानक के बारे में पूछा है, जो उद्योग विहीन जनपद हैं, उनमें ही उद्योग लगाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है, तब जाकर उद्योग स्थापित किये जाते हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा –

मान्यवर, भारत सरकार को राज्य सरकार कोई संस्तुति भेजती होगी । भारत सरकार भी कोई सर्वेक्षण कराती होगी उसने भी कोई कमेटी बनाई होगी । मेरा सवाल यह है कि जन प्रतिनिधि से संबंधित वह कौन सी कमेटी है ? जो अपनी राय देती है और राय के संबंध में भारत सरकार के एक्सपर्ट आकर उसका चुनाव करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष –

आपका प्रश्न विस्तृत है । अब आप पूछ रहे हैं कि भारत सरकार की कौन सी कमेटी है और उनके मानक क्या-क्या हैं? इसका विवरण कैसे वह दे पायेंगे ?

श्री बाबू राम यादव –

मान्यवर, मैनपुरी जिले में चीनी मिल की स्थापना करने हेतु राजा विश्वनाथ, प्रताप सिंह जी ने घोषणा की थी, लेकिन वह चले गये। उसके बाद श्री नारायन दत्त तिवारी जी यहां पर आये ।

श्री उपाध्यक्ष –

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

श्री बाबू राम यादव –

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मैनपुरी जिले में चीनी उद्योग लगाने पर सरकार विचार कर रही है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष –

इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस कम्पनी से उद्योग लगाने हेतु अनुबन्ध डेढ़ साल पहले हो चुका है। 40 एकड़ जमीन भी ले ली गई । अनुबन्ध के समय कुछ शर्तें होंगी । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन शर्तों का अनुपालन हो रहा है या नहीं ? दूसरा, जब से यह उद्घाटन हुआ है तब से उस कम्पनी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है । जिन शर्तों का उल्लंघन कम्पनी द्वारा किया गया है, उसकी जांच आप करायेंगे?

श्री गौरी शंकर –

मान्यवर, कलकत्ता की कम्पनी को लाइसेन्स दिया गया और उसके बाद प्रदेश सरकार ने अनुबन्ध कराते समय उन्हें प्रोत्साहित भी किया । इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं ?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं जानना चाहता हूं कि जिस जिले में प्राइवेट सेक्टर को नहीं प्रोत्साहित कर पायेंगे, तो क्या वहां शासन अपने उद्योग लगायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह केवल सीतापुर से संबंधित सवाल था, आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जर्मनी की जिस कम्पनी से अनुबन्ध किया गया था, उनकी शर्तों का उल्लंघन हुआ है ? यदि हां, तो कितनी शर्तों का उल्लंघन हुआ है ? यदि जानकारी नहीं है तो क्या जांच करायेंगे कि जिस कम्पनी से अनुबन्ध हुआ था, उन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया है ?

श्री गौरी शंकर–

अनुबन्ध की शर्तों के लिए जो समय दिया गया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने एक जिज्ञासा यह की थी कि यह उद्योग कब तक स्थापित किया जाना है ? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर द्वारा इस इकाई को 40 एकड़ जमीन दे दी गई, जर्मनी से अनुबन्ध भी हो गया, 7.38 करोड़ रु0 की भी व्यवस्था हो चुकी है । मैंने केवल यह जानना चाहा है कि उद्योग की स्थापना कब तक होगी? क्या इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि सब तथ्यों की जांच कराकर इस आशय का प्रयास करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र यह उद्योग स्थापित हो जाय ?

श्री गौरी शंकर–

जैसा शासन की नीति है और मैं इससे सहमति व्यक्त करता हूं कि 7.38 करोड़ रु0 दिया गया है, जमीन भी उपलब्ध कराई गई है । शासन को भी चिन्ता है कि जल्द से जल्द स्थापित हो जाय । जहां तक शर्तों की बात है उसके लिए जो समय दिया गया था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। देखा जायगा कि यथाशीघ्र स्थापना हो जाय।

गन्ना एवं गेहूं को फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने की मांग

*6—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश की प्रमुख फसलों गन्ना एवं आलू को सम्मिलित करने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

प्रदेश में चलाई जा रही फसल बीमा योजना भारत सरकार द्वारा संचालित व्यापक (काम्प्रेहेन्सिव) फसल बीमा योजना है जिसके अन्तर्गत केवल धान, गेहूं, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलें सम्मिलित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि फसल बीमा की बहुत व्यापक योजना है, उसका उद्देश्य भी किसानों को होने वाली क्षति की पूर्ति करना है । आलू और गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें हैं और माननीय कृषि मंत्री जी भी जानते हैं कि आलू और गन्ना बरबादी के कगार पर हैं । मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने अभी तक केन्द्र सरकार को आलू और गन्ना को भी फसल बीमा योजना में सम्मिलित करने के लिए आवश्यक संस्तुति कर दी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? पिछले विधान सभा सत्र में भी यह विषय आया था । क्या आलू और गन्ने के बीमे के लिए कोई कार्यवाही करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

माननीय द्विवेदी जी की चिन्ता स्वाभाविक है, मैं सहमत हूं । प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को आलू और गन्ना दोनों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने के लिए लिखा है और केन्द्रीय सरकार में यह विचाराधीन है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री नारायन दत्त तिवारी ने 10-6-83 को इस संबंध में एक पत्र लिखा था, उसके बाद मैंने 21 जनवरी, 1986 को एक पत्र लिखा है कि आलू और गन्ने की फसलें बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं, इसमें किसानों की फसल को बीमा योजना में शामिल किया जाय ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी बताया कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को लिखा था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से जो लिखा-पढ़ी हुई है उसमें आलू और गन्ना की फसलों के बारे में बीमा योजना के अन्तर्गत इसे लिए जाने में क्या कोई कठिनाई व्यक्त की गई है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को इन्होंने जो बीमा योजना के लिए सुनिश्चित करने के लिए लिखा है तो उसमें क्या दो-एक जिलों के लिए ही संस्तुति की है या फिर पूरे प्रदेश भर के जिले के लिए संस्तुति की है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इस तरह की संस्तुति जिलों के लिए नहीं हुआ करती बल्कि फसल के लिए हुआ करती है ।

श्री समरपाल सिंह—

मैं कृषि मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा फसल बीमा योजना है, उसके जो सिद्धांत हैं वह त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि बाढ़ के अलावा यह कभी सम्भव

नहीं है कि पूरी तहसील क्षतिग्रस्त हो जाय। मौजूदा योजना में उन्हीं किसानों को लाभ होगा जिन्होंने बैंक से कर्जा लिया होगा और जिन्होंने बैंक से कर्जा नहीं लिया होगा, उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरी बात सम्भवतः बाढ़ क्षेत्र को छोड़कर और चौतरफा पड़ने वाले क्षेत्र में पूरी की पूरी तहसील क्षतिग्रस्त नहीं हो सकती है। इसलिए इसमें सुधार करने की गुंजाइश है कि क्षेत्र को यूनिट माना जाय, केवल ग्राम न माना जाय।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय समरपाल सिंह जी की जानकारी के लिए मैं बतला देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संस्तुति बीमा योजना के बारे में केन्द्र सरकार को भेजी है, वह केन्द्रीय सरकार में विचाराधीन है। वह एक काम्प्रिहेन्सिव स्कीम है। जब अलग से इसके बारे में कोई प्रश्न आयेगा तो मैं इसकी जानकारी माननीय सदन को और मा0 सदस्य को करा दूंगा।

श्री काशी सिंह एरी–

मंत्री जी, मेरी इस जानकारी को सुनिश्चित मानते हुए कि सीमान्त जिला पिथौरागढ़ में केवल एक ही फसल आलू की होती है। आलू की कीमत कम हो जाने की वजह से धारचूला और मुन्सियारी का सारा आलू सड़ गया, तो क्या वहां के किसानों को इसके लिए मुआवजा देने का विचार शासन के विचाराधीन है?

श्री उपाध्यक्ष–

सवाल मुआवजे का नहीं बल्कि बीमा योजना का है। आपको बीमा के बारे में सवाल पूछना चाहिए था।

श्री काशी सिंह एरी–

इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि अभी कोई नीति नहीं तय हुई है तो क्या आलू सड़ने के कारण सरकार किसानों को कम्पनसेट करेगी? मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको आप पुछवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

बीमा के बारे में सवाल होता तो जरूर पुछवा देता। आप बीमा के बारे में पूछ लीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी के मूल उत्तर से संबंधित मेरा प्रश्न है कि जिसमें उन्होंने बीमा योजना को एक काम्प्रिहेन्सिव स्कीम बतलाया है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि गोरखपुर कमिश्नरी और वाराणसी कमिश्नरी में कौन-कौन से जिले इस बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि जनपदों को इस योजना में सम्मिलित करने का आधार क्या है। किस आधार पर जनपदों को इस योजना में लिया जायेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसके पहले जो प्रश्न था उसके उत्तर में मैंने बताया था कि इतने जिलों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है और जो मौजूदा प्रश्न है यह बहुत ही सीमित है और यह आलू तथा गन्ने से संबंधित है। जो प्रश्न शाही जी कर रहे हैं, उसका इससे कोई वास्ता नहीं है।

होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची

*7–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों की वरिष्ठता सूची शासन द्वारा जारी कर दी गई है परन्तु स्वतंत्र प्राचार्य नम्बर 2 व प्राचार्य नं0-3 की तैनाती वरिष्ठता क्रम में नहीं की गयी है? क्या यह भी सही है कि

चिकित्सालय अधीक्षक जिनका नाम न वरिष्ठता सूची में है न ही जिनकी सेवायें ही नियमित हैं उन्हें स्वतंत्र प्राचार्य बनाने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या शासन वरिष्ठता सूची के अनुसार ही 1 से 10 तक के प्राचार्यों को ही स्वतंत्र प्राचार्य बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राजकुमार संजय सिंह–

प्रान्तीयकृत 9 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों के प्राचार्यों की निर्गत की गई वरिष्ठता सूची अभी अनन्तिम है, जिसके विरुद्ध प्राचार्यों से प्राप्त आपत्तियां शासन के विचाराधीन हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठता क्रम में तैनाती किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर के चिकित्सालय अधीक्षक डा0 आदित्य नाथ मिश्रा को तदर्थ रूप से उक्त कालेज में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है।

शासन की यही नीति है कि वरिष्ठता सूची के प्रधानाचार्यों को ही रिक्तियों के आधार पर स्वतंत्र प्राचार्य का पद दिया जायगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह जो होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के 9 प्राचार्य हैं क्या उनकी वरिष्ठता सूची बना ली गयी है, यदि हां, तो उसके क्या नार्म्स रखे गये हैं और उसको अब तक न घोषित करने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, जैसा कि यह सदन अवगत है कि यह विभिन्न लोगों द्वारा चलाये हुए कालेज हैं और विभिन्न समयों में लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। तो ज्येष्ठता का अर्थ है कि जब 9 कालेज मिलाये गये, तो कौन सबसे अधिक सीनियर है। जो सूचना आयी उसके आधार पर एक सीनियारिटी लिस्ट तैयार हुई है, उसको सरकुलेट कर दिया गया है और उसके सम्बन्ध में आपत्तियां मांगी गयी हैं और आपत्तियां मिली भी हैं, जिन पर शासन विचार कर रहा है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपत्तियां मांगी गयीं और शासन को मिलीं तो क्या उन पर विचार कर लिया गया और कोई निर्णय लिया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, 2 जगहों में रिट केसेज हैं, लखनऊ बेंच में चल रहे हैं। मेरा प्रयास है कि उनका जल्दी ही निस्तारण हो जाये जिससे इस मामले को अन्तिम रूप दिया जा सके।

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि डा0 ए0 एन0 मिश्रा और डा0 राम अवध सिंह इन दो के बारे में हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, अगर निर्णय कर दिया है तो इनको विभिन्न जगहों पर प्राचार्य के पद पर न रखने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, यह तो उत्तर में ही दिया हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर के चिकित्सालय अधीक्षक, डा0 आदित्य नाथ मिश्रा को तदर्थ रूप से उक्त

कालेज में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है और जो गाजीपुर में थे उनको नेशनल होम्योपैथी कालेज, लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आपत्तियां प्राप्त हुईं, वह किन-किन तारीखों में प्राप्त हुईं और शासन ने किन-किन तारीखों में उन पर विचार किया है और किस निर्णय पर शासन पहुंचा है? क्या यह सही है कि इम्पलायमेंट एक्सचेंज स्वास्थ्य विभाग पार्क रोड ने उस सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया, इस कारण शासन उसको अन्तिम रूप देने में असमर्थ है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, ऐसी कोई चीज नहीं है, शासन ने सूची बनायी है और उसको सम्बन्धित प्राचार्यों में वितरित किया गया है और विभिन्न तिथियों में आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, शासन उनको संकलित करके बैठा है और जैसे ही उच्च न्यायालय का निर्णय हो जाता है, उसको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि वरिष्ठता सूची का मानक क्या है, उसका आधार क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, चिकित्सालय अधीक्षक का पद प्राचार्य के पद के समकक्ष नहीं है। अतएव उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

गाजीपुर, मुहम्मदाबाद में महिला चिकित्सालय की स्थापना

*8–श्री अवधेश राय शास्त्री–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में 30 बेड का महिला चिकित्सालय निर्मित होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो कब तक यह अस्पताल प्रारम्भ किया जायेगा?

राजकुमार संजय सिंह–

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद में 30 बेड का महिला चिकित्सालय भवन निर्मित नहीं है बल्कि 6 बेड का महिला चिकित्सालय भवन जिला परिषद्, गाजीपुर द्वारा निर्माणाधीन है। भवन का निर्माण पूर्ण होने पर उसे स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा जिसके उपरान्त महिला चिकित्सालय स्थापित किया जाना सम्भव होगा।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुहम्मदाबाद में यह 30 बेड का जो महिला चिकित्सालय स्वीकृत हुआ, यह कब स्वीकृत हुआ? इसकी बिल्डिंग कब बनकर तैयार हुई और क्या इस बिल्डिंग पर स्थानीय पुलिस चौकी के लोगों का कब्जा है जिसकी वजह से अस्पताल नहीं खोला जा सका?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, मुहम्मदाबाद, गाजीपुर में 30 शैय्या के चिकित्सालय के निर्माण की स्वीकृति अब तक नहीं हुई है। एक वहां पर पुराना चिकित्सालय 6 शैय्या का है जो किराये के भवन में चल रहा है उसके नये भवन का निर्माण

जिला परिषद्, गाजीपुर द्वारा हो रहा है। वहां पर जहां यह नया भवन बन रहा है, 1942 से स्थापित एक पुलिस चौकी है जो हटने के बाद वह कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा तब किराये के भवन से वह 6 शैय्या का चिकित्सालय अपने भवन में आ जायेगा।

श्री अफजाल अन्सारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि क्या बिल्डिंग बनकर तैयार हो गयी है या नहीं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी नहीं।

*9–श्री जयदीप सिंह बरार–

[7वें बुधवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सिंचाई विभाग के छटनीशुदा, सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों की कृषि विभाग में समायोजन की मांग

*10–महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-1976 को सिंचाई विभाग के छटनी शुदा सहायक कृषि प्रसार निरीक्षकों जिन्हें नलकूप चालक बना दिया गया था क्या उनका समायोजन कृषि विभाग में कर लिया गया ? यदि हां, तो बाकी कृषि स्नातकों को कब तक समायोजित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सिंचाई विभाग के प्रश्नगत छटनीशुदा कृषि प्रसार निरीक्षकों में से कृषि स्नातकों को समायोजित करने के आदेश शासन द्वारा दे दिए गए हैं। इनमें से 252 कर्मचारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष कर्मचारियों को उनके अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त नियुक्त कर दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कृषि स्नातक अभी कितने शेष हैं, जिनका समायोजन होना शेष है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कुल संख्या 477 थी जिसमें से 252 हो चुके हैं और बाकी 225 रह गये हैं, ये हो जायेंगे।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मूल प्रश्न यह है कि इनका समायोजन कब तक हो जायेगा ? क्या माननीय मंत्री जी कोई समय निश्चित करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा है कि उनके अभिलेखों का परीक्षण हो रहा है और शीघ्रताशीघ्र उनका समायोजन हो जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, 10 वर्ष हो चुके हैं, 1 जनवरी, 1976 को छटनी हुई थी और अभी तक उनके अभिलेखों का परीक्षण ही हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

कहा तो है कि शीघ्र इसको कर देंगे।

बाराबंकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर के ए0 एन0 एम0 तथा बी0 एच0 डब्लू0 कर्मचारियों की परिवार नियोजन के सम्बद्ध में रोकी गयी वेतन वृद्धि

*11–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर से सम्बद्ध 24 ए0

एन0 एम0 तथा बी0 एच0 डब्लू0 कर्मचारियों को परिवार नियोजन के आवश्यक लक्ष्य न पूरा करने के कारण वर्ष 84-85 में प्रतिकूल प्रविष्टियां दी गयी हैं तथा आगामी देय वार्षिक वृद्धि रोक दी गयी है? क्या इस संबंध में कोई आदेश शासन की ओर से जारी किये गये हैं? यदि हां, तो वह आदेश क्या है?

राजकुमार संजय सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

तत्सम्बन्धी शासनादेश संख्या:6552/16-11-84, दिनांक 27 अक्टूबर, 1984 के अनुसार जो कर्मचारी नसबंदी के निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने में असफल होते हैं उनके विरुद्ध उपरोक्त शासनादेश के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जिस शासनादेश का जिक्र उन्होंने किया है उसमें किस प्रकर से अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन् अपने काम में जिनका 25 प्रतिशत से कम योगदान हो उनमें कुछ का प्रमोशन रोक दिया गया है और कुछ की वेतन बढ़ोत्तरी रोक दी गई है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी के महीने में प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्री जी की महिला कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से वार्ता हुई थी और मुख्य मंत्री जी ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि महिला कर्मचारियों पर नसबन्दी के अलावा अन्य कामों में भी उनके खिलाफ लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर दण्डात्मक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करेंगे ? क्या मुख्य मंत्री जी उस आश्वासन को कायम रखेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

श्री गोपाल दास यादव–

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार कल्याण योजना में जिन अधिकारियों ने फर्जी तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

ऐसी कोई सूचना नहीं है, मान्यवर।

मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य का लोक सेवा आयोग द्वारा चयन

*12–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत लगभग 20 वर्षों से सहायक निदेशक मत्स्य के कुल 22 पदों को वर्षवार लोक सेवा आयोग द्वारा भरे न जाने का क्या कारण है ? इन्हें अब एक साथ भरने का क्या औचित्य है ?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1961 से वर्ष 1967 तक 10 अभ्यर्थियों का चयन लोक सेवा आयोग के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् बम्बई में प्रशिक्षण हेतु कराया गया था । बाद में लोक सेवा आयोग के परामर्श के अनुसार इन्हीं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियमित नियुक्ति सहायक निदेशक मत्स्य के पदों पर वर्ष

1967 से वर्ष 1974 तक उपलब्ध सीधी भर्ती की रिक्तियों के समक्ष की गई । इसी कारण वर्षवार नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठा ।

दिनांक 30-9-75 तक सहायक निदेशक मत्स्य के 2 वेतनमान तथा अलग-अलग पदनाम थे यथा रु0 450–950 तथा रु0 550–1200 जो कि दिनांक 1-10-75 से एक वेतनमान यथा रु0 550–1200 कर दिया गया । उक्त दो वेतनमानों तथा विभिन्न पदनामों में कार्यरत अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण में समय लगा क्योंकि संवर्ग सम्बन्धी विवाद न्यायालय में उठाये गये थे । अतः प्रोन्नति कोटा के समक्ष चयन वर्ष 1984 में सम्भव हो सका । वर्ष 1974 के बाद की सीधी भर्ती की रिक्तियों के लिए अभियाचन वर्ष 1984 में लोक सेवा आयोग को भेजा गया जो उनके विचाराधीन है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सन् 1967 से 1974 तक कहां कोई पद रिक्त था ? और कितने पदों पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई है । दूसरा सवाल यह है कि सन् 1974 के बाद जो सीधी भर्ती हुई है उनमें कितने पद रिक्त हैं जिनको लोक सेवा आयोग में चयन के लिये भेजा गया है ? और अब सन् 84 से 86 हो गया, इतने दिनों के बाद भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सन् 74 के बाद जो पूरी रिक्तियां हुई हैं, ऐसे 28 पदों के लिये मांग की गई है और उसके बाद जैसा कि मूल उत्तर में लिखा गया है 10 सीधे भर्ती से हुई है, प्रमोशन से नहीं हुई ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि सन् 74 के बाद जो सीधी भर्ती के रिक्त पद हैं उनको सन् 84 में लोक सेवा आयोग के पास भेज दिया गया किन्तु आज सन् 86 तक भी लोक सेवा आयोग द्वारा चयन न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सन् 84 में भेजा गया । लोक सेवा आयोग के पास इतना ज्यादा कार्यभार है कि वह अभी तक नहीं कर पाया है । हमारा प्रयास है कि जल्दी चयन हो जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी लोक सेवा आयोग को निर्देशित करेंगे कि शीघ्र ही इन पदों पर चयन करके भर्ती कर दें ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग को हम निर्देशित नहीं कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं । वह कर दिया जायेगा।

विधायकों को जीप खरीदने हेतु ऋण दिये जाने की मांग

*13–श्री राम आसरे वर्मा

क्या संसदीय कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों को कम ब्याज के आधार पर ऋण दिलाकर उचित दर पर नई डीजल जीप उपलब्ध कराने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रदेश की वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में शासन इस तरह के प्रस्ताव पर विचार करने की स्थिति में नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या कम सूद पर विधायकों को डीजल जीप खरीदने के लिए ऋण दिलायेंगे, उसको आपने जोड़ दिया पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति के साथ। साधारण कर्मचारी से लेकर ऊपर अधिकारियों को जिनको वेतन मिलता है उन सब के लिए इस तरह का प्राविधान है लेकिन विधायकों के लिए इस प्रकार का प्राविधान करने में क्या आपत्ति है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो भी आपत्ति थी वह मैंने कही। चूंकि पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति से हम सब जुड़े हुए हैं, यह पूरा विधान मण्डल जुड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व हम करते हैं इसलिए पूरे प्रदेश की जो स्थिति है उससे जुड़ना स्वाभाविक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होने पर) माननीय यदुनाथ सिंह जी आप बैठ जायं। मैंने श्री जनार्दन प्रसाद आभा जी को बुलाया है।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में जो सांसद हैं उनको घूमने के लिए महीने में 8, 10 दिन मुफ्त जीप की सुविधा देंगे। तो हम लोगों ने कौन सा पाप किया है कि हम कर्ज मांग रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए कि शासन कर्ज देने की स्थिति में नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि जब प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है तो हम भी प्रदेश के नागरिक हैं हमारी भी आर्थिक स्थिति कम खराब नहीं है। हमें क्षेत्र में घूमना पड़ता है। फिलहाल अगर कर्ज नहीं दिला सकते हैं तो 10 दिन की सुविधा जो माननीय सांसदों को दी है वह हमें भी दे दीजिये।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने सांसदों को, अपने कार्य संचालन के लिए सुचारु रूप से काम करने के लिए जीप की व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया है वह इससे अलग है, उससे इसे नहीं जोड़ा जा सकता है। माननीय आभा जी ने जो आपकी अनुमति से चिंता व्यक्त की है। जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है या सुविधा देने का प्रश्न है उसके लिए विधान मण्डल की एक समिति भी बनी हुई है वह समिति जो-जो संस्तुतियां समय-समय पर करती रही उस पर शासन ने विचार किया और काफी संस्तुतियों पर अमल भी किया। आगे कोई संस्तुति आयेगी तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं पिछली विधान सभा के माननीय सदस्यों को आवास सुविधा हेतु ऋण दिया जा रहा है। तो जो माननीय सदस्य उस समय नहीं थे या ऋण नहीं लिये हैं उनको उसके स्थान पर रियायती दर पर जीप खरीदने के लिए यह सुविधा प्रदान करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आवास और जीप में बहुत अन्तर है। आवास एक जगह में कायम रहेगा, जीप में आप घूमेंगे। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कहा है कि इस समय इस स्थिति में नहीं हैं कि इस प्रश्न पर विचार कर सकें।

श्री यदुनाथ सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो रहा है कि मंत्रिमण्डल के सदस्यों को

ज्यादा सुविधा दे रहे हैं और एम0एल0 एज0 को कोई सुविधा नहीं देंगे। एम0 एल0एज0 का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, डेढ़ लाख दो लाख की आबादी का एरिया रहता है। तो क्या आप आशा करते हैं और समझते हैं कि हम साइकिल में यात्रा कर सकते हैं। तो क्यों जीप की सुविधा नहीं दे रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह–

केवल आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि जितने माननीय सदस्य हैं, वह अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह–

खाली गांधी जी के नाम पर गांधीवादी बनने की कोशिश मत करिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक ही मेरा निवेदन है शासन के लिये कि–

"रहिमन वे नर मर चुके, जे कहुं मांगन जांय,
उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाहिं।"

*14–श्री किरन पाल सिंह–

[6ठे बुधवार में ता0 प्र0 सं0-18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*15–श्री विष्णु देव–

[2रे गुरवार के लिये स्थगित]

देवरिया, कसया, चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

*16–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत चिकित्सालय में वर्ष 1983 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि पद सृजन के पूर्व ही तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी नियुक्ति कर, वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया था? क्या यह भी सही है कि उन नियुक्तियों को सर्विस ट्रिब्यूनल ने निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो किये गये वेतन भुगतान की राशि को सम्बन्धित अधिकारी से रिकवरी के लिए शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां की गयी थीं। तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश नहीं दिये गये थे। यह ज्ञात हुआ है कि सर्विस ट्रिब्यूनल का निर्णय हो चुका है। ट्रिब्यूनल के आदेश की समीक्षा करने के उपरान्त तथा सम्बन्धित विभाग से परामर्श करने के पश्चात् अन्तिम निर्णय करना संभव है शेष प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरों के परिवार कल्याण केन्द्रों के सामाजिक कार्यकर्ताओं के यात्रा भत्ते की मांग

*17–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के सभी नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों पर नियुक्त पुरुष सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोई निर्धारित यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है जब कि अन्य परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण कर्मचारियों को नगरीय केन्द्रों पर निर्धारित यात्रा भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक यात्रा भत्ता मिलने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

मुरादाबाद अमरोहा सहकारी कताई मिल को भूमि का आवंटन एवं प्रतिकर का भुगतान

*18–हाजी मोहम्मद हयात्–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के सहकारी कताई मिल अमरोहा के लिये कितनी भूमि आवंटित

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

की गई थी तथा उस आवंटित भूमि का मूल्य कृषकों को कितने रुपया प्रति एकड़ दिया गया था और कितने कृषक ऐसे हैं जिन्हें अभी तक उनको आवंटित भूमि का पैसा नहीं मिला है? यदि हां, तो क्यों?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री—(श्री राम औतार दीक्षित)—

सहकारी कताई मिल, अमरोहा के लिये कुल 80.47 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। ग्राम याहियापुर तथा दहेरा के कृषकों को भूमि की मालियत के अनुसार मूल्य का भुगतान किया गया जिसका ब्योरा संलग्न है। कुल 6 कृषक ऐसे हैं जिनके प्रतिकर का अधिनिर्णय 14-8-1985 को हो चुका है परन्तु भू-स्वामी अपना प्रतिकर लेने उपस्थित नहीं हुए। उन्हें प्रतिकर प्राप्त करने हेतु पुनः नोटिस दी जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 153 पर।)

होम्योपैथिक चिकित्सालयों के लिये होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का चयन

*19—श्री मित्रसेन—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 2रे गुरुवार के लिये निर्धारित ता0प्र0सं0 3 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विचाराधीन नये चिकित्सालयों हेतु भी चिकित्साधिकारियों का चयन अगस्त, 85 में होने वाले साक्षात्कार में कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विचाराधीन नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्वीकृति होने के उपरान्त तथा उनके लिए होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पद सृजित किये जाने के उपरान्त चयन के संबंध में यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। अगस्त, 85 में उन्हीं पदों के लिए चयन किया गया था जो शासन द्वारा विधिवत् स्वीकृत थे।

सहायक विकास अधिकारी कृषि के पदों पर पदोन्नत ग्राम सेवकों के विनियमितीकरण का प्रस्ताव

*20—श्री सैय्यद जावेद अली सब्जपोश—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में 69 व्यक्ति ग्राम सेवक से पदोन्नति पाकर सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, किन्तु अभी तक इन व्यक्तियों का कृषि निदेशक द्वारा विनियमितीकरण नहीं किया गया है? क्या सरकार इन अधिकारियों का विनियमितीकरण करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां। प्रश्नगत कर्मचारियों के विनियमितीकरण का मामला शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

गोरखपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा हाउस विजिटर एवं बेसिक हेल्थ वर्करों के सम्बन्ध में जारी किया गया आदेश

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर के आदेश संख्या माल/84-6674-5 दिनांक 7-7-84 के आदेशों का पालन संबंधित अधिकारियों ने किया? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जिला स्तर के स्थानीय आदेशों का मुख्यालय स्तर से सम्वर्ग को वरिष्ठता आदि को

ध्यान में रखकर निर्गत किये गये आदेशों की अपेक्षा में वरीयता नहीं होती। बेसिक हेल्थ वर्कर/हाउस बिजीटर को विलयन कर आपसी ज्येष्ठता सूची बना दी गई है। अतः प्रश्नगत जनपद के स्थानीय आदेश दिनांक 7-7-84 जो इस भ्रम के कारण निर्गत किये गये थे कि हाउस बिजीटर व बेसिक हेल्थ वर्करों को एक दूसरे के स्थानों पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है, जबकि ऐसा किया जा सकता है। अतः सही स्थिति ज्ञात हो जाने के पश्चात् उक्त आदेशों के पालन कराने अथवा सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं होता।

बस्ती जिले में भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण-कार्य

3—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला आई0 पी0 पी0 में कौन-कौन से प्रोजेक्ट बनाने के लिये किस-किस विकास खण्डों में कब-कब स्वीकृत हुए हैं तथा स्वीकृत प्रोजेक्ट को कब-कब पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है? प्रत्येक प्रोजेक्ट पर कितना धन स्वीकृत हुआ व कितना धन अब तक व्यय हुआ? कितना धन शेष है? प्रोजेक्ट पूरा न होने के लिए ठेकेदार या अधिकारी कौन जिम्मेदार हैं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए क्या सरकार सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जनपद बस्ती के विभिन्न विकास खण्डों में कुल 426 निर्माण कार्य, द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुये हैं। अब तक 315 कार्य पूरे हो गये हैं। समस्त निर्माण कार्य के लिये स्वीकृत रु0 659.641 लाख की धनराशि के विपरीत अब तक रु0 530.79 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा रु0 128.851 लाख शेष है। परियोजना की अवधि 31 मार्च, 1986 तक स्वीकृत है। वांछित मदवार विवरण संलग्न है। अवशेष सभी निर्माण कार्य चल रहे हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 154 पर।)

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जिला देवरिया में ऋण का वितरण

4—श्री आसान सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद देवरिया में वर्ष 81-82 से वर्ष 83-84 तक अलग-अलग वर्षों में कितना ऋण वितरित किया गया है तथा प्रश्नकर्ता कौन है?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

उ0 प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा जनपद देवरिया में वर्ष 81-82 में रु0 634935.80, वर्ष 82-83 में रु0 470087.50 एवं वर्ष 83-84 में रु0 830855.00 का ऋण वितरित किया गया है।

प्राप्तकर्ताओं की सूची काफी विस्तृत है। अतः माननीय सदस्य उसे मेरे कक्ष में आकर देख सकते हैं।

5—श्री शारदा प्रताप—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में प्रवक्ताओं की कथित नियुक्ति एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा

6—श्री शारदा प्रताप—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में वर्ष 83-84 में एडहाक प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की गई थीं? यदि हां, तो

क्या पिछड़े वर्ग, अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण किया गया था? यदि नहीं, तो क्यों? क्या साक्षात्कार में कम नम्बर देकर उनको नहीं लिया गया तथा विभिन्न विषयों में आरक्षित वर्ग के पदों को रिक्त रखा गया है? यदि हां, तो क्या भविष्य में इनको भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

हमीरपुर, ग्राम थाना पसवारा के तालाब की नीलामी

7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 85 के छठे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर में क्या पशुधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस सहकारी समिति के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया गया था, क्या उन्हें कब्जा दिया गया है? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। जिस सहकारी समिति के पक्ष में ठेका स्वीकृत किया गया था उसे कब्जा दिया गया था।

दुग्ध अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उपकर लगाकर कोष का सृजन

8–श्री राजेन्द्र कुमार–

क्या पशुपालन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दुग्ध अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उपकर लगाकर एक कोष सृजित करने का प्राविधान हाल में ही किया गया है? यदि हां, तो इस कोष के अंतर्गत कितनी धनराशि एकत्रित हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

दुग्ध अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उपकर लगाकर एक कोष सृजित करने का प्राविधान पहले से ही विद्यमान है। चूंकि अभी उपकर लगाने का निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिये तत्संबंधित धनराशि एकत्रित होने का प्रश्न नहीं उठता।

फर्रुखाबाद कृषि मण्डी समिति के सभापति के पद पर नियुक्ति

9–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद कृषि मण्डी समिति, फर्रुखाबाद के प्रशासक पद पर शासनादेश का उल्लंघन कर एक ऐसे अधिकारी को बनाये रखने का क्या कारण है जो वहां पी0 सी0 एस0 के रेगुलर कैडर में नहीं है और जिसकी सेवायें फारेन (फारेन सर्विसेज) है? क्या उक्त अधिकारी को अवैधानिक रूप से जिला उप चुनाव अधिकारी का भी कार्य दिया हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

पी0 सी0 एस0 के रेगुलर कैडर के बाहर के अधिकारी को मण्डी समिति फर्रुखाबाद का सभापति नहीं बनाया गया है। सभापति का कार्य सम्पादित कर रहे पी0 सी0 एस0 अधिकारी श्री नवल किशोर जो फर्रुखाबाद के नगर मजिस्ट्रेट थे, दिनांक 2-7-85 को प्रभारी अधिकारी नगरपालिका फर्रुखाबाद के पद पर नियुक्त हो गये और प्रतिस्थानी के कार्य ग्रहण न करने के कारण वे प्रभारी अधिकारी नगर पालिका के कार्य के साथ नगर मजिस्ट्रेट से सम्बद्ध कार्य को देखते रहे। नवनियुक्त नगर मजिस्ट्रेट के कार्यभार ग्रहण करने पर

उन्हें 9-12-85 को सभापति मण्डी समिति के अधिकारों का प्रयोग करने हेतु आदेश दिया गया ।

प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, फर्रुखाबाद की जिला उप चुनाव अधिकारी पद पर नियुक्ति अवैधानिक रूप से नहीं बल्कि शासन के निर्वाचन विभाग की अधिसूचना संख्या–15017/17-ए-166/83, दिनांक 15-10-85 द्वारा हुई है ।

महिला अस्पताल, सीतापुर की आया स्व0 श्रीमती एस0 डब्लू0 प्रसाद की ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 की धनराशि का भुगतान

10–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर महिला अस्पताल में कार्यरत आया श्रीमती एस0 डब्लू0 प्रसाद जिनका सेवारत रहते वर्ष 12 सितम्बर, 83 को देहान्त हो गया है उनका बीमा, ग्रेच्युटी तथा फंड आदि का पैसा अभी तक उनके आश्रित को न मिलने का क्या कारण है ? कब तक मिल जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चिकित्सा विभाग, सीतापुर के स्वीपर, श्री चन्द्रा के वेतन का भुगतान

11–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर को लिखे गए पत्र 4 (वी) 156/66 (डी0 ओ0) 2249, दिनांक 15-2-80 (विषय श्री चन्द्रा स्वीपर के भुगतान के संबंध में) द्वारा जो जानकारी प्राप्त की गई थी वह निदेशक महोदय को कब मिली तथा उस पर निदेशक महोदय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर ने स्वास्थ्य सेवा निदेशक को इस केस की यथावांछित जानकारी सितम्बर, 1980 में प्रेषित की थी किन्तु यह पत्र निदेशक को प्राप्त नहीं हुआ । मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर ने अपने आदेश दिनांक 6-2-86 द्वारा श्री चन्द्रा स्वीपर को दिनांक 16-11-73 से 30-5-77 तक के वेतन के भुगतान के आदेश दे दिए हैं ।

चिकित्सा विभाग, मिर्जापुर के औषधि भण्डार का चार्ज

12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा
श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के 1984 के प्रथम सत्र के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के औषधि भण्डारों का चार्ज फार्मेसिस्ट के पास है ? यदि हां, तो किस दिनांक से किस-किस फार्मेसिस्ट के पास है ? यदि नहीं, तो गलत सूचना देने के आरोप में संबंधित अधिकारियों के ऊपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जिला मिर्जापुर में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पास औषधि भण्डार औपचारिक रूप से नहीं है तथा इस कार्य के लिए वहां फार्मेसिस्ट के पद सृजित नहीं हैं । जिले के केन्द्रीय भण्डार का चार्ज फार्मेसिस्ट के पास है वहीं से औषधि ले जाकर उप मुख्य चिकित्साधिकारी वितरित करते हैं। पूर्व प्रश्न अतारांकित प्रश्न-30 दूसरे गुरुवार, 1984 के लिए निर्धारित के उत्तर में फार्मेसिस्टों को चार्ज देने का कथन 3 जुलाई, 1982 के राज्यादेश के परिपेक्ष्य में था । इसका आशय अस्पतालों डिस्पेंसरी के औषधि भण्डार के चार्ज से था ।

महिला चिकित्साधिकारी, मिर्जापुर द्वारा खाली किया गया आवास

13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे गुरुवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदेशों की अवहेलना करने के विरुद्ध महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के डाक्टर के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नगत महिला चिकित्साधिकारी ने आवास खाली करने के लिए समय मांगा था। उनको दी गई समयावधि में ही उन्होंने उक्त आवास खाली कर दिया था। अतः उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

चिकित्सा विभाग, सीतापुर के कर्मचारी श्री अयूब अली अन्सारी तथा डी0 के0 श्रीवास्तव का सेलेक्शन ग्रेड

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 1ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 97 के उत्तर के संबंध में क्या चिकित्सा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अब अभिलेख पूर्ण हो गए हैं? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जायेंगे? अभिलेख पूर्ण न होने की जिम्मेदारी किस पर है जिसके अभाव में सर्वश्री अंसारी तथा श्रीवास्तव का हक मारा जा रहा है? जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सर्वश्री अयूब अली अंसारी तथा डी0के0 श्रीवास्तव के सेवा अभिलेख पूर्ण हो गए हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर ने अपने आदेशों दिनांक 8-1-85 तथा 20-8-85 द्वारा क्रमशः उन्हें सेलेक्शन ग्रेड का वेतनमान प्रदान कर दिया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

16—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, चिकित्सा विभाग, सीतापुर की मांगों पर विचार

18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 85 के 1 ले गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 158 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तुरन्त प्रभावी कार्यवाही की जाय के निर्देश के अधीन निदेशक महोदय द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या कार्यवाही किया जाना विचाराधीन है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कुल इक्कीस मांगों में से चार मांगों पर विचार कर निर्णय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त तीन मांग अस्वीकृत की जा चुकी हैं। एक मांग पर शासन के स्तर और शेष मांगों पर निदेशालय स्तर पर विचार किया जा रहा है।

सेवा निवृत्त, श्री रामपाल शुक्ल मेल स्टाफ नर्स, पुलिस अस्पताल सीतापुर के जी0पी0 एफ0 की धनराशि का भुगतान

19—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 85 के 5वें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 48 के उत्तर के संबंध में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शुक्ल को उक्त शीघ्र भुगतान करने हेतु अब तक की गई कार्यवाही

की प्रगति क्या है ? भुगतान कब तक हो जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री रामपाल शुक्ल सेवा निवृत्त मेल स्टाफ नर्स के बकाया प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान हेतु महालेखाकार उ0 प्र0 द्वारा भुगतान का प्राधिकार पत्र दिनांक 30-1-86 को अधीक्षक पुलिस अस्पताल सीतापुर, जहां से श्री शुक्ला सेवा निवृत्त हुए थे, को जारी किया गया है । चूंकि भुगतान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर के माध्यम से किया जाना है अतः महालेखाकार से प्राधिकार पत्र में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है । जैसे ही महालेखाकार का संशोधित प्राधिकार-पत्र प्राप्त हो जायेगा, श्री शुक्ला को बकाया भविष्य निधि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

नेत्र चिकित्सालय, सीतापुर के वार्ड ब्वाय के स्थायीकरण की मांग एवं दैनिक मजदूरी

20–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के 5वें गुरुवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0 38 के उत्तर के संबंध में क्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि 240 दिन से अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारी जो स्थायी नहीं है कब तक स्थाई कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विगत सत्र 85 के अतारांकित प्रश्न सं0 38 के उत्तर में बताया गया था कि 240 दिन से अधिक समय से नेत्र चिकित्सालय सीतापुर में 6 वार्ड ब्वाय और एक वार्ड आया कार्यरत है । इनके स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।

21–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जब शासन ने स्वीकार किया है कि न्यूनतम मजदूरी 11.50 रुपया दैनिक मिलनी चाहिए तो इसे दिलाने हेतु शासन तथा श्रम विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के हिसाब से 11.50 रुपया दैनिक मजदूरी देने हेतु स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आवश्यक आदेश दिनांक 10-10-85 को जारी कर दिये गये थे किन्तु उस चिकित्सालय ने श्रम विभाग से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या उक्त अधिनियम ट्रस्ट पर लागू है अथवा नहीं । श्रम विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । इस बीच चिकित्सालय ने 8.00 रु0 प्रतिदिन की मजदूरी को बढ़ाकर 8.50 रु0 कर दी है ।

लखनऊ मण्डल की कृषि उत्पादन मण्डियों के दैनिक वेतन भोगी कामदारों के नियमितीकरण की मांग

22–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की नीति यह है कि 3 वर्ष की अवधि से अधिक समय से किसी पद पर दैनिक या तदर्थ रूप में काम करने वाले कर्मचारी को नियमित कर दिया जायेगा तो अभी तक लखनऊ मण्डल की कृषि उत्पादन मण्डियों में 3 वर्ष से अधिक काल से कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी कामदारों को नियमित न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

शासन द्वारा 1-5-83 तक राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती से की गयी तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है परन्तु दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कोई नीति निर्धारित नहीं है । किन्तु मण्डी समितियों में 3

वर्ष से अधिक समय से दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को साक्षात्कार के माध्यम से चयन करने के संबंध में मण्डी परिषद् द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। लखनऊ मण्डल की मंडी समितियों के दैनिक वेतन भोगी कामदारों के संबंध में भी इसी नीति के अन्तर्गत कार्यवाही हो सकेगी।

विश्वबैंक की सहायता से किसानों के लिए भ्रमण एवं प्रशिक्षण योजना

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त —

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व बैंक की सहायता से कोई भ्रमण एवं प्रशिक्षण योजना (टी0एण्ड बी0) किसानों को अधिकतम जानकारी देने हेतु विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में चालू होगी या मात्र कुछ जिले में ? यदि मात्र कुछ जिलों में होगी तो वह जिले कौन-कौन हैं ? कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह —

जी हां। योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

यह योजना प्रदेश के 4 मण्डलों फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ के सभी जनपदों में कार्यान्वित की जायगी। फैजाबाद, सुल्तानपुर, वाराणसी, जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़, लखनऊ, रायबरेली, प्रथम वर्ष में गोरखपुर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, प्रतापगढ़, बहराइच, खीरी, उन्नाव, द्वितीय वर्ष में और मिर्जापुर, गोण्डा, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई तृतीय वर्ष में।

योजना के अन्तर्गत स्टाफ की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही है।

कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग के अवर अभियन्ताओं के रिक्त पद और कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों के लिये पद का सृजन

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में अवर अभियन्ता (अधिदर्शक) के कितने पद रिक्त हैं? इन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या योग्यता रखी गयी है तथा भर्ती किस आधार पर की जायगी क्या इन पदों पर कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग की अभियंत्रण शाखा में कितने ऐसे पद रिक्त हैं जिन पर सीधी भर्ती कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों की की जा सके ? भविष्य में शासन कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

कृषि विभाग के अभियंत्रण शाखा में ऐसे 55 पद रिक्त हैं जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जानी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि अभियंत्रण डिप्लोमा धारकों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु लगभग 225 पद सृजित होने का अनुमान है।

प्रदेश में लागू की गयी फसल बीमा योजना

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के कितने जिलों

में फसल बीमा योजना लागू है? प्रदेश के सभी जनपदों में लागू न होने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

फसल बीमा योजना इस समय प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

28–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

चिकित्सा विभाग सहायक जन विश्लेषक पद हेतु शैक्षिक योग्यता

29–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन विश्लेषक पद के लिये जो योग्यता केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गयी उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजाज्ञा निर्गत न किये जाने के विषय में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र स्वास्थ्य सचिव, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को मार्च, 85 के दूसरे पखवारे में मिला? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। सहायक जन विश्लेषक के पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया।

गाजीपुर, मुहम्मदाबाद के शहीद पार्क में महिला अस्पताल की स्थापना संबंधी मुकदमा

30–श्री अवधेश राय शास्त्री–

क्या सरकार की जानकारी में है कि जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद तह0 के शहीद पार्क के पास नजूल भूमि में 30 बेड का अस्पताल निर्मित हो चुका है और उक्त भवन पर तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कब्जा दिलाये जाने पर कुछ लोगों द्वारा 3-4 वर्ष पूर्व मुकदमा दायर किया गया है और अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से उक्त मुकदमा लड़ रहे हैं जबकि सरकारी कार्य पर उक्त अधिकारी थे? यदि हां, तो क्या सरकार उसका खर्च वहन करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद गाजीपुर के मुहम्मदाबाद के शहीद पार्क के सामने नजूल भूमि पर केवल 6 बेड का महिला अस्पताल निर्माणाधीन है। उक्त भवन पर नहीं बल्कि नजूल भूमि पर पूर्व से निर्मित पुराना मकान तथा उससे संबंधित भूमि का तहसीलदार तथा अन्य अधिकारियों द्वारा महिला चिकित्सालय के निर्माण हेतु कब्जा दिलाये जाने पर श्री रामेश्वर द्वारा 4 वर्ष पूर्व फौजदारी का मुकदमा दायर किया गया। संबंधित अधिकारीगण व्यक्तिगत रूप से अपने खर्चे पर यह मुकदमा लड़ रहे हैं किन्तु सरकारी खर्चे पर उनकी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के नान मेडिकल सुपरवाइजर एवं सोशल वर्करों की पदोन्नति की मांग

31–श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 84 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्र0 सं0–105 के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से संबंधित वांछित सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं और उनकी पदोन्नति हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या कोई ऐसा भी सवर्ण अभ्यर्थी है, जिसकी पदोन्नति फरवरी, 78 में नान मेडिकल सुपरवाइजर से मेडिकल सोशल वर्कर के पद पर हुई थी और पुनः अक्तूबर, 83 में स्वास्थ्य शिक्षक के पद पर हुई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पदोन्नति के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचनायें अभी 28 जनपदों से प्राप्त हुई हैं। शेष जनपदों से सूचना प्राप्त होने पर पदोन्नतियां करने की कार्यवाही सम्भव होगी।

जी हां। सवर्ण अभ्यर्थियों से संबंधित औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने पर पदोन्नति कर दी गयी थी।

डाक्टरी की रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अमान्य एवं अनधिकृत संस्थाओं की सूची

32–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 के रजिस्ट्रार ने डाक्टरी करने के प्रमाण-पत्र देने वाली जो अमान्य एवं अनधिकृत संस्थाओं की सूची जून, 83 में प्रकाशित की है, क्या शासन को उसकी सूचना है? यदि हां, तो क्या सूची सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित सूची की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 155–156 पर।)

गोसाईगंज, लखनऊ की मोहारी कला परियोजना के मजदूरों के श्रमिक चिट्ठों का गबन

33–श्री शारदा प्रताप–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोसाईगंज (लखनऊ) क्षेत्र की मोहारी कला परियोजना में दि0 22-11-84 से 14-12-84 तक फर्जी मजदूरों द्वारा कार्य दिखा कर भूमि संरक्षण अधिकारी, जिला सेक्टर लखनऊ द्वारा आहरित किये गये धन का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या कृषि मंत्री जी उक्त दैनिक श्रमिक चिट्ठे को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

गोसाईगंज, जिला लखनऊ की मोहारी कला परियोजना में दिनांक 22-11-84 से 14-12-84 तक जो कार्य कराया गया था, उससे सम्बन्धित श्रमिक चिट्ठे कार्यालय से खो गये हैं, जिसकी प्रथम सूचना थानाध्यक्ष, गाजीपुर, जनपद लखनऊ को दिनांक 18-1-85 को दी गयी। पुलिस जांच में चिट्ठों का पता नहीं चला। कृषि निदेशक को इसकी जांच विशेष अनुसंधान शाखा से कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

34–श्री शारदा प्रताप तथा नवाब सिकन्दर अली खां–

[2रे गुरुवार के लिये स्थगित।]

35–श्री शारदा प्रताप–

[2रे गुरुवार के लिये स्थगित।]

श्री श्रीराम शुक्ल, चिकित्साधिकारी, ग्राम पोखरा, जिला बाराबंकी के स्थायीकरण की मांग

36–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शुक्ल, चिकित्सा

अधिकारी, ग्राम पोखरा, जिला बाराबंकी को 25 वर्षों से सेवारत रहते हुए भी उनका विनियमितीकरण एवं स्थायीकरण अब तक न किये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी श्री शुक्ल को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर शीघ्र ही स्थायीकरण एवं विनियमितीकरण किये जाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री श्रीराम शुक्ल पहले जिला परिषद्, फैजाबाद के अधीन चिकित्सा अधिकारी थे। हैदरगंज, जिला फैजाबाद स्थित एलोपैथिक चिकित्सालय के दिनांक 1-7-81 से प्रान्तीयकृत होने पर उनके सरकारी सेवा में आने के विकल्प के आधार पर तदर्थ रूप से उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर समायोजित किया गया है। उनकी तदर्थ नियुक्ति के विनियमितीकरण का प्रश्न विचाराधीन है। विनियमितीकरण के बाद ही उनके स्थायीकरण पर विचार सम्भव होगा।

लखनऊ, सरोजनी नगर, पशु चिकित्सालय का भवन

37–श्री शारदा प्रताप–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खण्ड में कुल कितने पशु चिकित्सालय हैं? उनमें कितनों के भवन अच्छी हालत में हैं और कितनों के भवन जर्जर हैं या मरम्मत कराने के योग्य हैं तथा वर्तमान वर्ष में कितने भवनों की मरम्मत कराने का तथा कितने नये भवन बनवाने का प्रस्ताव है?

श्री हुकुम सिंह–

लखनऊ जनपद के विकास खण्ड, सरोजनीनगर में दो पशु चिकित्सालय हैं। उनमें से एक पशु चिकित्सालय पर विभागीय भवन उपलब्ध है जो मरम्मत योग्य है। धनाभाव के कारण मरम्मत नहीं हो सकी। दूसरे पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण का मामला शासन के विचाराधीन है।

तत्कालीन अधीक्षक, श्री आर0 एन0 सिंह, राजकीय उद्यान, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र

38–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 एन0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान, फैजाबाद द्वारा 1978-79 में चार्ज देने के उपरान्त 75 हजार रुपये से भी अधिक धन का आहरण करना तथा आडिट रिपोर्टों के अनुसार लगभग 20 लाख रुपये हेराफेरी करने के मामले प्रकाश में आये हैं और तत्कालीन निदेशक, फल उद्यान, उ0 प्र0 डा0 शिवराज सिंह तेवतिया ने कोई पत्र अपने अ0 शा0 पत्र सं0 7818/के-ए-48 दिनांक 4 जनवरी, 1980 को श्री ए0 बी0 लाल तत्कालीन उप निदेशक, उद्यान, फैजाबाद, श्री सी0 के0 सिंह, अधीक्षक, राजकीय उद्यान फैजाबाद तथा आर0 एन0 सिंह, तत्कालीन अधीक्षक, उद्यान, फैजाबाद को लिखा था? यदि हां, तो अब तक ऐसे गम्भीर मामले में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई और इस प्रकरण में किस से जांच कराई गई और कितने रुपये का गबन प्रकाश में आया? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मोहनलाल, स्वास्थ्य सहायक, कपड़ा द्वाराहाट, अल्मोड़ा की पदोन्नति की मांग

39—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

द्वितीय सत्र 85 के 3रे गुरुवार, दि0 1 अगस्त, 85 के अता0 प्र0 सं0 17 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय विभाग में लगभग 81 पद सी0 एच0 ओ0 के रिक्त हैं जो पदोन्नति द्वारा तत्काल भरे जाने हैं? यदि हां, तो इन पदों में से एक पद पर श्री मोहन लाल, स्वास्थ्य सहायक कपड़ा द्वारा हाट जिला अल्मोड़ा की पदोन्नति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सी0 एच0 ओ0 के पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाये या डाक्टरों से भरा जाय यह अभी शासन के विचाराधीन है।

मलेरिया अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध जांच की कार्यवाही

40—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के जिलाधिकारी ने पत्रकारों की सूचना पर 30 मई, 85 को जिला मलेरिया अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध कोई जांच कर शासन को भेजी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आवश्यक जांच हेतु निर्देश दिये गये हैं। जांच की प्रक्रियायें संयुक्त निदेशक (मलेरिया) तथा उप निदेशक, फाइलेरिया, उत्तर प्रदेश द्वारा की जा रही हैं।

41—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बुलन्दशहर, ग्राम कासना में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण

42—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में दनकौर में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र के लिए किन-किन गांवों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दनकौर में, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, कानपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रथम चरण में ग्राम कासना की 403·384 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने दिनांक 25-1-86 के पत्र द्वारा शासन को प्रस्तुत किया है।

गाजियाबाद, दादरी मण्डी का निर्माण

43—श्री महेन्द्र सिंह भाटी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में दादरी मण्डी समिति के लिए भूमि का चयन कब हुआ था? भूमि चयन होते हुए मंडी क्यों नहीं बनाई जा रही है? यह मंडी कब तक स्थापित कर दी जायेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

दादरी मण्डी के निर्माणार्थ भूमि का चयन 28-5-1985 को हुआ था। चयनित भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही अभी चल ही रही है और कब्जा नहीं मिला है जिसके कारण मण्डी का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् नवीन मण्डी का निर्माण करके उसमें मण्डी स्थापित की जा सकेगी।

गोरखपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में की गयी नियुक्तियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

44—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों के संबंध में बरती गयी अनियमितताओं की शिकायत सर्वदलीय जन कष्ट निवारण समिति गोरखपुर के मंत्री श्री विजय प्रताप ओझा ने की थी जिसकी जांच करके संयुक्त निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर ने अपनी रिपोर्ट दि0 10-9-84 को संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं प्रशासन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित की थी? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

इस विषय में सर्वदलीय जन कष्ट निवारण के मंत्री श्री विजय प्रताप ओझा की शिकायत की जांच आख्या संयुक्त निदेशक, गोरखपुर ने अपने पत्र 16-2-85 द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक को भेजी। 10-9-84 को श्री विजय प्रताप ओझा की शिकायत पर कोई जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हुई। उक्त 16-2-85 की रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रतापगढ़, आटो ट्रैक्टर्स लि0 कारखाने में घाटा तथा कर्मचारियों, मजदूरों पर व्यय की गयी धनराशि एवं कर्मचारियों की संख्या तथा स्थायीकरण की मांग और श्रमिकों से सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें

45—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लि0 कारखाना जो सन् 1980 में चालू हुआ था लगभग 25 करोड़ रुपये के घाटे पर चल रहा है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री राम औतार दीक्षित—

प्रतापगढ़ स्थित आटो ट्रैक्टर्स लि0, कारखाने में अक्टूबर, 1981 से उत्पादन कार्य प्रारम्भ हुआ जिसमें मार्च, 1985 तक कुल 15.30 करोड़ रु0 का घाटा हुआ। घाटे का मुख्य कारण ट्रैक्टर्स तथा डीजल इंजन की निर्माण लागत का बिक्रय मूल्य के अनुपात में परियोजना में अनुमानित अनुपात से अधिक होना है। परियोजना में यह अनुमान किया गया था कि कुछ विदेशी आयातित कल पुर्जों का स्वदेशी स्रोतों से उत्पादन सम्पन्न कराया जा सकेगा जो नहीं हो सका। अतः लागत मूल्य में कमी न हो सकी। घाटे के अन्य कारण डिजाइन की दुरूहता, ब्रिटिश ले-लैण्ड से समुचित तकनीकी सहयोग का प्राप्त न होना तथा विपणन बाजार में ट्रैक्टर्स की मांग में उत्तरोत्तर कमी होना है।

46—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त कारखाने में प्रबन्धकों तथा उनसे सम्बन्धित स्टाफ पर मजदूरों के वेतन भत्ता तथा कारखाने के रखरखाव पर अलग-अलग वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 में कुल कितना व्यय किया गया? क्या मंत्री जी उक्त वर्षों में कारखाने की आय बताने की कृपा करेंगे?।

श्री राम आंतार दीक्षित–

वर्ष 1980-81 से 1984-85 वर्षों का व्यय तथा आय के आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :–

अवधि	प्रबन्धकों तथा स्टाफ/मजदूरों का वेतन व भत्ता	कारखाने के रखरखाव पर व्यय	कारखाने की आय
1	2	3	4
1980-81	21·00	1·00	3·00
1981-82	35·00	5·00	81·00
1982-83	98·00	17·00	161·00
1983-84	120·00	21·00	410·00
1984-85	179·00	24·00	298·00

47–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या उद्योग मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त कारखाने में कुल कितने श्रमिक कुशल, अर्द्ध कुशल व अकुशल काम करते हैं और इनमें से कितने स्थायी और कितने अस्थायी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अस्थायी मजदूर कौन-कौन से हैं और कितने-कितने दिनों से काम कर रहे हैं?

श्री राम आंतार दीक्षित–

प्रश्नगत कारखाने में 85 कुशल, 426 अर्द्धकुशल व 59 अकुशल श्रमिक कार्यरत हैं जिसमें से 509 स्थायी तथा 61 अस्थायी हैं। अस्थायी मजदूर कौन-कौन से हैं और कितने दिनों से काम कर रहे हैं, संबंधी सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 157–158 पर।)

48–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या उद्योग मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कारखाने के कितने श्रमिक ऐसे हैं या रहे हैं जिनके मुकदमें श्रम न्यायालय या अन्य न्यायालयों में विचाराधीन हैं?

श्री राम आंतार दीक्षित–

चार श्रमिकों के मुकदमें श्रम न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

वाराणसी, उप-कृषि निदेशक कार्यालय के कर्मचारी स्व0 श्री गौरी शंकर के आश्रित श्री पन्ना लाल की नियुक्ति

49–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी मण्डल के उप-कृषि निदेशक कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 श्री गौरी शंकर के आश्रित पुत्र को राजकीय सेवा में उसी कार्यालय में नियुक्त किया गया था? क्या यह भी सही है कि थोड़े समय बाद ही उसकी सेवायें समाप्त कर दी गईं तथा अन्य लोगों को (श्री तपसी एवं शोभा लाल रावत को) उसी कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन समिति को नजरन्दाज करके बिना विज्ञापन निकाले नियुक्ति कर ली गई हैं ? यदि हां, तो इन अनियमित नियुक्तियों के लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

स्व0 गौरी शंकर की मृत्यु के समय मृतक कर्मचारी के आश्रितों की नियुक्ति विषयक शासनादेश प्रभावी नहीं था फिर भी सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके पुत्र पन्ना लाल मौर्य की नियुक्ति चपरासी के पद पर कर दी गई उस समय चयन समिति के सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गई उस समय चयन समिति के अस्तित्व में न होने के कारण कार्यालय सूचना पट पर विज्ञाप्ति करके श्री तपसी की नियुक्ति तदर्थ रूप से अन्तरोधन व्यवस्था में की गयी तथा श्री शोभा लाल रावत की नियुक्ति नहीं की गई है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

वाराणसी, श्री राम सुभग सिंह, सहायक बिक्रय अधिकारी, कृषि का स्थानान्तरण

50–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम सुभग सिंह सहायक विक्रय अधिकारी (कृषि) का स्थानान्तरण अपर कृषि निदेशक प्रशासन ने जनपद वाराणसी से वाराणसी मंडल के बाहर कर दिया था? क्या यह भी सही है कि उप-कृषि निदेशक, फैजाबाद ने उक्त स्थानान्तरण आदेश को स्थगित कर दिया है? यदि हां, तो क्या यह कार्य उनके अधिकार क्षेत्र के अन्दर है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि उप निदेशक ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया है।

शीतगृह, कमालगंज, फर्रुखाबाद द्वारा श्री सुरेशचन्द्र को दिया गया मुआवजा

51–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीतगृह 18, सहकारी क्रय-विक्रय समिति कमालगंज, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा पत्र सं0 3522/23 दिनांक 8-9-76 के अनुसार 3099 रु0 11 पैसा मुआवजा श्री सुरेश चन्द्र को दिलाये जाने के सम्बन्ध में एक पत्र दिनांक 15-7-85 जिलाधीश, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुआवजा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई और अब तक न दिये जाने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री सुरेश चन्द्र का पत्र, दिनांक 15-7-85 नहीं बल्कि पत्र दिनांक 5-9-85 मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में जिलाधीश, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुआ।

2100 रुपये का मुआवजा दिया जा चुका है। शेष 999.11 रुपये के मुआवजा की वसूली के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

महिला अस्पताल, खीरी की कथित डा0 कुमारी सुमनलता जोशी के स्थानान्तरण की मांग

52–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला अस्पताल खीरी में डा0 कु0 सुमनलता जोशी पिछले 12 सालों से कार्यरत हैं? यदि हां, तो इन्हें स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

महिला अस्पताल, खीरी में डा0 (कु0) सुमनलता जोशी नाम की कोई भी चिकित्सा अधिकारी नियुक्त नहीं है। अतः स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रफी अहमद किदवई मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में जेनरेटर

53—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि श्री रफी अहमद किदवई मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में जेनरेटर नहीं है जिसके कारण आपरेशनों के समय खास-तौर से बिजली चले जाने पर मरीज की जान को खतरा पैदा हो जाता है? क्या सरकार उक्त अस्पताल को जेनरेटर उपलब्ध कराने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्री रफी अहमद किदवई मेमोरियल अस्पताल, बाराबंकी में एक पोर्टेबुल जेनरेटर आपरेशन थियेटर में बिजली चले जाने पर प्रयोग हेतु उपलब्ध है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1, 2 तथा 3 के पद नाम परिवर्तन संबंधी रिपोर्ट

54—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग के ग्राम सेवक एवं पंचायत राज विभाग के पंचायत सेक्रेटरी के पद नाम परिवर्तन की भांति कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग के वर्ग 1, 2 व 3 के कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन पर मंत्रि-परिषद् द्वारा गठित समिति ने निर्णय ले लिया है? यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम सेवक एवं पंचायत राज विभाग के पंचायत सेक्रेटरी के पद नाम परिवर्तन की भांति कृषि विभाग के अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 1, 2 तथा 3 के पदनाम परिवर्तन के संबंध में मंत्रि परिषद् के निर्णयानुसार मुख्य सचिव द्वारा गठित समिति की संस्तुति प्राप्त हो गई है जिस पर शासन द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना है।

गोरखपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की छटनीशुदा दाइयों के समायोजन संबंधी शासनादेश और नियुक्त आयाओं एवं दाइयों की संख्या

55—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में जुलाई, 85 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में छटनी शुदा दाइयों की संख्या कितनी है? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि दाइयों के समायोजन के संबंध में कोई शासनादेश हुआ है? यदि हां, तो उसके अनुपालन में जनपद गोरखपुर में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

56—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोरखपुर में 1 जनवरी, 84 से 30 जून, 85 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितनी दाइयों एवं वार्ड आयाओं की नियुक्ति की गई? इसमें छटनी शुदा कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

57—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

58—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

कार्यालय, संयुक्त निदेशक, मलेरिया द्वारा सर्वलेंस निरीक्षकों का साक्षात्कार

59—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि कार्यालय संयुक्त निदेशक (मलेरिया) उ0 प्र0 के पत्रांक माल0 ए0/एस0 आई0

बी0/79 लखनऊ, दि0 4-9-79 के संदर्भ में सर्वलेंस निरीक्षक वेतनमान 230-385 अस्थाई पद हेतु साक्षात्कार दिनांक 11-9-79 को हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त साक्षात्कार में चयनित अभ्यर्थियों को सर्वलेंस निरीक्षक पद पर न लेकर गृह दर्शक के पद पर नियुक्त किया गया है? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को पुनः अपने मूल पद पर लेने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्वास्थ्य निदेशक द्वारा गठित चयन समिति के समक्ष प्रश्नगत पदों के लिये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था। जनहित में कम समय एवं श्रम की बचत को ध्यान में रखकर मिश्रित साक्षात्कार किया गया था। समिति के सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं उनके द्वारा अपनायी प्रक्रियाओं के अनुसार उपलब्धि के आधार पर अभ्यर्थियों को सर्वलेंस निरीक्षक वेतनमान रुपया 230-385/- तथा गृह दर्शक वेतन रुपया 185-265/- पर अलग-अलग चयन किया गया था तथा दोनों वेतन क्रमों के आधार पर अलग-अलग चयन सूची बनायी गयी तथा उसी के अनुसार नियुक्तियां भी करायी गयीं।

अतः किसी के पदों में परिवर्तन का प्रश्न नहीं उठता है। जिस पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया वही उनका मूल पद रहेगा।

कुष्ठ निवारण कार्यक्रम में नाम मेडिकल असिस्टेन्ट एवं हेल्थ एजुकेटर आदि के पद और रिक्त पदों की संख्या

60–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1982 से 1985 तक कितने नान मेडिकल असिस्टेंट कितने हेल्थ एजुकेटर के पद अभी तक सृजित किये गये और उनमें से कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि पद नहीं भरे गये हैं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वित्तीय वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक नान मेडिकल असिस्टेंट के 120 पद तथा हेल्थ एजूकेटर के 23 पद सृजित हुये। इनमें से नान मेडिकल असिस्टेंट के सभी पद तथा हेल्थ एजूकेटर के 6 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। हेल्थ एजूकेटर के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में नान मेडिकल सुपरवाइजर के सृजित पद एवं उनकी पूर्ति

61–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य कुष्ठ अधिकारी के अर्ध शासकीय पत्रांक 11फ/3-75/84/कुष्ठ/13396 दिनांक 17-7-84 के संदर्भ में अब तक उ0 प्र0 में कितने नान मेडिकल सुपरवाइजर अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं और कितनी जगह नान मेडिकल सुपरवाइजर की चयनित नहीं हुई है? यदि शासन द्वारा स्वीकृत पद एन0 एम0 एस0 के रिक्त हैं तो वे कितने हैं और क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश में अब तक नान मेडिकल सुपरवाइजर के 269 पद सृजित हुये हैं और इनमें से 219 पद भरे हैं। अवशेष 50 पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

फास्फेट परियोजना, ललितपुर की आडिट उ0प्र0 खनिज विकास निगम की राक रिपोर्ट

62–कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

क्या उदयोग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खनिज विकास निगम के राक फास्फेट परियोजना ललितपुर में निगम के मुख्यालय द्वारा वर्ष 83-84 व 84-85

में किए गए अंतरिम लेखा परीक्षण में पाये गये वित्तीय घोटालों के संबंध में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम औतार दीक्षित –

प्रश्नगत अवधि के लिए इस परियोजना का आन्तरिक लेखा परीक्षण "आडिटर्स" द्वारा किया गया था। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन में कुछ अनियमिततायें इंगित की गई थीं किन्तु इस संबंध में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष इंगित नहीं किया गया था। अनियमितताओं के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु जांच की जा रही है। अतः अभी किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद, लखीमपुर में हुई हानि

63–श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कृषि फार्म जमुनाबाद जिला लखीमपुर पर पिछले वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83, 83-84, 84-85 में वर्षवार अलग-अलग कितने रुपये की हानि हुई है ? इसके लिए उत्तरदायी प्रबन्धक कौन-कौन थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

(i) पिछले वर्षों 1981-82, 1982-83, 1983-84 में क्रमशः रु0 2,96,408 रु0 4,67,528 एवं रु04,57,020 की हानियां हुई थीं। वर्ष 1984-85 की लाभ-हानि की स्थिति तुलन-पत्र तैयार न होने से अभी स्पष्ट नहीं है।

(ii) उक्त अवधि में कार्यरत् प्रक्षेत्र प्रबन्धक निम्नवत् हैं :-

अवधि	प्रक्षेत्र प्रबंधक
1981-82 (29.4.81 से 31.7.82)	श्री नामवर सिंह
1982-83 (1.8.82 से 20.9.83)	श्री धूम सिंह
1983-84 (30.9.83 से 27.1.84)	श्री रघुबीर शरण
28.1.84 से आगे	श्री सुरेश सिंह

श्री नामवर सिंह के विरुद्ध सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। अन्य लोगों के कार्यकाल के लेखों का सम्प्रेक्षण कराया जा चुका है और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कृषि निदेशालय की आडिट आपत्ति

64–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय में वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83 83, 83-84, 84-85 में कितने करोड़ रुपये की विभागीय व महालेखाकार की आडिट आपत्तियां हैं और इनके निस्तारण की क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यह आपत्तियां किस-किस अधिकारी के समय की हैं ? और कितने-कितने रुपये की हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

सूचना संलग्न है।

आपत्तियों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति पर है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ट 159 पर।)

65–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

कताई मिल, झांसी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती

66—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कताई मिल झांसी में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विभिन्न खातों में भर्ती किये जाने का क्या आधार है? वर्ष 84-85 में कितने कर्मचारी किस-किस खाते में भर्ती किये गये और कितने कर्मचारी किस-किस खाते से किन कारणों से निकाले गये?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मिल में रिक्ति होने पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती योग्यता एवं अर्हता के आधार पर विभिन्न खातों में चयन समिति द्वारा की जाती है। वर्ष 1984-85 में मिल के विभिन्न विभागों में क्रमशः निम्नवत् कर्मचारी भर्ती किये गये :—ब्लो रूम-1, कार्डिंग-4, प्रिपरेटरी-26, रिंगफ्रेम-153, पोस्ट स्पिनिंग-181, मेन्टीनेन्स-29। मेन्टीनेन्स विभाग के एक कर्मचारी की सेवाएं दुराचार के कारण समाप्त की गयी।

ग्राम धनकुआ, जिला ललितपुर में पायरोफ्लाइट एवं डायस्पोट खनिज निकालने हेतु ईश्वर इण्डस्ट्रीज लि0 को दिया गया पट्टा

67—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धनकुआ जिला ललितपुर में पायरोफ्लाइट एवं डायस्पोट खनिज निकालने के लिए दि0 11-4-63 को दि ईश्वर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नामक मध्य प्रदेश की फर्म को 20 वर्ष के लिए खनिज पट्टा दिया गया था जिसकी अवधि 10-4-83 को समाप्त होनी थी और उक्त फर्म ने 10-4-83 तक उक्त खनिज पट्टा के नवीनीकरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया? यदि हां, तो दि ईश्वर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 10-4-83 को पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी अब तक खनन कार्य किस आधार पर कर रही है?

श्री राम आंतार दीक्षित—

प्रश्न में उल्लिखित फर्म "दि ईश्वर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड" को दिनांक 14 अप्रैल, 1984 से दिनांक 13 अप्रैल, 1984 तक 20 वर्ष के लिये पट्टा दिया गया था। पट्टाधारक ने नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1983 को दिया।

पट्टाधारक द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 1984 से आगे के लिये खनन कार्य नियमों में उपलब्ध व्यवस्था व इस संबंध में भारत सरकार के आदेशों के आधार पर किया गया।

चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षकों एवं सेनेटरी इन्सपेक्टरों की शैक्षिक योग्यता एवं स्थायीकरण

68—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा सं0 2267/1/16-1/120/60 दि0 12-2-68 के अनुसार वर्ष 1968 में क्या स्वास्थ्य निरीक्षकों के 653 पद वेतनक्रम 150-260 में स्वीकृत किये गये थे, जिनकी शैक्षिक और प्रशिक्षणिक अर्हताएं वही निर्धारित की गयी थीं जो सेनेटरी इन्स्पेक्टरों के लिए निर्धारित थीं? यदि हां, तो क्या उपरोक्त पद और चिकित्सा अनुभाग—7 से जारी स्वास्थ्य निरीक्षकों के 713 अस्थाई पदों के स्थायीकरण विषयक शासनादेश सं0 3183/5-7-

1751/1975 दिनांक 2 जनवरी, 1976 द्वारा स्थाई किये गये पद एक ही कर्मचारी संवर्ग के हैं ? यदि नहीं, तो दोनों प्रकार के स्वास्थ्य निरीक्षक पदों में क्या अन्तर है और उन्हें एक संवर्ग में क्यों नहीं रखा गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा अनुभाग–7 से जारी उपरोक्त राजाज्ञा के अधीन "स्वास्थ्य निरीक्षक" पदों पर स्वच्छता निरीक्षकों को स्थाई किया गया है ? यदि हां, तो क्या जिन सेनेटरी इंस्पेक्टर पदों का आशय उस समय हिन्दी भाषा में स्वास्थ्य निरीक्षक पदों से था, उन्हीं का आशय बाद में बदलकर स्वच्छता निरीक्षक पदों से समझा जाने लगा जबकि दोनों में कोई अंतर नहीं है ? यदि नहीं, तो उपरोक्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षकों में बदले जाने की क्या कभी कोई राजाज्ञा जारी हुई ? यदि नहीं, तो सही स्थिति क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

सेनेटरी इन्स्पेक्टर का आशय हिन्दी भाषा में "स्वच्छता निरीक्षक" से है न कि "स्वास्थ्य निरीक्षक" से शेष प्रश्न नहीं उठते ।

चिकित्सा विभाग, बहुधन्धी स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं सेनेटरी इन्सपेक्टरों की स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के पद पर पदोन्नति

70–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लागू की जा रही बहुधन्धी स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना के अधीन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक और प्रशिक्षणिक अर्हतायें क्या हैं और क्या उन पदों पर समायोजित किये जा रहे सभी कर्मचारी निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें रखते हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश की बहुधन्धी कार्यकर्ता योजना में भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को ही निर्धारित प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) के पदों पर समायोजित किया गया है । इन पदों पर नई नियुक्तियां किए जाने का प्राविधान न होने के कारण पृथक से न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

71–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें जानकारी है कि उपरोक्त आधारहीन समायोजन का परिणाम है कि योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) की संख्या आवश्यकता से 900 से भी ऊपर अधिक हो गई है ? यदि हां, तो क्या वे यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सेनेटरी इन्स्पेक्टर ट्रेनिंग प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी योजना में स्वास्थ्य पर्यवेक्षक (पुरुष) पदों पर क्यों खपाया जा रहा है जबकि इनके प्रशिक्षण पर सरकार को भारी सार्वजनिक धन व्यय करना पड़ा है ? क्या उन्हें योजना से हटाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है या करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता योजना में भारत सरकार के निर्देशानुसार ही विभिन्न स्वा-

स्थ्य योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को समायोजित किया गया है। सेनेटरी इन्स-पेक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को भी उक्त योजना में भारत सरकार के ही निर्देशानुसार समायोजित किया गया है।

स्वास्थ्य निरीक्षकों को इस योजना से हटाये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षकों, सफाई निरीक्षकों, सेनेटरी इन्सपेक्टरों की संख्या एवं वेतनमान और स्वच्छता निरीक्षकों के पदों पर सेनेटरी इन्सपेक्टरों की नियुक्ति एवं वेतनमान एवं अधिकार

72—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से प्रकाशित उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्रित तथा अराज-पत्रित पदों की संख्या एवं वेतनक्रमों की अनुसूची (1-4-83 की स्थिति के अनुसार) खण्ड—6 के पृष्ठ 128, 129, 135, 140 और 142 पर स्वास्थ्य निरीक्षक, सफाई निरीक्षक तथा स्वच्छता निरीक्षक पदों के जो आंकड़े छपे हैं उन सभी का आशय सेनेटरी इन्सपेक्टर पदों से है? यदि नहीं, तो क्या सेनेटरी इन्सपेक्टर पदों का आशय पृष्ठ 142 पर छपे स्वच्छता निरी-क्षकों के मात्र 11 पदों से है? यदि नहीं, तो स्वच्छता निरीक्षकों के आंकड़े सूची में कहां छपे हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। उ0 प्र0 सरकार के राज-पत्रित तथा अराजपत्रित पदों की संख्या एवं वेतन क्रमों की अनुसूची (1-4-83 की स्थिति के अनुसार) खण्ड-6 के पृष्ठ 128, 129, 135, 140 और 142 पर स्वास्थ्य निरीक्षक (हेल्थ इन्सपेक्टर) एवं सफाई निरीक्षक (सेनेटरी इन्स-पेक्टरों) के पदों के आंकड़े अलग-अलग छपे हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक व सेनेटरी इन्सपेक्टर दोनों संवर्ग अलग-अलग हैं। उक्त अनुसूची में प्रश्नगत पृष्ठों पर छपे पदों का विवरण संलग्न सूची के अनुसार है। पृष्ठ 142 पर स्वच्छता निरीक्षक (सेनेटरी इन्सपेक्टर) के जो पद 11 छपे हैं उनका आशय खाद्य सचल दल के सृजित 11 पदों से है। इस प्रकार से उक्त अनुसूची में कुल 924 पद स्वच्छता निरीक्षक (सेनेटरी इन्सपेक्टर) के हैं जिनका वेतन मान रु0 470—735 का है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 160 पर।)

73—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने 5 अक्तूबर, 78 को यह आदेश जारी किये कि स्वच्छता निरीक्षकों के तमाम रिक्त पड़े पदों पर सेनेटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर कर दिया जाय? यदि हां, तो स्वच्छता निरीक्षकों के वर्ष 1978 में कितने पद रिक्त थे और उन पर उक्त क्रम में कितनी नियुक्तियां की गयीं? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 85 के पूर्व वर्ष 78 के बाद प्रतिवर्ष स्वच्छता निरीक्षकों के कितने पद रिक्त हुए और उन पर स्वास्थ्य निरीक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

शासन के पत्र दिनांक 5-10-79 (5-10-78 नहीं) के अनुसार स्वच्छता निरीक्षक के रिक्त पदों पर सेनेटरी इन्स-पेक्टर ट्रेनिंग प्राप्त स्वास्थ्य निरीक्षकों को वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था उस समय की गई थी, क्योंकि प्रशिक्षित सेनेटरी इन्सपेक्टर उपलब्ध नहीं थे। वर्ष 1978 से 80 के बीच 34 पद

स्वच्छता निरीक्षकों के रिक्त थे। इन रिक्त पदों में से 25 पदों पर स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग की वरिष्ठता सूची से उपलब्धता के आधार पर नियुक्ति की गयी थी।

वर्ष 1981 में 12 स्वास्थ्य निरीक्षकों को सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। इस प्रकार स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग से सेनेटरी इन्सपेक्टर संवर्ग में कुल 37 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। मार्च, 1985 तक लगभग 70 पद खाद्य निरीक्षकों के रिक्त थे। खाद्य अपमिश्रण संशोधन नियम 1980 के अन्तर्गत खाद्य निरीक्षकों की शैक्षिक योग्यता पी0 एफ0 ए0 रूल्स 55 नियम 8 के अन्तर्गत संशोधन हो जाने तथा खाद्य संवर्ग का अलग गठन हो जाने के कारण स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग से खाद्य निरीक्षक संवर्ग में नियुक्तियां नहीं की गयी। इस संबंध में कुछ स्वास्थ्य निरीक्षकों द्वारा न्यायालय में याचिकायें प्रस्तुत की गयी हैं, जो विचाराधीन हैं।

74—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि उनके विभाग में सेवारत सेनेटरी इंस्पेक्टरों और सेनेटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग प्राप्त हेल्थ इंस्पेक्टरों के सेवा स्तर, वेतनक्रम एक समान रहे हैं साथ ही दोनों ही का मुख्य कार्य वातावरण स्वच्छता एवं संक्रामक बीमारियों को रोकथाम की देखरेख करना रहा है फिर भी उनको एक संवर्ग में समायोजित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या कृपया यह बतायेंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया साथ ही जहां सेनेटरी इंस्पेक्टरों को पूर्णकालिक खाद्य निरीक्षक बना दिया गया वहीं हेल्थ इंस्पेक्टरों को बहुधंधी योजना में अप्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ किस आधार पर समायोजित किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं हेल्थ इन्सपेक्टर तथा सेनेटरी इन्सपेक्टर के संवर्गों के वेतनक्रम सदैव समान नहीं रहे हैं। प्रशिक्षण के उपरान्त हेल्थ इन्सपेक्टर को भी सेनेटरी इन्सपेक्टर के समान वेतनक्रम दिया गया।

वर्ष 1968 में जब प्रथम बार हेल्थ इन्सपेक्टरों का चयन किया गया तो उनकी शैक्षिक अर्हता इण्टर साइन्स थी तथा वेतनमान रु0 120—220 था। उस समय जो अभ्यर्थी सेनेटरी इन्सपेक्टर कोर्स का डिप्लोमा तथा इण्टर साइन्स की अर्हता रखते थे केवल उन्हें हेल्थ इन्सपेक्टर के पद पर चयनित होने पर सेनेटरी इन्सपेक्टर का वेतनक्रम रु0 150—260 दिया गया। अन्य हेल्थ इन्स्पेक्टर केवल इण्टर साइन्स थे उन्हें रु0 120—220 पर रखा गया।

इस समय सेनेटरी इन्सपेक्टर के संवर्ग का समावेश फूड इन्सपेक्टर के नवसृजित संवर्ग में कर दिया गया है जिसकी अर्हतायें आदि भिन्न हैं। हेल्थ इन्सपेक्टरों के संवर्ग का समावेश बहुद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संवर्ग में हुआ है तथा इसका वर्तमान वेतनक्रम रु0 470—735 है।

दोनों संवर्गों के कार्य समान नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य निरीक्षकों का मुख्य कार्य मलेरिया कार्यक्रम की अनुरक्षण अवस्था के अन्तर्गत मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन रहा है। सेनेटरी इन्सपेक्टरों को मलेरिया कार्यक्रम का कार्य मुख्यतया नहीं दिया गया था वे स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त

खाद्य अपमिश्रण का कार्य मुख्यतया देखते थे।

खाद्य निरीक्षकों के एक नये संवर्ग का गठन खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्य को और भी प्रभावकारी रूप में किये जाने हेतु जनहित में किया गया, जिसमें भूतपूर्व सेनेटरी इन्सपेक्टर संवर्ग को विलीन कर दिया गया किन्तु स्वास्थ्य निरीक्षक संवर्ग को तथा कतिपय अन्य संवर्गों को भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अधिकाधिक सफल निष्पादन हेतु जनहित में बहुद्देशीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया।

75—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेनेटरी इंस्पेक्टरों के लिए निर्धारित अर्हतायें तथा वेतनक्रम में स्वास्थ्य निरीक्षकों के वर्ष 1968 में एक साथ 653 पद सृजित किये गये थे जिसकी पूर्ति के सम्बन्ध में क्या तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डा0 माथुर ने अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 17 एफ-1360/2300 दि0 20-2-68 में यह सुझाव दिये थे कि इन पदों को पूर्ति इण्टर (विज्ञान) की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से कर ली जाय किन्तु उनसे वातावरण स्वच्छता संक्रामक रोगों की रोकथाम स्वास्थ्य संबंधी नियमों का क्रियान्वयन तथा (खाद्य अपमिश्रण) की रोकथाम का कार्य तब तक न लिया जाय जब तक वे सेनेटरी इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग न प्राप्त कर लें? यदि हां, तो क्या यह बतायेंगे कि क्या उन्हीं के सुझावों को स्वीकार करते हुए उन पदों की पूर्ति मात्र इण्टर विज्ञान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से कर लेने के लिए दि0 26-6-68 को सरकार ने पुनः शासनादेश जारी किया? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को ट्रेनिंग प्राप्त कराने के बाद क्या उनसे उपरोक्त कार्य लिये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

76—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्वास्थ्य निरीक्षकों को एक वर्ष तक बिना कार्य किये वेतन देकर सेनेटरी इंस्पेक्टर ट्रेनिंग सुलभ कराई गई क्या उन्हें ट्रेनिंग पास कर लेने के बाद सफल घोषित होने की तिथि से रु0 150—260 वेतनक्रम प्राप्त कराया गया जबकि इससे पूर्व उन्हें रु0 120—220 वेतनक्रम प्राप्त होता था? यदि हां, तो ट्रेनिंग पास करने और उच्च वेतन क्रम प्राप्त कराये जाने के बाद क्या उनके सेवा संबंधी कार्यों में कोई परिवर्तन या दायित्वों में कोई वृद्धि की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो ऐसा करने का क्या औचित्य था?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरान्त इन्हें राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने हेतु रखा गया था जिससे उनके कार्य दायित्वों में कोई वृद्धि नहीं हुई। तदोपरान्त यह लोग बहुउद्देशीय पर्यवेक्षक के पदों पर समायोजित किये गये हैं और इसके प्रशिक्षण से समयानुसार जनहित के रोग निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्य अपेक्षित हैं।

77—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संबंधित योग्य सेनेटरी इंस्पेक्टरों तथा मेला आदि में विभाग द्वारा तैनात किये

गये योग्य सेनेटरी इंस्पेक्टरों को वातावरण स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी वैधानिक नियमों का क्रियान्वयन आदि कार्यों की समुचित देखरेख करने तथा संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए उनको आवश्यक वैधानिक अधिकार प्रदान करने हेतु सरकार को समय-समय पर आवश्यक राजाज्ञा की घोषणा राजपत्र में करनी पड़ती है? यदि हां, तो जब से स्वच्छता निरीक्षक संवर्ग को खाद्य निरीक्षक संवर्ग में बदला गया है तथा उनके उपरोक्त कार्यों को स्वास्थ्य निरीक्षकों को सौंपा गया है तब से इस क्रम में क्या कोई सरकारी घोषणा राजपत्र में प्रकाशित की गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो कब तक प्रकाशित होनी है? यदि नहीं प्रकाशित होनी है तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मेला आदि में वातावरण स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी वैधानिक नियमों के क्रियान्वयन आदि कार्यों की समुचित देखरेख करने तथा संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत सेनेटरी इंस्पेक्टर को अधिकार देने हेतु कोई राजाज्ञा की घोषणा राजपत्र में करने की आवश्यकता नहीं होती है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अन्तर्गत स्वतः अधिकृत हो जाते हैं।

मिर्जापुर, महिला चिकित्सालय के महिला चिकित्साधिकारी द्वारा खाली किया गया आवास

78–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे गुरुवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0 135 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदेशों की अवहेलना करने के विरुद्ध महिला चिकित्सालय मिर्जापुर के डाक्टर के विरुद्ध क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

महिला चिकित्साधिकारी ने प्रश्नगत आवास जून, 83 में खाली कर दिया। अतः उनके विपरीत कोई अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की गयी।

79–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

अल्मोड़ा, राजकीय महिला चिकित्सालय, बागेश्वर के फार्मेसिस्ट, श्री आर0 आर0 मिश्र का यात्रा भत्ता

80–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत श्री आर0 आर0 मिश्र, फार्मेसिस्ट ने राजकीय महिला चिकित्सालय बागेश्वर से राजकीय चिकित्सालय धीधारतोला तक की गयी यात्राओं के लिए यात्रा भत्ता बिलों को प्रभारी चिकित्साधिकारी बागेश्वर से प्रमाणित करवा करके उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में कन्टिजेन्सी बिलों के साथ जमा किया है? यदि हां, तो उसका भुगतान कब किया गया? यदि नहीं, तो कब तक भुगतान किया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, कथित यात्राओं के यात्रा-भत्ता बिल कन्टीजेन्सी बिलों के साथ प्रस्तुत किये गये थे।

नियमानुसार अनुमन्य आकस्मिक देयकों के भुगतान दिनांक 9-11-83 के आदेशों द्वारा कर दिये गये हैं। यात्रा-भत्ते के बिल नियमानुकूल न पाये जाने के कारण उनका भुगतान सम्भव नहीं है।

81—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

बुलन्दशहर, श्रीमती राम भूली की नसबन्दी सम्बन्धी शिकायती-पत्र

82—श्री किरन पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती राम भूली पत्नी श्री चन्द्रभान सिंह, निवासी स्याना बस अड्डा बुलन्दशहर थाना कोतवाली नगर का 16-8-84 को नसबन्दी आपरेशन होने के बाद निरन्तर स्वास्थ्य गिरता जा रहा है तथा आपरेशन के बाद भी श्रीमती राम भूली ने गर्भ धारण कर लिया है जिसकी शिकायत उपरोक्त महिला ने 29-8-85 को जिला महिला चिकित्सालय के जिम्मेदार अधिकारियों से की है? यदि हां, तो उपरोक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमती राम भूली का नसबन्दी आपरेशन दूरबीन पद्धति द्वारा दिनांक 16-8-84 को डा0 (श्रीमती) मन्जुला शर्मा द्वारा महिला अस्पताल बुलन्दशहर में किया गया था।

2—श्रीमती राम भूली ने दिनांक 29-8-85 को कोई शिकायत नहीं की थी बल्कि उनके अधिवक्ता द्वारा डा0 मंजुला शर्मा जिला महिला अस्पताल (के0 एम0 सी0) बुलन्दशहर को एक नोटिस दिनांक 29-8-85 को दिया गया था, जिसका उत्तर डा0 मंजुला शर्मा द्वारा दिनांक 12-9-85 को दे दिया गया।

बुलन्दशहर, ग्राम अड़ौली के श्री रमेश की नसबन्दी

83—श्री किरन पाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 27-9-85 को श्री रमेश पुत्र स्व0 श्री रिछपाल सिंह ग्राम अड़ौली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर की जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर में जबरन नसबंदी कर दी गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त श्री रमेश चन्द्र (हरिजन) 22 वर्ष का अविवाहित नवयुवक है? यदि हां, तो उक्त क्रूर कार्य के लिए कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। श्री रमेश चन्द्र की जबरन नसबन्दी नहीं की गयी। फार्म पर अंकित सूचना के अनुसार श्री रमेश चन्द्र ने अपनी उम्र 30 वर्ष, विवाहित और 3 संतान 2 लड़के एवं 1 लड़की दिखाई है और स्वतः नसबन्दी करायी है।

इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके बारे में जांच करायी जा रही है।

टी0बी0 आइसोलेसन केन्द्र, मिर्जापुर के ठेकेदार श्री कल्लू के बिल का भुगतान

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री कल्लू ठेकेदार ने मांग पत्र (बाउचर) के अनुसार माह अक्टूबर, 1984 से टी0 बी0 आइसोलेसन केन्द्र मिर्जापुर में सब्जियों की आपूर्ति नहीं की तथा अन्डे की आपूर्ति बिल्कुल नहीं की है लेकिन ठेकेदार ने बिल मांग-पत्र के अनुसार बनाया है जिसके कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मिर्जापुर ने दो पत्र ठेकेदार को इस आशय का दिया है कि बिल पास नहीं किया जायेगा लेकिन मार्च, 1985 में समस्त बिलों को पास करके भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

श्री कल्लू ठेकेदार ने माह अक्टूबर, 1984 में टी0 बी0 आइसोलेशन वार्ड मिर्जापुर में केवल सब्जियों की आपूर्ति की थी और अण्डों की आपूर्ति नहीं की थी । अतः सब्जियों की आपूर्ति के बिल के सत्यापन के पश्चात् भुगतान कर दिया गया है । अण्डों की आपूर्ति न किये जाने के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

चिकित्सा विभाग, में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के पदों का सृजन एवं प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों की प्रोन्नति की मांग

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रोन्नति के अवसर सुलभ कराने हेतु चिकित्सा सम्वर्ग में 663 पदों के परिपेक्ष्य में 111 वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के पद नव सृजित किये गये? यदि हां, तो स्वास्थ्य संवर्ग में 1008 पदों के परिपेक्ष्य में मात्र 44 वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के पदों का सृजन किया है? यदि हां, तो इतनी विषमता का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, स्वास्थ्य संवर्ग के प्रश्नगत पदों, जो मुख्यतः राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं, की तुलना चिकित्सा संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों से करना न्यायोचित नहीं है। स्वास्थ्य संवर्ग में वरिष्ठ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों के 44 पदों को जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना की केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत सृजित किये गये हैं तथा भारत सरकार के मलेरिया उन्मूलन योजना के निदेशक दिल्ली की संस्तुतियों के आधार पर ही इनके पदों को समय पर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिये प्रयास किया जा रहा है।

चिकित्सा विभाग फार्मेसिस्ट संवर्ग में आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी के पदों का सृजन

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फार्मेसिस्टों के संवर्ग में आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी का पद सृजित किया गया? यदि हां, तो स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों का समकक्षीय कोई पद भी सृजित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

स्वास्थ्य संवर्ग के प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ मुख्यतः राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर कार्य कर रहा है, इनका फार्मेसिस्टों के संवर्ग से किसी प्रकार की तुलना तथा उनके कार्य की समानता निर्धारित करना सम्भावित नहीं प्रतीत होता है। अतः कोई विशेष पदाधिकारी (आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी) आदि के पद के सृजन का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विभाग, टी0 एन0 बी0 के अंतर्गत सृजित पदों पर कृषि प्रसार डिप्लोमा धारकों की नियुक्ति की मांग

87–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में चालू की गयी टी0 एन0 बी0 योजनान्तर्गत सृजित पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं? यदि हां, तो क्या उन पदों पर कृषि प्रसार डिप्लोमा धारकों की भी नियुक्तियां की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। कृषि प्रसार डिप्लोमा धारकों की अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–3 में नियुक्ति के लिए जिन सात पदनामों को रखा गया है वह पद टी0 एण्ड वी0 योजना के अन्तर्गत सृजित नहीं है। इसलिए उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

डा0 जे0 बी0 सक्सेना, स्टोर इंचार्ज, बलरामपुर के स्थानान्तरण की मांग

88–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जे0 बी0 सक्सेना, स्टोर इंचार्ज बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में कब से कार्यरत हैं? क्या सरकार इनका स्थानान्तरण अन्यत्र करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 जे0 बी0 सक्सेना, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ में 5 फरवरी, 1974 से तैनात हैं। अगस्त, 84 में इनकी स्पेशल ग्रेड में पदोन्नति होने पर इनके विशेष अनुभव व योग्यता को देखते हुए, वहीं रखा गया। राजकीय अधिकारियों के स्थानान्तरण के समय इनके बारे में भी विचार किया जायेगा।

89–श्री राम आसरे वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के फार्मेसिस्टों के आवासों के आवंटन संबंधी मुकदमा

90–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि महिला चिकित्सालय, मिर्जापुर के परिसर में बने फार्मेसिस्ट आवास, फार्मेसिस्टों को आवंटित हो जाने के बावजूद उसमें मेडिकल अटेन्डेन्ट बिना विभाग अथवा न्यायालय के आदेश के रह रही है? यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? फार्मेसिस्ट आवास का कब्जा फार्मेसिस्ट को कब तक मिल जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, महिला चिकित्सालय मिर्जापुर में फार्मेसिस्ट के पद पर कार्यरत एक महिला मेडिकल अटेन्डेन्ट को प्रश्नगत आवास आवंटित किया गया था परन्तु बाद में आवंटन आदेश निरस्त कर दिये गये। आवंटन आदेश निरस्त करने के विरुद्ध वाद न्यायालय में विचाराधीन है। शेष प्रश्न नहीं उठते।

मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई द्वारा महिला बी0 एच0 डब्लू0 चयन

91–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरदोई द्वारा चयनित सात महिला बी0 एच0 डब्लू0 के प्रशिक्षण में अलीगंज सेन्टर पर योगदान सूचना के बाद वापस की गई? यदि हां, तो अंतिम तिथि के बाद उप मुख्य चिकित्साधिकारी एशबाग, लखनऊ द्वारा चयन किया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। जनपद हरदोई के लिए आवंटित 10 स्थानों के विपरीत 17 अभ्यर्थियों का चयन होने के फलस्वरूप 7 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अनुमति नहीं दी जा सकी। जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया, उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन की नियुक्ति

92—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र के लिए सर्जन की नियुक्ति हुई थी और उनका वेतन कसया उच्चीकृत स्वास्थ्य केन्द्र के बजट से होता है? क्या उक्त शल्य चिकित्सक देवरिया राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कसया उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सर्जन अगस्त, 82 से नियुक्त है। उक्त सर्जन लेप्रोस्कोपिक विधि से आपरेशन करने में प्रशिक्षित व दक्ष थे। अतः उन्हें परिवार कल्याण कार्यक्रम के व्यापक हित में जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय से सम्बद्ध किया गया। उक्त सर्जन का वेतन उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कसया से ही निकाला गया। उक्त सर्जन अब देवरिया जनपद से स्थानान्तरित हो गये हैं।

श्रीमती सावित्री देवी, ए0 एन0 एम0, मिडवाइफ सेण्टर, मझवारा, आजमगढ़ के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायती-पत्र

93—श्री विष्णु देव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सावित्री देवी, ए0 एन0 एम0 मिडवाइफ सेन्टर मझवारा, जनपद आजमगढ़ जो 8 वर्षों से वहां कार्यरत हैं, की धांधली, भ्रष्टाचार, कर्तव्यहीनता के संबंध में क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 25-5-85 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

क्षेत्रीय विधायक का पत्र दिनांक 25-5-85 मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था जिसके आधार पर उनका स्थानान्तरण बस्ती कर दिया गया था।

94—श्री विष्णु देव—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

बांदा, ग्राम अन्ना बिनैका निवासी श्री शशि भूषण शर्मा के अविवाहित गूंगे पुत्र की नसबन्दी

95—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के राम नगर विकास खंड के ग्राम अन्ना बिनैका निवासी श्री शशि भूषण शुक्ल के अविवाहित गूंगे नवयुवक पुत्र की 16-10-85 को मऊ में लगे नसबन्दी शिविर में श्री सूर्य पाल वर्मा पंचायत सेक्रेटरी द्वारा नसबन्दी करा देने का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं की, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां।

प्रेरक श्री सूर्यपाल वर्मा, पंचायत सेक्रेटरी, को उनके विभाग द्वारा निलम्बित करके आरोप-पत्र तामील कर दिया है और उनके विभाग द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुहम्मदाबाद गोहना के चिकित्साधिकारी, श्री महावीर प्रसाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

96—श्री विष्णु देव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहम्मदानगर गोहना, जनपद आजमगढ़ के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 महावीर प्रसाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार, सरकारी धन के

दुरुपयोग के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-6-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 24-6-85 प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टण्डियांवा, हरदोई में कथित फर्जी नसबन्दी

97–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रा0स्वा0 केन्द्र टण्डियांवा, जनपद हरदोई में मार्च, 84 में 10 फर्जी नसबन्दी (पुरुष) की गयी, जिसकी सूचना श्री गोविन्द प्रसाद ग्राम प्रधान हरई ब्लाक टण्डियांवा (हरदोई) ने शासन से जांच हेतु अपने पत्र दिनांक 19-4-84, 24-5-84, 17-7-84 द्वारा की? यदि हां तो इस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। जांचोपरान्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित आरोप निराधार पाये गये।

उन्नाव, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बीघापुर के डा0 ओ0 एन0 मिश्रा के विरुद्ध शिकायतों की जांच

98–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1984-85 में अब तक उनके यहां डा0 ओ0 एन0 मिश्रा, चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वा0 केन्द्र बीघापुर, जनपद उन्नाव के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उन प्रत्येक शिकायतों पर क्या-क्या आदेश प्रदान किये गये हैं और उन आदेशों पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 ओ0 एन0 मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बीघापुर, जनपद उन्नाव के विरुद्ध वर्ष 1984-85 में चार शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर जांच कराई गई। शिकायतें जांचोपरान्त निराधार पाई गईं। डा0 मिश्रा को जुलाई, 1985 में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

राजकीय परदहा सूती मिल, आजमगढ़ में कर्मचारियों की नियुक्ति

99–श्री विष्णु देव–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय परदहा सूती मिल जनपद आजमगढ़ में सन् 1982 के पश्चात् कितने कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और उसमें कितने दूसरे जिलों के हैं?

श्री राम औतार दीक्षित–

वर्ष 1982 के पश्चात् राजकीय परदहा सूती मिल में कुल 1879 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गईं तथा उनमें से 478 कर्मचारी दूसरे जनपदों के हैं।

बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर के लिए डायलिसिस यूनिट के लिए धनराशि की स्वीकृति

100–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि बाबा राघव दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर को 5 लाख 60 हजार रुपये डायलिसिस यूनिट खरीदने के लिए दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मशीन खरीदने और उसको चलाने के लिए एक ट्रेन्ड रीडर और लैक्चरर की नियुक्ति करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत धनराशि स्वीकृत की गयी थी । पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है । नियुक्ति का प्रस्ताव फिलहाल अपरिपक्व है

मेडिकल कालेज, गोरखपुर के अनुदान में वृद्धि किए जाने की मांग

101–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक मात्र मेडिकल कालेज जो गोरखपुर जनपद में स्थित है रोगियों की संख्या अधिक होने पर भी लखनऊ और कानपुर मेडिकल कालेज की अपेक्षा अनुदान कम दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार गोरखपुर मंडल की जनसंख्या के आधार पर अनुदान बढ़ाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मेडिकल कालेज गोरखपुर, कानपुर तथा लखनऊ को वित्तीय वर्ष 1984-85 में क्रमशः 50,58,000/- रुपया, 1,22,97,000 रुपया तथा 2,16,00,000 रुपया का अनुदान स्वीकृत किया गया है । रोगियों की संख्या के आधार पर मेडिकल कालेजों को अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर, टाउन एरिया पिपराइच में अस्पताल का निर्माण

102–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर टाउन एरिया पिपराइच में जो 30 बेड का अस्पताल बन रहा है वह कब तक अपना कार्य आरम्भ कर देगा? क्या महिला अस्पताल भी बनने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपराइच का भवन अभी पूर्ण नहीं हुआ है । भवन के पूर्ण होने तथा विभाग द्वारा अधिग्रहीत करने के बाद ही उसकी स्थापना की जाती है । महिला अस्पताल को बनाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

कृषि विभाग, गोरखपुर के छटनी शुदा कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

103–श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विभाग के अन्तर्गत दिनांक 31-8-75 को की गयी छटनी शुदा कर्मचारियों (कृषि अमीनों एवं चपरासियों) की नियुक्ति शासनादेश के अनुसार कर ली गयी है? यदि कर ली गयी हो तो क्या गोरखपुर जनपद के कर्मचारी शेष हैं? यदि हैं, तो क्या नियुक्ति नहीं की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि की जायेगी तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अधिकांश की नियुक्ति कर ली गई है । जनपद गोरखपुर के कुछ कर्मचारी अभी शेष हैं । रिक्तियां होने पर शासनादेशानुसार नियुक्त करने पर विचार किया जायेगा ।

104–डा0 दिनेश जौहरी–

[2रे बुधवार में अता0 प्र0 सं0-130 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बरेली में पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों को दी गयी वित्तीय सहायता

105–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में कितनी उद्योग इकाइयां चालू हैं, कितनी बीमार हैं तथा कितनी को शासन की ओर से वित्तीय सहायता दी गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली जनपद में 1337 औद्योगिक इकाइयां स्थायी रूप से पंजीकृत हैं जिसमें से 9 औद्योगिक इकाइयां बीमार घोषित की जा चुकी हैं। शेष औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं।

1337 इकाइयों में से 635 औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा रु0 605·09 लाख की सहायता दी गई है। इसके अतिरिक्त 527 औद्योगिक इकाइयों को रु0 9·90 लाख आयुक्त निधि से, 59 औद्योगिक इकाइयों को रु0 3·74 लाख मुख्यालय निधि से, जिला उद्योग केन्द्र ऋण योजना से 45 इकाइयों को रु0 5·18 लाख तथा विकास केन्द्र मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत 81 इकाइयों को रु0 15·33 लाख वितरित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 15 इकाइयों को रु0 7·34 लाख जनरेटिंग सब्सिडी के रूप में दिया जा चुका है।

बलराम अस्पताल के लैब टेक्नीशियन, श्री बंश बहादुर दुबे के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं स्थानान्तरण

106–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि बलरामपुर अस्पताल के अधीक्षक डा0 आर0 पी0 सक्सेना एवं कई जन प्रतिनिधियों के शिकायत पर बलरामपुर अस्पताल के एक लैब टेक्नीशियन के विरुद्ध डा0 पी0 के0 टण्डन, संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की गयी थी? तथा डा0 टण्डन ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति की थी कि उक्त टेक्नीशियन को सरकारी आदेशों की अवहेलना के लिए एक प्रतिकूल प्रविष्टि देकर स्थानान्तरित कर दिया जाय? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी का स्थानान्तरण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 पी0 के0 टण्डन तत्कालीन संयुक्त निदेशक (चिकित्सा उपचार) ने श्री अशोक त्रिवेदी, शास्त्री नगर, लखनऊ के शिकायत के आधार पर, जिसमें डा0 आर0पी0 सक्सेना तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल के पत्रों का भी संदर्भ था, श्री बंश बहादुर दुबे, लैब टेक्नीशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के विरुद्ध जांच की थी। जांच में जांचकर्ता अधिकारी ने श्री दुबे को प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने और उसकी प्रविष्टि उनकी चरित्र-पंजिका में अंकित किये जाने तथा उनको लखनऊ मण्डल से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की संस्तुति की थी। तदनुसार श्री दुबे को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी और उनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि किये जाने के आदेश 27-6-85 को वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ को दिये गये। श्री दुबे का स्थानान्तरण भी मेडिकल कालेज, कानपुर को दिनांक 27-6-85 को कर दिया गया था किन्तु बाद में श्री दुबे द्वारा प्रार्थना किये जाने पर प्रशासकीय आधार पर स्थानान्तरण दिनांक 17-7-85 को स्थगित कर दिया गया।

बदायूं, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा श्री नरेश चन्द्र सक्सेना की कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति और वेतन का भुगतान

107–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री नरेश चन्द्र सक्सेना, जिनकी नियुक्ति मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बदायूं के द्वारा 23-1-84 को कनिष्ठ

लिपिक के पद पर की गई थी और उन्होंने योगदान भी किया था, को अभी तक वेतन न मिलने का क्या कारण है तथा उनका वेतन शीघ्र दिलावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्री नरेश चन्द्र सक्सेना को दिनांक 23-1-84 के पूर्वाह्न से वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

108–डा0 दिनेश जौहरी–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद गाजियाबाद, अर्थला (मोहन नगर) में ए0 डी0 एन0 नामक मेडिकल कालेज द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

109–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद के अर्थला (मोहन नगर) में ए0 डी0 एन0 मेडिकल कालेज नाम की एक संस्था चल रही है, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर का प्रमाण-पत्र देती है? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो उसको बन्द कराने की कोई कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जुलाई, 1982 को लागू भारतीय चिकित्सा संस्था (अर्जन एवं प्रकीर्ण) अधिनियम के प्रभावी होने के फलस्वरूप प्रदेश की समस्त गैर सरकारी आयुर्वेदिक एवं यूनानी शिक्षा देने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर दी गयी है। शासन की जानकारी में ए0 डी0 एन0 मेडिकल कालेज अर्थला (मोहन नगर) गाजियाबाद अन्य संस्थाओं की परीक्षायें संचालित करते हैं जिन्हें शासन/भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा शिक्षा एवं चिकित्सीय प्रमाण पत्र देने हेतु कोई मान्यता नहीं दी गयी है। उक्त 2 जुलाई, 1982 के शासनादेश की मुनादी जनता में करा दी गयी है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

110–डा0 दिनेश जौहरी–

[दिनांक 11-2-86 को अता0 प्र0 सं0 163 द्वारा उत्तरित।]

बरेली जिले में आलू पर आधारित उद्योग की स्थापना की मांग

111–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली में आलू की पैदावार को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में किसानों की क्षति रोकने के लिए आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली जनपद में आलू पर आधारित कोई उद्योग लगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। बदायूं में आलू से चिप्स बनाने का स्वचालित उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। यह उद्योग स्थापित हो जाने पर बरेली जनपद में उत्पादित आलू अधिकांशतया इस उद्योग द्वारा प्रयोग किये जाने की सम्भावना है।

112–डा0 दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

झांसी, उद्योग विभाग को दी गयी धनराशि

113—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के उद्योग विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

झांसी जनपद के उद्योग विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 व 1985-86 में जितना धन जिन मदों के अन्तर्गत दिया गया उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रु0 में)

मदें	1982-83	1983—84	1984—85	1985—86
1—जिला उद्योग केन्द्र	12,56,800	8,49,000	10,62,500	8,83,400
2—औद्योगिक आस्थान	15,802	1,12,800	19,700	36,700
3—निदेशन एवं प्रशासन	2,92,300	3,23,200	4,02,100	1,87,000
4—औद्योगिक सहकारिता	..	21,000	3,600	..
5—हस्तकला	8,800	3,500	30,000	..
6—उदयमिता विकास एवं प्रशिक्षण	..	..	..	13,000
7—नगरी क्षेत्र के दुर्बल वर्गों को सहायता।	..	..	..	2,90,000
8—हथकरघा सहकारी समितियों को सहायता।	4,76,800	5,19,200	7,60,400	1,15,000
9—प्राथमिक बुनकरों एवं उनकी सहकारी समितियों को सहायता।	55,800	57,200	63,000	.
योग	21,06,300	18,85,900	23,41,300	15,25,100

झांसी जिले के स्वास्थ्य विभाग को दी गयी धनराशि

114—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के स्वास्थ्य विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

झांसी जनपद में स्वास्थ्य विभाग को प्रश्नगत अवधि में आवंटित कुल धनराशि का वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

(रु0 लाख में)

वर्ष	आयोजनेतर	आयोजनागत	आयोजनेतर कुल
1982-83	134·05	78·45	212·50
1983-84	142·32	105·65	247·97
1984-85	229·26	126·96	356·22
1985-86	284·06	95·42	379·48
योग	789·69	406·48	1196·17

मदवार विवरण संलग्न तालिका† में दिया गया है।

†छापी नहीं गयी ।

115—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

116—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

श्री परशुराम सिंह, प्रक्षेत्र अधीक्षक, राम कोट तथा भण्डार प्रभारी, सीतापुर के कार्यकाल में घाटा

117—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री परशुराम प्रक्षेत्र अधीक्षक, भण्डार प्रभारी, रामकोट (सीतापुर) के कार्य-काल में कितने लाख रुपये का घाटा प्रकाश में आया है तथा इस मामले पर शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है एवं इनको निलम्बित करके शीघ्र ही बहाल करने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

श्री परशुराम सिंह, प्रक्षेत्र अधीक्षक रामकोट तथा भण्डार प्रभारी रामकोट, जनपद सीतापुर के कार्यकाल में वार्षिक चिट्ठों के अनुसार वर्ष 1981-82 में रु0 27342-00, वर्ष 1983-84 में रु0 18423-00 तथा वर्ष 1984-85 में रु0 35574-00 की क्षति हुई? उप कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा उन्हें दिनांक 2-5-84 को आदेशों की अवहेलना करने, अभद्रता करने, क्राप्स कटिंग में अवरोध उत्पन्न करने, कम उत्पादन करने तथा वित्तीय क्षति पहुंचाने आदि के कारण निलम्बित किया गया। परन्तु उनके विरुद्ध प्राप्त आरोप-पत्र में उल्लिखित तथ्यों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि मामले में अपचारी कर्मचारी को मेजर पनिश्मेन्ट दिये जाने का औचित्य नहीं बनता इसलिए उनका निलम्बन आदेश निरस्त कर दिया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हेतु उप कृषि निदेशक, कपास को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

118—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[2रे गुरुवार के लिये स्थगित।]

झांसी जिले के कृषि विभाग को दी गयी धनराशि

119—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के कृषि विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 161 पर।)

120—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

आगरा, फिरोजाबाद, चन्दावरगेट पर सब्जी मण्डी के निर्माण की मांग

121—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के नगर फिरोजाबाद में किसानों की सब्जी मण्डी का समुचित स्थान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार चंदावर गेट पर मण्डी स्थान के निर्माण की व्यवस्था करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

फिरोजाबाद में सब्जी मण्डी के लिए अभी मण्डी समिति का यार्ड नहीं है परन्तु नवीन मण्डी स्थल निर्माणार्थ फिरोजाबाद कोटला मार्ग पर ग्राम

सुखमलपुर निजामाबाद में 14.27 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित नवीन मण्डी स्थल में अन्य थोक व्यापार के साथ सब्जी मण्डी का थोक व्यापार भी स्थानान्तरित किये जाने की योजना है।

सब्जी के थोक व्यापारियों की संख्या एवं आवक को दृष्टिगत रखते हुए चंदावर गेट पर सब्जी मण्डी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुल्तानपुर, जिला अस्पताल की एक्सरे मशीन

122—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर की एक्सरे मशीन विगत एक वर्ष से खराब है? यदि हां, तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं करायी गयी और उसका उत्तरदायी कौन है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं। जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर की 50 एम0 ए0 की एक्सरे मशीन कार्य कर रही है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भदैया, लम्भुआ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

123—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदैया, लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर के उन कर्मचारियों का स्थानान्तरण जिनको 10—15 वर्ष हो गया था, स्थानीय व्यवस्था में कर दिया गया था? यदि स्थानान्तरण कर दिया गया था, तो क्या वे लोग स्थानान्तरित स्थानों पर चले गये? यदि नहीं चले गये, तो क्या राजनैतिक दबाव में स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं स्थानान्तरण के आदेश स्थानीय व्यवस्था में न देकर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के स्तर से दिये गये थे। स्थानान्तरण बाढ़ के दौरान जिलाधिकारी के आदेशों पर स्थगित कर दिये गये थे। उक्त स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त न करके, संशोधित करते हुए शासन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि वे अपने स्तर से प्रकरण की समीक्षा करके सन्तोषजनक कार्य करने वाले तथा मुख्यालय पर रहने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण निरस्त कर दें।

आजमगढ़, ग्राम चकिया पल्थी व ग्राम कुशलगांव में डाक्टर की नियुक्ति की मांग

124—श्री भीखा राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-पल्थी व ग्राम-कुशलगांव ब्लाक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में कोई राजकीय चिकित्सालय है? यदि हां, तो कब से खोला गया है और कितने दिनों से डाक्टर नहीं है और डाक्टर की व्यवस्था कब तक की जायेगी तथा उपरोक्त दोनों चिकित्सालय के भवन निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ कराया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद आजमगढ़ के ग्राम चकिया पल्थी व कुशलगांव में राजकीय चिकित्सालय वर्ष 1973 से स्थापित है। कुशल गांव में 1980 तक व चकिया पल्थी में 1978 तक चिकित्सा अधिकारी थे। सारे प्रान्त में चिकित्सा अधिकारियों की बहुत कमी है। चिकित्सालयों के भवन निर्माण का विषय जिला सेक्टर का विषय है और जिला नियो-

जन समिति ही इस पर विचार करती है। शासन को अभी उपर्युक्त चिकित्सालयों के भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

ग्राम बूढ़ापुर कुतुबअली, आजमगढ़ में भवन विहीन पशु चिकित्सालय

125—श्री भीखा राम—

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बूढ़ापुर कुतुबअली, ब्लाक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में कोई पशु चिकित्सालय चल रहा है? यदि हां, तो क्या उसके भवन की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

भूमि तथा जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध होने पर भवन की व्यवस्था की जायेगी।

आजमगढ़ ग्राम कटार में रासायनिक खाद का कारखाना लगाने का कथित प्रस्ताव

126—श्री भीखा राम—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-कटार, ब्लाक फूलपुर, जनपद आजमगढ़ में एग्रो द्वारा रासायनिक खाद का कोई कारखाना लगाने की स्वीकृति है? यदि हां, तो कब तक उसके भवन निर्माण का कार्य शुरू कराया जायेगा और कब तक उसको चालू कराया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

उत्तर प्रदेश एग्रो कारपोरेशन द्वारा ग्राम-कटार, तहसील-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ में एक रासायनिक खाद का कारखाना लगाने का प्रस्ताव था। कारखाना लगाने हेतु भारत सरकार से लेटर आफ इन्टेन्ट जारी करने का अनुरोध किया गया।

भारत सरकार से अनुमति प्राप्त न होने के कारण खाद के कारखाने का भवन निर्माण एवं उसे चालू करना सम्भव नहीं है।

उन्नाव जिले में स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार नवयुवकों को दी गई सहायता

127—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि वर्ष 84-85 व 85-86 में शिक्षित बेरोजगार योजना व कस्बों के बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले में उद्योग विभाग द्वारा चयनित कितने लोगों को बैंकों ने कर्ज दे दिया है? क्या बैंकों का सहयोग अपेक्षित रूप से मिल रहा है? यदि नहीं, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहयोग हासिल करने के लिए उ0 प्र0 सरकार कौन सी योजना तैयार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों के लिये स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 450 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके विपरीत बैंकों द्वारा 500 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया। 1985-86 में इस योजना के अन्तर्गत 375 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1986 तक 478 व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र बैंकों को ऋण वितरण हेतु भेजे गये हैं।

नगरीय क्षेत्र के दुर्बल व्यक्तियों के लिये आर्थिक सहायता की योजना के अन्तर्गत 84-85 में 1000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इसके विरुद्ध 322 व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत किया गया और 264 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया। 1985-86 में 731 व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरुद्ध 117 व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया।

बैंकों से और अधिक सहयोग प्राप्त करने के लिये विभिन्न स्तरों पर बैंक के अधिकारियों से सम्पर्क रखा जा रहा है।

उन्नाव, मौरावां, राजा शंकर सहाय एलोपैथिक अस्पताल में कन्टीनजेन्सी बिलों का फर्जी भुगतान और रोगियों को डाइट एवं दूध की आपूर्ति

128–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के दूसरे गुरुवार के अता0 प्रश्न सं0 2 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? क्या वह जांच सही है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत शिकायती पत्रों पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वितीय, उन्नाव ने दिनांक 17-7-85 को जांच की थी और सभी आरोप निराधार पाये। जांच रिपोर्ट गोपनीय अभिलेख होने के कारण सदन के पटल पर रखना सम्भव नहीं है।

129–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के मौरावां अस्पताल राजा शंकर सहाय एलोपैथिक (चिकित्सालय) में विगत चार वर्षों से अस्पताल के मरीजों की डाइट दूध आदि पर व्यय की गई धनराशि से मरीजों को सुविधा उपलब्ध हुई? यदि नहीं, तो उक्त व्यय की गई धनराशि की जांच कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां वर्ष 1981-82, 82-83 83-84 में उपलब्ध धनराशि से चिकित्सालय में भर्ती रोगियों को डाइट एवं दूध आदि की सुविधा प्रदान की गई थी। वर्ष 84-85 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण रोगियों को सुविधा नहीं प्रदान की जा सकी। शिकायत की जांच कराई गई थी, पर इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

उन्नाव, कृषि विभाग, छटनीशुदा कर्मचारी, श्री केशव दयाल शर्मा की नियुक्ति की मांग

130–श्री शारदा प्रताप–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव ने वर्ष 1976 में छटनी शुदा कर्मचारियों में से कनिष्ठ कर्मचारी श्री चन्द्रशेखर, कामदार, नवाबगंज (उन्नाव) की पुनर्नियुक्ति कर ली थी जब कि इनसे वरिष्ठ छटनी शुदा कर्मचारी केशव दयाल शुक्ल की पुनर्नियुक्ति नहीं की तथा श्री शुक्ल ने अपनी नियुक्ति हेतु विभाग को अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिये ? इसके अतिरिक्त वर्ष 1976 में श्री अखिलेश मिश्रा को डायरेक्ट नियुक्ति प्रदान की गई जो कि छटनी शुदा कर्मचारी भी नहीं थे एवं श्री राम आसरे यादव को वर्ष 1984 में काम-

दार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई? यदि हां, तो क्या मंत्री जी छटनी शुदा कर्मचारी श्री केशव दयाल शुक्ल जो कि कृषि विभाग के छटनी शुदा तकाबी लिपिक (एस0 ओ0 योजना) है, की पुनर्नियुक्ति करने हेतु नियुक्ति विभाग के शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। श्री केशव दयाल शुक्ला की सेवायें वर्ष 1975 की छटनी के पूर्व ही आवश्यकता न होने के कारण दिनांक 30-9-73 से समाप्त कर दी गयी थीं। इसलिए छटनी शुदा कर्मचारियों के कोटि में न आने के कारण श्री शुक्ला की पुनर्नियुक्ति सम्भव नहीं है।

131–श्री शारदा प्रताप–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद, अमृतपुर में मण्डी समिति के निर्माण की मांग

132–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 में जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में प्रस्तावित कृषि मंडी समिति के निर्माण का कार्य सरकार कब से प्रारम्भ करेगी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मण्डी समिति, फर्रुखाबाद द्वारा जनवरी, 1979 में ही अमृतपुर के स्थान पर अन्यत्र हाट पैंठ के निर्माण का निर्णय ले लिए जाने के कारण अमृतपुर में निर्माण कार्य करने की आवश्यकता नहीं है।

फर्रुखाबाद, अमृतपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

133–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अमृतपुर में सन् 1978-79 में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने हेतु सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता द्वारा अप्रैल, सन् 1985 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिये गये पत्र के आधार पर सरकार अमृतपुर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं, किन्तु सर्वे 1985-86 में कराया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना जिला सेक्टर की योजना है और इस विषय पर जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति विचार करती है। शासन स्तर पर उसके पश्चात् ही विचार किया जाता है।

जिला पशुधन अधिकारी, मथुरा द्वारा पशुधन विकास सहायकों का स्थानान्तरण और मथुरा जिले में उनका कार्यकाल एवं उनके द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति

134–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या पशुधन मंत्री को जानकारी है कि जिला पशुधन अधिकारी मथुरा ने वर्ष 1985 में 80 फीसदी पशुधन विकास सहायकों के स्थानान्तरण शासन के पत्र सं0 4476/बारह-प-1-48-1/(4)/67 (402) जो दिनांक 30 अक्टूबर, 1983 को संयुक्त सचिव, पशुपालन, उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध किये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन नियम विरुद्ध आचरण करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जिला पशुधन अधिकारी, मथुरा द्वारा वर्ष 1985 में 50 पशुधन विकास सहायकों में से केवल 11 का स्थानान्तरण किया गया । इनमें से 6 पशुधन विकास सहायकों का स्थानान्तरण एक केन्द्र पर पांच वर्ष से अधिक समय हो जाने के कारण दो का गृह स्थान पर पदस्थ होने के कारण, दो का निजी प्रार्थना पर तथा एक का स्थानान्तरण श्रृंखला में समायोजन के कारण किया गया ।

135–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या पशुधन विकास मंत्री की जानकारी में है कि वर्तमान जिला पशुधन अधिकारी मथुरा अनियमित रूप से अपनी कुल सेवा के लगभग पच्चीस वर्ष मथुरा में ही विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं और भ्रष्ट आचरण करके उन्होंने अकूत सम्पत्ति डेम्पियर नगर, मथुरा में संचित कर ली है? यदि हां, तो शासन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेगा? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

उक्त जिला पशुधन अधिकारी अपने कुल सेवाकाल में से लगभग सत्रह वर्ष मथुरा जनपद में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। उन्हें मथुरा से स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

भ्रष्ट तरीके से डेम्पियर नगर मथुरा में अकूत सम्पत्ति संचित किये जाने के आरोप की जांच मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं तथा यह भी आदेश दिये गये हैं कि वे माननीय सदस्य से भी इस मामले में जानकारी प्राप्त करें।

इलाहाबाद में मलेरिया उन्मूलन हेतु कीट नाशक औषधियों का छिड़काव

136–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर एवं जिले में कब-कब और कहां-कहां मलेरिया समाप्त करने हेतु इस वर्ष छिड़काव किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

भारत सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार जनपद के उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 1000 जनसंख्या प्रति कार्यकर्ता क्षेत्र में गत वर्षों में 2 या उससे अधिक मलेरिया के धनात्मक केसेज पाये जाते हैं वहां कीटनाशक औषधियों का नियमित छिड़काव किया जाता है।

वर्ष 1985 में इलाहाबाद जनपद की 8.53 लाख ग्रामीण जनसंख्या जो जनपद के 13 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चाका, जसरा, शंकरगढ़, करछना, कुरावां, मेजा, मांडा, उरूवा, सोरांव, होलागढ़, फूलपुर, हंडिया, सिराथू तथा 118 कार्यकर्ता क्षेत्र में फैली है, में कीटनाशक औषधियों का नियमित छिड़काव किया गया ।

इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में छिड़काव का प्रथम चक्र दिनांक 17 मई, 1985 से 29 मई, 1985 की अवधि में प्रारम्भ किया गया तथा दिनांक 23 जून एवं 24 जुलाई, 1985 की अवधि में पूरा किया गया। इसी प्रकार द्वितीय चक्र दिनांक 2 जुलाई से 7 सितम्बर तक की अवधि में प्रारम्भ किया गया जो दिनांक 8-9-85 एवं 31-10-85 तक की अवधि में पूरा किया गया। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में किए गए छिड़काव संबंधी सूचना संलग्न† है ।

†छापी नहीं गई।

निर्धारित नीति के अनुसार बी0 एच0 सी0 का नियमित छिड़काव जनपद के शहरी क्षेत्रों में नहीं किया जाता है इसलिए इलाहाबाद शहर में छिड़काव कार्य नहीं किया गया।

इलाहाबाद शहर में एक अर्बन मलेरिया कन्ट्रोल इकाई कार्यरत है जिसके अंतर्गत नगर में एन्टी लारवल आपरेशन प्रति सप्ताह किये जा रहे हैं।

चिकित्सा विभाग, इलाहाबाद द्वारा स्थानीय खरीद द्वारा दवाइयों का वितरण

137—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में स्थानीय खरीद के माध्यम से कितने रुपयों की दवायें उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, माननीय सांसदों तथा विधायकों, राजकीय कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को 83-84, 84-85 वर्षों तथा सितम्बर, 85 तक अलग-अलग दी गयी है तथा कितने न्यायाधीशों, सांसदों तथा विधायकों को अलग-अलग कितनी-कितनी रुपयों की दवायें उपलब्ध करायी गयी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद इलाहाबाद में स्थानीय खरीद के माध्यम से वर्ष 1983-84 में माननीय न्यायाधीशों को रुपये 1,77,919.48, माननीय सांसदों तथा विधायकों को रुपये 91,024.41, राज्य कर्मचारियों को रुपया 12,55,056.05, आम नागरिकों को रुपया 11,35,353.10 तथा वर्ष 1984-85 में माननीय न्यायाधीशों हेतु रु0 2,50,001.60 माननीय सांसदों तथा विधायकों हेतु रुपया 3,44,786.00 राज्य कर्मचारियों को रुपया 16,41,931.33 तथा आम नागरिकों को रुपया 10,92,896.57 एवं सितम्बर 1985 में न्यायाधीशों हेतु रु0 155,431.11 सांसदों तथा विधायकों हेतु रुपया 2,74,633.79, राज्य कर्मचारियों हेतु 7,25,408.13 तथा आम नागरिकों हेतु रुपया 5,16,359.34 की दवाएं उपलब्ध करायी गयी।

जहां तक कितने न्यायाधीशों, सांसदों तथा विधायकों को अलग-अलग कितनी-कितने रुपयों की दवाएं उपलब्ध कराने का संबंध है किसी वर्ग विशेष की अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

मथुरा, बल्देव, भवन विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

138—श्री सरदार सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बल्देव (मथुरा) पर अपनी निजी इमारत नहीं है और वह अनियमित रूप से एक किराये की संकुचित इमारत में चल रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या शासन अपनी इमारत स्वयं निर्मित कराने की कृपा करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, यह सही है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक किराए के भवन में चलाया जा रहा है। यत्न करने पर दूसरा भवन उपलब्ध नहीं हो सका है।

निर्माणकार्य के लिए चयनित भूमि के संबंध में चकबन्दी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। इस वाद के निर्णय के उपरान्त ही भवन निर्माण का कार्य संभव है।

139—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[3रे बुधवार में अता0प्र0 सं0 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

140—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[2रे गुरुवार के लिए स्थगित।]

चावल मिल योजना के संयुक्त निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु समिति का गठन

141—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबंध मण्डल ने अपनी 53वीं बैठक जो दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 को सम्पन्न हुई थी, में चावल मिल योजना के संयुक्त निदेशक के विरुद्ध आरोपों के विषय में एक जांच समिति का गठन किया था? यदि हां, तो इसमें हुई प्रगति एवं कृत कार्यवाही से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

जी हां।

अभी जांच जारी है।

142—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या यह सही है कि उक्त संयुक्त निदेशक अपने अधीन कार्यरत स्टाफ से दुर्व्यवहार करते रहे हैं और क्या विश्वविद्यालय प्रशासन इनकी कार्य निष्ठा सत्य निष्ठा एवं अनुशासन बद्धता के प्रति आश्वस्त है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

ऊपर उल्लिखित जांच में यह बिन्दु भी शामिल है।

बांदा, अतरा स्थित अस्पताल का अधिग्रहण एवं अस्पताल के विस्तार की मांग

143—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पताल का राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है? यदि हां, तो आबादी और रोगियों की संख्या के आधार पर उस अस्पताल को कितने रुपयों की दवायें प्रतिवर्ष मिलती हैं और रोगियों को क्या सुविधा उपलब्ध है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां। अतर्रा, बांदा के जिला परिषद् अस्पताल को राज्य सरकार ने अधिग्रहीत कर लिया है।

अतर्रा की आबादी लगभग 27,000 है प्रतिवर्ष लगभग 3000 रोगी आते हैं। इस अस्पताल का औषधि आदि का वार्षिक बजट रुपया 7000 है। छः शैय्यायुक्त इस अस्पताल में रोगियों को निर्धारित मानक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

144—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के 50-60 हजार आबादी वाले कस्बा अतर्रा के राजकीय पुरुष अस्पताल (एलोपैथिक) भवन की स्थिति एवं शैय्याओं की संख्या आबादी को देखते हुए कम है यदि हां, तो क्या शैय्याओं की संख्या और भवन का निर्माण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अतर्रा की 27,000 की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार बताई गई है। अतर्रा में एक आयुर्वेदिक कालेज और उसका अस्पताल भी कार्यरत है। एलोपैथिक अस्पताल के विस्तार में वित्तीय संसाधन की कठिनाई है।

आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बांदा के छात्रों की संख्या

145—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा (बांदा) में इस सत्र में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया? क्या कालेज को चलाने के लिए निर्धारित सभी सीटों पर छात्रों की पूर्ति की जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा (बांदा) में इस सत्र में कुल 28 छात्र प्रविष्ट हुए हैं।

शेष स्थानों पर प्रवेश दिये जाने का मामला विचाराधीन है।

उप निदेशक, पशुपालन प्रक्षेत्र, महानगर, लखनऊ द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का आरक्षण कोटा

146—श्री राज किशोर सिंह—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपनिदेशक पशुपालन प्रक्षेत्र महानगर, लखनऊ द्वारा सन् 1983 से अब तक के उनके कार्यकाल में विभिन्न वर्षों के कर्मचारियों की, की गयी नियुक्तियों की संख्या क्या है और इन नियुक्तियों में आरक्षण नीति के आधार पर हरिजन व जनजाति अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रतिशत क्या है? क्या इन नियुक्तियों में आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया के ठाकुर अभ्यर्थी रहे हैं जो उप निदेशक के संबंधी बताये जाते हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

श्री हुकुम सिंह—

वर्ष 1983 से वर्ष 1985 तक उप-निदेशक, पशुपालन (प्रक्षेत्र), उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या वर्षवार निम्नानुसार है:—

वर्ष	संख्या
1983	8
1984	43
1985	44
योग:	95

इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिशत 9.5 है। योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद आरक्षित है।

इन नियुक्तियों में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर व बलिया के ठाकुर जाति के अभ्यर्थी रहे हैं परन्तु उप निदेशक के सम्बन्धी नहीं है। ठाकुर जाति के 19 अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हुई हैं।

147—श्री हृदय नारायन दीक्षित—

[दिनांक 1-8-85 को अता0 प्र0 सं0 46 द्वारा उत्तरित।]

उन्नाव, जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में फिल्म के पानी के लिये आमंत्रित निविदा

148—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के जिला अस्पताल के एक्सरे विभाग में फिल्म के पानी का टेण्डर कितने वर्षों से नहीं किया गया? टेण्डर की प्रक्रिया का औचित्य क्या है? वर्ष 1983-84 व 1984-85 के फिल्म के पानी का क्या किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

पिछले चार वर्षों से नहीं किया गया है। वित्तीय नियमों के अनुसार टेण्डर करना आवश्यक है। वर्ष 1983-84 व 1984-85 का पानी सुरक्षित रखा हुआ है।

उन्नाव, में सम्पन्न हुए लूप निवेशन एवं स्टेनीसाल एन्टीसेप्टिक की खरीद

149—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में उन्नाव जनपद में कुल 7,879 लूप प्रयोग में कितना सैवलान एन्टीसेप्टिक खरीदा गया? 7879 लूप में कितना सैवलान खर्च होगा? क्या इसकी खरीददारी नियमानुसार तथा पूर्ण थी? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद उन्नाव में वर्ष 1984-85 में कुल 5,210 लूप निवेशन सम्पन्न हुए। प्रश्नगत अवधि में उक्त लूप निवेशन के लिए सैवलान की ही तरह के एक अन्य

एन्टीसैप्टिक, स्टेनीसाल 25 लीटर का क्रय राज्य सरकार की क्रयनीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मेसर्स स्मिथ स्टेन स्ट्रीट से किया गया। जनपद में वर्ष 1983 की सी0 एम0 एस0 डी0 स्टोर की उपलब्ध शेष 49 लीटर मात्रा तथा क्रय की गयी स्टेनीसाल की 25 लीटर मात्रा में से कुल 70 लीटर मात्रा का उपयोग प्रश्नगत अवधि में उपर्युक्त लूपों के निवेशन में तथा उक्त अवधि में सम्पन्न हुए 4201 महिला व पुरुष नसबन्दी आपरेशन हेतु प्रयोग में लाये गये उपकरणों, टेबुल, स्किन तथा ओ0 टी0 फ्लोर एवं रबर दस्तानों को कीटाणु रहित करने में भी प्रयोग में लाया गया।

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1984-85 में कथित स्टेनीसाल एन्टीसैप्टिक का क्रय जनवरी, 1985 में नियमानुसार तथा पूरी मात्रा में किया गया। अतः नियमानुसार क्रय हेतु किसी को दोषी ठहराए जाने तथा दण्डित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल, उन्नाव के कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किया गया मुकदमा एवं निलम्बन

150—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के जिला अस्पताल के अधीक्षक डा0 बी0 एस0 सलूजा व मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बी0 एम0 मिश्रा द्वारा 28 मार्च, 85 से जुलाई, 85 तक जिन कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें फर्जी रूप में कायम कराकर उत्पीड़ित किया गया तथा जेल भेजा गया व निलम्बित किया गया उसका क्या औचित्य था? क्या अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापस लिए जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

28 व 29 मार्च, 1985 को इन कर्मचारियों ने अस्पताल के अधीक्षक व अन्य कर्मचारियों को राजकीय कार्य करने से रोका। फलस्वरूप पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा व इनके विपरीत 353 भारतीय दण्ड संहिता व 7-ला एण्ड क्रिमनल एक्ट का मुकदमा दायर किया। इन कर्मचारियों के जेल जाने की सूचना मिलने पर इन्हें निलम्बित किया गया।

इन कर्मचारियों के विपरीत मुकदमा वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा विभाग, उप केन्द्रों को कन्टीन्जेन्सी का वितरण

151—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव में 306 उप केन्द्र हैं जिनमें सात उप केन्द्रों की स्थापना 84-85 के अंत में स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो क्या कुल 306 उपकेन्द्रों को कन्टीन्जेंसी खरीद हेतु रु0 150 प्रति उप केन्द्र के हिसाब से वितरित किया ? क्या मंत्री जी को इसकी सूचना निदेशालय से गलत दी गयी? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

जनपद उन्नाव में वर्ष 1983-84 तक कुल 274 उपकेन्द्र थे तथा वर्ष 84-85 में 7 उपकेन्द्र और स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई थी। इस प्रकार वर्ष 1984-85 तक उन्नाव जनपद में कुल 281 उपकेन्द्रों की स्वीकृति दी गई थी न कि 306 की।

उपरोक्त 274 उपकेन्द्रों हेतु रु0 150 प्रति उपकेन्द्र के हिसाब से कन्टीन्जेंसी

का भुगतान संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को किया गया था। वर्ष 84-85 में स्वीकृत 7 उप-केन्द्रों पर उस समय स्टाफ इत्यादि के नियुक्त न होने के कारण कन्टीन्जेन्सी वितरित न की जा सकी।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उन्नाव, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल

152—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के परगनाधिकारी सदर द्वारा 22-11-84 को स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त कराने में किस प्रकार का हस्तक्षेप किया था? हस्तक्षेप का स्वरूप क्या था?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सदर परगनाधिकारी, जनपद उन्नाव को जिलाधिकारी, उन्नाव द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु भेजा गया था। परगनाधिकारी ने कर्मचारी नेताओं से बात कर हड़ताल समाप्त करवा दी।

भूतपूर्व चिकित्साधिकारी, फैजाबाद के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

153—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के भूतपूर्व चिकित्साधिकारी जो आजकल प्रतापगढ़ में तैनात हैं, के विरुद्ध उनके फैजाबाद के कार्यकाल से संबंधित कोई जांच सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गई थी जिसकी जांच रिपोर्ट आज तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं भेजी गई? यदि हां, तो अनावश्यक विलम्ब का कारण क्या है और जांच पूरी करके जांच रिपोर्ट कब तक स्वास्थ्य विभाग को दे दी जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जनपद फैजाबाद के एक भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी जो सम्प्रति संयुक्त निदेशक के पद पर स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ में तैनात हैं (न कि मुख्य चिकित्साधिकारी प्रतापगढ़ के पद पर) के कार्यकाल से संबंधित सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट शासन में चिकित्सा विभाग को प्राप्त हो गयी है और उस पर कार्यवाही की जा रही है।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के लिए भूमि का अधिग्रहण एवं प्रतिकर का भुगतान

154—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0 पी0 श्रीवास्तव संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-8 का जिलाधिकारी फैजाबाद को संबोधित पत्र संख्या 66/बी/12-8-400/651/82 दिनांक 18 अप्रैल, 1983 में नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के लिए अर्जित भूमि के प्रतिकर के भुगतान के संबंध में निर्देश दिए गये थे? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

(1) जी हां।

(2) पत्र का पूर्ण विवरण संलग्न सूची+ (क) में अंकित है तथा पत्र में दर्शाये गये श्री केशवधर दुबे, अध्यक्ष प्रभावी किसान संघ के मांग पत्र दिनांक 5-3-83 में इंगित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही/वर्तमान

+छापी नहीं गई।

वस्तुस्थिति बिन्दुवार उनके सामने सूची (ख) में संलग्न† है ।

155—श्री चन्द्रभान मौर्य—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बुन्देलखण्ड के जिले झांसी, ललितपुर, जालौन आदि के मण्डी एवं उप मण्डी स्थलों का निर्माण

156—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांच जिलों में कहां-कहां प्रधान एवं उप मण्डी स्थल पूर्ण निर्मित होकर मण्डी परिषद् को स्थानान्तरित हो गये हैं कहां-कहां निर्माणाधीन हैं और कहां-कहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्मित किये जाने की योजना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

बुन्देलखण्ड के पांच जनपद-झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर एवं बांदा में निर्मित, निर्माणाधीन एवं भूमि प्राप्त होने की दशा में सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्माणार्थ प्रस्तावित मण्डी स्थलों एवं उपमंडी स्थलों का विवरण संलग्न† है ।

चूंकि प्रधान एवं उपमण्डी स्थलों का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा ही किया जाता है अतः इनके पूर्ण निर्मित होकर मण्डी परिषद् को स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ सं0 162 पर ।)

झांसी माइन्स विभाग के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

157—कुंवर मानवेन्द्र सिंह —

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नारायण सिंह परिहार भू0 पू0 सूबेदार मेजर तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिनांक 20-10-80 को उन्हें कोई पत्र माइन्स विभाग, कलक्ट्रेट झांसी के पांच लाख एवं तैंतालिस हजार रुपये के घोटाले के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव, संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक, डा0 डी0 सी0 खरे के विरुद्ध शिकायती पत्र एवं थाने में लिखाई गयी रिपोर्ट

158—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिला संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डा0 डी0 सी0 खरे के विरुद्ध वर्ष 1984-85 व 85-86 में कितनी शिकायतें जनता की ओर से लिखित दी गई हैं और उन पर क्या जांच कार्यवाही की गई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

उन्नाव जिला संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डा0 डी0 सी0 खरे के विरुद्ध वर्ष 1984-85 व 85-86 में 7 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन पर जांच कराई गई। अभी जांच पूर्ण नहीं हुई है ।

159—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या यह सही है कि डा0 खरे का स्थानान्तरण मौरावां चिकित्सालय से भ्रष्टाचार के आरोप में हुआ था और बिना नसबन्दी किये ही नसबन्दी का पारिश्रमिक वसूलने संबंधी एक प्राथमिकी थाना पुरवा में वर्ष 1985 में उन पर दर्ज कराई गई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

डा0 खरे का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत किया गया था । इस विषय पर, डा0 खरे के विरुद्ध वर्ष 1985 में थाना पुरवा में प्रथम सूचना दर्ज

† (छापी नहीं गई ।)

कराई गई थी । पुलिस ने इस प्रथम सूचना पर, फाइनल रिपोर्ट लगा दी है ।

उन्नाव, बांगरमऊ स्थित महिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारी नियुक्त किये जाने की मांग और ग्राम सकहन राजपूतान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

160—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद की तह0 सफीपुर के राजकीय महिला चिकित्सालय में गत दो वर्षों से बांगरमऊ महिला चिकित्सालय में गत एक वर्ष से कोई महिला डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो सरकार उक्त चिकित्सालयों में कब तक महिला चिकित्सक नियुक्त करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां ।

उन्नाव जनपद में शासन द्वारा नियुक्त महिला चिकित्साधिकारियों के कार्य भार ग्रहण न करने के कारण उक्त पद रिक्त है । लोकसेवा आयोग से महिला चिकित्साधिकारियों के नाम मांगे गये हैं । आयोग से सूची प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायगी ।

161—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह भी जानकारी है कि उ0 प्र0 शासन ने उन्नाव जनपद की तह0 सफीपुर के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्राम सकहन राजपूतान में चार शैय्या वाले एक प्राथमिक चिकित्सालय खोले जाने का पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम में कब तक प्राथमिक चिकित्सालय खोल दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना एवं निर्माण की योजना जिला स्तरीय योजना है जिसमें जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से वित्तीय उपाशय इंगित करते हुए प्रस्ताव शासन को प्राप्त होने पर केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जा सकता है ।

प्रदेश के डाक्टर विहीन महिला चिकित्सालय

162—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के महिला चिकित्सालयों में क्या महिला चिकित्सकों की संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो महिला चिकित्सकों की इस संख्या को पूरा करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित महिला चिकित्सकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण प्रदेश के महिला चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की कमी है । इस कमी को पूरा करने के लिये लोक सेवा आयोग को महिला चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन भेजा गया है । अंशकालिक महिला चिकित्सकों की भी नियुक्ति की जा रही है ।

उन्नाव जिले में महिला चिकित्सकों की संख्या और महिला अस्पताल पुरवा व मौरावां के लिये महिला चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की मांग

163—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कितने महिला चिकित्सक हैं ? क्या यह भी सही है कि महिला चिकित्सकों की कमी के कारण परिवार कल्याण कार्यक्रम के कु-

प्रभावित होने की शिकायत जिलाधिकारी उन्नाव ने उ0 प्र0 शासन को की है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस समय जनपद उन्नाव में 9 महिला चिकित्सक हैं । जिला मजिस्ट्रेट का उक्त आशय का पत्र शासन को अगस्त, 1985 में कि वहां पर एक ही ट्रेन्ड महिला चिकित्सक है, प्राप्त हुआ था। इस समय महिला अस्पताल में तीन सीनियर व एक साधारण ग्रेड की महिला चिकित्सक लेप्रोस्कोपिक ट्रेण्ड, परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिये उपलब्ध हैं।

164–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को यह जानकारी है कि उन्नाव जिले के पुरवा महिला चिकित्सालय में गत 12 वर्ष से महिला चिकित्सक नहीं है ? क्या यही हालत महिला चिकित्सालय मौरावां की है ? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालयों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति के बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

महिला अस्पताल पुरवा, जनपद उन्नाव में दिनांक 13-11-73 से 9-8-74 तक, 17-8-74 से 21-6-75 तक 8-4-76 से 22-6-76 तक, 4-8-84 से 10-9-84 तक, तथा महिला अस्पताल मौरावां में दिनांक 15-11-77 से 13-1-78 तक, दिनांक 14-1-80 से 19-7-85 तक। महिला चिकित्सकों के नाम लोकसेवा आयोग से मांगे गये हैं नाम आने पर ही अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी ।

उन्नाव, मौरावां स्थित अस्पताल के तत्कालीन चिकित्सक डा0 खरे के विरुद्ध शिकायती-पत्र

165–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि क्या मौरावां अस्पताल के तत्कालीन चिकित्साधिकारी डा0 खरे के भ्रष्टाचार के विरुद्ध माह जनवरी, फरवरी, 85 में कम्यूनिस्ट पार्टी व मौरावां बचाओ संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त रूप से सर्व श्री बृजपाल सिंह, कदीरखान, राजकुमार सोनकर मो0 यासीन व जगदीश सिंह आदि ने आन्दोलन किया था और एक दिन का धरना पुरवा एस0 डी0 एम0 के सामने दिया गया था ? यदि हां, तो उस आन्दोलन का मांग पत्र क्या था और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मौरावां अस्पताल के तत्कालीन चिकित्साधिकारी डा0 खरे के विरुद्ध जनवरी फरवरी, 85 में कोई आन्दोलन नहीं हुआ । दिनांक 8-1-85 को मौरावां बचाओ संघर्ष समिति, राष्ट्रीय जनता पार्टी व भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने, एस0 डी0 एम0 पुरवा के सामने धरना दिया था । मांग पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । मांग पत्र में दी गयी मांगों पर जांच करायी गयी । अभी जांच पूर्ण नहीं हुयी ।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ सं0 162 पर ।)

उन्नाव, करदहा स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक की नियुक्ति

166–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के करदहा आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सक न

होने और चिकित्सक की नियुक्ति किए जाने से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 अक्टूबर, 85 पत्रांक 193 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

किन्तु राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय करदहा जनपद उन्नाव में चिकित्सक की नियुक्ति कर दी गयी है जो 15 नवम्बर, 1985 से कार्यरत है ।

उन्नाव जिले के असोहा पुरवा व हिलौली विकास खण्डों के मिनी किट वितरण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

167–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जिले के असोहा पुरवा व हिलौली विकास खण्डों में वर्ष 1985 में मिनी किट वितरण में भारी घपला हुआ है ? क्या यह भी सही है कि इस संदर्भ में जिले के प्रधानों ब्लाक प्रमुखों व स्वयं प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी उन्नाव से लिखित शिकायत भी की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

शिकायतें मिली हैं जिसमें घपला होने की बात कही गई है ।

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

लखनऊ, भूमि सुधार निगम लि0 से निकाले गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और श्री अध्यक्ष के लिये वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति

168–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि सुधार नि0 लि0 लखनऊ में अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा न होने पर भी वहां के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा से निकाल दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न संख्या 10 विधान सभा 1985 के द्वितीय सत्र के छठवें गुरुवार के उत्तर में यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा योगदान न किये जाने की स्थिति में कोटा पूरा नहीं है ? क्या मंत्री जी तत्काल निकाले गये कर्मचारियों की नियुक्ति करके निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कोटे को पूरा करने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने एवं व्यवसायिक कार्य का टर्न ओवर कम होने के कारण व्यय कम करने के दृष्टि कोण से चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवाये समाप्त की गई जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति का भी कर्मचारी था ।

जी हां ।

निगम की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अभी कोई नियुक्तियां नहीं किए जाने का निर्णय निदेशक मंडल द्वारा लिया गया है ।

169–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा सत्र 1985 के दूसरे सत्र के छठवें गुरुवार के अता0 प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के संदर्भ में मा0 कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जब निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी

निगम को भारी पड़ रहे थे, तो मा0 अध्यक्ष (भूमि सुधार नि0) के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति करने का क्या औचित्य है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अध्यक्ष भूमि सुधार निगम को अपने पद के दायित्वों के भली-भांति निर्वहन के लिए उनके साथ वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति की गई थी, किन्तु निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इन्हें 7 माह पश्चात दिनांक 30-6-85 को सेवा से पृथक कर दिया गया ।

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0, लखनऊ के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

170–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम लि0 लखनऊ में लगभग 2 1/2 से पांच वर्ष की सेवा कर लेने के पश्चात् लगभग 1 माह पूर्व उन्हें दैनिक वेतन क्रम से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत ? क्या यह सही है कि उन कर्मचारियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी ? यदि हां, तो उन्हें नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या निकाले गए कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को रखा जायेगा ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाता है ।

निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दैनिक वेतन कर्मचारियों को हटाया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी दुग्ध संघ, बरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

171–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी दुग्ध फार्म करगैना बरेली के धन के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में अनेक आरोप लगाये गये हैं? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

सहकारी दुग्ध संघ, बरेली के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो मुख्यत: संस्था को प्रदत्त वित्तीय सहायता के दुरुपयोग, संघ की परिसम्पत्तियों को नुकसान तथा चोरी, आडिट आपत्तियों का अनुपालन न करने, भवन तथा वाहनों की मरम्मत में धन का दुरुपयोग एवं नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित हैं। शिकायतों पर जांच की जा रही है।

मुजफ्फरनगर जनपद के हिन्डन और कृष्णा नदियों में मिलों के गन्दे पानी के गिरने से जल प्रदूषण की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 301 की सूचनाओं के बाद में सुनेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं। वे सूचनाएं हैं श्री हरेन्द्र सिंह, श्री अशोक बाजपेयी, श्री मित्रसेन ,श्री जगवीर सिंह, श्री बाबू राम यादव, श्री कामेश्वर उपाध्याय और श्री सूर्य प्रताप शाही।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन व कृष्णा नदी के जल में मिलों के गन्दे पानी के गिरने से प्रदूषण चरम सीमा पर हो गया है। नदियों के पानी में जहरीले कीटाणुओं के उत्पन्न हो जाने से पशुओं एवं मनुष्य मात्र में रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। नदियों का पानी काला पड़ गया है एवं कीटाणु स्पष्ट नजर आते हैं। किसी भी समय नदियों के किनारे बसे गांव में बीमारी फैल सकती है। यही नहीं जल प्रदूषित होने से धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। चूंकि इन नदियों के किनारे लगने वाले दशहरा एवं कार्तिक स्नान के मेलों में आये भक्तगण प्रदूषित जल की वजह से स्नान करने से वंचित हो जाते हैं। सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है जिससे जनता में रोष व्याप्त है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करते हुए अविलम्ब प्रदूषण रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं।

1985-86 के पारित वित्तीय अनुदानों की धनराशि जनपदों में वितरित न किये जाने से शासकीय कार्यों में अवरोध होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, वर्ष 1985-86 के वित्तीय अनुदान माह जुलाई, अगस्त के बजट सत्र में पारित कर दिये गये थे। बजट पारित होने के साथ यह अपेक्षा की जाती है कि पारित अनुदान विभागों को शीघ्र वितरित कर दिये जायेंगे तथा विभाग जिलों को सम्बन्धित धनराशि प्रदान कर देंगे जिससे कि जनपद के विकास कार्य शीघ्रता से पूरे किये जा सकेंगे लेकिन विडम्बना का विषय है कि 1985-86 का बजट की धनराशि अभी तक भी जनपदों को उपलब्ध नहीं हो सकी है जिससे कि जिलों का विकास कार्य ठप्प है। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग जैसे लोक महत्व के विभागों को भी यह धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। वित्तीय वर्ष का अन्त मार्च महीने में हो जायेगा और अब उपलब्ध कराई गयी धनराशि पर कब कार्य हो सकेगा? वास्तविकता यह होगी कि कार्य पूरी तरह से सम्पादित न हो सकेंगे और जल्दबाजी में उनका भुगतान किया जायेगा जिससे न तो उच्च कोटि का निर्माण कार्य ही हो सकेगा और न ही समय पर योजनायें पूरी की जा सकेंगी। आज हम वर्ष 1986-87 का बजट पारित करने बैठे हैं। सरकार की इससे बड़ी निष्क्रियता क्या होगी कि अभी पिछले वर्ष के पारित अनुदानों का ही उपयोग नहीं किया जा सका है इससे प्रदेश की जनता में घोर चिन्ता एवं असन्तोष व्याप्त है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा शासन से अनुरोध करता हूं कि इस पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

फैजाबाद जनपद में बीकापुर तहसील के कतिपय बाढ़ प्रभावित गांवों को राहत दिये जाने में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन एवं शासन के संज्ञान में एक लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। विगत बाढ़ के भीषण प्रकोप से जनपद फैजाबाद तहसील बीकापुर परगना खण्डासा में स्थित ग्राम पूरे लालखा, इमामगंज, धोड़बल, रानिकपुर, भुआपुर, अदिलपुर, दवेगांव के ग्राम वासी दरिया गोमती से गंभीर रुप से प्रभावित हुए हैं और तमसा नदी के किनारे ग्राम चिरकी, पल्लेपार, आखा ग्रामवासियों के मकान ध्वस्त हुए हैं। किन्तु खेद है कि राजस्व विभाग ने तात्कालिक सहायता के अतिरिक्त अभी तक गृह अनुदान बाढ़ प्रभावित किसानों में वितरित नहीं किये हैं। बाढ़ तथा जाड़े का कठोर समय बच्चे-बूढ़े महिलायें तथा जानवर भवनहीन रहकर पेड़ों की छाया में जीवन यापन कर रहे हैं। बाढ़ राहत के नाम पर लाखों रुपये कुछ लोगों की जेबों में चले जा रहे हैं।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपसे मांग करता हूं कि शासन को बाढ़ प्रभावित कृषकों में गृह अनुदान वितरित करने का सख्त निर्देश देने की कृपा करें।

अलीगढ़ जनपद के खैरा क्षेत्र में भारी ओला-वृष्टि से फसलों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगवीर सिंह–

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र खेर में 29/30-1-86 को भारी ओला वृष्टि हुई जिससे गेहूं, मटर, जौ, लाही आदि रबी की फसल को भारी क्षति पहुंची है। इस ओला वृष्टि से गांव पखोदना, मालव, ऊंटासानी, जैदपुर, घघरौली, वाजीपुर, गरौला, खैरिया, खुर्द, सालपुर, तकीपुर, यहरौला आदि करीब 60 गांवों की फसल तबाह हो गयी है। गत वर्ष भी इन्हीं गांवों में भारी ओला वृष्टि हुई थी। शासन की ओर से न तो गत वर्ष ही राहत मिली थी और न अब राहत कार्य शुरु हुए हैं। फसल में 50 से लेकर 60 फीसदी तक नुकसान हुआ है। किसानों में भारी निराशा है। तहसील का स्टाफ इतने पर भी क्षेत्र में जबरिया वसूली कर रहा है और वसूली में उत्पीड़क तरीके अपना रहा है। भय के कारण किसान गांव छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं। उनमें रोष, क्षोभ एवं आक्रोश व्याप्त है।

आपके माध्यम से मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के दुखद घटना की ओर शासन एवं सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से अविलम्ब राहत कार्य शुरु करने एवं सरकारी देयों, बैंक ऋणों व अन्य वसूलियों को माफ करने की मांग करता हूं।

मैनपुरी जनपद के कस्बा करहल में पीने के पानी की टंकी खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हूं कि कस्बा करहल जनपद मैनपुरी में नागरिकों को पीने के पानी के लिए मात्र एक पानी की टंकी का निर्माण सन् 1980 में किया गया था जिसके संचालन के लिए दो नलकूप भी बनवाये गये। लेकिन खेद है कि आज तक इस टंकी से जनता को एक बूंद भी पानी नहीं मिल सका। जब इस नवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में मैंने प्रश्न के माध्यम से सरकार से इस बारे में पूछा तो सरकार ने गलत उत्तर देकर गुमराह किया। और कह दिया कि टंकी चल रही है। लेकिन सिर्फ एक दिन टंकी चलायी गयी जिससे कस्बे की सभी सड़कों पर पानी भर गया क्योंकि जो पाइप लाइन बिछायी गयी वह जगह-जगह घटिया किस्म के पाइप होने के कारण टूट गयी और तब से आज तक पानी की टंकी नहीं चली और आज तक जनता को पानी के नल का कोई कनेक्शन कस्बे के किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। साथ ही करहल क्षेत्र में अधिकतर भाग नल कूपों से सिंचित हैं और नलकूपों के कारण सभी देहाती कुएं सूख गये हैं व क्षेत्र के नागरिक एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जल निगम द्वारा कुछ नल लगवाये गये हैं जो अपर्याप्त हैं।

अतः मेरी मांग है कि कस्बा करहल की पानी की टंकी को पाइप लाइन ठीक करा कर शीघ्र चलवाया जाय और नागरिकों को पानी के कनेक्शन दिये जायें तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हैण्ड पाइप लगवाने की कृपा की जाय।

श्री मदन मोहन महाविद्यालय, भाटपार-रानी, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं गुण्डागर्दी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काशेश्वर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान श्री मदन मोहन महाविद्यालय भाटपार रानी देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं, गुण्डागर्दी, पक्षपात की ओर दिलाना चाहता हूं। लाखों रुपये का गबन प्रबन्धक एवं प्राचार्य की साठ-गांठ से हो चुका है इसकी जांच होकर प्रशासक नियुक्त करने के लिये शासन को रिपोर्ट प्राप्त हुई, परन्तु राजनैतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। छात्रों प्रवक्ताओं का हाथ पैर तोड़वाना प्रबन्धक का रोजमर्रा का कार्य हो गया है। दिनांक 25-1-86 को श्री गोविन्द सहाय प्रवक्ता को प्रबन्धक के भतीजे व अन्य गुण्डों द्वारा पीट कर घड़ी छीन ली गई। प्रथम सूचना थानाध्यक्ष ने नहीं लिखा जब दूसरी प्रथम सूचना दी गई जिसमें घड़ी का उल्लेख नहीं था तो लिखा गया तथा थानाध्यक्ष ने कहा कि बड़े बाप का बेटा यदि मार ही दिया है तो क्या हुआ। अधिकारियों की ओर से कोई सुरक्षा नहीं की गई, क्षुब्ध होकर शिक्षक संघ ने हड़ताल कर रखी है। परिणाम स्वरूप अध्यापन कार्य ठप्प पड़ा है, शिक्षक आतंक व दहशत से ग्रस्त हैं। मुझे तार द्वारा सूचित किया गया है कि 11 फरवरी से प्रदेश व्यापी हड़ताल पर अध्यापक हैं।

लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए शासन से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही करायें।

प्रदेश में कृषि डिप्लोमाधारियों में व्याप्त बेरोजगारी एवं भुखमरी के कारण अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत सात प्राविधिक संस्थानों से प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्ष 210 छात्र कृषि अभियन्त्रण डिप्लोमा लेकर निकलते हैं जिन पर प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख रुपये व्यय होता है।

शासन द्वारा 7 फरवरी, 1978 को शासनादेश सं0 663 ई0डी0 (घ) 19 (एम)ई0डी0/78 द्वारा कृषि डिप्लोमाधारियों को मान्यता मिली किन्तु उसके बाद भी कृषि अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवकों को राज्य सरकार के किसी विभाग ने अब तक सेवा में समायोजित नहीं किया जिससे वे तथा उनका परिवार भुखमरी का शिकार हो गया है जबकि 28 मार्च, 1979 को राजाज्ञा संख्या 4087 ई0 डी0/18/79 द्वारा कृषि, सिंचाई, खाद्य एवं रसद, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन, वन विभाग तथा पशुपालन विभाग के सचिव अथवा विभागाध्यक्षों को उन्हें विभागीय सेवाओं में लिए जाने के लिए निर्देश दिए गये थे।पुनः 22 अप्रैल, 1981 को उपसचिव उ0प्र0 शासन द्वारा मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग के राजाज्ञा संख्या 6939/30-4-1909/79, द्वारा कृषि अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारियों को सहायक विकास अधिकारी, लघु सिंचाई, अवर अभियन्ता पद पर लिये जाने का निर्देश दिया गया लेकिन सबके बावजूद विभागों ने कोई कारवाई नहीं की जिससे लगभग 1 हजार डिप्लोमाधारी युवक बेरोजगारी व भुखमरी के शिकार हो गये हैं और विधान सभा के सामने अनशन पर बैठने को बाध्य हुए हैं।

फलतः आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि वह कृषि में प्रशिक्षित डिप्लोमाधारी इंजीनियरों के साथ खिलवाड़ बन्द कर उन्हें सेवा में समायोजित करने हेतु आवश्यक कारवाई करे।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

*श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मित्रसेन –

मान्यवर, मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष –

आप मित्रसेन जी बैठें, जब नंबर आयेगा तब मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें इस बात का उल्लेख है कि मंत्रिगण किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस सत्र में मान्यवर, देखने में आ रहा है कि जो उत्तर दिये जा रहे हैं वह न तो संतोषजनक हैं और न सुसंगत हैं। मंत्रिगण विभिन्न प्रकार से घुमा फिरा कर उत्तर दे रहे हैं, जिससे लोक हित का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आज के तारांकित प्रश्न संख्या 16, जो आपकी अनुकम्पा से सदन के पटल पर चर्चा के लिए नहीं आ सका, के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संरक्षक हैं। यह स्वास्थ्य विभाग आज अत्यन्त दयनीय दशा में चला गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जरूर स्वस्थ हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग की हालत बहुत खराब है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष –

शाही जी आप प्रश्न से संबंधित बात लिखकर दे दें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें । आप जो व्यवस्था देंगे वह मैं मानने के लिए तैयार हूं । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के कसया उच्चीकृत चिकित्सालय में वर्ष 1983 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी । इसका जवाब दिया गया है कि जी हां । मान्यवर, आगे प्रश्न था कि यदि हां, तो क्या यह सही है कि पद सृजन के पूर्व ही तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी ने उनकी नियुक्ति का वेतन भुगतान प्रारम्भ कर दिया था । क्या यह भी सही है कि उन नियुक्तियों को सर्विस ट्रिब्यूनल ने निरस्त कर दिया है । यदि हां, तो किये गये वेतन भुगतान की रिकवरी के लिए शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों? मान्यवर, इसका जवाब दिया गया है कि तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे आदेश नहीं दिये थे । यह ज्ञात हुआ है कि सर्विस ट्रिब्यूनल का निर्णय हो चुका । ट्रिब्यूनल के आदेश भी समीक्षा करने के उपरान्त तथा संबंधित विभाग से परामर्श करने के पश्चात अंतिम निर्णय करना संभव है तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी से कि ट्रिब्यूनल का निर्णय होने के बाद कर्मचारियों की छंटनी हो गयी । उनको सी0 एम0 ओ0 ने नियुक्त किया और वेतन देना शुरू किया और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया और उसके बावजूद जवाब दिया जा रहा है कि इसकी समीक्षा संबंधित विभाग से करनी है । तो मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

आप इसको लिखकर भेज दीजियेगा ।

श्री शारदा प्रताप –

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष –

आपने लिखकर तो कुछ दिया नहीं ।

श्री शारदा प्रताप –

मान्यवर, मुझे एक सेकेन्ड के लिए सुन लें । स्वास्थ्य मंत्री जी कोई उत्तर सही ढंग से नहीं देते हैं । मान्यवर, मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 36 को देखने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष –

लिखकर आप भेज दीजियेगा ।

श्री शारदा प्रताप –

एक व्यक्ति रिटायर हो जाए और वह व्यक्ति मर भी जाए परन्तु इनका स्वास्थ्य विभाग न तो उसका विनियमितीकरण करेगा और न ही उसके स्थायीकरण की व्यवस्था करेगा ।

श्री उपाध्यक्ष –

आप यह सारी बातें लिखकर भेज दीजिए । (श्री सत्यपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा प्रताप –

मान्यवर, मैं अपनी बात नियम 48 और नियम 49 के तहत कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष –

ठीक है, आप लिखकर तो भेजिए ।

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, मैंने नियम 48 और 49 के तहत लिखकर भेज दिया है, मुझे अवसर दे दीजिए अपनी बात को कहने का ।

श्री उपाध्यक्ष –

उस पर विचार होगा ।

(श्री मित्रसेन के बार-बार खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष –

माननीय मित्रसेन जी आप कृपया बैठ जायं । मैंने पहले औचित्य के प्रश्नों को ले लिया है और जिनके नाम आ रहे हैं उनको बुलवा रहा हूं । इसलिए आप कृपया धैर्य रखें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

1986 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 99 का सुसंगत उत्तर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्यपाल सिंह –

मान्यवर, एक औचित्य के प्रश्न के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 99 जो अभी इसी 10 तारीख को पूछा गया । माननीय मंत्री जी से पूछा खेत की बताते हैं खलियान की । माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था जिसमें आवेदन पत्र में यह कहा गया था कि माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षिका की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संबंध में आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें । मान्यवर, इसी विषय को मैंने नियम 300 के अन्तर्गत दिया है कि मा0 मंत्री जी से प्रश्न कुछ और किया गया है और जवाब उन्होंने उसका कुछ और दिया है, जो सुसंगत नहीं है । जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है कि "जी नहीं," श्रीमती अरुणा सक्सेना, सहायक अध्यापिका के प्रार्थना-पत्र पर पारित आदेश के अनुपालन में उनके अवशेष वेतन का बिल पारित कराकर दिनांक 16-1-86 को विद्यालय को दिया जा चुका है और भुगतान की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है । तो मान्यवर, 3 दिन का वेतन बिल उन्होंने विद्यालय को भेज दिया है, जबकि मैंने प्रश्न पूछा है नियुक्ति के संबंध में । इसलिए मान्यवर, यह जवाब सुसंगत नहीं है । इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष –

जब आपने नियम 300 के अन्तर्गत इसे दिया है, परन्तु यह इस नियम के अन्तर्गत आता नहीं है, लेकिन और भी नियम हैं, उनके तहत आप लिखकर भेज दीजिए, उस पर कार्यवाही होगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष –

आपका मामला मद 3 में है । यह मद जब आयेगा तब उस पर आप बोलिएगा, फिलहाल धैर्य रखें ।

श्री अशोक बाजपेयी जी ने नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना दी थी यह इसमें आती नहीं है ।

श्री मित्रसेन –

मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष –

आप जल्दी न करें, जब आपका नम्बर आएगा, तब समय आपको दूंगा ।

श्री अशोक बाजपेयी –

मान्यवर, मुझे भी सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष –

जी नहीं, यह नहीं आता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

'सिसवा काण्ड' की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट शासन द्वारा समय से सदन के पटल पर न रखे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, यह सरकार विधायी शर्तों को किस तरह से काट-छांट और संक्षिप्त करती चली जा रही है, इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मान्यवर, इसी सदन में बस्ती जनपद में 23 अप्रैल, 1982 को घटित सिसवा काण्ड के संबंध में 23 अगस्त, 1982 को चर्चा हुई थी । तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय श्री पति मिश्र ने एक न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की थी । न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट 6 माह से अधिक हो गया, प्रेषित कर दिया, परन्तु यह सरकार विधायकों की शक्तियों को काट-छांट करके कम कर रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट को 6 महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए ।

मान्यवर, पिछले सत्र में मैंने शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि अभी रिपोर्ट प्राप्त हुए केवल 4 माह ही हुए हैं, शासन को उक्त रिपोर्ट 6 महीने तक रखने का अधिकार है, इसलिए अभी उसे सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता है । आज वह कौन सी परिस्थिति है कि 6 महीने से ज्यादा हो गया? मैं मानता हूं कि आप सरकार को पूर्ण रूप से बाध्य नहीं कर सकते, परन्तु मान्यवर, सरकार जो यह विधायी शक्तियों को कम कर रही है, जो माननीय विधायकों को हमारी नियमावली से प्राप्त अधिकार हैं और विधि द्वारा मान्यताओं से जो हमें अधिकार मिला है, यह सरकार उसको समाप्त कर रही है । इसलिए मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसे मान्यवर, आप स्वीकार करें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री--(श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह सही है कि 6 महीने बीतने पर वह रिपोर्ट सदन के पटल पर आ जानी चाहिए । माननीय विद्वान सदस्य को जानकारी है कि 6 महीने पूरा हो चुका है, मैं आश्वस्त करता हूं कि इस सत्र के चलते ही सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी, एक वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व सदस्य का वह लड़का है, इसलिए वह टाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह माननीय माता प्रसाद पाण्डेय का जो प्रश्न है, यह नियम 300 में तो नहीं आता, चूंकि यह कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत है, सरकार को मैं बाध्य तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे ।

प्रदेश में नलकूप लगाये जाने के विनिश्चय का अधिकार विधान मण्डल के सदस्यों को न देकर मुख्य मंत्री द्वारा सांसदों को दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, इस सरकार ने ऐसा काम किया है, जिससे इस सदन की मर्यादायें भंग हुई हैं । मैं निवेदन करना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का विधान मण्डल सिंचाई, कृषि आदि समस्त विभागों के कार्य का नियंत्रण करता है यह विधान मण्डल जब इसका सबका नियंत्रण करता है, तो उत्तर प्रदेश में यदि कहीं 5 नलकूप लगें और उनका नियंत्रण, उनका निर्देशन सांसदों के निर्देशों पर शुरू हो जाय, तो यह विधायकों का और विधान मण्डल के निर्देश का अपमान और अवमानना है। माननीय मुख्य मंत्री ने अभी हाल में निर्देश भेज कर परिपत्र के द्वारा जो निर्णय विधायकों ने जिला योजना की बैठक में, गवर्निंग बाडी में निर्णय लिया कि 2-2 नलकूप उनके क्षेत्र में लगाये जाते हैं, वह उन्हें दिये जायं। मान्यवर, उस नियम को बदलने का अधिकार माननीय मुख्य मंत्री जी को नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप ग्राह्यता पर बोलें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, एक प्रपत्र के जरिए उस आदेश को निरस्त कर दिया और माननीय सांसदों के हाथ में कार्य को सुपुर्द कर दिया। मेरा निवेदन है कि विधायी कार्यों में यह हस्तक्षेप है, जो मुख्य मंत्री को करने का अधिकार नहीं है। वह उत्तर प्रदेश से बाहरी व्यक्ति को आदेश नहीं दे सकते हैं, मैं चाहूंगा कि इस पर आप चर्चा करा लें।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कुछ जान बाकी नहीं है। अब आप बैठें।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, जान बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, इसमें कुछ जान बाकी नहीं है। इसमें नियम 300 के अंतर्गत अगर कुछ जान बाकी होती तो मैं आपको बुलवा देता। मैं आपको नियम 300 के अंतर्गत ग्राह्यता पर नहीं बुलवाऊंगा।

यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है। आपको बजट सत्र में चर्चा करने का पूरा मौका लगेगा।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न यह इसलिए बनता है कि जो भी फैसला सरकारी खजाने को खर्च करने का होता है, वह फैसला हाउस लेता है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रदेश की हर समस्या का निदान हाउस है, यह आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, यह संविधान का विरोध है। संविधान में यह निहित है कि जो कार्यक्रम स्थापित किए जायेंगे, जिन कार्यक्रमों को चलाना होगा, उसके लिए जो पैसा निर्धारित करना होगा वह विधान मंडल तय करेगा। यह संवैधानिक व्यवस्था है। जब हम कोई पैसा सिंचाई विभाग के लिए तय करते हैं, तो यह भी निश्चय करते हैं कि यह पैसा इस मद में खर्च करेंगे। यह अलग बात है कि हम अपने बजट में यह कर दें कि इतने ट्यूबवैल बनाये जायेंगे और यह विभाग देखकर बना देगा, अब विभाग चाहे किसी के जरिए सलाह मशविरा करके बनाये, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन पहले से ही यह तय कर दिया जाए कि पांच ट्यूबवैल बनेंगे और वह सांसद के माध्यम से बनेंगे, यह ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको आप दूसरे नियम में ले आइए यह नियम 300 में नहीं आता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

यह वैधानिक प्रश्न है इसलिए नियम 300 में आता है । यह बजट की व्यवस्था का उल्लंघन करता है, इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बनता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि यह नियमों के अंतर्गत नहीं आता है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर सदन के स्थगन के कारण चर्चा का समय कम हो जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं जो सत्य प्रकाश विकल जी का है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपकी व्यवस्था चाही है । आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का अंतिम दिन है । तीन दिन से इस पर चर्चा हो रही है और कुल चार घंटे इस पर चर्चा हो पायी है जबकि 12 घंटे होनी थी । मान्यवर, आपकी सम्मानित पीठ से कहा गया था कि दो बजे शून्य प्रहर के बाद सदन चलेगा और 6 बजे तक चर्चा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ । तीन दिन में केवल 11 वक्ताओं को बोलने का मौका दिया गया है राज्यपाल के अभिभाषण पर। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इधर के और उधर के काफी विधायक बोलना चाहते हैं इसलिए आज चाहे, सदन का समय बढ़ाना पड़े, लेकिन अधिक से अधिक विधायकों को इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का मौका मिले आप इसमें अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं । कल माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बैठे थे, जब 5 बजे आपने नियम 51 रखा तो सारे सदस्यों को यह अनुभूति हो गई कि बहस एक घंटे और चलेगी । माननीय हुकुम सिंह जी ने अपने दल के सदस्यों को इशारा कर दिया कि वे चले जायं . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कोई इशारा नहीं किया ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा निवेदन है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की यह कोशिश होनी चाहिये की राज्यपाल के अभिभाषण पर अधिक से अधिक सदस्यों को मौका मिले । इस प्रकार की प्रक्रिया चलायेंगे तो संसदीय गरिमा गिरेगी ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आपको स्मरण होगा, कल जब प्रस्ताव की बात आपने कही थी, मैंने कहा था कि आपके विवेक पर है बढ़ा दें । दो दिनों में जो कुछ गुजरा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । मैं विकल जी के सुझाव से सहमत हूं तथा मेरा सुझाव है कि कार्यसूची के सारे आइटम समाप्त करके अभी से राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करा दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह इनका प्रस्ताव है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा सुझाव है । यदि सारे माननीय सदस्य सहमत हों तो सारे बिजनेस को छोड़कर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू करा दें ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी आयेगा । आप बैठें ।

श्री राम सरन–

मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी, पर चलते जा रहे हैं जिस तरह से वे कार्य करते थे वही आदत ब्रह्म दत्त जी की आदत इन्होंने शुरू कर दिया है । इनको बचाइये, उनके रास्ते पर न चलें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं । वैसे मान्यवर, आपका जो निर्देश होगा उसका अनुपालन करूंगा। लेकिन मैं चाहता था कि एक मिनट आप मुझे सुन लें । मान्यवर, जो गिरोहबंदी अध्यादेश . . .

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यादेश कहां से आ गया । अध्यादेश पर नहीं बुलवा रहा हूं । जो 4 घंटे चर्चा हुई है, उस पर बोलिये ।

कोई सवाल जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया तथा जो अध्यादेश सदन के पटल पर रखा जा चुका है, बहस होनी बाकी है, उसको कैसे आप उठायेंगे? आप लोग विद्वान सदस्य हैं । यह अध्यादेश पटल पर रखा जा चुका है, इस पर बहस का मौका मिलेगा । इस हालात में इसको इस तरह नहीं उठाना चाहिये ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय संसदीय कार्यराज्य मंत्री ने सुझाव दिया कि एजेन्डे के सारे आइटम समाप्त करके राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू करा दें । मेरा नम्र निवेदन यह है कि कार्यसूची पर जितने विषय आ गये हैं किसी मंत्री या किसी माननीय सदस्य के सुझाव पर उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री सीधे-सीधे एक प्रस्ताव नियमों को निलम्बित करके, सारी कार्यसूची को समाप्त करने का प्रस्ताव न लाएं, उस पर विचार नहीं हो सकेगा । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि यह प्रस्ताव नहीं है तो इस तरह से कभी-कभी हंगामें में, यह जानते हुए भी कि यह प्रस्ताव नहीं है और ग्राह्य नहीं हो सकेगा, अध्यक्ष भी चाहें तो बिना नियमों का अंत किये एजेंडे का आइटम समाप्त नहीं कर सकते, इस प्रकार का सुझाव रख कर सदन का समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए । अगर आप व्यवस्थित सदन चाहते हैं तो आपसे, संसदीय कार्य राज्य मंत्री से और सारे सदस्यों से अनुरोध है कि पहले अपने को संयमित करें और इस तरह के सुझाव न दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि किसी कार्य के स्थगन का प्रस्ताव नहीं आ सकता। मैं आपका ध्यान नियम 110 की उप नियम 6 की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी कार्य को स्थगित करने का सुझाव बिना किसी सूचना के रखा जा सकता है और श्रीमन्, जैसा पहले सुझाव आया और माननीय सदस्यों की जैसी

भावना है कि अधिक से अधिक लोग चर्चा कर सकें, ऐसी सभी पक्षों की, सत्ता पक्ष की और विपक्ष की भावना है तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो सवाल माननीय तिवारी जी ने उठाया और कहा कि माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने कोई सुझाव या प्रस्ताव रखा तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था न सुझाव था। इन्होंने वैसा कोई सुझाव या प्रस्ताव नहीं रखा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी के सुझाव को वाहियात समझकर निरस्त कर दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बोल रहा हूं। आप उत्तेजित न हों। मैं उनके सुझाव को निरस्त करता हूं। उस पर कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। यह विषय विकल जी नियम 300 के अन्तर्गत लाये हैं। उनका कहना और सभी माननीय सदस्यों की जो कठिनाई है, उसको मैं समझता हूं कि हाउस में हम लोग आये हैं, इधर के लोग हों या उधर के, सभी अपनी बात और अपने क्षेत्र की समस्याएं कहने के लिये आये हैं, लेकिन सभी माननीय सदस्यों को इतना समय नहीं मिलता, जितना मिलना चाहिये। उसकी वजह से सबको जो कठिनाई महसूस हो रही है मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि हाउस अधिक समय तक चले और इस चर्चा पर अधिक से अधिक समय मिल सके। यह मेरा आप सब लोगों से निवेदन है।

वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण (सप्तम संस्करण) के करण 14 (3) के अनुसार विधान सभा के वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र (दिनांक 12 जुलाई, 1985 से 5 सितम्बर, 1985 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियमों के अन्तर्गत मेरी बात सुन लें तो शायद आपका समाधान हो जाय और आप शासन की शास्ति करना चाहें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत जो सूचनाएं ग्राह्य होती हैं...

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, आपने संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी को प्रस्ताव रखने के लिये बुला लिया, उन्होंने प्रस्ताव रख दिया।

---

†छापा नहीं गया।

वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने तथा विलम्ब किये जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने मद संख्या-3 कहा था।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपने नाम पुकारा, मैंने इसे पढ़ दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

हो सकता है, पुकार लिया हो। इनको पहले सुन लें।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, पिछले सत्र की पुस्तिका देखें, नियम 301 की 361 सूचनाएं माननीय सदस्यों ने दी थी, उनमें अधिकतर सूचनायें ऐसी हैं, जिनका समय से उत्तर नहीं मिला। मान्यवर, आप इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा जारी करण का अध्याय–3 देखें। इसमें 14(1) में है–किसी सूचना का सदन में उत्तर देने के लिए कोई मंत्री बाध्य नहीं है किन्तु मंत्री ऐसी सूचना के संबंध में जांच के उपरान्त सम्बन्धित सदस्य को अपने हस्ताक्षर से 7 दिनों के अन्दर अन्तिम अथवा अन्तरिम उत्तर भेजेंगे, और अन्तरिम उत्तर की दशा में अन्तिम अधिकतम एक माह के अंदर अवश्य भेजा जायेगा। मान्यवर, इसमें कोई सूचना ऐसी नहीं मिलेगी, जिसका उत्तर समय के अंदर दिया गया हो ।

मान्यवर, नियमों का उल्लंघन मंत्री जी की ओर से हो रहा है। मान्यवर, मैं उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि 5-9-85 को मैंने रेनूकूट में मजदूरों पर हुई गोलीवर्षा के संबंध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में सूचना दी थी, जिसे अस्वीकार किया गया, बाद में माननीय अध्यक्ष के आग्रह पर मैंने उक्त सूचना को नियम 301 के अंतर्गत दिया। उक्त सूचना के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर 3 माह बाद में मिला है। उसका अन्तिम उत्तर कब मिलेगा? इसका कोई पता नहीं । मान्यवर, मेरा इस व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से अनुरोध है कि नियमावली के तहत जो हमें अधिकार उपलब्ध हैं, कृपया उनकी सुरक्षा तो आप करें।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सूचनाओं के सम्बन्ध में जो विवरण पटल पर रखा गया है, इसमें लगभग 300 सूचनाओं में से 271 सूचनाओं का जो उत्तर विलम्ब से आया है, उसका जो कारण दर्शाया गया है वह यह है कि अपरिहार्य कारणों से इसमें विलम्ब हुआ है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान करण के अध्याय–3 के नियम 14 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। "प्रत्येक सत्र के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह के अन्दर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी, जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लायी गयी सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो।"

मान्यवर, 6 तारीख को यह सदन आहूत हुआ था, आज 13 तारीख है, 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। मान्यवर, यह निकम्मी सरकार इतनी विफल हो गयी है कि 7 दिनों के अन्दर इन सूचनाओं को पटल पर भी नहीं रख सकी। मान्यवर, इस नियम का जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्तिम लाइन है "जिसमें पिछले सत्र में सदन के संज्ञान में लाई गई सूचनाओं पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण हो।" मान्यवर, जो यह विवरण प्रस्तुत किया गया है इसमें कहीं भी किसी कार्यवाही की बाबत उल्लेख नहीं है। एक तो कार्यवाही का कहीं उल्लेख नहीं है दूसरे किसी भी सूचना का समय से उत्तर नहीं मिला। मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि आप संसदीय कार्य मंत्री को यह निर्देशित करें कि वे इस विवरण को सदन के पटल पर रखने से वापस लें और विभाग द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में जो-जो कार्यवाही की गयी है, उसे विवरण के साथ यहां रखने का कष्ट करें।

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियम 301 के अन्तर्गत जो विवरण हम यहां पर सदन में प्रस्तुत करते हैं और करण 14 के अन्तर्गत उसकी जो प्रक्रिया दी गई है, उसके बारे में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, 361 सूचनाएं थीं, जिसमें से केवल 184 सूचनाओं के कारण बताये गये हैं वह भी अपरिहार्य कारण। इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी इनको कारण मालूम नहीं है। 63 सूचनाओं का उत्तर दिया गया है और शेष सूचनाओं का कारण जांच का होना व विलम्ब बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार आपके द्वारा जारी करण का उल्लंघन किये जा रही है। मान्यवर, 301 की जो हमारी सूचनायें होती हैं, भले ही वह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं होती हैं लेकिन बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व के वे प्रश्न होते हैं। इसीलिए इनके उत्तर देने के सम्बन्ध में करण में लिखा गया है कि 1 महीने के अन्दर इसकी सूचना आ जानी चाहिए और न ही एक हफ्ते के अन्दर इस सदन के पटल पर उन्हें रखा गया। यदि अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं का इसी प्रकार उत्तर दिया जायेगा तो सदन में इसी प्रकार की सूचनाओं को रखना निरर्थक हो जायेगा और उनकी कोई सार्थकता नहीं रह जायेगी। मेरी जो सूचना थी, उसमें एक राज्य परिषद् में हड़ताल के सम्बन्ध में थी और दूसरी इलाहाबाद में बहुत भयंकर जल प्रदूषण के बारे में थी, उसका उत्तर भी इसी तरह से दे दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि 301 के अन्तर्गत जो हमें अधिकार दिये गये हैं, उसकी आप सुरक्षा करें और हमें संरक्षण दें और जो आज सदन के पटल पर यह रखने जा रहे हैं, उन्हें पहले पूरा करने के लिए आप शासन को कहें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शाही जी ने दो आपत्तियां उठायीं, मित्रसेन जी ने भी आपत्तियां उठायीं और श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने भी आपत्ति उठाई। शाही जी ने जो पहली आपत्ति उठायी थी एक हफ्ते के अन्दर सदन के पटल पर इन्हें नहीं रखा गया। अगर शाही जी कल उपस्थित रहते, सम्भवतः ये, कल के एजेन्डे में इसे रखा गया था, जरा आप उसे देखें, किन्तु किन्हीं परिस्थितियों के कारण उसे नहीं लिया जा सका हमारा जो दायित्व था, वह तो हमने पूरा कर लिया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

जो विलम्ब हुआ है, वह आपके द्वारा हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह–

मेरा कहना भी है कि अनावश्यक रूप से वह विलम्ब नहीं होना चाहिए था। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में भी होगा कि अनेक बार बैठकों द्वारा शासन ने अपनी सारी कठिनाईयां बताईं कि किस प्रकार करणों का पालन करने में हमें कठिनाई हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में भी यह बात होगी। नियम 301 के अंतर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह इतनी बड़ी संख्या में हैं कि इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में ये प्राप्त नहीं हुई थीं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इससे पहले वाले सत्र में और इस सत्र में तमाम सूचनाओं के उत्तर दिये गये, कोई भी ऐसी सूचना नहीं है जो अनुत्तरित रह गयी हो। विलम्ब हुआ होगा। आप सहमत होंगे कि जितनी सूचनाएं आती हैं, उन्हें विभिन्न जनपदों को भेजना, उन पर कार्यवाही करना, फिर वहां से जानकारी प्राप्त करना आदि प्रक्रिया में कुछ विलम्ब का होना स्वाभाविक है। यह सही है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि कम से कम विलम्ब हो, बल्कि मेरे विचार से तो विलम्ब होना ही नहीं चाहिए। विलम्ब होने में जो कठिनाइयां बताई गई हैं वे व्यवहारिक भी हैं।

(श्री बाबू राम यादव, श्री यदुनाथ सिंह और श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसूफ के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जांय। मैंने दोनों ओर की बातों को सुन लिया है।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा की गरिमा घट रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री यदुनाथ सिंह जी आप कृपया बैठ जांय। मैं आपकी बात को बाद में सुन लूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री, जो पिछले सत्र में भी संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे हैं, लगातार विधान सभा की गरिमा घटती जा रही है, विधान सभा बोझिल होता जा रहा है।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अभी जो बोले हैं 'अपरिहार्य', यह इसका अर्थ स्वयं बता दें कि 'अपरिहार्य' का क्या मतलब है? इस शब्द में यह पूरी सरकार को भटका रहे हैं और विधान सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री बाबू राम यादव–

विधान सभा में बिल्कुल झूठ सूचनायें दी जाती हैं, इसका पर्दाफाश होना चाहिये, मुझे समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लें। इस वक्त चर्चा नहीं हो रही है, यह केवल पेश हो रहा है। जहां तक सवाल यह है कि इसमें विलम्ब हुआ है। यह संसदीय कार्य मंत्री मान रहे हैं। इसके बावजूद भी आपको कष्ट है तो सरकार को निर्देश देता हूं कि आगे बिलम्ब न हो और समय से उत्तर दिये जाया करें।

(मद संख्या–5 पुकारे जाने पर)

श्री बाबू राम यादव–

असत्य उत्तर आता है। मुझे सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन नियम से चलेगा बिना नियम तो नहीं चलेगा। आप बैठें।

जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में डायलेसिस उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

आपकी आज्ञा से मैं जिला चिकित्सालय, फैजाबाद में डायलेसिस सुविधा उपलब्ध कराने विषयक श्री अमर जीत सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कटरा गोसाईगंज तथा तेलियागढ़ मोहल्लों के सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्निर्माण में भ्रष्टाचार की जांच की मांग के सम्बन्ध में याचिका

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से जनपद फैजाबाद की टाउन एरिया गोसाईगंज के कटरा गोसाईगंज तथा तेलियागढ़ मोहल्लों के सार्वजनिक शौचालयों के पुनर्निर्माण एवं पूर्व में इनके निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक श्री मदन लाल जायसवाल तथा श्री कन्हैया लाल त्रिपाठी, निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(मद संख्या—9 पुकारे जाने पर श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री शतरुद्र प्रकाश तथा श्री शफीकुर्रमान बर्क के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

राजकुमार संजय सिंह, परिवहन मंत्री के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो कार्यसूची में मद संख्या-5 है, उसके बाद मद संख्या-6 आता है। इसमें लिखा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं, यदि कोई हों। इसका अर्थ यह है कि यदि आपके पास कोई विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आये तो उसकी सूचना सदन को दी जाय। मैंने इस सम्बन्ध में राजकुमार संजय सिंह, परिवहन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना प्रस्तुत की है। मैं निवेदन करूंगा कि आज न हो सके तो कल ले लें और कल सदन में रख दीजिये ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

श्री उपाध्यक्ष—

उसका परीक्षण हो जाने दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

या तो मुझे आप चैम्बर में बुला लीजिये, बात कर लें। परम्परा रही है कि विशेषाधिकार की सूचना सदन में पढ़कर सुनायी जाती है। लोकसभा और विधान परिषद् की भी यही प्रक्रिया है। हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी विधान सभायें हैं, यही प्रक्रिया है। किस नियम के अन्दर यह व्यवस्थादे रहे हैं? आप मुझे चैम्बर में बुला लीजिये, आपके जो सचिव हैं, उनको भी बुला लीजिये, बहस करा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप चेम्बर में आ जाईयेगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं नियम 56 के बारे में आप लोगों के नाम पुकारूंगा, आप लोग एक-एक करके बारी-बारी से खड़े होइयेगा, लेकिन यह ध्यान रखियेगा कि केवल ग्राह्यता पर ही आप लोग बोलें। नियम 56 में ज्यादा बोलने से कोई फायदा तो है नहीं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पहले कितनी सूचनाएं आपको आपको प्राप्त हुई हैं, यह तो बतला दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

पहली सूचना प्राप्त हुई है सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, दिवाकर विक्रम सिंह, सुखपाल पाण्डे, मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, हर्षवर्धन, हरिशचन्द्र हरीश जी, जनार्दन प्रसाद आभा और धनराज यादव की। दूसरी सूचना भी माता प्रसाद पाण्डेय की ही है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

दोनों सूचनाएं एक ही विषय से सम्बन्धित हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जब नियमों में है कि एक सदस्य केवल एक ही कार्य-स्थगन की सूचना देगा, तब यदि आप चाहते हैं कि यह अव्यवस्था बन्द हो तो कम से कम आप इस नियम का कड़ाई से पालन करें और सूचना प्राप्त होने पर परीक्षण करें कि जिन लोगों ने एक से ज्यादा सूचनाओं पर हस्ताक्षर किये हैं, उन सूचनाओं को खारिज करें। नहीं तो रोज आप इस तरह से अव्यवस्था करा कर जैसे कि सदन चल रहा है, आप सदन को चला नहीं पायेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैंने इसी विषय पर पहले सूचना दी थी जिसको आपने स्थगित किया था इसलिये मैंने उसी विषय को लेकर दुबारा सूचना दिया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

प्रिजम्पशन से नियम नहीं चलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी की बात ठीक है, लेकिन जो माता प्रसाद जी ने कहा कि क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसी सूचना दी थी बस्ती की गन्ना मिलों के बन्द होने के सम्बन्ध में, वह जुड़ी नहीं, इसलिये ऐसा हुआ है। आईन्दा से सख्ती से नियमों का पालन होगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा एक अनुरोध है कि इन दो सूचनाओं में किसी एक सूचना को आप अग्राह्य करें । यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो रोज 200 सूचनाएं आयेंगी और उन सभी पर कई-कई लोगों के हस्ताक्षर होंगे। तो आप किसको रोकेंगे और किसको बुलायेंगे? अव्यवस्था इसी तरह होती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आपकी पीठ से जो भी व्यवस्था होगी, वह संकलित की जायेगी। वह केवल आज के ही लिये नहीं होगी। इसलिए आप यह तो स्पष्ट करें कि आपकी व्यवस्था केवल आज ही के लिये लागू होगी, आगे के लिये यह उद्धृत नहीं की जायेगी। यदि आप ऐसी बेजोड़ व्यवस्था देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। रूल्स के कम्पलायन्स में लक्ष्मण रेखा खींचिये; यह नियम आपको लागू करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आपको स्ट्रिक्टली इसका पालन करना चाहिये। आप आज से ऐसे आदेश दें कि बीस-बीस माननीय सदस्य एक ही सूचना पर हस्ताक्षर न किया करें।

(व्यवधान)

(1 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसको मान चुका हूं, जो आज है। मैं किसी को कुछ निर्दिष्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आज के अलावा कोई सदस्य दो सूचनाएं देंगे तो उसको रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

तो मान्यवर, जितनी भी सूचनाएं हैं, सभी पर कम से कम एक व्यक्ति को सुन लें। अगर वह व्यवस्था आज के लिये ही दे रहे हैं तो सभी को सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

सभी को तो नहीं सुना जा सकता है। पहले मैं सभी के नामों को पढ़े दे रहा हूं जिनकी सूचनायें आयी हैं। तीसरी सूचना सर्वश्री शतरुद्र प्रकाश, कमलेश कुमार पाठक और अचल सिंह की, 10-1-86 को फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर लीलावती के साथ बलात्कार के बारे में है। चौथी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की भी फतेहपुर रेलवे स्टेशन वाली घटना के संबंध में है। पांचवीं श्री अशोक बाजपेयी की हाई-स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी के बारे में है। 6ठीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल और श्री सूर्य प्रताप शाही की मेरठ में महिलाओं पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के बारे में है। 7वीं सूचना सर्वश्री काशी सिंह एरी, राम आसरे वर्मा, हरिशंकर तिवारी, शिवानन्द नौटियाल और हृदय नारायण दीक्षित की माध्यमिक शिक्षकों द्वारा धरना के बारे में है। 8वीं सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की उत्तर प्रदेश में आलू की फसल में झुलसा रोग के बारे में है। 9वीं सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की फैजाबाद में गुमनामी बाबा की मृत्यु के बारे में है। 10वीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही और कुंवर मानवेन्द्र सिंह की भी इसी सम्बन्ध में है। 11वीं सूचना श्री राजेन्द्र गुप्त की उत्तर प्रदेश गिरांहबन्द और समाज विरोधी अध्यादेश का दुरुपयोग के बारे में है। 12वीं सूचना श्री मनोहर लाल की उरई पुलिस द्वारा लोकदल नेताओं को हथकड़ियां लगाने के बारे में है।

13वीं सूचना सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, बुनियाद हुसैन अन्सारी, फजलुल बारी, शफीकुर्रहमान बर्क, काजी कली-मुररहमान, मोहम्मद मसूद खां, फरीद महफूज किदवई, अमीर आलम खां, रिजवनुल हक, अब्दुल वहीद कुरेशी, काजी मोहिउद्दीन, हफीज भारती और मोहम्मद आकिल की बाबरी मस्जिद, फैजाबाद के बारे में है। 14वीं सूचना श्री अकबर हुसैन बाबर और श्री राज किशोर सिंह की भी उक्त विषय के बारे में है। 15वीं सूचना श्री गोपाल दास यादव की लेखपालों को महंगाई भत्ता न देने के बारे में है। 16वीं सूचना श्री भगवान दीन कुशवाहा की थाना रसूलाबाद कानपुर देहात में हरिजन की हत्या के बारे में है। 17वीं सूचना श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की यू0पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल बांदा में भ्रष्टाचार के बारे में है। 18वीं सूचना सर्वश्री राम सरन, पारस-नाथ यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, दूधनाथ सिंह और श्री अनुग्रह नारायण सिंह की ग्राम सुरेरी जौनपुर में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के बारे में है। 19वीं सूचना सर्वश्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, बंगाली सिंह, जगबीर सिंह, राजेन्द्र सिंह, किशन लाल दिलेर, रिछपाल सिंह बंसल और बदन सिंह की अलीगढ़ के सिकन्दराबाद में कत्ल और डकैतियों के बारे में है। 20वीं सूचना सर्वश्री

शारदानन्द अंचल, राम जन्म, बलराम यादव, मूल चन्द और राजित प्रसाद की बलिया में हरिजनों पर अत्याचार के बारे में है 21वीं सूचना सर्वश्री सूर्य प्रताप शाही, किशन लाल दिलेर और धनराज यादव की बेसिक शिक्षकों की भविष्य निधि के बारे में है 22वीं सूचना श्री मोहम्मद आकिल की मुरादाबाद में दो जाटवों के बारे में है और 23वीं सूचना श्री मित्रसेन की बाराबंकी रुदौली में पुलिस द्वारा घोषित कर्फ्यू तथा लूटपाट के बारे में है। नम्बर एक पर श्री दिवाकर विक्रम सिंह की है, तो वह अपनी बात कह दें।

श्री माता प्रसाद पण्डेय–

मान्यवर, सभी को आप दो-दो मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर पहली सूचना पर जितने लोग हैं सब बोलेंगे तो उनकी शाम तक बातें होती रहेंगी और यह सवाल ही पैदा नहीं होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, एक को बुलवा लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि एक आदमी बोल लें, एक सूचना पर एक आदमी बोल लें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, हम सब लोग मारे गये हैं, गोली खायी है।

श्री उपाध्यक्ष–

कोई नहीं मारा गया है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, सारा गन्ना हम लोगों का सूख गया, हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री सूर्य प्रताप शाही एवं श्री सुखपाल पाण्डे के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी बात आप लोग सुनें। कोई नियम तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप तीनों लोग बोलेंगे और चारों लोग बोलेंगे तो सब लोग बोलेंगे तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए एक आदमी अपनी बात रखे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, नाम ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सब के नाम पढ़े हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, ऐसा है कि समय बचाना चाहिये, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन यह भी सदन की परम्परा रही है कि जब बहुत महत्वपूर्ण कोई सवाल आया है तो उस पर माननीय सदस्यों को ज्यादा बोलने का भी अवसर मिला है। मान्यवर, कुछ लोग खड़े हो रहे हैं आप नाम बुला दीजिए। कोई ज्यादा समय न ले यह आप शर्त रखिये। एक मिनट दो मिनट से ज्यादा किसी मेम्बर को मत बोलने दीजिए। मान्यवर, वहां लाठी चली है, गोली चली है, लोग अपमानित किये गये हैं तो आप एक-एक, दो-दो मिनट बोल लेने दीजिए।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह नियम 56 के अन्तर्गत जो हम लोगों ने सूचना दी है वह न केवल बस्ती की अपितु पूरे पूर्वान्चल की है। वाल्टरगंज और खलीलाबाद मिल सरकार के प्रयास के बावजूद आज उनकी मिलीभगत से बन्द पड़ी है। इस मिल के बन्द होने से सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो सरकार की उद्योग की नीति है वह आज वहां पर ठप्प पड़ी है। सरकार द्वारा बस्ती जनपद में इन दो मिलों को बन्द करके उद्योग विहीन किया जा रहा है। इसका तात्कालिक प्रभाव गन्ना किसानों पर पड़ेगा। जो गन्ना किसान हैं, उनको गन्ना बेचने की कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए किसान सबसे ज्यादा परेशान होगा। दूसरी बात यह है कि मिल के बंद होने से वहां के बहुत से आदमी बेकार हो गये हैं। तीसरी बात यह है कि उन मिलों के पास जो छोटे दुकानदार थे जो चाय, परचून और कपड़े का काम करते थे और उसके जरिये अपनी जीविका चलाते थे, उनकी जीविकोपार्जन का साधन खत्म हो गया है। इस तरह से तीन लोग प्रभावित हुए हैं किसान, मिल मजदूर और छोटे-छोटे व्यापारी। मान्यवर, सरकार ने इसी नियम 51 के अन्तर्गत जब बात उठी थी तो घोषणा किया था और पत्र लिख दिया था उनको कि मिल चलावें लेकिन मिलें नहीं चलायी।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने अखबारों में बयान जारी किया कि हम इन मिलों को गन्ना निधि से 18 लाख और 30 लाख रुपये का अनुदान देंगे। जबकि नियमों में यह प्रविधान है कि 10 प्रतिशत से ज्यादा जिन मिलों पर बकाया होगा उनको अधिग्रहीत कर दिया जायेगा। यह सरकार अपने को जन कल्याणकारी और समाजवादी समाज की स्थापना की बात करती है। सरकार कहती है कि घाटा नहीं उठायेंगे लेकिन यह सरकार यदि जन कल्याणकारी है तो जनहित में उसे इन मिलों को घाटा उठाकर भी चलाना चाहिए। इसलिये मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। इस पर आप चर्चा का समय अवश्य निर्धारित करें। हमने इसके पूरे तथ्य सदन के पटल पर रख दिये हैं। यह सरकार कहती है कि वह किसानों की और मजदूरों की हितैषी है लेकिन पूंजीपतियों से पैसा लेकर गरीब किसानों को जेल में बन्द करने की कोशिश करती है।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 16 अगस्त को इस सदन में माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने माननीय हर्षवर्धन जी के एक नियम 51 के सवाल पर कहा था कि उसका विलीनीकरण किया जायेगा लेकिन जब वह प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उनसे कहा गया आप कि बस्ती की इन शुगर फैक्ट्रीज को चलावें। (व्यवधान) इन मिलों के ऊपर किसानों का 22/23 लाख रुपया बकाया है। इसके लिये बस्ती रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने हम लोगों के ऊपर गोलियां और लाठियां चलाई। माननीय धनराज जी का सिर फट गया, माननीय माता प्रसाद जी, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह आदि लोगों को मारा गया। क्या यही प्रशासन है? यह सरकार रोज कहती है कि हम किसानों की रक्षा कर रहे हैं। मैं पूंछता हूं कि क्या यह सरकार प्रदीप नारायण की गुलाम है? क्यों नहीं उनको हथकड़ी लगाते हैं? आज जनता को उत्तेजित करने का काम यह सरकार कर रही है, क्योंकि यह सरकार प्रदीप नारायण की गुलाम है, बड़े-बड़े पूंजीपतियों की गुलाम है। मैं मांग करता हूं कि आप आज तत्काल सरकार को निर्देशित करें कि वह प्रदीप नारायण को तत्काल हथकड़ी लगाकर जेल भेज दें और अविलम्ब बस्ती की इन फैक्ट्रीज का अधिग्रहण करें और अपने हाथ में इन्हें ले। हमने शुगर फैक्ट्रीज को एक रात में अधिग्रहण कर लिया था। यह सरकार क्यों नहीं कर पाती है? इसलिये नहीं कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पाती है क्योंकि इनकी बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ है। इसलिये मान्यवर, आप इस प्रश्न पर अविलम्ब चर्चा करावें और सरकार इन मिलों का अधिग्रहण करे। . . . (व्यवधान)

*श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, आप सरकार को बस्ती की वाल्टरगंज और खलीलाबाद चीनी मिलों को चलाने के लिये निर्देशित करें। आज चार महीने हो गये हैं लेकिन यह सरकार पूंजीपतियों के आगे घुटना टेक चुकी है। जिसका परिणाम यह है कि वह चीनी मिलें नहीं चल रही हैं और इससे सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह भावना व्याप्त हो गई है कि जो यह सरकार घोषणा करती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का विकास किया जायेगा लेकिन आज वह उनके लिये कुछ नहीं कर रही है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों से इस सरकार की सांठ-गांठ है और जैपुरिया और कुलदीप नारायण आदि पूंजीपतियों के हाथ यह सरकार बिक गई है। . . . (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हर्ष वर्धन जी, कृपया बैठ जांय उन्होंने एक व्यवस्था का सवाल पूछा है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो आज आपने कार्यस्थगन के सम्बन्ध में नियमों का पालन करने की सूचना दी और आपने कहा कि आप केवल तीन सूचनाएं सुनेगें। मान्यवर, करण संख्या 15 में स्पष्ट लिखा है कि जो भी सूचना आप सुनेंगे वह दो-सौ शब्दों से अधिक नहीं होगी. . . . (व्यवधान) और जो माननीय सदस्य सूचना देने वाले हों वे उसे पढ़कर सुनायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

यह नियम 56 में नहीं है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह करण संख्या 17 और 18 में दिया हुआ है कि कार्यस्थगन की सूचना जो माननीय सदस्य सदन में पढ़कर सुनायेंगे। और करण 16 में लिखा हुआ है कि वह सूचना 200 शब्दों से ज्यादा न हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं नहीं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय सदस्य जो किताब-अप-टू-डेट हो उसे पढ़ा करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह यहां पर लागू नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, दोनों पता नहीं क्या कह रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं इसके मैरिट और डिमैरिट पर नहीं जाता। विषय उठाना चाहिये या नहीं आगे इस विषय पर चर्चा हो सकती है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर समय निर्धारित है, उसमें यह आ सकता है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

जो व्यवस्था का सवाल वह उठा रहे हैं उसे आप मान्यवर, स्वयं देख लें। आप बहुत पुराने सदस्य हैं, कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि नियम 56 में 200 शब्दों में लिखकर दिया जायेगा और उसे पढ़ा जायेगा। लिखकर दिया जाता है लेकिन ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है आप बैठें। वह क्लीयर है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ते–

एक मिनट सुन लें। माननीय सदस्य ने जिस करण का हवाला दिया है मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने वह करण बनाया था लेकिन उसके बाद उसका कार्यान्वयन स्वत: रोक दिया था। इसलिए वह नियमों के बारे में अप-टु-डेट जानकारी रखने की कृपा करें।

कु0 अलमेलु अम्माल–

उपाध्यक्ष जी, हमको भी इस पर बोलने का समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना नहीं है, नियम 56 पर आप क्या बोलेंगी?

कु0 अलमेलु अम्माल–

उसके विरोध में बोलूंगी। कार्यस्थगन का विरोध करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय चर्चा नहीं हो रही है, जब चर्चा हो तब आप बोलें। (श्री हर्षवर्धन के खड़े होने पर) अब आप समाप्त करें।

श्री हर्ष वर्धन–

खलीलाबाद चीनी मिल के मालिकों ने इस वर्ष किसानों का गन्ना लेकर फैक्ट्री में डलवा रखा है और करीब एक लाख क्विंटल गन्ना पड़ा हुआ है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। गन्ना किसान और मजदूरों का वहां निरन्तर शोषण हो रहा है। इसलिए आवश्यक है कि खलीलाबाद और आलमनगर की मिलों का अधिग्रहण किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या इस पर ही बहस करते रहेंगे, आगे भी बढ़ना है। इसको मैं सरकार को भेजता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इस पर चर्चा कराइये। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस मामले में बहुत जल्दी मत कीजिये। सारे माननीय सदस्य उपस्थित हैं यह वाल्टरगंज और खलीलाबाद की चीनी मिलों के सम्बन्ध में अभी माता प्रसाद पाण्डेय जी ने और कमाल साहब ने जो तथ्य सामने रखे उनसे हट कर मैं एक बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, सरकार कहती है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी कहते हैं कि हमने 18 लाख और 30 लाख रुपया मिलों को चलाने के लिए दे दिया है। मिलें चल रही हैं, इसलिए चर्चा होनी चाहिए जिससे पूरे तथ्य सामने आ जायं सरकार छिपा रही है और असत्य बयानबाजी हो रही है, इसलिये चर्चा होनी चाहिए।

मान्यवर, दूसरी बात 65 लाख रुपये खलीलाबाद और 21 लाख रुपये वाल्टरगंज की मिलों पर बाकी है, किसानों का पैसा। जानकारी है कि इस सरकार से 24 और 48 घंटों में रोजाना चीनी मिल मालिक चलाने की बात कर रहे हैं। मेरा खुला आरोप है कि चीनी मिल मालिकों से हेरा फेरी हो रही है और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिससे बस्ती जिला आंदोलित है। 7 जनवरी को सारे किसानों ने रेल रोकी। जिससे उन पर लाठी चलाई गयीं, गोलियां चलीं और इस सदन के माननीय सदस्य घायल भी हुए और तमाम लोगों को जेल भेजा गया है। इसलिये प्रार्थना है कि सारे तथ्य सामने तभी आ पायेंगे जब इस विषय पर दो घंटे की चर्चा हो और वक्तव्य से इसमें काम नहीं चलेगा।

मान्यवर, तीसरी मांग है कि किसानों के हित में, जबकि करोड़ों रुपये फिजूलखर्ची में सरकार फेंक रही है तो, 10-20 लाख रुपये यदि घाटा भी हो रहा है तब

भी बस्ती के किसानों के हित में सरकार को चीनी मिलों का अधिग्रहण करना चाहिए।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मुझे भी बोलने का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष–

बाद में मौका मिलेगा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि इन मिलों से बस्ती का जनजीवन जुड़ा है। स्वयं श्री सुखपाल पाण्डे और माननीय सदस्य ने कहा है कि सरकार बराबर इन दोनों मिलों को चलाने का प्रयास करती रही है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री ने घोषणा भी किया लेकिन आप सहमत हैं कि यह दोनों मिलें निजी चीनी मिलें हैं। इसलिए उनको किसी कानून के जरिए नहीं चला सकते क्योंकि उनको अधिग्रहण करने का एक तरीका है। अब स्थिति है कि वाल्टर गंज की दो करोड़ रुपये और खलीलाबाद की 2.8 करोड़ रुपये की देनदारी रह जाती है। सरकार ने जो दिया वह अलग और किसानों को जो दिया वह अलग, सूद में देना है वह अलग। इसलिये मिलों की जो हालत है उनको अधिग्रहण के बाद चलाने की कोशिश करें तो मरम्मत की अधिक आवश्यकता है और तब एक महीने तक हम उनको नहीं चला सकते हैं। इसलिये इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के बाद, इतना नुकसान उठाने के बाद भी किसानों और सरकार दोनों को कोई फायदा नहीं होगा।

अब वहां की जो मिलें नहीं चल पाती हैं और जो किसान उनसे सम्बद्ध हैं उनके लिये क्या रास्ता निकाला जाये, इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी ने कहा है और मैं भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसान जो गन्ने की आपूर्ति मिलों को करते हैं उसको दूसरी मिलों में डलवाने की जिम्मेदारी शासन की है।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मिलों को अधिग्रहण करने की सरकार घोषणा करे।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैं मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदस्यों की भावना को देखते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इस पर आप चर्चा करा दें।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

या तो यह उसके अधिग्रहण की घोषणा करें या हमें यहां से निकलवा दें, मैं ऐसे नहीं मानूंगा।

श्री उपाध्यक्ष –

आप नियमों का पालन करें कमाल साहब। यह बड़ा गम्भीर मामला है और आप इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। आप मंत्री जी को सुन लें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इस मामले को लेकर माननीय सदस्यों में बहुत उत्तेजना है। किसानों के करोड़ों रुपये का सवाल है जो पेराई नहीं हो पा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बता दिया है कि उसमें करोड़ों रुपया लगेगा, तब भी वह नहीं चल पायेगी। इसलिए यही अच्छा है कि आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री उपाध्यक्ष –

ठीक है एक घंटे की चर्चा इसके लिए मैं स्वीकार करता हूं। अब हमने जब चर्चा स्वीकार कर ली है तो आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब

आप बैठें, अब कहने की क्या बात है। चर्चा में आपको सब कहने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे –

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, आप मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष –

यह स्पष्टीकरण का समय नहीं है। जब समय आएगा तो यह स्पष्टीकरण देंगे।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे –

करमैनी में शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यह मिल जरूर चलेगी और मैंने चालू करने का निर्देश दे दिया है। तो जो मुख्यमंत्री जी ने चालू करने का निर्देश 2 फरवरी को करमैनी की सार्वजनिक सभा में कहा है क्या वह गलत है? उन्होंने स्पष्ट कहा था, अब या तो मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें या मिल चालू हो।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यहां एक प्रस्ताव करना चाहता हूं, क्योंकि आपने इधर की भावना को देखा और संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो ब्यौरा दिया उसमें साफ कह दिया कि पिछले वाले मुख्यमंत्री ने प्रयास कर लिया है और वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री ने भी प्रयास कर लिया है, किन्तु सफलता नहीं मिली। अब यदि अधिग्रहण करते हैं तो सरकार पर 4-5 करोड़ रुपये की लायबिलटी आ जाएगी। इस तरह से आप देखें, यह मामला बड़ा पेचीदा है। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन के नियमों को स्थगित करके आप इस पर चर्चा करा लें। आज सारे कार्यों को स्थगित करके इस पर चर्चा करा दी जाए। अब आपके सामने इस पर यह विकल्प है कि आप या तो वोटिंग करा दें और शासन पक्ष के लोग नहीं चाहते हैं तो वह पास कर दें कि चर्चा न हो। तो मैंने प्रस्ताव किया है कि नियमों को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाए।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

इस महत्वपूर्ण मामले पर हमारी पार्टी के लोग भी बोलना चाहते थे किन्तु आपने समय नहीं दिया। उस जिले के हमारी पार्टी के दो विधायक हैं। जिस तरह से वक्ताओं को इस पर बोलने का मौका दिया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा हुई है हमारी पार्टी के धनराज यादव बार-बार बोलने को खड़े हुए, किन्तु (व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर माननीय धनराज यादव की भी बात आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष –

मैं प्रयत्न करता हूं कि सबकी बात आ जाय, मैं पार्टी के हिसाब से नहीं सोचता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैं आपको आरोपित नहीं करता हूं, अन्यथा ऐसी बात न हुई होती। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, आप कृपा करके एक मिनट धनराज यादव की भी सुन लें।

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक प्रस्ताव हमारे माननीय साथी ने रखा है। उसकी ग्राह्यता के बारे में हम उसका विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं। इस पर कोई दूसरा न बोले, ऐसा कोई राइडर नहीं लगाया जा सकता है। माननीय धनराज यादव अपना मत इस पर व्यक्त कर सकते हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा

कि उनको सुन लें । हो सकता है कि वह कोई वैधानिक तथ्य आपको देना चाहते हों तो आप उनको अवश्य सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष –

प्रस्ताव तो उन्होंने रख दिया । संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी को सुन लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन शालीनता के साथ चले । जो विशेष बिन्दु हैं उनकी तरफ वह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । मान्यवर, अगर इस तरह से उपेक्षा होगी तो स्वाभाविक है कि सदन में उत्तेजना होगी और उसका परिणाम होगा कि सदन का अकारण समय नष्ट होगा ।

श्री उपाध्यक्ष –

बैठिये संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ।

*श्री धनराज यादव –

मान्यवर, यह बहुत अहम मसला है। गन्ना मिलें नहीं चल रही हैं । पचासों हजार किसान परेशान हैं । पुलिस की लाठियों से मुझे तथा माता प्रसाद पाण्डेय जी को भी पीटा गया है और सैकड़ों किसानों को घरों से निकाल कर बर्बरता से पुलिस ने पीटा है । मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । यह बहुत अहम मसला है । इसी समय सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाय । यह सरकार निकम्मी साबित हो चुकी है। सरकार मिलों को नहीं चलाती है, यह किसानों के दाम को नहीं दिलवाती, इसलिए सारे कार्य को स्थगित करके इस पर चर्चा करवाइये । मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि इस पर चर्चा हो ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी हमारे सम्मानित सदस्य रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने एक प्रस्ताव रखा । मैं तिवारी जी का बहुत सम्मान करता हूं । वह वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों के ज्ञाता हैं । आपकी पीठ से इस पर निर्णय हो गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपने कहा कि 1 घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार की जाती है । तो यह निर्णय हो जाने के बाद तिवारी जी जैसे वरिष्ठ सदस्य दोबारा प्रस्ताव लायें कि नियमों को निलंबित किया जाय और चर्चा कराई जाय । क्या यह उचित है ? दूसरा प्रश्न ग्राह्यता का है । अगर आप इसको ग्राह्य मानते तो आगे की प्रक्रिया शुरू होती, आपने खुद अग्राह्य किया है और चर्चा के लिए स्वीकार किया है तो इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, आपने एक घंटे की चर्चा स्वीकार की है । लेकिन समय निश्चित उसमें नहीं था । तिवारी जी का प्रस्ताव इससे जुड़ा है । आपने स्थगन प्रस्ताव पर यह व्यवस्था दी है कि चर्चा के लिये स्वीकार करता हूं । तिवारी जी का प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव से जुड़ा हुआ है । आपकी व्यवस्था मानते हुए, अभी इसी समय एक घंटे की चर्चा करा ली जाय, यह प्रस्ताव है ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, ग्राह्यता की बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कही । मान्यवर, आपकी रूलिंग से स्पष्ट है, आपने इसकी अहमियत को, अविलंबनीय लोक महत्व को समझा और एक घंटे की चर्चा का निर्देश दिया । मेरा इसी पृष्ठभूमि में, परिप्रेक्ष्य में केवल इतना अनुरोध है और आपके माध्यम से सत्तारूढ़ दल से अनुरोध है कि इसके महत्व को समझते हुये अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगित करके अभी चर्चा करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

ऐसा है कि इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर मैंने सबको सुना । संसदीय कार्य मंत्री को सुना । उसके बाद इसकी गंभीरता समझते हुये मैंने इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली । उसके बाद यह प्रश्न पैदा नहीं होता कि नियम 56 में काम रोको प्रस्ताव लाया जाय और उसकी आज्ञा दी जा सके, वह संभव नहीं है । इसलिये मैं जो आपत्ति तिवारी जी ने उठायी है उसको निरस्त करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

विद डैमेजेज । (हंसी)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

इस पर चर्चा कब होगी ?

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा का समय कार्य मंत्रणा तय करेगी। लेकिन श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ साहब सब चीजें यहीं पर तय करेंगे । कार्यमंत्रणा में जब जायेगा तब वहां सारी चीजें तय हो जायेंगी ।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अगले जो नियम 56 के प्रश्न हैं, उन सभी को सुन लें और फिर निर्णय बाद में दें ताकि हाउस व्यवस्थित रूप से चल सके।

*श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आज एक ऐसी दर्दनाक घटना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो इस जनतांत्रिक देश के लिए और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है । मान्यवर, 10 जनवरी, 1986 को श्री चन्द्रदेव पासवान जो अपनी 22 वर्षीय पत्नी लीलावती के साथ तूफान एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली से पटना जा रहा था । फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर प्रसव पीड़ा के कारण श्रीमती लीलावती अपने पति के साथ फतेहपुर स्टेशन पर उतर पड़ीं । श्री पासवान ने प्लेटफार्म पर तैनात जी0 आर0 पी0 के दो सिपाहियों से सहायता मांगी । सिपाहियों ने चन्द्रदेव से कहा कि मैं इसके उपचार की व्यवस्था करता हूं कि तुम अपना सामान गाड़ी से ले आओ । सिपाहियों के इस आश्वासन को सुनकर चन्द्रदेव अपने डिब्बे में गया सामान लेने के लिए परन्तु गाड़ी वहां से छूट गयी । तब चन्द्रदेव अपना सामान लेकर अगले स्टेशन खागा पर उतरा और फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर जब आया तब उसने अपनी पत्नी को वहां न देखकर स्टेशन मास्टर से प्रार्थना की, क्योंकि वह खुद रेलवे का कर्मचारी था, कि मैं अपनी पत्नी श्रीमती लीलावती को प्रसव पीड़ा से ग्रसित यहां पर दो सिपाहियों की देख-रेख में छोड़ गया था, परन्तु अब इस समय वह यहां मौजूद नहीं है । जब उसने और छान-बीन की तो उसे गुमराह किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप केवल उसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर ही कह रहा हूं और वह मान्यवर, इधर-उधर अपनी पत्नी को ढूंढता रहा । बहुत खोजने पर उसे रेलवे लाईन के किनारे अपनी पत्नी का शव मिला और उससे कुछ कदम आगे नवजात शिशु का भी शव प्राप्त हुआ । मान्यवर, उन सिपाहियों ने प्रसव पीड़ा से परेशान लीलावती को उपचार के बहाने ले जाकर बलात्कार किया और उसकी तथा उसके नवजात शिशु की हत्या कर रेलवे लाईन के किनारे फेंक दिया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

आप केवल इसकी ग्राह्यता पर ही बोलिये । आप सारी घटना को मत दोहराईये ।

श्री कमलेश कुमार पाठक–

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । मान्यवर, जब इस वीभत्स घटना की जानकारी जी0 आर0 पी0 को दी गयी तो कोई कार्यवाही नहीं हुयी । तब से इस मामले को लेकर वहां की जनता बहुत उत्तेजित हो गयी और मामले के न्याय की मांग को लेकर जब जनता जिला प्रशासन के पास गयी तो पुलिस वालों ने बड़ी बर्बरता से उन पर लाठी चार्ज किया और इस घटना पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ आया है कि इस महिला के साथ बलात्कार किया गया और हत्या हुई है । तो मान्यवर, इस घटना को लेकर फतेहपुर में काफी रोष व्याप्त है और मान्यवर, इस महत्वपूर्ण घटना के आगे और कोई और घटना महत्व-पूर्ण नहीं हो सकती है । इसलिए इस पर सदन की कार्यवाही रोकर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं इस बात से अलग हटकर एक बात कहना चाहता हूं कि रोजाना सदन में पुलिस बर्बरता की कहानी दोहराई जा रही है क्योंकि इस प्रदेश की पुलिस अब नियंत्रण में नहीं रही और यहां की पुलिस कानून की अवहेलना करते हुए कानून से ऊपर उठकर हमारे प्रदेश पर ऐसा छा गयी है, जैसे मौत के बादल सर पर छा गये हैं। तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का दायित्व है जनजीवन की रक्षा करना, पुलिस जनजीवन की रक्षा छोड़कर आज वह रक्षक के स्थान पर भक्षक बन गयी है । वही घटना 10 तारीख को फतेहपुर स्टेशन पर उसी प्रकार से, उसी क्रम में घटी कि पुलिस ने एक महिला यात्री श्रीमती लीलावती जो प्रसव वेदना से कराह रही थी, जी0 आर0 पी0 के पुलिस जवानों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके गुप्तांग को काट कर फेंक दिया और उसके नवजात शिशु की हत्या कर दी । उसका पति जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने पर गया, तो चूंकि मुकदमा पुलिस के खिलाफ था, इसलिए उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, यह अपने आप में महत्वपूर्ण मसला है कि पुलिस के खिलाफ वह मामला था, इसलिए उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी ।

मान्यवर, कानून के सामने सभी बराबर हैं, जब जनता ने मांग की कि इसकी रिपोर्ट लिखी जाय, तो वहां के उप पुलिस अधीक्षक ने शान्त लोगों पर गोली चला दी और पुलिस ने अपने बचाव में अपनी जीप में आग लगा दी और झूठे लोगों का नाम देकर, आज एक हड़कम्प पैदा कर दिया है । कानून में अपराध करने के बाद भी पुलिस कर्मी ने झूठे आधार पर पैसा वसूल करने का काम और जनजीवन में भय और आतंक की स्थिति पैदा करने का काम शुरू कर दिया है । मान्यवर, जो पुलिस ने यह घृणित काम किया है, यह एक गम्भीर मामला है । पुलिस जनजीवन की रक्षा के स्थान पर उसका भक्षण कर रही है और रक्षक के स्थान पर भक्षक हो गयी है । कानून में न्याय पालिका और विधायिका कानून के तहत ही कार्य करती है । लेकिन पुलिस कानून को बलाये ताख रख कर इन सब से ऊपर बैठकर अनियंत्रित हो गयी है और कानून का उप-हास कर रही है । पुलिस के सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

शासन और यह सदन पंगु बना हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री और वर्तमान शासन पंगु बन गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह गम्भीर मसला है, इसलिए इस पर दो घंटे की चर्चा का समय दें और सरकार को निर्देशित करें कि पुलिस इस प्रकार के घृणित कार्य न करें। उसे भी कानून की बराबरी की परिधि में रखा जाय। पुलिस को नियंत्रित करने का सदन का आदेश हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मसले पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार करें।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के, रेलों में चोरी किये गये। यह घटना नई नहीं है, यह प्रत्येक वर्ष इम्तहान के पूर्व इस तरह के समाचार प्रकाशित होते हैं। यह घटना आकस्मिक नहीं है। इस तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद् के प्रशासनिक अधिकारी इस सारी घटना से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में सस्ते साहित्य और प्रचार किस तरह से बढ़ रहे हैं। सस्ते गेस पेपर, निश्चित परीक्षा के उत्तर किस प्रकार से छपेंगे, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों से इसका संबंध रहता है। फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट की परीक्षा होने जा रही है। आज जब प्रश्नपत्र आउट होंगे, तब दूसरे प्रश्नपत्र छपेंगे, कैसे नये प्रश्नपत्र आ सकेंगे, यह गम्भीर बात है? मान्यवर, पिछले वर्षों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् का स्तर निरंतर गिरता रहा है। यह चिन्ता का विषय रहा। लेकिन यह बहरी और गूंगी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और खिलवाड़ कर रही है। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न प्रदेश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है। आज यह अहम समस्या बन गयी है कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं कैसे सम्पन्न हो सकेंगी? अगले वर्ष के अगले सत्र में कैसे परीक्षार्थी प्रवेश पा सकेंगे? किस समय नतीजे निकाले जा सकेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में बैठने वाले लोगों को यह मौका उपलब्ध नहीं हो सकेगा। लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसमें जांच हो और जो दोषी व्यक्ति पाये जाएं उनके विरुद्ध कड़ाई से कार्यवाही की जाए। इसकी जांच गोपनीय या सी0आई0डी0 द्वारा, वैसे अब सी0आई0डी0 की जांच में भी उतना विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए इसकी जांच विजिलेन्स द्वारा कराई जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बिन्दु उठाए गये हैं उसमें वर्मा जी ने भी एक बिन्दु उठाया है। मैं इस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं फतेहपुर की घटना के बारे में कहना चाहूंगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह बहुत दर्दनाक घटना है। विशेष रूप से जब जी0आर0पी0 का सिपाही इसमें सम्मिलित हो तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। दोनों कर्मियों को, जो पुलिस में थे उनको भी, गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से अगर कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानकारी दी जाएगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार पीछे नहीं हटेगी ।

जहां तक बाजपेयी जी का सवाल है, उन्होंने जो प्रश्न-पत्रों के बारे में बताया, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि इस बार 5 लाख 20 हजार 679 बैठने वाले परीक्षार्थी हैं । इसमें जो पर्चे आउट कराने की बात कही गई इसमें ऐसा नहीं है। जिस रेलगाड़ी में पर्चे की पेटियां रखी थीं, उन पेटियों को देखकर किसी ने समझा कि कुछ रखा है और पेटियां चोरी हो गईं जब पेटियों को खोलकर देखा तो उसमें कागज रखे थे, उसके बाद इन पर्चों को नहर में फेंक दिया गया । इसकी जांच कराई जा रही है, यह सामान्य चोरी का मामला था । 11 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है । उससे पहले पर्चे तैयार करने की सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली जायेंगी। विद्यार्थियों के भविष्य का जो प्रश्न है, उसमें सरकार पूरी तरह सजग है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

फतेहपुर की घटना के बारे में कहा गया कि उनके खिलाफ कार्यवाही हो गई जेल भेज दिया गया । मैं जानना चाहता हूं आपने उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्या की है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह विभागीय कार्यवाही की बात कर रहे हैं, तो जो भी मुकदमा होगा, बर्खास्त स्वयं हो जाएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, ऐसी घटना आज तक किसी भी इतिहास में नहीं हुई है। ऐसी घटना गुण्डों के द्वारा हो सकती है, डकैतों के द्वारा हो सकती है, पुलिस के द्वारा ऐसी घटना होगी बहुत शर्म की बात है। फिर आपकी सरकार तो जुल्म के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कहती है, तो आपने अभी तक विभागीय कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, यह विभागीय कार्यवाही की मांग कर रहे हैं । अगर इसमें विभागीय कार्यवाही हो जाती है तो इसमें अदालत का परिणाम क्या होगा ? आप संविधान के अनुच्छेद-20 का अध्ययन कर लें, यदि पहले विभागीय कार्यवाही हो जाएगी, तो मुश्किल आ जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन दोनों को निलम्बित कर दिया गया गया है । आगे की कार्यवाही तो होगी ही।

अब जो सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल ने मेरठ में लाठी चार्ज के बारे में दी है, उसकी ग्राह्यता पर थोड़ा सा कह दें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, 11 फरवरी को मेरठ में उत्तर प्रदेश की बहादुर पुलिस ने अपनी बर्बरता के काले इतिहास में एक नया पन्ना और जोड़ा । शान्तिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठी हुई महिलाओं पर पुलिस ने बर्बर लाठी चार्ज किया। 18 महिलाएं घायल हो गईं। उस धरने का कारण यह था कि एक दो पैर से चलने वाला मनुष्य, चार पैर से चलने वाले पशु की पशुता की सीमा को भी पार कर गया था और उस नराधम ने एक तीन साल की मासूम, अबोध और भोली बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने वाले उस अपराधी को पुलिस पकड़ती, सजा देती, बजाय इसके पुलिस ने उसको संरक्षण दिया। इसके विरोध में महिलायें धरना पर बैठीं थीं। लेकिन बिना दण्डाधिकारी के आदेश के पुलिस ने

शांत महिलाओं पर लाठी चार्ज किया, और जनता के आ जाने पर उनको शास्त्री नगर से नेजगढ़ी मार्केट तक लाठी चार्ज करके खदेड़ा। आज भी मेरठ की जनता में आतंक व्याप्त है रास्ता जाम किया गया है। मान्यवर, यह काण्ड मानवता के नाम पर कलंक है। एक ऐसा अपराध है जिस पर मृत्युदंड तक की सजायें दी गई हैं। मान्यवर, यह बहुत ही अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व का प्रश्न है। मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर एक घंटे की चर्चा करा दें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें 3 साल या 4 साल की अबोध बालिका के साथ.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इस पीठ पर बैठे अध्यक्षों का यह निर्देश है कि कार्यस्थगन का जो विषय सदन में आयेगा, उसका उत्तर सम्बन्धित मंत्री देगा। ऐसे भी मौके आये हैं, जब गृह राज्य मंत्री, मुख्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री और शिक्षा मंत्री को सदन में बुलवाया गया और तब तक के लिये सदन को स्थगित किया गया। 10 बजे हम लोग सूचना देते हैं, उसकी सूचना सम्बन्धित मंत्री को दी जाती है, ताकि वह तैयार हो कर आयें और जानकारी दें। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, शिक्षा का भी जवाब दे रहे हैं, गृह राज्य मंत्री बैठे हैं, लेकिन मेरठ के मामले पर स्वयं बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। तकनीकी दृष्टि से यह बात नहीं हो सकती है, सब बातों पर संसदीय कार्यमंत्री बोल सकते हैं। लेकिन हम सब की भावना के अनुसार और संसदीय परम्पराओं के हिसाब से सम्बन्धित मंत्री को आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्त ग्राह्यता पर बोल रहे हैं, किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री सक्षम हैं, इसके लिये।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जिस प्रकार की घटना मेरठ में हुई है, उससे जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। चम्पारन का रहने वाला वह व्यक्ति था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में दिया था, उसके बारे में सुन लें..

*श्री मुहम्मद आजम खां–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। बाबरी मस्जिद के बारे में 10 तारीख को नियम 56 में मैंने नोटिस दी थी उस दिन गम्भीर मामले आ गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन क्योंकि रास्ता रोको आन्दोलन के सम्बन्ध में काफी हंगामा हुआ और सदन अव्यवस्थित रहा इसलिये उस दिन मा0 अध्यक्ष ने कहा कि चूंकि आज समय नहीं है, अतः इसे 13 तारीख को पहले नम्बर पर लिया जायगा। खेद है कि इतना संगीन मामला है और आप कोई बात नहीं सुनना चाहते। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे वातावरण खराब हो। यह सही है कि मामला अदालत में है। अदालत के मामले पर यहां पर बहस नहीं होनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये । लेकिन मैंने मुरादाबाद में और मेरठ में हुए दंगों के पहले ही सदन में उसके बारे में कहा था, इसलिये कि सरकार कोई कार्यवाही कर ले लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी । मैं यह समझता हूं कि आज भी जानबूझ कर इस मामले को नहीं सुना जा रहा है । इससे पूरे देश में साम्प्रदायिक माहौल बनता जा रहा है ।

(व्यवधान)

आप इसके लिये कोई तारीख निर्धारित करें । मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मान्यवर, आपके रहते हुए, मान्यवर, आप वही कहेंगे जो सरकार चाहेगी . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी कोई व्यवस्था नहीं है । मैंने आपकी बात सुन ली।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। आज प्रदेश के 10 जिलों में आम हड़ताल है। यह प्रदेश की सबसे बड़ी अकलियत का सवाल है। यह प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे कराने का मंसूबा है। इसमें अनेक बेगुनाहों की जानें जाएंगी। (कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सब एक साथ खड़े होकर बोलेंगे तो कैसे काम होगा? यह हाउस अपनी बात कहने के लिये और दूसरे की बात सुनने के लिये है । आप सब लोग बैठ जायें । सब लोग नियमों का पालन करेंगे तभी हाउस चल सकेगा।

श्री मुहम्मद आजम खां–

आपको भी नियमों का पालन करना पड़ेगा ।

(घोर व्यवधान)

(2 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

इस सदन में सभी माननीय सदस्यों का बराबर का हक है आप बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, आप तारीख तो निश्चित कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन किन्हीं मर्यादाओं के तहत बना है और इसके लिये मुल्क के तमाम लोगों को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ीं। जो हमारे बुजुर्ग अपना मार्गदर्शन छोड़ गये हैं, उन्हें नये लोग सीख रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेकर इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कौम, किसी मजहब के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, ऐसी बात नहीं है, पूरे समाज और पूरे सदन की हमारी जिम्मेदारी है। चाहे वह हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिक्ख हो, इसाई हो–हमारी सबके प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है। यह जो बाबरी मस्जिद का मसला है और मंदिर का मसला है–यह मसला इस वक्त कोर्ट में है । हमारी सबकी यह भावना होनी चाहिये कि आपसी सद्भाव बना रहे । हमें यहां किसी मजहब या धर्म के नाम पर कोई ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिये, जिससे बाहर समाज में कहीं कोई तनाव हो । यह गंभीर मसला है राम जन्म भूमि और मस्जिद का, यह अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कोर्ट के फैसले के संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। आप हमें सुन लें, हो सकता है कि सदन के माध्यम से इस संबंध में कुछ सुझाव आ जायें और किसी प्रकार से किसी धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचे।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी बात सुन लें, अगर इस माननीय सदन में इस विषय में थोड़ी सी भी चर्चा होती है, तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश में पड़े बिना नहीं रह सकता है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप एक दूसरे को सहयोग करें। कोई ऐसी बात यहां नहीं होनी चाहिये जिससे सद्भावना को कोई खतरा पैदा हो।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

(श्री फसीउर्रहमान, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि आप इस पर चर्चा न करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, अगर इस माननीय सदन में इस गंभीर मसले पर अगर थोड़ी सी भी चर्चा हो गयी, तो इससे सद्भावना को खतरा पैदा हो सकता है। आप इसको स्वीकार न करें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है।

(श्री मुहम्मद आजम खां, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री शफीकुर्रहमान बर्क तथा श्री फसीउर्रहमान सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, 10 तारीख को माननीय अध्यक्ष ने, जब सदन एडजरमेंट के बाद बैठा, यह कहा था कि इस सूचना के संबंध में कल सुन लिया जायेगा। उन्होंने मेरा नाम भी लिया था। फिर यह हुआ था कि अगले दिन कुछ दुश्वारी है, इसलिए इस पर 13 तारीख को सुन लेंगे। यह आपके यहां रिकार्ड में भी अंकित है। मान्यवर, यह कोई चौपाल नहीं है। मान्यवर, यहां प्रदेश के चुने हुए लोग आते हैं और उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी समस्याओं पर बहुत गंभीरता के साथ बहस करें जिससे पूरे प्रदेश का वातावरण बेहतर हो।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत इस सरकार ने एक कुचक्र चलाया है।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री फजलुल बारी जी, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं अपनी व्यवस्था इस पर दे चुका हूं इसलिए आप इस पर ज्यादा न कहें। यह कोई सरकारी और गैर सरकारी प्रश्न नहीं है यह पूरे समाज और पूरे प्रदेश का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम यहां सदन के अन्तर्गत सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं किसी एक समुदाय का नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं आपका अभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जिस विषय पर काम रोको प्रस्ताव ला रहा हूं, वह फैजाबाद के गुमनामी बाबा की मृत्यु के बारे में है। यह गुमनामी बाबा कौन है? और वह कहां के रहने वाले थे और उनकी कौफियत क्या है? उसके बारे में केवल यह आदरणीय सदन ही नहीं, प्रदेश की 12 करोड़ जनता ही नहीं, पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा विश्व जानना चाहता है कि गुमनामी बाबा कौन थे? लेकिन यह सरकार उस पर लगातार परदा डालने की नापाक कोशिश कर रही है। मैं यह नहीं कहता कि वह सुभाष चन्द्र बोस ही थे।

(श्री फजलुलबारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

मैं यह भी विश्वास नहीं कर सकता कि वह सुभाष चन्द्र बोस नहीं थे। वहां से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें से बहुत सामान ऐसा है जो नेता जी के टेस्ट और टेम्प्रामेंट से संबंधित है। बरामद हुए सामान की इनवेन्टरी बनी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता और विश्व का जनमानस चाहता है कि इसे उजागर किया जाए। नेता जी की जो बायोग्राफी है, उसमें लिखा है कि उन्हें करेन्सी रखने की आदत थी। वहां पर करेन्सी पाई गई है। आज इस सरकार ने एक संदेहात्मक स्थिति पैदा कर दी है। सरकार इसे बताने में सक्षम नहीं है। जबकि सरकार का यह फर्ज है कि हमारे देश में कौन है? उसकी कौफियत क्या है? और उसकी वल्दियत क्या है? और वह कहां से आया है? इस सबकी जानकारी सरकार के पास होनी चाहिए। सुभाष जी के मरने के बाद जो कमीशन बना था, उसने जांच करने के बाद पूरे विश्व के नेताओं को सम्मन ईश्यू किया था, उस सम्मन की एक प्रति इनको भी मिली है।

इसलिए मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहता हूं पूरे देश की जनता इस आदरणीय सदन से जानना चाहती है कि वह गुमनामी बाबा कौन थे? वहां से दो ट्रक सामान उनका मिला है लेकिन यह सरकार उसे पब्लिश नहीं कर रही है। वहां किसी को जाने तक नहीं दिया जा रहा है। जानबूझकर नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तित्व पर यह सरकार लगातार हमला करती आ रही है। उस पर परदा डालने की साजिश की जा रही है। आप सरकार को निर्देश दें कि तत्काल सरकार इस पर बहस चलाये और या फिर इस पर 2 घण्टे की चर्चा करवायें। यह कोई मेरा सवाल नहीं है, यह उस व्यक्ति का प्रकरण है जिसने सारे देश को एक नई रोशनी दी है। सुभाष चन्द्र बोस जी के नाम पर जो मिस्ट्री बनी हुई है, उसे उजागर करने में आप इस पर 2 घण्टे की चर्चा करवायें।

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी को पुकारने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जाइए। मैंने श्री द्विवेदी को बुला लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

हम जानते हैं कि प्रदेश के किसान की स्थिति यदि जर्जर हुई तो प्रदेश की व्यवस्था जर्जर हो जायगी। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में आज आलू पर झुलसा रोग का प्रकोप हुआ है। मैं आरोप लगाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जानबूझकर किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है। जहां पंजाब की सरकार ने आलू की फसल बचाने के लिये हैलीकाप्टर से छिड़काव कराया है और रोकथाम की है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी को आलू के छिड़काव में काम आने वाली दवाओं पर मिलने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। फर्रुखाबाद में सर्वोत्तम आलू होता है, लेकिन किसानों की दशा, आलू में झुलसा रोग लगा होने के कारण, खराब हो गयी है, उत्पादन 50 प्रतिशत गिर गया है, फसल चौपट हो रही है। आलू खोदने के तीसरे चौथे दिन ही वह पानी देने लगता है। शीतगृहों के मालिक आलू का भण्डारण नहीं कर रहे हैं, खरीदार खरीद नहीं रहा है, मण्डी में आलू सड़ने लगता है। व्यापारियों का 25–25 और 30–30 लाख रु0 का आलू सड़ चुका है। जब मा0 कृषि मंत्री जी वहां गये थे तो लोग उनसे मिले थे और उन्होंने अपनी मांगें रखी थीं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

अगर किसान की स्थिति बिगड़ी तो प्रदेश की स्थिति खराब हो जायगी। यह एक अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। मेरी मांग है कि सदन की बाकी कार्यवाही स्थगित करा कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(श्री मित्रसेन के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना तो सम्भवतः राम जन्म भूमि के सम्बन्ध में है। मैंने इस विषय पर बोलने की इजाजत नहीं दी है। अतः आप बैठें। आप गृह मंत्री से मिल लीजिये, यहां इस विषय को मत उठाइये!

(श्री मित्रसेन द्वारा लगातार बोलने के लिये आग्रह करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं, मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, बलिया जनपद में हरिजनों का उत्पीड़न हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले आप मेरा निवेदन सुन लें। बस्ती में गन्ना मिलों के बन्द होने सम्बन्धी सूचना के विषय को चर्चा के लिये स्वीकार किया गया है। माननीय शतरुद्र प्रकाश और कमलेश कुमार पाठक की सूचना के विषय को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। तीसरी सूचना मा0 ब्रह्म दत्त द्विवेदी की है उत्तर प्रदेश में आलू की फसल में झुलसा रोग के सम्बन्ध में। इस विषय को केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है। कार्यस्थगन की सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है।

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शारदानन्द अंचल–

बलिया जनपद में नरसंहार जो हरिजनों का हो रहा है उसके लिये मैं दो घण्टे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री मुईद अहमद–

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है.....

(श्री शारदानन्द अंचल द्वारा बिना आज्ञा के बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अंचल जी, मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। यह जो आप बोल रहे हैं कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। चाहे हरिजनों की हत्या हो या किसी की हत्या हो।

श्री मित्रसेन–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग बैठिये।

श्री शारदानन्द अंचल–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, देखिये ये लोग शोर मचा रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

(श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री मूल चन्द सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शिवानन्द नौटियाल–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

पौने तीन बजने को हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर एक घण्टे भी चर्चा नहीं हो पायेगी।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

38 सालों से यह कांग्रेस की हुकूमत चल रही है लेकिन नेता सुभाष चन्द्र बोस का इन्होंने पता न लगाने दिया और जब आज काम रोको के अंतर्गत यह विषय आया है तो उस पर भी पर्दा डालना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको अभी कांग्रेस की आलोचना करने के और भी बहुत से मौके मिलेंगे। इस समय कृपया आप शान्त रहें। अब इनकी कोई बात कार्यवाही में लिखी नहीं जायेगी।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, कांग्रेस के शासन में...

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। क्या आप ऐसे ही सदन को चलायेंगे?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मुझे आप दो मिनट बोल लेने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

---

†दिनांक 12 फरवरी, 1986 की कार्यवाही से।

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं श्री जनार्दन प्रसाद आभा जी के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद आभा, श्री सूर्य प्रताप शाही अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, 3, 4 दिन से चर्चा चल रही है। नेता विरोधी दल ने कहा, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप सुनें तो पहले।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह कैसे चलेगा? अगर उधर के लोग शोर मचायेंगे, तो यह कैसे होगा? बुजुर्ग नेता हैं और वह नियमों का उल्लघंन कर रहे हैं, तो यह कैसे होगा?

श्री राम सरन–

मान्यवर, मेरा तो एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

श्री मुईद अहमद–

जब तक मैं बैठ न जाऊं, यह कैसे बोल सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य का भाषण शुरू हो गया है और वह बोल रहे हैं। जब वह बोल लें तब आप बोलें। वह बैठ नहीं रहे हैं।

श्री राम सरन–

मैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 56 में 17-20 सूचनाएं थीं, उनमें से कुछ को आपने ले लिया और कुछ रह गयीं। जो रह गयी हैं क्या वह पेंडिंग हैं? और उनको क्या कल लिया जायेगा? और या फिर उनको लिखकर देना होगा, बस, यही कहना था।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सभी को खारिज कर दिया है। पेंडिंग कुछ नहीं है।

श्री मुईद अहमद–

तो मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, उसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल और लोक दल के नेता श्री मुलायम सिंह यादव का जो विचार आया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

(श्री मित्रसेन के खड़े रहने पर) आप क्यों खड़े हैं? मैंने दूसरा आइटम ले लिया है। आप बैठ जायें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, वह यहां पर नहीं हैं, चले गये हैं क्योंकि उनके कारनामों का पर्दा-फाश होगा। मैं उसको सुनाना चाहता हूं।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए)

मान्यवर, उधर से ही यह बात आयी थी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जो है उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के विचार आये। मान्यवर, मैं एक बुलेटिन आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें स्वयं माननीय लोक दल के नेता और नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह ने कहा कि रास्ता रोको अभियान कुछ प्रदेशों में सफल रहा है और उसको लाठी डन्डों से दबाया गया है। इसी बुलेटिन में चौधरी चरण सिंह जिन्दाबाद का नारा लिखा है। इसी बुलेटिन में यह स्वीकार किया गया है कि केवल 4 जगह पर उनका अभियान सफल हुआ है। पूरे प्रदेश में 4 जगह पर रास्ता रोको अभियान सफल हुआ है और कहीं पर सफल नहीं हुआ है। उनके महामंत्री ने 8 फरवरी के पत्र में लिखा है कि 28 जनवरी का रास्ता जाम आन्दोलन केवल चार जगह पर सफल हुआ है और बाकी जगहों पर असफल हुआ है। माननीय नेता विरोधी दल ने ला

एन्ड आर्डर की बात की और कहा कि प्रदेश का ला एन्ड आर्डर बिगड़ता जा रहा है, कानून और व्यवस्था नाम की चीज सरकार के सामने नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, हमारे पास नेता विरोधी दल के पत्र हैं, सबूत हैं। मैं जो कुछ कहूंगा वह बिना सबूत कुछ नहीं कहूंगा। एक हैं चिट्टन पहलवान जो गोरखपुर के हैं, वह हार्डकोर्ड क्रिमिनल हैं और उनको पैरोल पर छुड़ाने के लिये उन्होंने पत्र लिखा है और उस पर 5 (पांच) हजार रुपया उनसे मांगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं खड़ा हूं, आप कृपा कर बैठ जायें। वह किसी चीज से उद्धरण दे रहे हैं। आप उसे पढ़ने के पहले मेरे पास भेज दें।

(पत्र श्री अधिष्ठाता के पास भेजा गया)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इतना ही नहीं, यह 30-35 पैरोल की दरख्वास्तों को भेज चुके हैं इन पर उनका लिखा हुआ है। यह सारे केसेज धारा 302 के हैं। यह मुलजिम गोरखपुर, मथुरा, इटावा, वाराणसी, आजमगढ़, मैनपुरी के हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश भर के 302 के जो हार्डकोर्ड क्रिमिनल हैं, जिनकी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, उनको छुड़ाने का प्रयास करते हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैनपुरी के, ऐसा लगता है कि प्रदेश भर के जितने 302 के हार्डकोर्ड क्रिमिनल हैं जिनकी अपराधिक प्रवृत्तियां हैं उनको छुड़ाने के लिए यह पैरोल है। इस पैरोल के प्रार्थना पत्र यह चिट्ठी लिखी गयी है मुख्यमंत्री को। और इस तरह से मान्यवर, जब प्रदेश के सारे क्रिमिनलों को नेता विरोधी दल, लोक दल के नेता खुद छुड़वायेंगे तो यह ला एण्ड आर्डर कैसे मेनटेन रहेगा। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि क्या उन्होंने प्रदेश भर के सारे क्रिमिनलों को छुड़ाने का ठेका ले रखा है और मैं यह भी बता रहा हूं मान्यवर, कि 302 के सारे क्रिमिनल हैं, उनसे चन्दा भी लिया गया है और स्वयं ला एण्ड आर्डर की बात करेंगे।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इनके प्रधान मंत्री भी आदिल को अमेरिका से छुड़वा कर लाये थे।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, यह आरोप है कि इस प्रदेश में दो ढाई सौ क्रिमिनलों को पैरोल पर छुड़वाया गया।

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, आपकी अनुमति से आपके संज्ञान में एक प्रश्न लाना चाहता हूं, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें। विधान सभा में 9 तारीख को नियम 56 में एक सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जाइये। व्यवस्था का प्रश्न प्रासंगिक विषय पर ही उठा सकते हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, आप मुझे समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। मुईद जी, आप भी एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, अभी तो 2 ही मिनट हुए हैं, आप स्वयं व्यवस्था दे रहे थे। मान्यवर, एक मैगजीन भू-भारती का उदाहरण देना चाहता हूं आपकी इजाजत से. . . . . .

श्री अधिष्ठाता–

एक वाक्य भी आप नहीं पढ़ेंगे। आप केवल उसका भावार्थ बताना चाहें तो बता

सकते हैं। अगर उसको पढ़ना है तो उसे पहले मेरे पास भेज दें। . . . . (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, इस मैगजीन में यह है कि जब ये सहकारिता मंत्री थे तो इनकी समलैंगिक प्रवृत्तियां थीं। इसकी किताब उस समय छप चुकी है। यह इस फरवरी मास के भू-भारती में छपी है। तो मान्यवर, जिसका आचरण इस तरह से होगा और जो प्रदेश के लोग उनको नेता समझकर इस तरह का वे आचरण करेंगे तो फिर यह प्रदेश कैसे चल सकता है ? आप स्वयं तीन दिन से देख रहे हैं। आपने बोलने का अवसर नहीं दिया। मेरे पास बहुत से मसाले थे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपया बैठ जायं।

श्री मुईद अहमद–

जो काम आज प्रदेश में विकास का हो रहा है उसमें ये रोड़ा अटका रहे हैं बाधा डाल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस तरह से वे चुनी हुई जनता द्वारा अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सरकार का दिशा निर्देशक डाक्यूमेंट होता है। लेकिन इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई। हमें यह उम्मीद थी कि माननीय वीर बहादुर जी की सरकार कुछ ऐसी बुनियादी घोषणायें, कुछ ऐसी समाजवादी घोषणायें इस सदन में करेगी जिसका असर इस प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के ऊपर, लाखों गरीबों के ऊपर पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है इस भाषण को पढ़ने के बाद कि सूचना विभाग की कुछ विज्ञप्तियों को संकलित करके प्रस्तुत कर दिया गया है और इसके तहत सरकार की दिशा और नीति का कोई निर्देश नहीं किया गया है। इनकी न कोई नीति है और न कोई कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात यह अखरती है कि इस सरकार और सदन की परम्परा रही है, माननीय नारायण दत्त तिवारी ने 12 जुलाई को अपने बजट भाषण में समाजवाद का उल्लेख किया था। मैं मान्यवर, इधर बैठे हुये माननीय मित्रों से उनके आजादी के लिये किये गये संघर्ष की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा घोषित और पोषित समाजवादी नीतियों की चर्चा न होना संदेह पैदा करता है और ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रधान मंत्री जी का एक नया आर्थिक कार्यक्रम है समाजवाद की जगह व्यवहारवाद का कार्यक्रम हो रहा है।

मान्यवर, समाजवाद का रास्ता छोड़कर व्यवहारवाद के रास्ते पर चलकर उन बहु राष्ट्रीय कम्पनीज को, मल्टी नेशनल कम्पनीज को इस देश में बुलाया जाना, मैं कहना चाहता हूं कि फिर वही गल्ती होगी जैसा कि मुगल बादशाह ने किया था कि ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां पर एक छोटी सी दवा की दुकान खोलने के रूप में इस देश में आयी थी और एक छोटा सा तम्बू उसने बंगाल और कलकत्ता में लगाया था और धीरे-धीरे वह तम्बू रबर की तरह फैलते-फैलते पूरे देश में फैल गया और हमारा देश अंग्रेजी साम्राज्यवाद के बूटों के नीचे कराहता रहा। इस तरह से इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनीज को आप दावत दे रहे हैं जिसकी दास्तान भोपाल गैस काण्ड के माध्यम से हमने देख ली है। इसके बावजूद भी हम ऐसी नीति पर चल रहे हैं जो देश के लिए घातक

है। मैं अपने कांग्रेस के साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम समाजवाद के रास्ते को छोड़ कर गैर समाजवाद के रास्ते पर चलेंगे तो एक समय ऐसा आयेगा कि जब देश पूंजीवाद और साम्राज्यवादी ताकतों का अड्डा बन जायेगा और यह ताकतें न केवल कांग्रेस पार्टी को खा जायेंगी बल्कि सारा देश तबाह हो जायेगा ।

आज देश में सी0 आई0 ए0 के लोगों की गतिविधियां किसी से छिपी नहीं हैं। स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्यारे, स्व0 मुजीबुर रहमान के हत्यारे, स्व0 लुबुम्बा के हत्यारे जो हैं उनकी निगाह क्या राजीव गांधी पर नहीं होगी, निश्चित ही होगी। कभी दवा बेचने के नाम पर कभी उर्वरक के कारखाने के नाम पर हमारे देश में वे आज हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं और जोर देना चाहता हूं कि इस बात पर बहुत गौर करने की आवश्यकता है और घोषित समाजवाद के रास्ते को छोड़ कर इस रास्ते पर चलना देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। आज देश में गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जब कि शिक्षा का प्रतिशत 20 परसेंट है लेकिन लाखों नौजवान आज डिग्रियां लिये सड़कों पर घूम रहे हैं। उनके लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है। निराशा की जिंदगी में कुतुबमीनार से कूद कर या रेल के सामने सिर देकर आत्म हत्या कर रहे हैं। इस प्रकार एक खतरनाक निराशा फैल रही है अगर इसका समय से समाधान नहीं किया गया तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

खेती के बारे में कहा गया कि हम बड़ी उपलब्धियां कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भारत कृषि प्रधान देश होते हुए खेती उद्योग नहीं बन सकी है । खेती की प्रबल संभावनाओं के बावजूद सिंचाई के लिए पानी नहीं है, सस्ता बीज हम किसानों को नहीं दे पा रहे हैं, उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं और किसान जो पैदा करता है उसके लिए उसे समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने कृषि उत्पादन के क्षेत्र में आश्वासन दिया था कि किसानों को समर्थन मूल्य दिलाया जायेगा। मैं धान की बात करता हूं, कहा गया कि 142, 146 और 150 रु0 प्रति क्विंटल दिलायेंगे। मैं अपने जनपद की बात करता हूं हमारे जनपद में किसान को 100 रु0 और 105 रु0 प्रति क्विंटल धान बेचना पड़ा। मंडियों में उन्हें लूटा गया लेकिन कोई समर्थन मूल्य नहीं दिया गया । खेती की जितनी प्रबल संभावनायें हैं उसमें अगर किसान को पूरा पानी दे दिया जाय और अच्छा मूल्य देने का वायदा कर दिया जाय और इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बना ली जाय तो इस देश में बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है । जापान और कोरिया में प्रति हैक्टेयर जमीन में दुगुने लोग लगे हुए हैं वहां कृषि उत्पादन की कीमत ज्यादा अच्छी है लेकिन हमारे देश में किसान खेती से ऊब कर खेती करना छोड़ रहा है । (लाल बत्ती होने पर) मैं दो मिनट और लूंगा ।

शिक्षा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं अगर माननीय वीर बहादुर सिंह जी की सरकार एक इंतजाम कर दे तो मैं सोचता हूं कि बहुत बड़ा काम हो जायेगा । प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश में 10 करोड़ छात्र पढ़ते हैं, उनके लिए प्राइमरी स्कूल नहीं है । इस क्षेत्र में जितनी खराब

स्थिति हमारे देश में है, उतनी दुनिया के किसी देश में नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं, इसलिए मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि मुझे दो मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

श्री देव कुमार जी, आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठ जायं। श्री सुरेन्द्र कपिल।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, इस प्रदेश में शिक्षा को सुधारने के लिये प्राथमिक शिक्षा को सुधारने का सही प्रबन्ध यदि नहीं किया गया तो इस देश का भविष्य क्या होगा, नहीं कहा जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं, अन्यथा कहना पड़ेगा कि आपका नहीं लिखा जायेगा। (व्यवधान) आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

*श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, आपने मुझे श्री खान गुफरान ज़ाहिदी द्वारा प्रस्तुत राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका हृदय से समर्थन करता हूं।

मान्यवर, सदन की परम्परा रही है कि नेता विरोधी दल धन्यवाद प्रस्ताव पर आलोचना प्रस्तुत करते हैं और मैं यह मानता हूं कि यह सदन के अन्दर केवल अब औपचारिकता निभाने की बात रह गयी है क्योंकि जिस कुर्सी के ऊपर नेता विरोधी दल विराजमान है, उस कुर्सी की महत्ता नेता सदन की कुर्सी से कम नहीं है। लेकिन उस पर बैठने वाले व्यक्ति उसकी महत्ता और गरिमा को कम करते रहते हैं। चौधरी चरण सिंह उस कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी कितनी महत्ता थी किन्तु आज उसकी महत्ता उतनी नहीं है। धन्यवाद प्रस्ताव पर उनकी आलोचना सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उनकी आलोचना करने में कोई पैमाना नहीं रहा है। उन्होंने एक बात पर आलोचना यह किया है कि लोकतंत्र परम्पराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है। मान्यवर, आपने देखा होगा कि इस सदन के अन्दर जिन लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन हो रहा है वह विरोध पक्ष की ओर से हो रहा है, सत्ता पक्ष की ओर से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाये रखने में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। मान्यवर, किसी भी दिन शांतिपूर्वक सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है और एक नियोजित षड़यंत्र के तहत लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन किया जा रहा है। एक परम्परा रही है कि जब नया सदस्य यहां आता है, मैं भी जब आया था तो इस उम्मीद से कि जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग यहां बैठते हैं इसलिये सबकी जबान पर सरस्वती विद्यमान होगी लेकिन यहां आने के बाद लगता है कि यहां तो चन्दगीराम जैसे पहलवान और पल्लेदार को आना चाहिए था जो ऊपर चढ़ने वालों को बोरी की तरह पटक कर मारपीट कर सके, यह विरोधी दल की यहां भूमिका रही है और उसको निभाने के बाद विरोधी दल यहां सरकार की आलोचना लोकतांत्रिक पद्धति से करेगा,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आप कहें चूंकि आप नियमों के ज्ञाता हैं। यह जिनके प्रतिनिधि हैं उनके प्रति आस्था नहीं दिखाते हैं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और कहना चाहता हूं कि यहां की मान मर्यादा को गिराया है तो वह विरोधी दल ने गिराया है, सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है।

मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपकी कुर्सी से निर्देश देने के बावजूद तीन विधायक जबरदस्ती बोलते रहे और सदन का त्याग करके चले गये, क्या इसी तरह से सदन की मर्यादा रह सकेगी ? इस प्रकार परम्परायें हम बनाते और बिगाड़ते हैं। मान्यवर, विरोध, पक्ष को आज किसानों से हमदर्दी हो रही है लेकिन 1977-80 तक किसानों को कब तक पहुंचाने का काम उन्होंने ही किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का काश्तकार आज कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखता है और मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के पीछे पूरा समर्थन देता है।

यह इस चीज का परिणाम बताता है। इन लोगों ने उन लोगों के जख्म पर हाथ रखने की कोशिश की है। यह कहते हैं कि गन्ने का रेट कम मिलता है, कम मिल रहा है, किन्तु काश्तकार उस दिन को भूला नहीं है जब वह इनके शासन काल में तीन रुपये और जलाने की लकड़ी के तौर पर अपना गन्ना बेचने के लिए विवश हो गया था और काश्तकार लोग कहा करते थे—"बोलो चरण सिंह की जय, गन्ना चार रुपये और पानी छः रुपये"। आज यह उस नारे को भूल गये हैं, जबकि आज 23 रुपये का रेट है। इन्होंने काश्तकार को आन्दोलित करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के काश्तकार ने इनका साथ नहीं दिया, उसने इनको समर्थन नहीं दिया, वह इनके बहकावे में नहीं आया। कोई भी गन्ना मिल इनके कहने पर बन्द नहीं हुई। उस फ्रन्ट पर पिटने के बाद, फिर इन्होंने 28 तारीख को रास्ता रोको का आह्वान किया और उसका भी वही हस्र हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता, यहां का किसान इनके घड़ियाली आंसू पहचान चुका है।

किसानों के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है और जो गवर्नर साहब ने अपने अभिभाषण में कहा है, उसके वजह से विरोधी दल के नेता की आंखें शायद सत्यता से बन्द हो गई हैं। इनके सामने सदैव झूठ का नक्शा रहता है। हमारी सरकार ने 31 दिसम्बर, 85 तक 326 करोड़ 21 लाख रुपये का पेमेन्ट किया है, जो वर्ष 1984-85 में उनको देय धनराशि से 99 प्रतिशत अधिक है। आप देखें इस वक्त किसी गन्ना मिल पर किसानों का बकाया नहीं है, जबकि इसी अवधि में पिछली बार 7 करोड़ रुपये का बकाया था। काश्तकारों को खाद, पानी और बीज आदि आसानी से सुलभ कराने का और सस्ते में सुलभ कराने का हमारी सरकार ने प्रयास किया है और वह इस सबके लिए वचनबद्ध है। इसके लिए उन्हें सब्सिडी दिया गया है, ताकि उनका अन्नोत्पादन बढ़े। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। दिसम्बर, 85 तक 27,800 निःशुल्क बोरिंग ग्रामों में की जा चुकी हैं तथा लगभग 15,400 पम्पसेट्स भी लगाये जा चुके हैं। इनसे हमने किसानों की बुनियाद पक्की की है, उनके रीढ़ की हड्डी को हमने पक्का किया है। इस वर्ष 4367 किलोमीटर नये मार्गों का निर्माण खडंजा स्तर तक तथा 626 किलोमीटर मार्गों का निर्माण उसके ऊपर के स्तर तक पूरा किये जाने का हमारा लक्ष्य है। मान्यवर, यह ऐसी उपलब्धि

है, जिसको माननीय नेता विरोधी दल नकार नहीं सकते हैं। वह झूठ अवश्य बोल सकते हैं, लेकिन इसको नकार नहीं सकते हैं।

प्रदेश में परिवहन की समस्या का हल करने के लिए भी हमारी सरकार ने क्रान्तिकारी कार्य किये हैं। इस हेतु परिवहन बेड़े में 1237 नई बसें और इस वर्ष हमारी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण में 7वीं योजना में 80 प्रतिशत ग्रामों में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है और 1638 मेगावाट बिजली की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ प्रदेश की सातवीं पंचवर्षीय योजना का आकार 11 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो अन्य तमाम राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। इस योजना के अंदर आप देखेंगे कि हमारी वार्षिक दर जो 6 प्रतिशत की नियत की गयी है, वह बहुत ऊंची जाएगी और विकास दर को बनाये रखने और उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लिया जाय, प्रदेश में चेचक की बीमारी का कोई नामों निशान नहीं रह गया है और टी0 बी0 की बीमारी पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण है।

एक बात और कहना चाहता हूं। अभी कानून व्यवस्था की बात कही गई है। अभी उस दिन आज़ा साहब कह रहे थे यह जो गिरोह बन्दी वाला विधेयक आ रहा है, उसमें तो हमारे सारे कार्यकर्ता बन्द हो जायेंगे। यह उनकी असलियत है, क्योंकि जो लोग उनको यहां तक पहुंचाते हैं, वह सब ऐसे ही समाज विरोधी और देश विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। हो सकता है कि वह इसमें सब अंदर हो जायें। मुईद साहब ने कहा कि जितने छटे हुए डकैत, बदमाश और कातिल हैं उनकी पैरोल करायें यह और दोष हम पर दें। तो यह नेता विरोधी दल ने धन्यवाद के प्रस्ताव पर आलोचना करते हुए जो भाषण दिया वह पूरा झूठ का बंडल है, पूरा मन गढ़न्त है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जाहिदी साहब का धन्यवाद वाला भाषण काबिले दाद है और मैं अपने रोम-रोम से उसकी प्रशंसा करता हूं।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, गुफरान जाहिदी साहब ने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे ऐसा लगता है कि उधर के सत्ता पक्ष के बैठे हुये माननीय सदस्यों ने जानबूझकर प्रदेश की जो समस्यायें थीं, उनको आंख से ओझल करने का काम किया है। प्रदेश की जनता इस सदन के माध्यम से इस बात की अपेक्षा करती थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस प्रदेश की जनता को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में मिलेगा और उसका लाभ प्रदेश की जनता को हो सकेगा। लेकिन इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद जो भी इस प्रदेश के और देश के जागरूक नागरिक होंगे वह निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि सचमुच में यह भाषण बिल्कुल दिशाहीन, निरर्थक और प्रदेश के विकास की गति को पीछे ले जाने वाला होगा। जब मैं यह बात करता हूं तो मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर इस भाषण को गम्भीरता के साथ पढ़ेंगे तो केवल तीन शब्द इसमें पायेंगे। इन्हीं तीन शब्दों के ऊपर पूरा अभिभाषण टिका हुआ है और ऐसा लगता है कि इन्हीं तीन

शब्दों के बल पर उधर बैठने वाली कांग्रेस की सरकार टिकी हुयी है। वह तीन शब्द हैं कृतसंकल्प, प्रयत्नशील और सजग इन्हीं शब्दों का चार-चार, पांच-पांच बार इस्तेमाल किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में यह सरकार प्रयत्नशील होती, कृत संकल्प और सजग होती तो मैं कहना चाहता हूं कि गुफरान जाहिदी साहब कानपुर के रहने वाले हैं, गर्मी के दिनों में और दूसरे मौकों पर क्या-क्या संकट कानपुर को देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं तो अगर सचमुच ठीक काम किया गया होता तो शायद जिस तरह की बात मैं कह रहा हूं वह भी कहने के लिये मजबूर होते।

पहली बात मैं यह ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगता है कि पेय-जल की समस्या प्रदेश में और प्रदेश सरकार के सामने है ही नहीं। एक शब्द भी कहीं इसके बारे में इस समस्या के बारे में उल्लेख नहीं है। हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य था कि 1985 तक सारे अभाव ग्रस्त गांवों, प्राब्लम विलिजेज जहां पीने के पानी की समस्या है, उस लक्ष्य की पूर्ति की जाय लेकिन खेद के साथ और दुःख के साथ कहना पड़ता है आज 20 हजार गांव हमारे प्रदेश के ऐसे हैं जो पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं। यह गांव तो तरसते हैं गंगा के किनारे बसा कानपुर पानी के लिये तरसता है, यमुना के किनारे बसा आगरा पानी के लिये तरसता है और गंगा के किनारे वाराणसी पानी के लिये तरसती है। तो ऐसी सरकार को दम भर भी सत्ता में रहने का अधिकार हासिल नहीं है।

(शेम-शेम की आवाजें।)

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपके पीछे और ऊपर राष्ट्रपिता बापू का चित्र टंगा है। वंदनीय बापू के चित्र पर बड़ी भारी माला लटक रही है। यह चित्र इसलिये है कि प्रवेश करते समय और जाते समय सम्मानित सदन का और आपका ध्यान उधर चला जायगा और बापू ने जिन आदर्शों के लिये संघर्ष किया था उधर सत्तापक्ष में बैठे हुये लोगों का ध्यान जायगा। लेकिन इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद एक शब्द भी मद्य-निषेध के बारे में नहीं लिखा गया है। इससे साबित होता है कि यह सरकार प्रदेश स्तर पर मद्य को चालू कर कैसा समाज बनाना चाहती है। यह मंशा साफ जाहिर होती है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार नाम का शब्द पूरे अभिभाषण में नहीं है। कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। आखिर इससे क्या परिलक्षित होता है? जब भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं होगी, लोक आयुक्त का गठन किया गया था इसलिये कि हमारे प्रदेश के पैमाने पर जो लोग भ्रष्ट हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकेगी। प्रशासन स्वच्छ हो सकेगा, पवित्र हो सकेगा और भ्रष्टाचार रहित हो सकेगा। लेकिन इस सत्ता में बैठने वाले लोग जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार कर रहे थे, उस समय इनका इस ओर ध्यान ही नहीं था इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार का उल्लेख नहीं किया गया है। कहते हैं कि मैं लोक आयुक्त को कुछ अधिकार देने जा रहा हूं, लेकिन अगर देखा जाये इस लोकतांत्रिक सरकार द्वारा उन्हें अब तक जो अधिकार

दिये गये हैं, वह सारे इस लोकतांत्रिक सरकार से ही लुप्त हो गये हैं अब लोक हट गया, केवल आयुक्त रह गये हैं। इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है।

अभी तक स्थानीय निकायों के चुनाव, जिला परिषदों के गठन, विधान परिषद् की स्थानीय निकायों से खाली सीटें, इन सारी चीजों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार लोकतंत्र और जनतंत्र का खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कहीं भी पूरे अभिभाषण में नहीं आया है। यह इसलिए है कि यहां पर लोक का लोप हो रहा है, केवल जनतंत्र और लोकतंत्र का एक खोखला नामात्र इनके पास है। इसीलिए सारा प्रदेश इनकी दमनकारी नीतियों की आग में जल रहा है क्योंकि यह सरकार जो भी वादा करती है, उसे कभी भी पूरा नहीं करती और यही नहीं जो वायदा या घोषणा यह विधान सभा के अंदर भी करती है उसे भी खिलवाड़ समझती है, और पूरा नहीं करती है। जो माननीय सदस्यों को अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को लेकर मैं कहता हूं कि 3 जुलाई सन् 80 में महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के पृष्ठ 4 पर यह घोषणा की थी कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों को पुरःस्थापित करने के लिए मेरी सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। अतः इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न कराये जायें। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर 19 मार्च, 1985 को 5 वर्षों बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा इसी सदन में कि "यथाशीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे" लेकिन इस सन् 86 के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र कहीं पर नहीं आया है इसीलिए मान्यवर, आज हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। बिजली के भी रेट बढ़ रहे हैं, गैस के भी बढ़ रहे हैं, रोजाना की आवश्यक इस्तेमाल की चीजों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। जिससे किसानों मजदूरों की भी कमर टूट रही है और उपभोक्ताओं की भी। मान्यवर, इन चीजों को देखते हुए इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मान्यवर, प्राईमरी स्कूल तक की शिक्षा के लिए (सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, क्या उस पक्ष के लोगों को कोई दण्ड दिया गया है जो सारे के सारे खड़े हुए हैं। (हंसी)

श्री राम नरेश–

मान्यवर, मैं कहने जा रहा था कि प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा आज तक कम्पलसरी नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सरकार कुछ नहीं कर सकती है। 50 हजार बी0 टी0 सी0 और सी0 टी0 अध्यापक बेकार पड़े हुए हैं, यह सरकार उनको रोटी नहीं देना चाहती है। मान्यवर, यह सरकार प्राइमरी शिक्षा के लिए टेलीविजन लगाने जा रही है। प्राइमरी स्कूल जो हमारे यहां गांवों में चल रहे हैं, उन्हें अगर यह टेलीविजन से शिक्षा देंगे तो यह उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। मान्यवर, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इन्होंने कहा कि हमने इस पंचवर्षीय योजना के लिए सबसे अधिक धनराशि प्राप्त की है फिर

भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, पैसा चाहे जितना हासिल कर लें। यह सिर्फ देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं इसलिए इनका आज सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बसन्त सिंह गहलौत –

अधिष्ठाता महोदय, मैं मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन

(3 बजकर 20 मिनट)

करता हूं। मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख हो रहा है जब मैं रोज सदन की गरिमा को कम करते हुए माननीय सदस्यों को देखता हूं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जब संसदीय संस्थाओं का अनादर होने लगता है, तो देश में लोकतंत्र नहीं रह सकता। इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप मेरी आलोचना को पसन्द नहीं करते, तो कल से इस काम को बन्द कर दीजिए। प्रत्येक दिन दो-तीन घंटे हू-हुल्लड़ में खराब हो जाता है। यदि क्षेत्र के लोग इसे आकर देखेंगे, तो आपको एक वोट भी नहीं मिल सकता है। देश को तोड़ने में विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और वह तरह-तरह के षड्यंत्र रचकर साम्प्रदायिक झगड़े फैला कर हमारी आजादी पर हमला कर रहे हैं। ऐसे समय में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है।

मैं इस विषय को ज्यादा न बढ़ाते हुए आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सरकार को सहयोग दें। आज जो सरकार चल रही है, माननीय वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में, आप सब जानते हैं कि वह कितनी चुस्ती और मुस्तैदी से काम कर रही है। माननीय वीर बहादुर सिंह ने गरीबी भी भोगी है और वह साधारण स्तर से यहां तक पहुंचे हैं। उनको समस्याओं का ज्ञान है। प्रदेश की समस्याओं का समाधान करने के लिए इन्होंने जितने कदम उठाये हैं, आज तक किसी सरकार ने नहीं उठाये हैं। मैंने माननीय पंत जी से लेकर सभी मुख्य मंत्रियों को देखा है। उन लोगों के साथ एक इतिहास था। सरकारी मशीनरी इशारे पर काम करती थी। लेकिन आजकल परिस्थितियां भिन्न हैं, फिर भी वह बड़े साहस और सूझबूझ के साथ काम कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा निकल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको तो चाहिए था कि आप ऐसे व्यक्तित्व को सहयोग दें। लेकिन आप उसमें बाधा डाल रहे हैं। रास्ता रोको अभियान चला रहे हैं। जब आप रास्ता रोकते हैं, तो क्या इससे देश की प्रगति हो सकती है? यह जो परम्परायें हैं हड़ताल की, काम रोको की, तालाबन्दी की, यह सब अलोकतांत्रिक है। कभी इसकी जरूरत थी, जब देश गुलाम था। अब इसकी जरूरत नहीं है। वैसे ही देश में काम न करने की आदत है, क्योंकि शरीर से काम करने वाले को छोटा गिना जाता है और जो बिना परिश्रम किये खाता है, उसे बड़ा आदमी गिना जाता है। जो भी अपने को बड़ा कहलाना चाहता है, वह शारीरिक श्रम छोड़ देता है। जिस तरह हड़ताल और तालाबन्दी से लाखों श्रम के घन्टे बरबाद हो रहे हैं, उसी तरह से सदन में भी सैकड़ों घंटे बरबाद हो रहे हैं, जिनमें जन कल्याण के निमित्त

अच्छे कानून बनाये जा सकते थे। उन पर जो पैसा खर्च होता है, वह जनता के टैक्सों से आता है। हमें कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए।

अभी माननीय राम नरेश जी बोल रहे थे। उन्हें सरकार चलाने का भी अनुभव रहा है। मैंने उनके भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुना, परन्तु समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो उन्हें कमी दिखाई पड़ती थी, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया कि वह उसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, केवल आलोचना करने से ही उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि यह न बताया जाय कि किस नीति को परिवर्तित करना है। एक चीज हम बना रहे हैं, आप केवल कमी निकाल रहे हैं और आप बना कुछ सकते नहीं, तो यह एक निष्क्रिय दृष्टिकोण है, सार्थक नहीं। आप द्वारा पैदा किये हुए प्रतिकूल वातावरण में जितना काम हो रहा है, वह प्रशंसनीय है। आप से तो सरकार थोड़े दिन भी नहीं चल सकती। 38 साल के अन्दर जब आपको एक बार मौका दिया गया, तो आप नहीं चला सके। ऐसी हालात में तो आप एक दिन भी नहीं चला सकते और हम सरकार दृढ़ता से चला रहे हैं। कोई भी विरोधी दल राष्ट्रीय स्तर पर 38 साल के भीतर खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि आपने उसके लिए अपना व्यवहार ठीक नहीं रखा। विरोध द्वारा कोई नेशनल पार्टी क्यों नहीं बनी क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता इन बातों को पसन्द नहीं करती है। जहां काम की कमजोरी है, उसको आप हमको बतायें। जहां-जहां नीतियों को बदलने की जरूरत है, उसके लिए हम तैयार हैं। आप जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, उससे कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाती है। हम तो यह कहते हैं कि जहां कहीं कमजोरी हो, जो आदमी काम न कर रहा हो उसको बताइये। हम आपका साथ देंगे उसे ठीक करेंगे। आप सुझाव दीजिए, बताइए कि हम देश की प्रगति के लिए यह करना चाहते हैं। यह तो पंचायती राज्य है। एक प्रगतिशील समाज की रचना करने के लिए हमें सामन्तवादी तौर-तरीकों को बदलना होगा। हम हजारों वर्षों से सामन्तवादी, राजावादी, अधिनायकवादी विचारों के अधीन जीवन बिता रहे हैं। जब तक वैचारिक प्रगति नहीं होगी तब तक इससे अधिक कुछ सम्भव नहीं हो सकता है। जो भी कार्य करना है, हम सबको मिलकर करना है, हमें समाजवादी समाज की रचना करनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण को गौर से पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अभिभाषण वायदों का केवल दस्तावेज है, ऐसे वायदे जो पूरे नहीं हो पायेंगे। जो उपलब्धियां दिखाई गई हैं वह उपलब्धियां इतनी कम हैं कि वह अपने 20 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंच पाईं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह अभिभाषण जो राज्यपाल ने दिया है वह जनता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। मान्यवर, समस्या चाहे बाढ़ की हो, शांति व्यवस्था की

हो, सड़कों के बारे में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, इसमें उपलब्धियां इतनी कम हैं, जिनको देखने से ऐसा मालूम पड़ता है कि शासन कोई कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है। बाढ़ इस बार प्रदेश में बहुत जोरों से आयी, लेकिन शासन ने कोई प्रबन्ध नहीं करवाया। सिर्फ थोड़ी सी सहायता प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है।

मान्यवर, कुछ बाढ़ें तो स्वयं आती हैं और कुछ बाढ़ें लायी जाती हैं। बन्धों से पानी छोड़ दिया जाता है, वह नदियों में आ जाता है, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता है। मैं मांग करता हूं कि शासन को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए, जो बन्धों का पानी लापरवाही से छोड़ देते हैं। मान्यवर, दातागंज क्षेत्र से मैं आया हूं, उस क्षेत्र में भी यही हाल है। रामगंगा के किनारे बसा यह क्षेत्र बन्धों के पानी छोड़ने के कारण से पूरी तरह जलमग्न हो गया। उस क्षेत्र के 250 ग्रामों के ग्रामीण भुखमरी की कगार पर खड़े हुए हैं। वहां जो कटे हुए ग्राम हैं, उनको फिर से बसाया जाए। बाढ़ के कारण जिस भूमि में रेत आ गई है, उसको उपजाऊ बनाना आवश्यक है। वहां रोजी-रोटी का कोई साधन नहीं है। वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शासन से वहां के स्थानीय लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहां एक प्रकार की घास उग आती है जिसे भागा कहते हैं तो वहां ऐसी योजना होनी चाहिए जिससे कि उसकी घास काटकर उस भूमि को उपजाऊ बनाया जा सके। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मान्यवर, सीमान्त और लघु कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर खाद शासन द्वारा बांटने के लिए दी गई। उस खाद में घपला किया गया और अधिकारी तथा कर्मचारी मिलकर उस खाद को कालाबाजार में बेच दिए। काश्तकार मुंह देखते रहे, उनको कोई खाद नहीं मिली। उनको किसी प्रकार की खाद उपलब्ध नहीं हो सकी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच शीघ्र हो।

पिछले वर्ष धान की खरीद में जिस प्रकार का घपला किया गया, अनियमितता की गई, मान्यवर, एक तरफ सरकार समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कटिबद्ध थी, लेकिन दूसरी तरफ काश्तकार का धान सीधे नहीं खरीदा गया। काश्तकारों की धान की उपज व्यापारियों ने 120 और 125 रुपये में खरीदा। अगर काश्तकारों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना है तो जरूरत इस बात की है कि काश्तकारों को समर्थन मूल्य दिलाया जाय और जो भी पैदावार किसान की हो उसको सरकार सीधे खरीदे। तभी किसान को उसकी पैदावार की सही कीमत मिल पायेगी। मान्यवर, मैं उपभोक्ता दुकानों के बारे में कहना चाहता हूं। यह पता ही नहीं चल पाता है कि दुकान कहां है। काश्तकार मिट्टी के तेल और चीनी के लिए तरसता है। उत्तर प्रदेश में चीनी का संकट बहुत ज्यादा हो गया है। उत्तर प्रदेश का प्रभाव सारे भारत में पड़ेगा। इसलिए यदि किसानों को प्रोत्साहित न किया गया, गन्ने का अधिक मूल्य न दिया गया तो किसान गन्ने की खेती कम कर देगा। अभी समय है, गन्ना बोया जा रहा है, शासन को चाहिए कि गन्ने की कीमत अभी तय कर दें और 30 रुपए कम से कम तय करें।

मान्यवर, आखिर में मैं शान्ति व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा पुलिस एक्ट, 1861 में बना था, जिसको अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों को दबाने के लिए

बनाया था । बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वही एक्ट चला आ रहा है । कुछ रिकमेन्डेशन पुलिस कमीशन की आई हैं, उनको लागू किया जाय। जब तक इस एक्ट में मूलभूत सुधार नहीं किया जाता है, कुछ होने वाला नहीं है । पुलिस कमीशन की सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए ताकि पुलिस के अधिकारी ठीक प्रकार से काम करें । धन्यवाद ।

*श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं खड़ा हुआ हूं भाई जाहिदी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए । मैं अभिभाषण के अन्तिम पैरा से शुरू हो रहा हूं । इसमें कहा गया है कि प्रदेश और देश को एकता और अखण्डता की जरूरत है। इतनी सुन्दर चीज का बयान किया गया है । आज सबसे ज्यादा एकता और अखण्डता की आवश्यकता है । जहां शान्ति होगी वहीं विचार होगा । जितने दार्शनिक हुए हैं, उनका कहना है कि ज्यों-ज्यों शिक्षा बढ़ेगी, त्यों-त्यों लोगों के दुख दूर होंगे और शान्ति स्थापित होगी । लेकिन आज देखा उल्टा जा रहा है । शिक्षा बढ़ रही है अन्यथा को छोड़ दें । विधान सभा स्थल के अन्दर भी वांछित शान्ति नजर नहीं आ रही है । मान्यवर, महामहिम ने जिस एकता और अखण्डता की बात कही है, जिसको वह लागू करना चाहते हैं, हम जितने सदस्य यहां बैठे हैं, जिसको हम दूसरे पर लागू करने के लिए बैठे हैं, पहले अपने पर अच्छी तरह से लागू कर सकें, यह विचार होना चाहिए ।

मैं अब अपने महामहिम राज्यपाल जी के मुताल्लिक यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने मान्यवर, शासन की और इस सरकार की जो उसके विभिन्न विभाग हैं, उनके कार्यकलापों की और उनकी जो नीतियां हैं, उनका वर्णन किया है । और उसके साथ-साथ उन्होंने यह दिखा दिया कि यह सरकार जनहित के लिए कितना कार्य करना चाहती है और मान्यवर, यह स्वाभाविक है कि प्रजातन्त्र प्रणाली के अन्दर जो भी सरकार गठित हो, जनता सरकार भी गठित हुई थी, उसका गठन जनहित के कार्यों को करने के लिए होता है । लेकिन दूसरी तरफ दिखाई देता है कि माननीय नेता विरोधी दल कहते हैं, उन्होंने उस अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव रखा है और कहते हैं कि यह सरकार जनहित का कार्य नहीं कर रही है । हमें इस पर सोचना है कि यह सरकार जनहित का कौन सा कार्य नहीं कर रही है । प्रजातंत्र प्रणाली में जो सरकार कार्य करे, उसमें उससे अधिक कार्य करने की जिम्मेदारी विरोधी दल की होती है । यह प्रणाली चल ही तभी सकती है, जब विरोधी दल शक्तिशाली ढंग से हम पर अंकुश लगाएं। देखना यह है कि अंकुश कैसे लगा रहे हैं, रास्ता रोको आन्दोलन के द्वारा । रास्ता रोको आन्दोलन से किसका काम रुका, जनता का काम रुक गया । यह जनहित की रुकावट करने जा रहे हैं, हुकूमत की नहीं । प्रदेश की जनता का कितना नुकसान हो रहा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता । जनहित की प्रणाली लागू करना है तो सत्तारूढ़ दल के बजाय विरोधी दल अपने कार्यकलाप ठीक करें ताकि वे जो काम करना चाहते हैं, कर सकें ।

समय कम है । मुझे दो बातें और कहनी हैं । मैं यह चाहता हूं कि आप गन्ने के रेट मांगते हैं, बहुत अच्छी बात है । कृषकों को उनकी उपज का सही लाभ मिलना चाहिए । लेकिन कृषकों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाभ मिलने के बाद उपभोक्ताओं को उकसा दिया जाय कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस दोहरी विचारधारा से आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, तमाम योजनाएं बन रही हैं तो रेट बढ़ना तो लाजमी चीज है। देखना यह है कि नहरें बन रही हैं, पुलें बन रही हैं, नालियां बन रही हैं, तो क्या इस प्रगति में विरोधी दल शामिल होना चाहता है। हमारे पश्चिमी क्षेत्र में सस्ते न्याय के लिए हम चाहते हैं कि वहां हाईकोर्ट की एक बेंच स्थापित हो। यह बड़ा सुन्दर विचार था और जनता के हित में था। उसके लिए एक आयोग भी बना। मान्यवर, अभिभाषण में इसके बाबत विचार हो जाय तो पश्चिमी क्षेत्र के चुने हुए एम0एल0ए0 को जनता से कुछ कहने को हो जायगा।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मेरा विचार है कि माननीय श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार जनहित के कार्यों में अग्रणी रहेगी।

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, पिछले तीन दिनों से मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा सुन रहा हूं। महामहिम राज्यपाल तो अभिभाषण दे नहीं पाए लेकिन नेता, विरोधी दल ने भाषण अवश्य दिया और सत्ता पक्ष के लोगों ने सुना। उन्होंने चर्चा का विषय राज्यपाल के अभिभाषण को न बनाकर नेता विरोधी दल के भाषण को बना लिया है। हमारे यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राजनैतिक पार्टियों के सदस्य होते हैं, लेकिन इस कुर्सी पर आकर निष्पक्षता से निर्णय करने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं।

[* * *]

श्री अधिष्ठाता–

आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको मालूम है कि महामहिम राज्यपाल के बारे में कोई टिप्पणी सदन में नहीं की जा सकती। महामहिम राज्यपाल के बारे में कुछ कहा जायेगा, वह लिखा नहीं जायगा।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जो कुछ महामहिम राज्यपाल के बारे में कहा, उसे आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय लाल प्रताप जी, मैंने व्यवस्था दे दी कि महामहिम राज्यपाल के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, लिखा नहीं जायेगा। मैं माननीय सत्यपाल जी से अनुरोध करूंगा कि और भी बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनके बारे में अपना मत रखें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इस समय जो माहौल हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं एक शेर यहां पेश कर रहा हूं।

"नई तरकीबें हैं, नई ताबिजें हैं,
इसलिए अहले वतन ने कर दी बरबाद
इज्जत अहले सदन की।"

एक सदस्य–

मान्यवर, आप किसी दिन यहां मुशायरा करवा दें।

श्री अधिष्ठाता–

मुशायरा किसी महोत्सव में आज निर्धारित है, उसका निमंत्रण पत्र आपको मिल रहा होगा।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, यह 1967 में भी हारे हैं, 1977 में भी हारे हैं। जब प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी की मृत्यु हो गई, 4 दिन तक उनके शव को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया और इस तरह से लोगों की भावना को भड़काया गया। उस भावना के सहारे और वोटों की डकैती के बल पर यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोग यहां जीत कर आए हैं और कहते हैं कि हमारी नीतियां अच्छी थीं, जनहित की थीं, इसलिए जनता ने हमें पसन्द किया। क्या यही नीतियां अच्छी हैं. पेट्रोलियम के दाम बढ़ा दिए गए, उर्वरकों के दाम बढ़ा दिए गए, कुकिंग गैस के दाम बढ़ा दिए गए, बिजली के दाम बढ़े। मान्यवर, यही नहीं आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि राजीव गांधी जी ने कहीं बाहर से यह संकेत किया है कि कर भी बढ़ाए जायेंगे ताकि संसाधन उपलब्ध हों। जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जो यह दावा कर रहे हैं कि जनता ने उनकी नीतियों को पसन्द किया है, यह भविष्य बतायेगा कि अपनी नीतियों पर, राजीव गांधी के नाम पर, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के नाम पर जो आप जीतकर यहां पर बैठे हुए हैं, यह आपकी विजय नहीं है, यह विपक्ष की विजय है।

श्री हरदेव–

मान्यवर, यह बता दें कि यह किसके नाम पर जीत कर आए हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय हरदेव जी, आप बैठें।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि करप्शन नीचे से चलता है। मान्यवर, जबकि स्थिति यह है कि करप्शन ऊपर से चलता है।

नेता विरोधी दल के बारे में बार-बार कहा गया कि इस कुर्सी पर चरण सिंह जी जैसे लोग बैठे, मैं कहना चाहता हूं कि उस कुर्सी पर भी डा0 सम्पूर्णानन्द, श्री गोविन्द बल्लभ पन्त जैसे लोग बैठ चुके हैं, आज जो उस कुर्सी पर श्री वीर बहादुर सिंह जी बैठे हैं और इस कुर्सी पर जो माननीय मुलायम सिंह जी बैठे हैं, यदि दोनों पर्सनालटीज की तुलना करें, उनके कर्तव्यों के निर्वहन की तुलना करें तो दोनों में धरती आसमान का फर्क मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट)

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में, प्रदेश में हरिजनोत्थान के बारे में कोई भी एक शब्द नहीं लिखा गया है। हरिजनों के संबंध में आरक्षण पूरा करने की बाबत कोई भी दिशा निर्देश का उल्लेख इसमें नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय राम नरेश जी ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में जो सुविधाएं पिछड़े वर्ग को दी थीं, वह सब भी आपने काट दीं।

आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। इसके बावजूद भी यह दावा करते हैं कि हम देश के बहुमत के हित में काम कर रहे हैं। विद्युत के दाम बढ़ाये गये लेकिन विद्युत के दाम क्यों बढ़ाये गये, इसे जानने की कोशिश इन्होंने नहीं की। 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है लेकिन हिन्डालको को 11 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। मेसर्स कैमिकल्स को पौने तीन पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। यदि इस डिसक्रिमिनेशन को समाप्त कर दिया जाता तो बिजली पर टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसी के साथ ही महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्रीमती सरस्वती देवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण

पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीति का दर्पण होता है, जिसको देखने से यह आभास होता है कि कि सरकार जनता के हित के लिए क्या करने जा रही है और सरकार ने जनता के हित में क्या-क्या किया है ? महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के प्रारम्भ में ही कहा है कि सामजिक और आर्थिक उत्थान के लिये और विकास के कार्यों में तीव्र गति लाने के लिए स्वच्छ प्रशासन हो ताकि लोक सेवक निष्ठा और ईमानदारी से काम कर सकें, इस ओर सरकार का सतत ध्यान है। मान्यवर, जनतंत्र में जनकल्याण की बात को प्राथमिकता दी जाती है, उसी का इसमें दिग्दर्शन है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए सेवापूर्ति प्रणाली अपनाई गई है ताकि मण्डलायुक्त मण्डल के विकास हेतु सही योजनाएं बना सकें और विधान सभा द्वारा प्रदत्त धन का विकास कार्यों में सदुपयोग कर सकें।

मान्यवर, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और नागरिकों की सुरक्षा भावना को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने पुलिस बल को सुदृढ़ किया है और गिरोहबन्द अपराधों को रोकने के लिये एक नया अध्यादेश जारी किया है ताकि असामाजिक तत्व सिर न उठा सकें।

मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि की ओर हमारी सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। और इसके विकास के लिए पर्याप्त योजनायें बनाई है, अच्छे किस्म के बीज वितरित किये हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के तरीके बताने का प्रयास कर रही है ताकि हमारे किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त भूमि संरक्षण के लिए प्रर्याप्त धन का प्राविधान किया है जिससे काफी किसानों को लाभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार का ध्यान औद्योगीकरण की ओर भी गया है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए काफी उद्योगों को स्थापित करने का प्राविधान भी हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार 4 बड़े उद्योग केन्द्रीय सरकार की सहायता से हमारे प्रदेश में लगाने में सफल हुई है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है। 20 हजार प्रशिक्षकों और उत्साही उद्यमियों को तैयार करने की योजना हमारी सरकार की है। हमारे प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा के साथ-साथ प्राविधिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। नवजवानों को प्राविधिक शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने 1985-86 में एक इन्जीनियरिंग कालेज गढ़वाल में और एक इन्जीनियरिंग कालेज अल्मोड़ा में स्थापित करने की स्वीकृति दी है इसके अतिरिक्त दो पालिटेक्निक एक नैनीताल व एक हरदोई को भी हमारी सरकार ने स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त एक इन्जीनियरिंग कालेज बुन्देलखण्ड में खोलने का प्रस्ताव भी सरकार ने किया है। ये सारी की सारी चीजें हमारे सरकार के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्रदर्शित करती है।

मान्यवर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार का ध्यान यातायात और सड़कों की ओर भी है। सड़कों में जो सुधार हुआ है, वह किसी

से छिपा नहीं है । यह आवश्यक है कि जनकल्याण के कार्य में विपक्ष सरकार के साथ सहयोग करे ताकि हमारा जनतंत्र सफल हो । विकास कार्यों के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में 11 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति हमारे प्रदेश ने करवाई है, जो बड़ी ही सराहनीय बात है । इससे हमारी सरकार की विकास कार्यों के लिये जागरूकता प्रदर्शित होती है ।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है । मैं पर्वतीय क्षेत्र की विधायक हूं, जहां ईश्वर प्रदत्त सौन्दर्य के अनेकों स्थल हैं, जिसमें से एक शहर फाटक के पास नागदेवा नामक स्थान है, जो पनार नदी के उद्गम पर है । यहां पर गन्धक का पानी निकलता है जो चर्मरोगों के लिये बहुत फायदेमन्द हो सकता है । मेरा निवेदन है कि यहां पर एक स्नानगृह और पर्यटक आवास गृह बना दिया जाय ताकि पर्यटकों को सुविधा हो सके और पर्यटन विभाग इसका प्रचार व प्रसार करे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

(श्री राम सागर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, 4 बजने वाले हैं अभी तक नेता सदन उपस्थित नहीं हैं ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता सदन 4.15 बजे अपना भाषण शुरू करेंगे, मेरे पास सूचना आयी है । आप बैठें ।

श्री राम सागर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया ।

मैंने अभिभाषण को देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जिस देश के लिए और जिस प्रदेश की बेरोजगारी को दूर करने के लिये महात्मा गांधी ने गांव-गांव में कुटीर उद्योग धन्धे पैदा करने की बात कही थी, क्या सरकार की तरफ से ऐसा ही अभिभाषण हुआ तो यह सरकार जब तक गांव-गांव में कम्प्यूटर नहीं लगवा देगी और बेरोजगारी नहीं बढ़ा देगी । यह सूबा कृषि प्रधान सूबा है । आज किसानों के साथ जो सहूलियतें देने की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि रबी की फसल में किसानों को बीज और अनुदान पर खाद उपलब्ध करायी गयी, तो यह जो बीज है यह रबी की बुआई के बाद किसानों के पास पहुंचता है और आज जो किसानों के खेतों में पड़ना चाहिये था, वह सरकार की लापरवाही के कारण चोर बाजारी में जा रहा है, बाजारों में बिक रहा है । खाद के सम्बन्ध में कहा गया कि लघु और सीमान्त कृषकों की सूची तैयार करायी जायगी और उसके आधार पर बीज और खाद उपलब्ध कराये जायेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि तहसील की तरफ से स्टोर में यह सूची देर से पहुंची है । आज स्थिति यह है अधिकांश किसानों को छूट की खाद नहीं मिल पायी है, लेकिन खुले बाजार में बिक रही है, व्यापारी मालामाल हो रहा है । यह बीज और छूट की खाद रबी की कटाई के बाद भी मिल पायेगी, इसमें भी शंका है । जैसी कि चर्चा है किसानों में कि व्यापक धांधली की

लेकर असंतोष है । अगर कहा जाता कि गलती को सुधार लेंगे और अहसास किया जाता, तब भी मान लेता कि सरकार किसानों का उत्थान चाहती है।

हरिजनों के उत्थान के लिये कहा गया कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान में गांव की बेरोजगारी दूर करने के लिये उद्योग बनवा रहे हैं और जमीन खरीदकर भूमिहीनों को देने की बात कही । मैंने मिर्जापुर, जौनपुर, बनारस और बाराबंकी में देखा है कि जहां जंगल है, वहां यह सरकार दुकान बनवा रही है । जंगल में दुकान बनवा रहे हैं, बाजार में कहीं दुकान नहीं बन रही है । जिन हरिजनों को वे दुकाने आवंटित की जा रही है, वह इस विषमता के कारण दुकान नहीं ले रहे हैं । जमीन यह सरकार हरिजनों को दस हजार रुपए एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं । वहां ऊसर जमीन खरीदी जाती है और वही हरिजनों को आवंटित की जाती है । जब हरिजन वहां जाता है और देखता है कि जमीन की यह दशा है कि वह उस पर 50 सालों तक काम करे तब भी उसे उपजाऊ नहीं बना पायेगा तो वह सोचता है कि इधर हमारी मजदूरी जा रही है और उधर जो जमीन मिल रही है, वह ठीक नहीं है । इस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में हम यदि कुछ कहें तो कहेंगे कि यह विपक्ष के लोग ऐसा कहते रहते हैं । लेकिन सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं । सत्ता पक्ष की पार्टी की ओर से विचार में दो लाईन में पढ़े दे रहा हूं कि 9 जनवरी को सांसद श्री कमला प्रसाद रावत ने बाराबंकी में पुलिस उत्पीड़न पर असन्तोष व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि पुलिस मामले की जांच करना तो दूर, प्रथम सूचना भी नहीं लिखती । जंगल के हरे-हरे पेड़ों का कटान पुलिस की सांठ-गांठ से युद्ध स्तर पर हो रहा है । राहजनी और डकैती, हरिजन उत्पीड़न में बेतहाशा वृद्धि हुई है । जनता बदमाशों से कम, पुलिस से ज्यादा आतंकित है । उन्होंने आरोप लगाया है–

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय हो गया ।

श्री राम सागर–

पुलिस की सांठ-गांठ से जिले में सड़कों पर अवैध बसें चल रही हैं । यह राज्यपाल का अभिभाषण किसान विरोधी है, बेरोजगारों का विरोधी है और यह प्रदेश की जनता के हित में नहीं है ।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण वर्ष 1985-86 के लिये जो कि हमारी पार्टी के एलेक्शन मैनीफिस्टो के अनुरूप, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत है उसमें गरीबी पर सीधा प्रहार है एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजनाएं हैं । 25 सितम्बर, 1985 को जब माननीय वीर बहादुर सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली, तब प्रदेश बाढ़ की आपदा से ग्रस्त था, उनके कुशल और प्रभावकारी कार्यप्रणाली से थोड़े ही समय में वहां इससे उभरा जिसने काम करने की एक नई संस्कृति और शैली को जन्म दिया। निरकुंश नौकरशाही को यह मालूम हो गया कि लफ्फाजी, चाटुकारिता और राजनैतिक प्रभाव अब उनके किसी काम नहीं आने का । पहले की अपेक्षा अब व्यक्ति के कार्यों की क्षमता उसके कार्यकुशलता से देखी जायेगी । हमें पहली बार यह लगा कि उत्तर प्रदेश में

काम करने वाली सरकार है । पहली बार यह लगा कि प्रशासन के ऊपर शासन का नियंत्रण है । मैं यहां पर आपको बतलाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से सीढ़ी दर सीढ़ी, मंजिल दर मंजिल चढ़ते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं । उन्होंने आम आदमी को करीब से देखा है, उसकी विवशताओं को और उसके सुख दुख को जीया है । माननीय मुख्य मंत्री जी को विधायकों का प्रचण्ड समर्थन प्राप्त है । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में विषमताओं के होते हुये और कठिनाइयों के होते उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय 30 रुपया बढ़ी है । पिछले 6 महीनों में औसत विकास की दर 6 प्रतिशत रही है जो देश के विकास की दर से अधिक है। मैं 1984-85 की उपलब्धियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, खाद्यान्न उत्पादन 350 लाख मी0 टन रहा और 80 लाख मी0 टन चावल पैदा हुआ और देश के कुल उत्पादन का 45 प्रतिशत आलू का उत्पादन रहा । 21.72 लाख मी0 टन गेहूं की खरीद हुई है और सिंचन क्षमता बढ़कर 10213 लाख हेक्टर हो गयी है। 4,63,735 नलकूपों को उर्जीकृत किया गया है। मान्यवर, कृषि और उद्योग दो ऐसे पहिये हैं जिस पर किसी समाज की प्रगति की गाड़ी बढ़ती है। मान्यवर, . .

श्री अधिष्ठाता–

बोलते समय अध्यक्ष पीठ की ओर भी देख लेते हैं।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि उधर के बैठने वालों को कुछ दिखायी नहीं देता है। मान्यवर, यह कुन्ठाग्रस्त हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1977 में ये शासन में थे, लेकिन जनता ने इनको इसी कुंठा के कारण शासन से हटा दिया। मान्यवर, मैं एक संशोधन यहां पर रखना चाहता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, वह राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना संशोधन का प्रस्ताव रख रहे हैं।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि विधान सभा की कार्यवाही वीडियो टेप और जरूरत हो तो टेलीकास्ट होनी चाहिये । विधान सभा की कार्यवाही उत्तर प्रदेश की जनता को दिखायी जानी चाहिये। एक मिनट का खर्चा 4 हजार रुपया आता है और जनता को दिखाया जाना चाहिये कि विपक्ष के लोग किस प्रकार से उसका दुरुपयोग करते हैं ।

*श्री काजी मोहिउद्दीन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का और उनकी सरकार का ध्यान उस समय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जब राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे और श्री नारायण दत्त तिवारी जी नेता विरोधी दल थे। उस समय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा था कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी सरकारी जबान बनाने की बात नहीं कही गयी है। इस पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने बड़ा जोर दिया था। मान्यवर, आज उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इसको दूसरे दर्जे की जबान नहीं बनाया गया है। इसलिए उर्दू एकादमी से राम लाल, मलिक जादा, मन्जूर अहमद और बहुत से मेम्बर त्याग पत्र देकर आन्दोलन चला रहे हैं। मौलाना आजाद की कब्र पर भूख हड़ताल की गयी। मेरे साथ गुफरान जाहिदी साहेब चुनकर आये हैं, तब वह मेरे साथ बैठते थे लेकिन आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उर्दू का कोई जिक्र किया ही नहीं गया है। थोड़ा बहुत तो तसल्ली के लिये कर देना था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। यह ही ऐसा अभिभाषण है, जिसमें उर्दू के लिये कुछ नहीं कहा गया है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आप सहारनपुर जिले को हरियाना को देने का कार्यक्रम बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, और भजन लाल जी को भी सदमा है। माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत दयालु हैं और कह सकते हैं कि तुम जिला सहारनपुर ले लो उसका कारण समझ में आता है। अभी पिछले इसी महीने की बात है, हरिद्वार में एक-एक हफ्ते में 5-5 भयंकर जुर्म हुए। माननीय मुख्य मंत्री जी खुद वहां तशरीफ ले गये थे, मैं इनका आभारी हूं। एस0 एस0 पी0 महोदय से मैंने बात की कि इन्हें देखिये। इंजीनियर की हत्या ही नहीं उसके 6 दिन पहले लाश मिली, अज्ञात लाश मिली। अब कुम्भ का मेला होने वाला है, एक करोड़ से अधिक यात्री आयेंगे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हाल ही में आपसे पहले एक एस0 एस0 पी0 गोयल वहां गये थे। मैं विरोधी दल का आदमी हूं बिला वजह मेरी आलोचना करने की आदत नहीं, जो सही बात है वही मैं कहता हूं। इससे बेहतर और ईमानदार एस0 पी0 जिला सहारनपुर में नहीं आया लेकिन 4 महीने के अन्दर एस0 एस0 पी0 गोयल का ट्रान्सफर ही नहीं कर दिया गया बल्कि उनका डिमोशन भी कर दिया गया। अब जो एस0 एस0 पी0 गये हैं, मैं नहीं कहता कि वह अच्छे नहीं हैं, वह बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन, मुझे यह देखकर खेद है कि जो ईमानदार और काम करने वाले लोग हैं उनको रहने नहीं दिया जाता।

(व्यवधान)

मान्यवर, जिला सहारनपुर ही नहीं, मुरादाबाद में और सारे प्रदेश में साल भर से ज्यादा वहां के वकील हड़ताल किये हुए हैं हर हफ्ते शनिश्चर के दिन हड़ताल करते हैं, लेकिन इसको कोई नोटिस में नहीं लेता।

(घोर व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया..

श्री अधिष्ठाता–

आपकी आवाज नहीं आ रही है, दूसरे माईक पर आ जायें। आप पहली बार बोल रही हैं कृपया शान्ति से सुनें।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि आप कृपया दूसरे माईक पर आ जायें।

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अधिष्ठाता–

आप दूसरे माइक पर आ जायं। हमारे रिपोर्टर्स को सुनाई नहीं दे रहा है।

श्रीमती प्रेमीला बद्धवार मेहरा–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में जो रास्ता दिखाया है वह इस प्रदेश को अंधेरे से उजाले की ओर ले चलने वाला है, गरीबी को दूर करने वाला है और राजीव जी के सपनों को पूरा करने वाला रास्ता है। इसके लिये मैं अपनी पार्टी की सरकार को मुबारकवाद देती हूं।

मुझे प्रदेश के एक बहुत पिछड़े इलाके बदायूं से चुनकर आने का मौका मिला है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है। उनकी तरक्की के बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। सरकार ने उनकी तरक्की के लिये जो कदम उठाये हैं, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देती हूं। उन्हें रोजगार का मौका देने के लिये बदायूं में एक वोकेशनल सेन्टर की जरूरत है। मैं चाहूंगी कि हमारी सरकार वहां इसे जल्दी ही खोले। काफी पिछड़ा इलाका है। बेरोजगारी दूर करने के लिये एक बड़े उद्योग की स्थापना वहां की बहुत बड़ी जरूरत है जिससे महिलाओं और बेरोजगारों को इज्जत से जीने का मौका मिले। वहां के लोग गरीब जरूर हैं पर मेहनत और ईमानदारी में वह किसी से कम नहीं हैं।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

इन्दिरा जी जब तक जिन्दा रहीं, आखिरी सांस तक देश की एकता एवं अखण्डता के लिये लड़ती रहीं। देश बचाने के लिये उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। श्री वीर बहादुर सिंह जी की सरकार ने माइनारिटी और कमजोर वर्गों की बेहतरी के लिए जो कदम उठाये हैं उससे प्रदेश एक होगा, मजबूत होगा और खुशहाल होगा। मैं इसलिये भी इसका समर्थन करती हूं क्योंकि यह जनता सरकार द्वारा उजाड़े गये प्रदेश को सजाने और संवारने की उम्मीद जगाता है। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

महिला के मुकाबले में महिला को ही बोलने दीजिये।

श्रीमती विमला राकेश–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का घोर विरोध करते हुये कहना चाहूंगी कि–

"उजड़ी हुई महफिल है, टूटा हुआ पैमाना
साकी को दिखा देंगे हम ठाठ फकीराना।"

मान्यवर, यह सही है कि आज देश में बड़े-बड़े कारखाने खुल रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बन रही हैं, शिक्षा का बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। इस देश की संसार के दूसरे देशों के साथ मित्रता इत्यादि बढ़ रही है परन्तु मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस स्वराज्य को हमने 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था, वह तो उस

राम राज्य का जिसे गांधी जी स्वप्न में सोचा करते थे, एक मात्र साधन है। गांधी जी अपने सपनों के भारत की चर्चा करते हुये कहा करते थे कि मैं तो अपने भारत को एक ऐसा जगमगाता हुआ रत्न देखना चाहता हूं जो सूर्य की भांति प्रकाशमय, तापमय और मंगलमय हो। सरलता, पवित्रता और महानता की त्रिवेणी में प्रत्येक भारतवासी के हृदय में देखना चाहता हूं। मान्यवर, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि शांति के दूत जवाहरलाल नेहरू के देश में आज भी मानवता तड़प रही है एक दूसरे के रक्त के प्यासे संसार के सामने आज भी स्वार्थ-साधना का समुद्र बेहतर तरंगित हो रहा है। दीन और दुखियों को अन्याय एवं अत्याचार के कोल्हू में कुचला जा रहा है। घोर परिश्रम करने वाले, जेठ की चिलचिलाती धूप में, पौष माह की बर्फीली सर्दी में अपने परिश्रम का खून पसीना बहाने वालों को आज भी भर पेट भोजन नहीं मिलता है। एक ओर यह दशा है तो दूसरी ओर गरीबों का खून चूसने वाले उनके खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करने वाले, लक्ष्मी के यह लाल सत्ता पक्ष में बैठने वाले लोग विलास सागर में गोते लगा रहे हैं। मान्यवर, सोचा था यह बातें कपोल-कल्पित हों, मनगढ़न्त हों, झूठी हों किन्तु आज भी आजाद हिन्दुस्तान में इन बातों को ज्यों का त्यों देखकर हमारी आत्मा चीख उठती है, हमारा हृदय रो उठता है।

मान्यवर, जो एक नारा माननीया श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में हमारे सत्ता पक्ष वालों ने दिया था, उसे कह कर मैं बैठ जाना चाहूंगी। सत्ता पक्ष वाले कहते हैं—जब तक सूरज चांद रहेगा, इन्दिरा तेरा नाम रहेगा।

(जोर-जोर से यह नारा दोहराया गया और मेजें थपथपाई गयी)

जरा सुन लें, यह कहते हैं—"जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा" "तूने दिया सदा वह नारा गफलत में आया बेचारा,

दो दो गज धरती की खातिर,
हरिजन फिरता मारा मारा।"

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)— मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला, बहुत सी बातों की तरफ संकेत किया साथ ही साथ दोनों पक्ष के साथियों ने बहुत से अच्छे सुझाव भी दिये और बहुत सी जो खामियां हैं या जहां कहीं कोई दिक्कतें हैं उनकी आलोचना भी की। आवश्यकता इस बात की है कि जो भी सुझाव यहां पर अच्छे आते हैं सरकार उन सुझावों को लेकर समाज और प्रदेश के हित के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए, प्रदेश की जनता को आगे ले जाने के लिए और जो हमारा पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए, उन अच्छे सुझावों को मैं चाहूंगा कि जब कोई कार्यक्रम हम बनायेंगे उसमें इन सुझावों पर जरूर विचार किया जाय। मान्यवर, आपको मालूम भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब सरकार ने शपथ ली उसमें उन बिन्दुओं पर अधिक विचार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया जो कि बहुत आवश्यक बिन्दु थे जो हमारे बुनियादी सवाल थे अगर उन पर हम न जाते तो जिस तेजी से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम नहीं बढ़ सकते हैं। शायद आपको मालूम भी है कि पहले दिन ही जो लोग अधिकारी और कर्मचारी विलम्ब से आते थे, वे समय पर आये उसके लिए गेट बन्द कराये गये।

(4 बजकर 20 मिनट)

गेट इसलिये बन्द कराये गये कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी, चाहे नेता हो या जनप्रतिनिधि हो वह जिस व्यवसाय में लगा है, सबसे पहले वह देश सेवक है। उसका सबसे पहला धर्म है देश सेवा और अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गयी है जिसके लिये वह वेतन पाते हैं। इसलिये उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और यही कारण था, शायद आपको मालूम भी है कि बहुत से लोग समय से नहीं आते थे, समय से काम नहीं करते थे, फाइल इधर-उधर घूमती फिरती थीं, विलम्ब के कारण हमारे बहुत से कार्यों में कठिनाई होती थी, जनता को परेशानी होती थी। इसलिये हमारे कार्य तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते थे जिससे नुकसान होता था। लेकिन उसका भी मखौल उड़ाया गया कि क्या हो रहा है।

मान्यवर, आप देखें कि आज हर कर्मचारी और अधिकारी महसूस कर रहा है कि हमें समय से आना चाहिए, समय से काम करना चाहिए और लखनऊ में ही नहीं इसका पूरे प्रदेश के कार्यालयों में इसका असर पड़ा है। तो यह छोटी बात नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपना काम करते हैं और जो जिम्मेदारी हमारी है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। इसलिये कोई कारण नहीं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा रहेगा और हम पिछड़े कहलायेंगे। हम, चाहते हैं कि जो भी हमारे कार्य हों वह समय से पूरे हों, योजनायें ठीक से चलें और जो भी हमारे कार्यक्रम और योजनायें बनें उसका जो समय निर्धारित हो, उसमें वह कार्यक्रम और योजनायें पूरी करेंगे और उसके लिये जो धन, जो परिव्यय और जो टारगेट निर्धारित किया जायेगा वह पूरा करना पड़ेगा और समय से उसको पूरा करना पड़ेगा। मान्यवर, यदि यह काम हम पूरा कर लेते हैं तो जो बहुत से काम जनता को परेशानी पैदा करते हैं, वह नहीं होंगी और इससे देश और प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं और जनता को ज्यादा सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं।

मान्यवर, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले भारत सरकार से बात किया प्लानिंग कमीशन से बात हुई और 1986-87 की जो योजना रखी गयी, आप जानते हैं कि इसके पहले 1985-86 की योजना 1750 करोड़ रुपये की थी और यह योजना बढ़कर इस वर्ष 1986-87 के लिए 2150 करोड़ रुपये हो गयी है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि इसी तरह से हम योजना को बढ़ाते रहे और काम करते रहे तो हम तेजी से आगे जा सकते हैं। इसमें यह भी है कि महाराष्ट्र से पहले हमारी छोटी योजना बनती थी किन्तु अब हमारी योजना महाराष्ट्र से बढ़कर बनी है और देश में सभी प्रदेशों से हमारी बड़ी योजना बनी है जबकि पहले बड़ी नहीं छोटी होती थी। मान्यवर, पहाड़ की योजना 205 करोड़ रुपये की है जो हिमांचल प्रदेश के बराबर है। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

मान्यवर, हमें देखना है कि जो पैसा मिल रहा है, जो परिव्यय रख रहे हैं उसका कैसे समय से पूरा करने के लिये हमने कहा है कि जो कार्य करेंगे उसमें क्वालिटी का विशेष ध्यान देंगे। देखा जायेगा कि काम सही हो रहा है कि नहीं और यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जायेगी तो जो गड़बड़ी करेगा उसको उस स्थान पर रहने का अधिकार नहीं रहेगा। जो सरकार का निश्चय है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि सातवीं पंच वर्षीय योजना का जो दूसरा वर्ष चल रहा है इसमें ज्यादा जोर बिजली और सिंचाई पर दिया है चूंकि जब तक हमारे पास बिजली नहीं है तो बहुत से काम हम नहीं कर पाते हैं, हमारे उद्योग पूरे नहीं चल पाते हैं। नये उद्योग लगाने में कठिनाई होती है। खेती के लिये ट्यूबवेल नहीं चल पाते हैं, छोटे-छोटे उद्योग लगाकर जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देना चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं, इसलिये ज्यादा ध्यान बिजली पर दिया गया है और ज्यादा परिव्यय बिजली पर हम रखने जा रहे हैं। ताकि हम बिजली पर ज्यादा पैसा खर्च करके ज्यादा बिजली पैदा करें और जो हमारी क्षमता है, उस क्षमता का भी हम ज्यादा उपयोग कर सकें।

हमने यह भी प्रयास किया है, जो हमारा प्लाण्ट लोड फैक्टर है बहुत कम है, इसके लिए हमने बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात की है और उन्होंने इसके बढ़ाने का वायदा किया है। पिछले अक्टूबर में जो प्लाण्ट लोड फैक्टर था वह 35 प्रतिशत था, उन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम इसे बढ़ाकर दिसम्बर तक 50 प्रतिशत और मार्च तक 55 प्रतिशत कर देंगे। इतना बढ़ जाता है तो हमें बिजली की कमी नहीं रहेगी और साथ ही हमारी जो आमदनी है वह भी बढ़ जायगी। बिजली का घाटा भी कम हो जायगा। साथ ही साथ हमने यह भी प्रयास किया है, जो बिजली की चोरी होती है, उससे बड़ा भारी नुकसान प्रदेश का होता है और सभी दृष्टियों से प्रदेश की बहुत बड़ी क्षति होती है। उसके लिये हम एक आर्डिनन्स लाए हैं और उसमें उसके लिए बहुत सख्त सजा की व्यवस्था की गई है। जो बिजली चोरी करने वाले लोग हैं वह अब बिजली की चोरी करके बच नहीं सकते हैं। अब कोई चोरी कर नहीं पाएगा। यह रुक गई तो हमें उससे काफी आमदनी भी होगी और हम ज्यादा लोगों को बिजली भी दे सकेंगे। यह हमारा प्रयास है और आगे कोशिश करेंगे कि इसको कैसे किया जाए। साथ ही साथ हम यह चाहते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, कमजोर और हरिजन हैं, खासकर वह जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहते हैं। उनकी संख्या 40 प्रतिशत के करीब है और इनकी संख्या हम जल्दी से जल्दी घटाना चाहते हैं। उनको कैसे आगे बढ़ायें, इसके लिए हमने काफी व्यवस्था की है और इसके लिए परिव्यय भी 538 करोड़ रुपये का रखा गया है, ताकि उन लोगों को ऊपर उठाने के कार्यक्रम को तेजी से चलाया जा सके।

मान्यवर, यह देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे प्रशासन का ढांचा है, इतने बड़े प्रदेश में हम देखते हैं कि हमारा जो भी काम होता है, योजनाएं चलती हैं-चाहे प्रशासन का काम हो या अन्य कोई काम हो, उसमें हम सारे का सारा कार्य लखनऊ से करते हैं। जितने हम लखनऊ से कार्य करते हैं, उसमें पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। इसके लिये हमने मंडलायुक्तों को अधिक अधिकार दिए हैं। प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हम करने जा रहे हैं। बिना इसके सही मायने

में हमारे विकास कार्यों का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। उसको हम ठीक से देख नहीं सकते हैं और जो कोआर्डिनेशन की कमी है वह भी इससे दूर हो जाएगी। जो कोआर्डिनेशन नहीं होता है, कौन विभाग, कहां क्या काम कर रहा है, इसका ठीक से पता नहीं चल पाता है और गलत काम करने वाले पर ठीक तरह से पूरी जिम्मेदारी नहीं डाली जा पाती है, उसमें कोआर्डिनेशन से सब ठीक होगा। तो मैं चाहता हूं कि मंडलायुक्त स्तर पर, ब्लाक स्तर पर और जिला स्तर पर वहीं का वहीं सारा कार्य हो जाए। इसके लिए ब्लाक स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को वहीं रहना चाहिए। वह वहां रहें और वहां पर रह कर जनता के सारे कार्य करें। इसलिए हम उनके आवास की वहां पर व्यवस्था करेंगे जिससे कि जो किसानों की समस्याएं हैं उनको जाकर देखें। यह सब कार्य यदि होगा तो बहुत सी उनकी दिक्कतें अपने आप दूर हो जायेंगी।

इसी प्रकार हम चाहते हैं और आपको मालूम भी है कि भूमि-विवाद हमारे बहुत बड़े झगड़े के कारण बन गये हैं। आए दिन झगड़े, बलवे, कत्ल जो होते हैं उनमें अधिकांश में भूमि के विवाद कारण होते हैं। अतः हमने प्रयास किया है कि जो ऐसे जिले हैं जहां पर भूमि के विवाद के कारण बहुत प्राब्लम पैदा हुई हैं, उन जिलों में हम भूमि राजस्व अधिकारी की नियुक्ति कर रहे हैं। जो केवल भूमि विवादों को देखेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो वह मौके पर जायगा और विवादों का निपटारा करेगा। मान्यवर, इसी प्रकार से जो हमारी बड़ी-बड़ी तहसीलें हैं तो जहां पर बड़ी-बड़ी तहसीलें हैं वहां पर हम एक अतिरिक्त एस0 डी0 एम0 को तैनात कर रहे हैं जो वहां जाकर काम करेगा। इसमें करीब 35 तहसीलें प्रदेश में आती हैं। इसी प्रकार से बड़ी तहसीलों में एक तहसीलदार ठीक काम नहीं देख पाता था तो वहां अतिरिक्त तहसीलदार को नियुक्त कर रहे हैं। 99 तहसीलें ऐसी आती हैं। तो इससे यह होगा कि वह मौके पर जाकर भूमि के झगड़ों को देखेंगे और मुकदमों को जल्दी तय करेंगे। मैंने ऐसा किया है कि भूमि संबंधी झगड़ों में लोगों को जो बार-बार तहसील जाना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था तो अब वह अधिकार कानूनगो को दे दिया गया है वह मौके पर जाकर देखेगा और मौके पर फैसला करेगा और वहां पर कब्जा दिला देगा ताकि लोगों को बार बार तहसील में न जाना पड़े। तो जितना सरल हो सकता है उसको सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार से जो सीलिंग की भूमि थी या दूसरी भूमि थी उसका बंटवारा नहीं हो पाया है उसके लिये तमाम दिक्कतें होती थीं तो अब वह अधिकार कमिश्नर को दिया गया है। कमिश्नर इसको देखकर जल्दी से जल्दी तय करेगा और जाकर उसका फैसला करेगा ताकि जल्दी से जल्दी भूमि का बंटवारा गरीबों और हरिजनों में हो जाय और उसका कब्जा भी उनको मिल जाय। आये दिन कब्जे को लेकर झगड़े होते हैं तो उसके लिये प्रयास किया गया है कि जहां पर कब्जा नहीं मिल पाया है उनको कब्जा दिलाने के लिये विशेष दस्ते का प्रयोग किया जायगा और कब्जा दिलाया जायगा ताकि आये दिन ऐसे झगड़े न हो सकें।

मान्यवर, इसी प्रकार से बहुत से काम किये जा रहे हैं। यह प्रयास किया गया है कि जो हमारे किसान हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दें। हमारे प्रदेश

की मुख्य आय खेती है। अगर हम खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान को ज्यादा सुविधा नहीं देते हैं तो हमारी खेती की पैदावार नहीं बढ़ सकती। इसके लिये हमने प्रयास किया है। अभी आपने देखा होगा कि बरसात के समय जो बाढ़ आयी थी तो उससे हमारे बहुत से किसानों की खेती डूब गयी थी और उनका नुकसान हुआ था। हमने सीमांत किसानों को, लघु किसानों को खाद के लिये, बीज के लिये और कीटनाशक दवाओं के लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी दिया है ताकि किसान बुवाई कर सकें, खाद डाल सकें और कीटनाशक दवायें डाल सकें, जिससे खेती की पैदावार बढ़े। यह भी किया गया है कि जो सीमांत और लघु किसान हैं उनके लिये पम्पिंग सेट लगाने के लिये और बोरिंग के लिये बड़ी सुविधा दी गयी है ताकि वह बोरिंग करा सकें और पम्पिंग सेट लगाकर सिंचाई कर सकें। इसमें काफी सब्सिडी दिया है और इससे बड़ा फायदा हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में गांवों में जो छोटे किसान हैं वह बोरिंग करा रहे हैं और पम्पिंग सेट खरीद रहे हैं।

हम चाहते हैं कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा दी जाय। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि उनकी पैदावार जो है उसकी सही कीमत मिले। उनको गेहूं की कीमत ठीक मिले, पेड़ी की कीमत ठीक मिले और गन्ने की कीमत ठीक मिले। अभी कहा गया है कि गन्ने की कीमत जो दी जा रही है वह कम है। मान्यवर, हम चाहते हैं कि जो कीमत दी जाय वह किसान को जरूर मिल जाय। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कीमत तो मिल से दिला देते हैं लेकिन मिल कीमत को चुकाती नहीं है और बकाया पड़ा रहता है। तो इससे फायदा क्या है। किसान को यदि तुरन्त पैसा मिल जाता है तो किसान का फायदा होता है। गन्ने की कीमत 22 रुपये से 24 रुपये पश्चिमी जिलों के लिये की गयी है और पूर्वी जिलों के लिये 21 से 23 रुपये किया गया है। इससे किसानों को राहत मिली है। गन्ने की खेती बढ़ रही है और किसान खुश हैं। हो सकता है कि पश्चिमी जिलों में, चूंकि वहां पायरिला लग जाने से दिक्कत हुई है और गन्ना कम हुआ है, गन्ने से खाड़सारी बनने और गुड़ बनने से काफी गन्ना चला जाता है इसलिये कुछ दिक्कत आ सकती है लेकिन और जगह इस तरह की दिक्कत नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि जल्द किसान को गन्ने की कीमत ठीक से मिल सके और टाइम से मिल सके। और हमारा यह भी प्रयास है कि 15 दिनों के अन्दर किसानों को गन्ने की कीमत मिल जाए। यह आदेश दे दिये गये हैं और जहां कहीं समय से नहीं दिया जायेगा, वहां पर पूछ-ताछ की जायेगी कि विलम्ब क्यों हुआ।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

इसी प्रकार मान्यवर, हमारे पास बहुत सी भूमि बेकार पड़ी हुयी है। जैसे कि हमारा पूरा बीहड़ का क्षेत्र पड़ा हुआ है और पहाड़ी क्षेत्र पड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सी भूमि बेकार पड़ी हुयी है। कहीं पर ऊसर भूमि है और कहीं पर पुरानी परती भूमि है। हमारे आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 30.23

लाख हेक्टेयर परती भूमि, है जिसका अलग-अलग ब्योरा इस तरह है । 11.70 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि, 7.30 लाख हेक्टेयर पुरानी परती, 11.47 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि है । अब इस भूमि के प्रयोग की योजना भी हम बना रहे हैं कि जहां पर खेती हो सकती है वहां पर खेती हो और जहां खेती नहीं हो सकती है, वहां पेड़ लगाये जायें ताकि गांव वालों को पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिल सके और चारा भी उनके मवेशियों के लिए उपलब्ध हो सके । साथ ही कुछ ऐसे पेड़ भी लगाये जा रहे हैं जिससे गांव वालों को कुछ रोजगार मिल सके, जैसे शहतूत के पेड़ और अर्जुन आदि के पेड़ । साथ ही पेड़ों को बढ़ाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं । इसीलिए हमारी लगभग 72 करोड़ पेड़ों के लगाने की योजना है अगले सालों में और इस वर्ष लगभग 35 करोड़ पेड़ लगाये गये हैं । ताकि देश को प्रगति की ओर बढ़ा सकें । इसी प्रकार से हमारे जो हरिजन भाई हैं, विधवा महिलाएं हैं तथा जो भूमि-हीन हैं, उनको पट्टा दिया जायेगा । इसमें 50 प्रतिशत हरिजनों को, 30 प्रतिशत महिलाओं को और 20 प्रतिशत और गरीब भाइयों को दिया जायेगा । (तालियों की गड़गड़ाहट) हरिजन महिलाओं को कुछ ऐसी सुविधाएं भी दी जायेंगी ताकि वह पेड़ आदि लगाकर कुछ फायदा उठा सके ।

इसी प्रकार हमारा प्रयास है कि वृक्षारोपण कार्य भी हम तेजी से करें ताकि हमारे कृषक भाई पूरी तरह खेती पर ही निर्भर न रहें, पेड़ों आदि को भी लगाकर वे इससे भी पूरा फायदा उठायें क्योंकि खेती से उन्हें आज पूरा फायदा नहीं पहुंच रहा है क्योंकि ज्यादातर भूमि ऊसर की शक्ल में, बंजर की शक्ल में बेकार पड़ी हुयी है, इस तरह पेड़ों के लगाने से किसानों को फायदा भी पहुंचेगा और भूमि का भी प्रयोग हो जायेगा साथ ही किसानों को छोटे-छोटे लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों तथा ग्रामीण उद्योगों की ओर भी अग्रसर किया जा रहा है जो भी सुविधाएं हो सकती हैं, देने का प्रयास हम कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि हम कृषि की ओर भी कुछ प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश में बड़े उद्योग भी लग रहे हैं। लेकिन इसमें उतना रोजगार नहीं मिलता है जितना कि हमारे ग्रामोद्योग से, कुटीर उद्योगों से या लघु उद्योगों से। इसीलिए इनके स्थापित किये जाने की ओर हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। फिर भी हम अपने प्रदेश में बड़े उद्योगों को भी लगा रहे हैं जैसे इन्डो गल्फ उर्वरक कारखाना, जगदीशपुर (सुल्तानपुर) में, इफ्को उर्वरक कारखाना आंवला (बरेली) में, टाटा केमिकल्स उर्वरक कारखाना, बबराला (बदायूं) में, कपारो सुमी उर्वरक कारखाना, शाहजहांपुर में, टेलीफोन का चन्दौसी में, हिन्दुस्तान पेपर का कारखाना काशीपुर में, एच0 एम0टी0 घड़ी का कारखाना रानीबाग, (नैनीताल) में, वेस्पा कार कम्पनी सलोन (रायबरेली) में, टेल्को कामर्शियल व्हीकिल्स लखनऊ में, बिड़ला यामाहा जनरेटर्स देहरादून में, डी0सी0एम0 टोयटा एल0 सी0 वी0, सूरजपुर (गाजियाबाद) में, भारत इलेक्ट्रानिक्स लि0, कोटद्वार (गढ़वाल) में, मोदी जीराक्स, रामपुर में तथा पालीएस्टर

चिप्स (तीन परियोजनाएं) खटीमा में, इसके अलावा और भी छोटे-छोटे उद्योग लगाये जा रहे हैं। इस तरह से और भी बहुत से छोटे-छोटे और मध्यम उद्योग हैं। कुल 6 हजार करोड़ के बड़े उद्योग लग रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े उद्योग लग रहे हैं, उससे करीब 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 25 हजार लोगों को रोजगार मिलने से काम नहीं चल सकेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम छोटे-छोटे उद्योग लगा कर लोगों को काम दे सकें।

मान्यवर, यह जो हमारे अल्प संख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी हमने प्रयास किया है कि जो हमारे बड़े-बड़े शहर हैं, उनमें कभी-कभी नागरिकों में आपस में मनमुटाव हो जाता है। इसके लिए हमने नागरिक सुरक्षा संगठन को मजबूत करने की व्यवस्था की है और उसके लिए पहली बार हमने छोटे नगरों में प्रयास किया है कि उनमें समितियां बनायी जायं। उन समितियों को सरकार सहायता देगी। छोटे नगरों के लिए 15 हजार रुपये और बड़े नगरों के लिए 25 हजार रुपये हम दे रहे हैं, ताकि वहां पर आपस में बैठकर सद्भावना के साथ वह काम करें और मनमुटाव न हो सके। जो सरकारी और अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश दिये गये हैं कि जो चयन समिति बने, उनमें अल्प संख्यक वर्ग का एक सदस्य अवश्य होगा। इसी प्रकार सेना और पुलिस में अल्प संख्यक वर्ग के व्यक्ति को रखा जायगा, ताकि उस वर्ग के लोगों को उनमें स्थान मिल सके। बिक्रीकर विभाग के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूं। कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। कल विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, जितना मैंने किया है, उतनी शायद कभी न हुई होगी और सरकार ने इस बात के लिए निश्चय कर लिया है कि कोई भी गलत काम करने वाला, कोई भ्रष्ट कर्मचारी कोई गलती करते हुए पाया जायगा, जांच पड़ताल के बाद किसी को छोड़ा नहीं जायगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

श्री राम सरन—

मान्यवर, दो मंत्री मेज नहीं बजा रहे हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, बिक्री कर में कुछ लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो सेल्स टैक्स की वसूली होती थी, वह सेल्स टैक्स की वसूली, जो हमारा टारगेट था इस साल का 535 करोड़, उसकी वसूली मुझे आशा है कि काफी बढ़ जायेगी। अभी तक 4 महीने में 71 करोड़ बढ़ गयी, जो कि आशा से ज्यादा हो गयी, इतनी आशा नहीं थी। मान्यवर, यह छोटी बात नहीं है। 71 करोड़ अगर अतिरिक्त वसूली बढ़ जाय और इस तरह से काम होगा, तो हमारा टारगेट काफी बढ़ जायगा। जहां पर हमारा धन मिस-यूज होता था, गलत तरीके से खर्च किया जाता था, वह पैसा आयेगा और जनता की सेवा में लगेगा और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, उसमें लगेगा। मान्यवर, यह सरकार यह चाहती है कि जो हमारे बुद्धिस्ट कंट्री से लोग आते हैं। लेकिन सुविधायें उपलब्ध न होने से यहां से निराश होकर

जाते हैं, दुखी होकर जाते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको सुविधा प्राप्त करा सकें, इसलिए हमने इस काम्पलेक्स को बढ़ाने के लिए 16 करोड़ 26 लाख रु0 की व्यवस्था की है ताकि काम तेजी से हो सके और हम उनको सुविधा दे सकें। इसी तरह से पहाड़ों पर टूरिस्ट को बढ़ावा दे सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, ऐसे प्रयास हम कर रहे हैं। समय कम है इसलिए ज्यादा नहीं कह रहा हूं।

मान्यवर, हमारा प्रयास है कि हमारे जो पहाड़ हैं वहां पर हार्टिकल्चर की बहुत गुंजाइश है, वहां फलों को लगाने की बहुत गुंजाइश है वहां पर इसके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा यह प्रयास होगा कि हम पहाड़ों पर, मैदानों में, जहां फलों को लगाकर ज्यादा फायदा पहुंच सकता है वहां फायदा पहुंचायें। पशु-पालन को ज्यादा महत्व अभी हमारे प्रदेश में नहीं दिया गया है, इसको फायदा देकर एक तरह से हम किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। पशु-पालन विभाग को हमने अलग से सचिवालय बना दिया है। पशु-पालन विभाग को हम और अधिक सुदृढ़ करने जा रहे हैं और कोशिश करने जा रहे हैं कि और आज ज्यादा काम करके लोगों को फायदा पहुंचा सकें। मान्यवर, कुछ बातें कहने के बाद मैं एक बात कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। इस पर सबसे ज्यादा हाउस में चर्चा होती है। मैं चाहता हूं भ्रम जो हो, वह दूर होना चाहिए। अभी उस पक्ष के हमारे एक साथी बोल रहे थे, सहारनपुर के बारे में उन्होंने कहा। उन्होंने कहा इंजीनियर मारा गया, नेता विरोधी दल भी अपने भाषण में इसका जिक्र कर चुके हैं। अगर हम कानून व्यवस्था को खराब कर दें, उसमें सख्ती न करें और जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको करने दें, तो कभी अमन-चैन नहीं हो सकता है। हमने देखा है जो कानून हमारे पास थे उनका उपयोग किया गया है, लेकिन जितना फायदा होना चाहिए वह नहीं हुआ है। ठेका-पट्टे बन्दूक की नोक पर लेते हैं। किसी भी शरीफ आदमी के लिए यह असम्भव हो गया है कि वह सही बात कर सके। आज कहा गया कि गिरोह बन्दी अध्यादेश क्यों लाया गया। यह मजबूरी में लाना पड़ा। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग फायदा उठाने के लिए उन लोगों का साथ भी देते हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, हम जब इसको लाए, तो कहा गया कि पोलिटिकल लोगों को फंसाया जाएगा या निर्दोष लोगों को फंसाया जाएगा। हमने साफ कह दिया है कि यदि एक भी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की बात आएगी, तो जो कर्मी ऐसा करेंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा।

(मेजों की थपथपाहट)

जो भी ऐसा करेगा, जो हमारी मंशा है, उसको वह किल कर देगा, उसको खत्म कर देगा। इसलिए जो सरकार की मंशा है, उसके खिलाफ जो भी काम करेगा, वह खतरनाक आदमी होगा। जो कर्मचारी या अधिकारी किसी शरीफ आदमी को, किसी राजनीतिक दबाव के कारण ऐसा करता है, अगर उसकी शिकायत आती है, तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसी प्रकार से

मान्यवर, सी0 आई0 डी0 विभाग को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। जो भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन है, जो अपराध शाखा है, उसको हम सुदृढ़ करना चाहते हैं। आज के युग में मान्यवर, नये-नये ढंग से क्राइम हो रहा है, उसके लिये पुलिस को आधुनिकतम प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कालागढ़ में इसके लिये व्यवस्था की जा रही है, जहां पुलिस को ट्रेनिंग दी जायेगी, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

मान्यवर, हम पुलिस संचार व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने जा रहे हैं, रेडियो टेलीफोन को, ताकि कोई बात हो तो जल्दी से जल्दी उसकी सूचना पहुंच सके। आप देख रहे हैं कि हम कैसे कानून व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अखबारों में आया कि कई कर्मचारी और अधिकारी का ट्रान्सफर किया जा रहा है। जो लोग किसी से सम्बन्धित हैं, जो लोग किसी गिरोह से सम्बन्धित हैं, अगर उनको वहीं रखा जायेगा तो कैसे आप कानून व्यवस्था को सुधार पायेंगे। चाहे पुलिस हो या बाहर के लोग हों जो भी किसी गिरोह से संबंध रखते हैं, सहयोग देते हैं, उनको छोड़ा नहीं जायेगा। इसलिए यह उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप अध्यादेश लाया गया है। जो विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को भ्रम हो गया था वह दूर हो गया होगा और अगर कोई भ्रम होगा तो वह दूर किया जायेगा। सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है। सरकार की एक ही मंशा है कि प्रदेश में अमन और चैन कायम रहे। किस प्रकार से प्रदेश प्रगति करे, यही हमारा प्रयास है। मान्यवर, 2150 करोड़ रुपया हम लाये हैं अगर बीच में कोई उसको खाने वाला पैदा हो जाय तो सब पैसा बेकार हो जायेगा। हम एक-एक पैसे का सही उपयोग करना चाहते हैं। इसलिये यह काम किया जा रहा है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने कुछ बातें उठायी हैं, उनका थोड़ा जवाब देना चाहता हूं। मैनपुरी में फर्जी नोटों के छपाई के बारे में नेता विरोधी दल ने कहा। मैंने पता लगवाया इस साल कोई ऐसी बात नहीं है, गत वर्ष ऐसी सूचना मिली थी। हरिद्वार में इंजीनियर को गोली मारने की बात कही गई। ठेकेदार ने इंजीनियर को गोली मारी। उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। मान्यवर, यह कहा गया कि रास्ता रोको आन्दोलन को दबाया गया। ऐसी बात नहीं है। चाहे कोई भी आन्दोलन हो, चाहे विरोधी पक्ष करे या कोई भी करे लेकिन उससे जनता को परेशानी नहीं होना चाहिये। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आन्दोलन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन रास्ता रोककर काम रोक कर कोई आन्दोलन किया जाता है, जिससे जनता को कष्ट हो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को कष्ट न होने पावे। इसलिए यह प्रयास किया गया कि किसी का रास्ता न रुकने पाये, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहें तो कर लें। मान्यवर, कहा गया कि कालपी में झगड़ा हुआ। उसमें कहा गया कि कई हजार लोग इकट्ठा होकर पुल पर पहुंच गये, पुलिस के सिपाही थे, पता नहीं हथियार थे या नहीं। लेकिन अब अगर कोई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, लेकिन मान्यवर, उसकी मंशा किसी को परेशान करने की नहीं थी। हमारे

यहां से कहा गया था कि किसी को बन्द न करें । किसी को पकड़ा हो तो तुरन्त छोड़ दिया जाय । किसी को पकड़ने की बात नहीं है लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी थी, उसको अनुभव किया गया मान्यवर, गाजियाबाद काण्ड के बारे में कहा गया। उसकी जांच रेवन्यू बोर्ड के एक मेम्बर कर रहे हैं । रिपोर्ट आने पर जैसी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी । आलू के बारे में कहा गया। इस समय आलू के भाव की इतनी समस्या नहीं है । अभी 55 रुपये से कम कहीं कीमत नहीं है । आगे स्थिति आने पर किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने का प्रयास करेंगे । यह बताया गया कि राहत कार्य जो किया गया, उसमें काफी गड़बड़ी हुई है । तो मान्यवर, इस साल आपने देखा होगा, राहत कार्य में जिस तरह से चुस्ती लायी गयी, काफी एक्शन लिया गया । कहीं गलती हुई होगी तो आप बताएं, दूर कर ली जायगी । लेकिन इस साल बहुत चुस्ती लायी गयी है और बहुत अच्छा कार्य हुआ । आपने कहा चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं को-आपरेटिव और स्वायत्तशासी, संस्थाओं के तो यह बात सही है कि चुनाव होने चाहिये । मैं चाहता हूं कि चुनाव कराए जायं । और समय पर चुनाव कराए जाएंगे । चुनाव की प्रक्रिया कई तरह की होती है । जिला परिषद् के चुनाव मई के महीने में कराए जाएंगे । इसी प्रकार लोकल बाडीज के चुनाव की भी प्रक्रिया होगी । एक चीज जो आपने कही कि कम्प्यूटर का प्रयोग बेरोजगारी बढ़ाएगा । तो मान्यवर, आपको मालूम भी है कि दुनिया कितनी तेजी से जा रही है । साइंस और टैक्नालाजी में कितनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती । आज दुनिया की दौड़ में पीछे रह गये तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे । शायद आपको मालूम है कि हमारे जो भदोही के कार्पेट हैं या मुरादाबाद में पीतल के सामान बिकते हैं जिनकी काफी कीमत विदेशों में मिलती है, जिनसे काफी फारेन एक्सचेंज मिलता है, उसमें आज हमारे सामने संकट पैदा हो गया है । वह सामान दूसरे देशों ने कम कीमत पर देना शुरू कर दिया है ।

आज दुनिया में जो कम्पटीशन है उसमें नयी टेक्नालाजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे । जापान ऐसा देश जो एक युद्ध में बिल्कुल बेकार हो गया था, आज संसार के मार्केट को कैप्चर किये हुए है। यह छोटी बात नहीं है। हमने खेतों में पैदावार बढ़ाई, नये तरीके अपनाए। अच्छी तरह के बीज, फर्टिलाइजर और कीट नाशकों का इस्तेमाल किया गया। यह विज्ञान की नयी बातों का फल हमें मिला है और हम यह सोच रहे हैं कि हम अपने खेतों की पैदावार और किस तरह से ज्यादा बढ़ा लें । इस तरह से हमें देखना चाहिये कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें और काम करना चाहिये, बेकारी नहीं बढ़नी चाहिये, बेकारी को दूर करने के कार्यक्रम लाने चाहिये, जो आज की आवश्यकता है, उसको हम को जरूर करना चाहिये। हम चाहते हैं कि इक्कीसवीं सदी की बात को ध्यान में रखें, इक्कीसवीं सदी की बात यह होगी कि उस समय दुनिया कितनी आगे बढ़ गयी होगी, अगर आज हम उसी प्रकार से तैयारी नहीं कर पाये, तो दौड़ में बहुत पीछे

रह जायेंगे। इसलिए कहा जाता है कि तैयारी करें। टेलीविजन की बात कही गयी कि टेलीविजन क्यों बांट रहे हैं। माता प्रसाद जी के जिले में टेलीविजन बंट गया। उसे गांव के लोग देख सकेंगे, स्कूल के बच्चे देख सकेंगे, उससे तमाम बातों की जानकारी होती है, उससे शिक्षा मिलती है, खेती की पैदावार कैसे बढ़ायें, अपना रहन सहन कैसे ठीक करें, बच्चों को अच्छा कैसे बनायें, दुनिया कहां जा रही है, सारी बातों की जानकारी हो रही है, उनका मनोरंजन होता है। माता प्रसाद जी चाहते हैं कि पीछे रह जायं तो यह कैसे रहेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, तमाम स्कूलों में बैठने का समुचित स्थान नहीं है, तमाम बच्चे नंगे बदन स्कूल पहुंचते हैं, उनकी बाबत ध्यान दें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

विरोधी दल के नेताओं ने यह कहा कि विधान सभा नहीं बुलायी गयी। मान्यवर, पिछला सत्र सितम्बर में खत्म हुआ था। हम लोग 24 सितम्बर को यहां पर नयी सरकार के रूप में आये। 2–4 रोज बाद काम शुरू हुआ। यानि अक्तूबर के महीने से नयी सरकार ने काम करना शुरू किया। अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर – मान्यवर, यह कितने महीने हो गये, आप कह रहे थे कि दिसम्बर में बुलाइये, कितनी जल्दी आप बुलाना चाहते थे। हमने यह कहा कि विधान सभा जनवरी में बुला देंगे, आप लोगों को जो भी डिस्कस करना है, कर लीजिये। लेकिन, आपने कहा कि नहीं अभी बुलाइये। आपने जो चाहा, किया। हमने कहा कि समय आयेगा हम बुलायेंगे। इसमें आपका क्या नुकसान हो गया? जो सत्र की बात कही जाती है मैं आपको यह आंकड़ा दे सकता हूं कि जब-जब कोई भी सरकार रही, किसने कितना सत्र बुलाया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, उस समय नियम नहीं बने थे।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपका दल भी जब शासन में था, नहीं बुलाया था, क्यों कहलवाना चाहते हैं।

यह बात कही गयी कि मंत्रिमंडल के साथियों में मतभेद है। पता नहीं मतभेद आपको कैसे मालूम हो गया। जब आपके पास कम्प्यूटर नहीं है, तो आपको मालूम कैसे हो गया? (हंसी)

मान्यवर, मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि मंत्रिमंडल के साथियों में कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद है तो आपके यहां मतभेद है। मैं जानता हूं कि मतभेद आपके यहां है और आप अपने मतभेद को इधर लाना चाहते हैं। यह भी मान्यवर, होने वाला है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

हमारे मतभेद वाले साथी तो अब आपके यहां चले गये हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, भूतपूर्व सदस्या किशोरी शुक्ला की बात कही गयी। वह विधान सभा की सदस्य थीं, हमारी पार्टी की थीं। आपको मालूम है कि पिछले चुनाव में कुछ लोगों का टिकट कट गया, अब उन्होंने कहना शुरू

कर दिया कि टिकट हमने काट दिया। तब से वे अनर्गल प्रचार कर रही हैं। आप भी उसमें साथी बन गये हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी चीज आपने यह कही कि यूनानी और आयुर्वेदिक डाक्टरों की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई। मेरे यहां सुबह साढ़े आठ बजे से दस बजे तक लोग मिलते हैं। उसमें कुछ अप्लीकेन्ट्स मेरे पास आये थे, उन्होंने कहा कि उन्हें इण्टरव्यू में कम नम्बर दिये गये हैं। अगर कोई बात हमारे सामने आती है तो सरकार का यह दायित्व होता है कि वह उसे देखे। तो हमने भी यह देखा कि क्यों इनके इन्टरव्यू में कम नम्बर आये। इस सम्बन्ध में मैंने अपने सचिव और स्वास्थ्य सचिव से कहा कि इसे वह देख लें। बाद में यह फैला दिया गया कि मुख्य मंत्री ने फाइल क्यों मंगवा ली। यदि कोई शिकायत आप करें, उसे हम न देखें, तब भी आप बुरा मानेंगे और यदि देखते हैं तो तब भी आप बुरा मानते हैं। फिर वही आप कहेंगे कि मतभेद है। यह भी कहा गया कि मुख्य मंत्री जी किसी का नाम उसमें रखवाना चाहते थे। मैं आपको साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि न मेरा कोई आदमी उसमें रखवाया गया है और न ही मैं कभी रखवाने वाला हूं।

मान्यवर, प्रदूषण के बारे में कहा गया। हमारा प्रयास यह है कि जो भी इण्डस्ट्री लगे, वह ऐसी जगह लगे ताकि प्रदूषण से लोगों को नुकसान न हो इसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। पुरानी इण्डस्ट्रीज को भी हम देख रहे हैं। उनको भी नोटिस दे दिया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है।

मान्यवर, अभी श्री कौशिक जी ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में टाट-पट्टी नहीं है। यह बात सही है। उसे मैं देखूंगा और उसकी व्यवस्था करूंगा। यह भी कहा गया कि खाद्यान्न मूल्यों में वृद्धि हो रही है। यदि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी तो किसान को फायदा कैसे होगा। उसको तो हमें फायदा पहुंचाना है। यह भी कहा गया कि मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। शायद आपको मालूम होगा कि मुख्य मंत्री के आदेशों का पालन जरूर होगा। अगर मुख्य मंत्री के आदेश गलत हैं, तो उनका पालन नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री कोई गलत आदेश देने वाला भी नहीं है, इसे जरा आप ध्यान में रखें।

मान्यवर, श्री मित्रसेन यादव जी ने कहा कि जो फायदा गरीबों को दिये जाने की बात कही जाती है, वह उन तक नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए शायद आपको मालूम होगा कि जो हमारे ब्लाक हैं और उसमें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, समाजसेवी हैं और जो पुराने लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनायी जा रही है, उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होंगे जो यह जाकर देखेंगे कि जो सहायता दी गयी थी, वह सही दी गई है या नहीं दी गयी है। यदि सही नहीं दी गयी है तो उसके लिए जिम्मेदार आदमी कौन है। इसे सरकार तत्परता से देख रही है और कार्यवाही भी कर रही है।

(श्री यदुनाथ सिंह जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपा करके आप बैठ जायं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय नेता, विरोधी दल ने एक बात कही कि यह जो बाढ़ के लिए कार्य किया जा रहा है, तो 500 करोड़, 600 करोड़ रु0 हर साल का नुकसान होता है। इसमें 23 प्रतिशत जनसंख्या हर वर्ष प्रभावित होती है। इसमें जो छठी पंचवर्षीय योजना में परिव्यय रखा गया था 134 करोड़ रु0 का था, लेकिन 86.44 करोड़ रु0 खर्च हुआ। जब पैसा कम हो गया तो ज्यादा कैसे खर्च हो जायगा? इसमें विभाग की लापरवाही नहीं थी बल्कि पैसा मिला ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

इसमें 134 करोड़ मिला था, फिर खर्च क्यों नहीं हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

134 करोड़ रु0 की स्वीकृति दी थी प्रस्तावित था इस बाढ़ सेक्टर में, लेकिन मिला कम। इसीलिये प्रयास किया है। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है उसमें 260 करोड़ रु0 रखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष में 86.44 करोड़ रु0 खर्च हुआ, इस वर्ष में 260 करोड़ रु0 खर्च करेंगे। जल प्लावन और बाढ़ से काफी नुकसान होता है, इसके लिये काफी प्रयास कर रहे हैं।

एक सदस्य–

भूतपूर्व सैनिकों का जिक्र नहीं किया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

किया है, किया है, उनका भी जिक्र किया है।

श्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि 70 रु0 ब्लैक में खाद बिकी। मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि खाद में ब्लैक हो रहा है। खाद की कमी नहीं है, जब कमी होती है, तब ब्लैक होता है, मेरी समझ में नहीं आया कैसे ब्लैक हो रहा है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी। समय कम है इसलिये सब बातें नहीं रख पा रहा हूं लेकिन मैं आप सबकी बातों को, जो माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं, उसको देखूंगा और जो भी सुझाव अच्छे हैं, कोशिश करूंगा कि उनसे फायदा उठाया जाय। जो और बातें हैं क्षेत्र के सम्बन्ध में उनको भी देखा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

खलीलाबाद मिल के बारे में बता दें?

श्री वीर बहादुर सिंह–

खलीलाबाद मिल के बारे में वहां के मालिक लोग आये थे उन्होंने कहा कि पैसा दीजिये तो चलायेंगे, उनको 35 लाख रुपया देने के आदेश दे दिये हैं, वे चलाने जा रहे हैं। वाल्टरगंज के बारे में उन्होंने कहा था कि पैसा दीजिये हम तैयार भी हो गये थे, इसको भी देखेंगे। कुछ चीजों की तरफ शंका किया, मैं चाहूंगा कि जो सरकार कार्य कर रही है उसमें आप सबका पूरा सहयोग मिले। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, प्रगति के जो कार्यक्रम रखे गये हैं, उनको पूरा करने में दिक्कत होगी। माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका सहयोग प्राप्त होगा और यह जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं चाहूंगा कि इसका आप समर्थन करें।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव को पुकारे जाने पर)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न आप सुन तो लें, फिर चाहे उसे रिजेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

कहिये, क्या कहना है?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

कल सदन में 5 बजे 1986-87 का बजट प्रस्तुत किया जायेगा। आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि बाढ़ राहत कार्यों में रुपए बढ़ाये हैं और इतना रुपया कर दिया गया है। तो यह बजट का लीकेज है या नहीं?

श्री अध्यक्ष–

नहीं, यह नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण विचारों को रख करके, चाहे वे इधर के बैठने वाले सदस्य हों या चाहे उधर के बैठने वाले सदस्य हों, किसी न किसी प्रकार से हमारे संशोधन को स्वीकार किया है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब उधर के बैठने वाले लोग बोलने के लिए खड़े हुए तो पहले उन्होंने शुरुआत इससे की कि हम संशोधन का विरोध करते हैं, लेकिन आगे की कार्यवाही में हमारी बात को उन्होंने भी स्वीकार किया है। आप देखेंगे कार्यवाही में कि हमारे संशोधन को दोनों पक्षों के लोगों ने स्वीकार किया है, इसका मैं बहुत आभारी हूं और उनको धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, परसों धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए प्रदेश की जनता के हित में सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले माननीय सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सम्बन्ध में मैंने कुछ सुझाव रखे थे। उनमें से कुछ को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ठीक कह रहे हैं। लेकिन उस पर आगे चल कर मुख्य मंत्री जी क्या करेंगे? अपने भाषण में उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है जिसे कि उन्हें करना चाहिये था।

जब यहां श्री खान गुफरान जाहिदी द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा जारी की गयी, तो उसके संबंध में दो-तीन बातें कह कर मुख्य मंत्री जी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय श्री खान गुफरान जाहिदी ने सबसे पहले सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि मण्डलायुक्तों को अधिकार, प्रशासनिक अधिकार देकर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि वीर बहादुर सिंह की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है। लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जाहिदी साहेब, यह सत्ता का विकेन्द्रीयकरण नहीं हुआ है, यह भ्रष्टाचार का विकेन्द्रीयकरण हुआ है।

(5 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, अभी तक कम से कम धारणा यह थी कि मंडलायुक्तों के दफ्तर में भ्रष्टाचार की सामान्य रूप से चर्चा नहीं हुआ करती थी और अब उनको शक्ति देकर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। दूसरी बात मैं आप से पूछना

चाहता हूं कि जब आपके पास संसाधन नहीं हैं तो मंडलायुक्तों को 10-10 लाख रुपया किस बात का दे दिया, उनको इतना रुपया किस खुशी में दे दिया। उनके पास दफ्तर हैं, उनके पास कर्मचारी हैं, उनके पास गाड़ियां हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना रुपया उनको किस बात के लिये दे दिया गया? इस प्रकार से आपने एक लाख बीस हजार फिजूल खर्ची में स्वीकार किया है।

दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने उपलब्धियों के बारे में कही। मुख्य मंत्री जी की सरकार की किताब छपी है, सूचना विभाग की है, उसमें है कि बिजली के उत्पादन में और उसकी आपूर्ति में सुधार हुआ है। मान्यवर, यह किताब है, जिसमें उपलब्धियों का जिक्र किया गया है और उधर के लोगों ने भी उस बात का समर्थन किया है लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है और गलत आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। मान्यवर, जो बिजली मंत्री हैं उनको अपनी काबलियत पर बड़ा घमंड है। उसने कहा था कि प्लान्ट लोड फैक्टर में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और जो बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें जिक्र किया है कि 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई मैं कहता हूं कि आप अपने मंत्री जी से पूछिये कि वह सही हैं या बिजली बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, वह सही हैं। (दोनों सही हैं की आवाजें) ठीक है, दोनों सही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता के सामने जालसाजी के आंकड़े प्रस्तुत करके उसको गुमराह किया जा रहा है।

*ऊर्जा मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल को बतलाना चाहता हूं कि प्लान्ट लोड फैक्टर प्रति मिनट, प्रति घन्टा और प्रति दिन बदलता रहता है। जहां तक विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष का सवाल है, उन्होंने किस तारीख का कहा और मैंने किस तारीख का कहा, इसको देखना पड़ेगा, अगर एक ही तारीख और एक ही समय का है जो सही तथ्य हैं, उनको मैंने कहा था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

खैर इस पर भी चर्चा हो जायेगी। जब बजट पर बोलने का अवसर मिलेगा तो बता दूंगा, कि किस तरह से गलत बयानी कर रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया गया, किसान परख गन्ना नीति के बारे में चर्चा की गयी, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आपके निगम हैं, उनमें भी सुधार की बात कही गयी है, लेकिन मान्यवर जो आपके निगम हैं उनमें 1984-85 में 26 करोड़ रुपये का और चालू वित्तीय वर्ष में यह घाटा बढ़ कर 32 करोड़ रुपया हो गया है और यहां पर चर्चा की जा रही है कि हमने प्रगति की है। मैं उसी किताब से बोल रहा हूं जो आपके सूचना विभाग द्वारा छापी गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया है, उसके साथ बेइन्साफी की गयी है। जनता को चीनी सस्ते दाम पर मिलनी चाहिये लेकिन वह नहीं मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जहां तक गन्ना मिल मालिकों का सवाल है वह 4 रुपया देने के लिये तैयार हैं, लेकिन सरकार इजाजत नहीं दे रही है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

कोई रोके नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे बड़ी उपलब्धि यह बताई कि जिन कर्मचारियों का परफारमेंस अच्छा नहीं होगा, उनको बरखास्त किया जायेगा, और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। आपने कहा कि उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, लेकिन आपने आज तक किसी भी कर्मचारी या अधिकारी की सूची नहीं प्रकाशित की कि कौन-कौन से अधिकारी भ्रष्टाचार में निकाले गये ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह तो पहले ही अखबारों में निकल चुका है। अगर नाम जानना चाहते हैं, तो वह आपको तुरन्त मिल जायेंगे। विभागों में मिल जायेंगे। अखबार में नाम भी निकले हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपने विभागाध्यक्षों को आदेश दिये हैं कि जिन कर्मचारियों के 50 साल सेवा के पूरे हो गये हैं और जिनका रिकार्ड खराब है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

आपने यह आदेश कर दिया है लेकिन विभागाध्यक्ष भी तो ऐसे हो सकते हैं और अगर हो सकते हैं तो आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 कितनों के खिलाफ कार्यवाही की है, कितनों को बर्खास्त किया है, कितनों को नौकरी से निकाला है। जो छोटे कर्मचारी हैं जिनके ऊपर नाराजगी थी, उनको निकाला गया है। मैं कहता हूं कि आपकी नाक के नीचे विभागाध्यक्ष बैठे हैं, जिनके ऊपर गम्भीर आरोप हैं उनके ऊपर आपने क्या कार्यवाही की है? माननीय मुख्य मंत्री जी कार्यवाही करिये यह मेरे कहने का मतलब है।

दूसरी बात मान्यवर, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आपने अभी कालपी का जिक्र किया। कालपी का जिक्र करते समय इस माननीय सदन का कोई भी सदस्य जो संवेदनशील है, जिसने भी आज का अखबार पढ़ा होगा, उसको तकलीफ हुई होगी और मान्यवर, आप कह रहे हैं कि मैं देखूंगा। मैंने आपसे 3 बार बात कर लिया, 3 बार मैं दो बार कह रहा था, एक बार टेलीफोन पर बात की और आज फिर मैंने टेलीफोन पर बात की। आपके लोगों को, आपकी सरकार को, अपराधियों और राजनीतिज्ञों में फर्क करने की तमीज नहीं है। माननीय चौधरी शंकर सिंह इस माननीय सदन के 4 बार एम0एल0ए0 रहे हैं और प्रमुख विधायकों में थे, उत्तर प्रदेश लोकदल के उपाध्यक्ष हैं। उनको कल पुलिस ने हथकड़ी डालकर कचहरी में घुमाया। उन्होंने जानबूझकर उनकी हथकड़ी डालकर एक जगह नहीं बैठाया पूरी कचहरी में घुमाया है। इनके अधिकारियों ने पुलिस के कुछ दरोगाओं ने, कालपी में दरवाजे दरवाजे पर जाकर लोगों से कहा कि हमने तुम्हारे नेता को हथकड़ी डालकर घुमाया है और अश्लील गालियां दीं। आप इसको देखें। जुडीशियल मैजिस्ट्रेट ने भी इसकी निन्दा की है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने डी0 जी0 पी0 को तुरन्त कह दिया कि उसको देखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

डी0 जी0 पी0 से नहीं आई0 जी0 से कहा था। मुझसे आपने कहा था कि आई0 जी0 से कह दिया है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है। सदन में अशोभनीय आचरण से, आपको तकलीफ हो सकती है लेकिन अशोभनीय आचरण के लिए यह निकम्मी सरकार हमें मजबूर करती है। मान्यवर, हथकड़ी डालकर देख लीजिए लेकिन जो उधर के सदस्य हैं उन पर भी आ सकती है। इसी

चेयर से स्वर्गीय माननीय बनारसी दास ने कहा था कि भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 तक के लिए भी हथकड़ी नहीं डालना चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि बहुत जरूरी हो और बहुत ही विषम परिस्थितियां हों तो हथकड़ी डाली जा सकती है लेकिन आज आपकी पुलिस ने अपराधियों की तरह से चौधरी शंकर सिंह को हथकड़ी डालकर घुमाया है, हमारी पार्टी के सारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को नेताओं को हथकड़ी डालकर घुमाया है।

(व्यवधान)

इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है और माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय चौधरी शंकर सिंह को जो यातनाएं दी गयी हैं वह किसी क्लास के लोगों को नहीं दी गयी है। आज माननीय मुख्य मंत्री जी एक दिन में बता दें, दो दिन में बता दें, दो दिन से ज्यादा समय देने वाला नहीं हूं अगर दो दिन में उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी तो मान्यवर, हम कुछ भी करने के लिए इस सदन में मजबूर होंगे। जो भी अशोभनीय आचरण हम लोग करते हैं वह पूरे सदन के माननीय सदस्यों के सम्मान के लिए करते हैं। हम अपने लिए कोई अशोभनीय आचरण नहीं करते। आगे चलकर आपको भी करना पड़ेगा। आप बहुत दिनों तक यहां पर रहने वाले नहीं हैं। तब आपको पता चलेगा। हमेशा आप बने नहीं रहेंगे।

अब मैं रास्ता रोको आन्दोलन के बारे में कहना चाहता हूं। रास्ता रोको आन्दोलन को एक बड़ा रूप दिया गया मैं पूछना चाहता हूं, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों, सारे माननीय सदस्य आज आन्दोलन की वजह से ही कुर्सियों पर बैठे हैं। और मेरी मांग है कि आन्दोलन करने का अधिकार संविधान में जोड़ दिया जाय। हमारी मांगें क्या थीं? यह मैं उधर के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी 7 मांगें थीं गांवों की बचत का पैसा गांवों में ही खर्च किया जाय, समान शिक्षा हो, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हों, हर एक को काम पाने का मौलिक अधिकार प्राप्त हो, किसानों को लाभकर मूल्य दिया जाय, स्थानीय निकायों का चुनाव कराया जाय, तथा भ्रष्टाचार, पुलिस का जुर्म और महंगाई पर रोक लगाई जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने माननीय सदस्य बैठे हैं यदि वे इन मांगों से अपनी असहमति प्रकट करते हों तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बैठ जाऊंगा। ये तमाम मांगें उत्तर प्रदेश की जनता के हित में थीं और आप उनको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया, सदन में भी बोले और हमारे आन्दोलन का मकसद लोक प्रशिक्षण और लोक-जागृत था और उसमें पूरे के पूरे प्रदेश में हम लोग कामयाब हुए हैं। मैं उस आन्दोलन के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि पूरी बात हमने पहले कह दी थी किन्तु मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज उन्होंने भी स्वीकार किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि कालपी के पुल पर सैकड़ों में नहीं हजारों लोगों ने, जनता ने रास्ता रोका था। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हजारों लोग थे। तो हमें इस बात की खुशी है कि मुख्य मंत्री जी ने रास्ता रोको आन्दोलन स्वीकार किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं अभी मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि महाराष्ट्र से ज्यादा हम लोगों को योजना आयोग ने पैसा दिया है। मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ तो लिया है, मैं इसे 17, 18 तारीख के भाषण में सदन को बता दूंगा। आपने हिसाब तो लगा लिया लेकिन आप

हमें यह बता दें कि महाराष्ट्र की जन संख्या क्या है, उसके अनुसार उनको कितना मिला है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है उसके अनुसार उसको कितना मिला है? अगर यह सही है और उसके अनुसार उसको ज्यादा मिला है तब तो मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं और कहता हूं कि पहले मुख्य मंत्री हैं जो प्रयत्न करके ज्यादा पैसा ले आये हैं। इसलिये गलत आंकड़े मत दीजिये।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, जब योजना बनती है उस समय प्रदेश को अपने रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, संसाधन देने पड़ते हैं। महाराष्ट्र अपने संसाधन बहुत ज्यादा जुटा लेता है, हम नहीं जुटा पाते हैं। अगर जुटा लें तो हम भी बहुत ज्यादा पा सकते हैं। हमारे यहां कमी रहती है और इसीलिये यह कम हो जाता है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह बात भी उन्होंने हमारी स्वीकार कर ली है। दो तरीके से आपको पैसा मिलता है एक तो संसाधन और दूसरे क्रियाकलाप से, कि सरकार की परफारमेंस कैसी थी। इन दो आधार पर आपको पैसा मिलता है। आपने स्वीकार कर लिया कि आपके पास संसाधन भी नहीं हैं। आपने कहा कि 134 करोड़ रुपये स्वीकृत हुआ था, जो उन्होंने नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि आपकी सरकार के क्रियाकलाप, आपके विभागों के क्रियाकलाप जो थे, वे दोषपूर्ण थे, इस लिये आपको ज्यादा पैसा नहीं दिया गया है। मान्यवर, दूसरी बात कही गयी कि हम तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं, बड़ी तालियां बजी मैं पूछना चाहता हूं जबरदस्ती मकानों पर कब्जा करने वाले, जबरदस्ती पेमेंट करने वाले कितने लोगों को आपने रासुका में बंद किया? (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

संख्या आने दीजिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैं आपसे सहमत हूं जो पुलिस अधिकारी या दूसरे अधिकारी जिनका सम्पर्क गिरोहों से है, जो डकैतों को संरक्षण दे रहे हैं, उनका आपने ट्रांसफर किया तो आपने स्वीकार किया है कि अधिकारी गिरोहबंद डकैतों और अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, जिनका आपने ट्रांसफर किया है। तो जो आपने आदेश जारी किया है, उसमें ऐसे लोगों को संरक्षण देने वालों को खाली ट्रांसफर करना काफी है। क्यों नहीं उनको जेल भेजा गया? जब आप स्वीकार करते हैं कि 5 सौ या 15 सौ ऐसे आदमी हैं जिनका आपने ट्रांसफर किया है और उन चार पुलिस अधीक्षकों को जेल क्यों नहीं भेजा। अगर वास्तव में आपकी नियत साफ थी तो सबसे पहले उनको जेल भेजना चाहिये था तो क्यों गलत बयानी आप कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब है कि आप दो तरह के आदेश देते हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैंने यह नहीं कहा कि दो तरह के आदेश देते हैं। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं मुख्य मंत्री जी हमारे साथ अन्याय हो रहा है और तथ्य उसमें कुछ और हो, जब कोई कहता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो कहा जाता है कि कार्यवाही की जाय और तथ्य विपरीत हो तो उसे देखना पड़ेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

बिना देखे आदेश देंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

चलिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने सुधार किया। तो होता ऐसा है कि असली आदेश कुछ और होता है और प्लीजिंग आदेश कुछ और होता है, बाद में कह देते हैं कि मत करना।

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसा नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे बारे में भी कुछ माननीय सदस्यों ने बातें रखी तो मुझे कहना पड़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह चर्चा बंद होनी चाहिये। अगर मेरे खिलाफ कोई आरोप हैं तो मान्यवर, आपके द्वारा पूरे सदन से जांच करा लें, मेरी खुली किताब हैं, यदि आरोप लगाये गये हैं तो उनकी जांच आपने करायी है। पिछले साल भी एक बात कही गयी और आज भी कही गयी कि जब मैं मंत्री था तो मेरी सभा में असामाजिक तत्व थे। आप नोट कीजिये उसकी आपकी सरकार ने जांच कराई है और जांच रिपोर्ट आपके पास होगी। मेरे मंच पर असामाजिक तत्व थे और जांच रिपोर्ट मेरे खिलाफ आई है तो कार्यवाही करिये वर्ना दो तीन चार पांच दिन के अंदर सदन के पटल पर सरकार ने रिपोर्ट पेश नहीं की तो जिन लोगों ने गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो सदन चलाने की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी आप पर होगी मेरी नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे सदन को चैलेंज कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें और बैठ जायं। नेता विरोधी दल आप अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र कपिल–

आप हमको संरक्षण दें।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

जो नेता विरोधी दल ने चैलेंज की बात कही है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री राम सरन–

मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। आप सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य और विरोध पक्ष के माननीय सदस्य कृपा करके शांत रहें और अपने-अपने स्थान पर बैठ जायं।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि मेरी खुली किताब है, मेरी जांच करवा लें और यदि दोषी ठहराया जाता हूं तो जो सजा देंगे वह भुगतने के लिये मैं तैयार हूं और फांसी होगी तो फांसी के लिये भी तैयार हूं लेकिन, झूठे आरोप न लगायें।

मान्यवर, मैं कोई ऊपर से नहीं आया हूं बल्कि मैं अपने जीवन से संघर्ष करके आया हूं और प्रजातांत्रिक मूल्यों के लिये संघर्ष करके आया हूं।

(घोर व्यवधान)

आपने देखा था कि जब माननीय नेता सदन बोल रहे थे तो हमारे सारे विपक्ष के लोगों ने कितनी शालीनता और गम्भीरता का परिचय दिया था, लेकिन आप उनको तहजीब सिखाइये। (व्यवधान) तो मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं ऊपर से नहीं आया हूं, ऊपर से नहीं आ टपका हूं। मैं सन् 1967 में ही पहली-बार यहां चुनकर आ गया था, तब से

लगातार यहां मेम्बर रहा हूं, कुछ समय विधान परिषद् में रहा हूं और विरोध पक्ष का नेता रहा हूं। हम मुख्य मन्त्री के साथ-साथ सन् 67 में चुनकर आए हैं. . (व्यवधान) यह बात कहोगे तो मुश्किल होगी।

(व्यवधान)

मान्यवर, आप व्यवस्था कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इधर के बैठे लोग संघर्ष करके आए लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में पवित्रता लाने के लिए लोकतान्त्रिक जीवन की रक्षा के लिए कटि-बद्ध हैं। जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का सदा प्रयास किया है। हम उनकी तरह से ऊपर से नहीं आ गये हैं। इसलिये हमारी यहां सबकी खुली किताब है। अब मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कह रहे थे कि वह कार्यवाही करने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ 11 संगीन केस हैं और 307 का मुल्जिम है, उसे आपके मोदीनगर की पुलिस ने छोड़ दिया है। वह ग्राम मुलसम, थाना दोघट, तहसील सरधना, जिला मेरठ का आदमी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उस पर क्या कार्यवाही की है, उसको छोड़ने के लिये किसने सिफारिश की है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, उधर के साथी हमें गरिमा, मर्यादा और नैतिकता का उपदेश दे रहे हैं।

अब मैं आपको इनकी नैतिकता और गरिमा की बात बताना चाहता हूं कि इनके लोग घिनौना कार्य कर रहे हैं। मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहा हूं। जब फतेहपुर का मामला आया, उसको लेकर मैंने एक बड़े अधिकारी से कहा कि पुलिस के लोगों ने प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक नौजवान युवती के साथ जो जघन्य कुकर्म किया है, आप लोग उस पर कुछ भी नहीं करते हों, तो तुरन्त उसने जबाब दिया कि आप अपने नेताओं की तरफ तो देखिए, ऐसे लोग हमारे अधिकारियों में नहीं हैं, यह बढ़ावा तो आपकी तरफ से है। तो सारे उधर के काम करने वाले लोगों ने बम्बई में कांग्रेस शताब्दी अधिवेशन के मौके पर जो कुकर्म किए हैं, उससे संवेदनशील कुछ नहीं हो सकता है (व्यवधान) इसमें उधर के लोगों की ही बदनामी नहीं हुई है (इस समय सत्ता-पक्ष के एक सदस्य अपने स्थान पर बैठे-बैठे एक अखबार दिखाने लगे) मान्यवर, अब आप इसको बन्द करा दीजिए। बम्बई में जो कांग्रेस शताब्दी समारोह मनाया गया, उसमें जो कुकर्म इन्होंने किये, उससे हमारा सर ही नीचा नहीं हुआ है राजनीति में काम करने वाले सभी दलों के लोगों का सिर नीचे हुआ है। उनका सर कांग्रेस के लोगों ने नीचा किया है। थर्ड क्लास के चकलाघरों में इनके लोग पकड़े गये हैं और यही नहीं सबसे ज्यादा अफसोश तब हुआ है जब अखबार में छपा है, इस सम्बन्ध में जब पानी सर के ऊपर निकल गया, तब प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने जो आपके नेता हैं और आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मान्यवर. . . (व्यवधान) यह बात होगी तो इस तरह से ठीक नहीं होगा। (व्यवधान)

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की बात हमने बहुत ध्यान से सुनी है इसलिये हमारी बात भी आप लोग सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपना भाषण जारी रखें, सब लोग शांत हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

यह डेमोक्रेसी का तकाजा है। आप आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि थर्ड क्लास

के चकलाघरों में इनके लोग पकड़े गये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और देश के प्रधान-मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दलाल भर गये हैं और भ्रष्टाचार के माध्यम बनाकर ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पानी अब सर से ऊपर निकल चुका है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष और देश के प्रधान मंत्री ने बम्बई में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में यह बात कही है। हमारा सर शर्म से नीचे झुक जाता है आज कांग्रेस का सवाल नहीं है, सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सारे लोगों के सर नीचे झुके हैं अखबारों में निकाला है कि उत्तर प्रदेश के लोग भले थे काम किया, पेमेंट दिया और चले गये। दिल्ली में इसकी चर्चा है और अखबारों में यही चर्चा है। इस बात को मैं कहना नहीं चाहता था।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

पाठक जी आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अब आचार संहिता बनायी जा रही है। तो मर्यादा, नैतिकता और गरिमा को आज पूरी तरह से नष्ट किया गया है और इसको नष्ट किया है सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों ने। आज गम्भीर सवाल है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं सदन के लोगों से कि अगर लोकतंत्र में विश्वास है तो आलोचना सहन करने की क्षमता सीखें। जब मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे तो इधर के एक भी सदस्य ने कुछ नहीं किया और अगर आप हुल्लड़बाजी करोगे तो हुल्लड़बाजी में हम लोग माहिर नहीं हैं, हुल्लड़बाजी हम जानते नहीं हैं और करना नहीं चाहते हैं। जब करेंगे तो आप भी उसको समझो। तो हमें उपदेश मत दीजिये। अंत में मैं जोरदार शब्दों में धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं और अपने संशोधन को पेश करता हूं। (मेजों की थपथपाहट।)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने, जिस बात पर यकीन किसी को न आये, गैर यकीनी बात को वह यकीनी बनाना चाहते हैं। एक शेर है:–

"हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है?

तुमही कहो कि ये अंदाज-ए-गुफ्तगू क्या है ?"

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक विशाल पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी है। इसके 100 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। यह आजादी के बाद की पैदावार नहीं है। यह आजादी लाने वाली पार्टी है और आजादी को चलाने वाली पार्टी है।

(मेजों की थपथपाहट।)

इसीलिये हमारे नेता ने बहादुरी के साथ इस बात को कहा है। जब पार्टी बड़ी होती है तो देखा जाता है कि पार्टी में अच्छे लोग आयें। स्क्रीनिंग करके हम अच्छे लोगों को लायें। इस बात को उन्होंने हिम्मत से कहा है किसी और पार्टी के नेता ने यह बात नहीं कही है। हमारे ही नेता ने यह बात कही है। मान्यवर, मैं यह अर्ज कर रहा था, नेता विरोधी दल ने अपने संशोधन में कुछ बातें रखीं। इसमें भी जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा सरकार की नीति है, एक प्रक्रिया है, बिजली की, आवपासी की। बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक साल में 1 लाख यूनिट, छोटी-छोटी यूनिट लगाने की, बड़ी सड़कें बनवाने की, बिजली के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, इनके बारे में मुख्य मंत्री जी ने बात की। प्रशासन की बात बतायी कि किस प्रकार से ठीक करने जा रहे

हैं। उनके जितने भी सवाल हैं, उनका छोटा-छोटा जवाब मैं देना चाहता हूं।

आप विकेन्द्रीकरण की बात कर रहे हैं कि कैसे कर दिया। मैं यह कह रहा था आपने कहा कि आप कमिश्नरों से वेरीफिकेशन भी करावें, विकेन्द्रीयकरण अच्छी चीज नहीं है। तो जो जमीनों का इतना बड़ा काम है, उसके लिये अतिरिक्त तहसीलदार न रखें, अतिरिक्त एस0 डी0एम0 न रखें या अतिरिक्त काम न बढ़ाया जाय तो कैसे काम हो? आप वह काम कर रहे हैं कि दवा खाने से पहले पूछना चाहते हैं कि दवा फायदा करेगी कि नहीं। हम पहली बार विकेन्द्रीकरण की ओर बढ़ रहे हैं तो आपने एतराज किया। एतराज के लिये तर्क होना चाहिये। दवा खाने से पहले आपने कह दिया कि लीजिये 1.20 करोड़ का घाटा कर दिया। तो हमें यह काम समय के अन्दर पूरा करना है। उसका वेरीफिकेशन भी करना है और क्वालिटी भी बनाए रखना है। आपने जो बातें रखी थीं, उनको मैं एक एक कर कह रहा हूं। हरिजनों और बेरोजगारों के सम्बन्ध में बड़ी चर्चा हुई। एक साथी यह कह रहे थे कि इधर कीमतें बढ़ रही हैं। तो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे काम होगा? जो भी पार्टी के प्लान होंगे बीस सूत्री प्रोग्राम के लिये या और जो पार्टी ने वादा कर रखा है, उसको पूरा करने के लिये प्रोग्राम बनाना होगा, रिसोर्सेज तैयार करने होंगे। फिर कम खर्च करने के लिये भी कमर कसनी होगी। आपका सुझाव था कि आस्टेरिया किया जाय। अच्छा सुझाव है। हमें अपने प्रोग्राम्स के लिये जितनी भी आवश्यकता होगी उसको पूरा करेंगे। अगर आलू के दाम बढ़ाए जायं तो किसानों को फायदा होगा। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाय तो उनको फायदा होगा। लेकिन दो बातें एक साथ नहीं कही जा सकती हैं। आपका एक तरफ कहना है कि चीजों के दाम गिराए जायं, दूसरी तरफ किसानों को भी पैसा ज्यादा दिया जाय। आप गन्ने की बात कहते हैं। सत्रह रुपये से चौबीस रुपये गन्ने के दाम किये गये। माननीय नेता विरोधी दल को भी मालूम है, वह मंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत से काम करके आगे बढ़े हैं। वह किसान हैं। माननीय राम सरन और नेता विरोधी दल भी जानते हैं कि जो दाम रखे जाते हैं, वह इसलिये रखे जाते हैं कि इससे कम नहीं दिया जायेगा। अगर कोई कारखाने वाले 24 की जगह 30 दें, तो वह दें। हमारा यह उद्देश्य है कि उससे कम न हो। हमारा यह काम है कि सपोर्ट प्राइस 55 रु0 है, उससे कम न हो, सपोर्ट प्राइस की बात कही गयी और बहुत जोरों से कही गयी।

आपने कम्प्यूटराइजेशन के बारे में कहा। तारीफ और तजुर्बा भी कोई चीज है। आज से 35 साल पहले जब किसानों से कहा जाता था कि ट्रैक्टर ले जाओ, फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो। तब जब टेक्सटाइल इन्डस्ट्री लगनी शुरू हुई, तो आपने कहा कि सभी बुनकर खत्म हो जायेंगे। बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए मुसलसल साइंस और टेक्नालाजी का सहारा लेना होगा। रास्ता रोको आंदोलन का बड़ा जिक्र किया गया। एक, दो जगह छोड़ कर कहीं पर हुआ नहीं। हमने तो दबाया भी नहीं। रास्ता रोको आन्दोलन उठा ही नहीं तो दबाने का सवाल क्या उठता है। 3-4 जगह हुआ। आपने मुलाजिमों को काम पर जाने से रोका, वहां पर झगड़ा शुरू हुआ। आपने बीमार लोगों को अस्पताल जाने से रोका, वहीं पर झगड़ा शुरू हुआ। अगर आप मुलाजिमों को काम पर जाने से रोकेंगे या बीमार लोगों को अस्पताल

जाने से रोकेंगे, तो हम यह नहीं होने देंगे। जितनी जिम्मेदारी हमारी है, उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर कोई ऐसा काम करता है, जिससे प्रगति रुकती है, तो वह हम नहीं करने देंगे।

श्री यदुनाथ सिंह–

हमें लगता है, आप समझ नहीं पाये हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय मुख्य मंत्री ने जो प्रोग्राम की बात की है, 143 दिन हुए हैं, शुरू से देखा जाता है कि प्रशासन में किस तरह से चुस्ती आई है। किस तरह से ड्यूटी वालों को फुल ड्यूटी करने के लिये कहा गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने भाषण में कह दिया कि जहां तक रूल आफ ला की बात है, छोटा है तो छोटा क्या? बड़ा है, तो बड़ा क्या? दोनों के साथ एक तरह का फैसला होगा। हम इन्साफ दिलाने के लिए बैठे हैं, हम इन्साफ दिलाकर रहेंगे। नेता विरोधी दल ने मतभेद की बात कही। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मत इधर है, भेद उधर ही उधर है। एक, दो, तीन, चार, पांच भेद उधर ही दिखाई दे रहे हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय जहां तक रिसोर्सेज क्रिएशन की बात है हमारी पार्टी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आप से सहयोग के लिए भी कहा है और इसके लिये यह भी करना पड़ेगा कि हम मुल्क के लिए कुछ कुर्बानी भी दें और आपके खर्चों में कुछ कमी भी लाएं। रिसोर्सेज क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा, गुस्से को सहना पड़ेगा, मुसीबत को भी उठाना पड़ेगा, जब हम अपना कुछ खोयेंगे तब मुल्क आगे बढ़ेगा। इसी पर मान्यवर एक शेर भी है–

"मुसीबतों से लरजने वालों,
मुसीबतें हैं नसीबों इशरत।
ख्वंजा का दामन उलट के देखो
बहार की ताजगी मिलेगी।"

इन मुसीबतों के साथ-साथ तुलना भी पड़ेगा। जो वायदे किये हैं, उनको निभाने के लिए भी तुलना होगा। माननीय राम नरेश यादव जी ने बिजली के सिलसिले में कुछ कहा, भाई बसंत जी भी कुछ बोले और माननीय सदस्य भी कुछ इधर के और कुछ उधर के बोले, अपने-अपने विचारों को रखा कुछ सुझाव भी अच्छे आए। जिसे मा0 मुख्य मंत्री जी ने वायदा भी बड़े अच्छे ढंग से लिया है कि जो विचार हैं जब हम स्कीमें बनायेंगे तो उन्हें भी देखेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

आपकी स्कीमें कब तक बनेंगी?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

भाई बुनियाद हुसैन साहब आप अपनी पहले बुनियाद ठीक करायें। मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो सुझाव मा0 सदस्यों ने रखे हैं, उनको मा0 मुख्य मंत्री जी ने हर कीमत पर अपने विचार में रखने की बात कही है। आखिर में मान्यवर, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एक लम्बा राजनीतिक जीवन यहां व्यतीत करते हुए (भाषण के दौरान एक शेर और, एक शेर और हो की आवाज होती रही।)

जिनके खुद शीशे के महल हों, उन्हें दूसरों पर ढेला नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए खामोशी से सुनिए क्योंकि आप अभी क्वार्टर फायनल में भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आचरण की ओर भी कैरेक्टर की ओर भी कुछ कहना चाहता था। अक्सर हम लोग दूसरों के कैरेक्टर के खिलाफ बहुत कुछ कह जाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए। किसी की निजी जिंदगी के बारे में, हर आदमी आज चाहे कितनी ही शराफत की जिंदगी जिए, लेकिन कुछ न कुछ हरेक के पीछे लगा दिया जाता है, फिर भी हर आदमी को अपनी कोशिशों में अवश्य लगे रहना

चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में, अपनी नीति में, जिसका उल्लेख हमें अभिभाषण में मिला है और जैसा कि मैंने अपने धन्यवाद के प्रस्ताव में पेश किया है। जिसे मा0 सदस्यों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा और उस पर अपनी-अपनी राय दी, इन सबको देखते हुए मैं चाहूंगा कि एक तो कैरेक्टर आप क्रीएट कर दीजिए और आइए तामीरे प्रोग्राम में हम सब जुट जायं और इसका एक उदाहरण कायम कर दें। प्रगति में जुटें। हरिजन भाइयों की और तमाम लोगों को जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने का प्रयास किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव को पास किया जाए और माननीय नेता विरोधी दल से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:–

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:–

"वर्तमान सरकार जनहित में कार्य नहीं कर रही है और जनता का उस पर विश्वास नहीं रह गया है। दिन प्रतिदिन मंहगाई बढ़ती जा रही है, और कानून का राज्य समाप्त हो गया है। जनतांत्रिक समस्याओं को कमजोर कर दिया गया है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। धान व गन्ना किसानों की लूट बड़े पैमाने पर जारी है। बिजली और पानी के अभाव में सिंचाई एवं औद्योगिक प्रगति का कार्य ठप्प हो गया है। भ्रष्टाचार प्रगति पर है। सरकार का कार्यपालिका पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। बेरोजगारी के बढ़ने से लाखों नवयुवकों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। आम नागरिकों, कर्मचारियों, वकीलों और मजदूरों पर लाठी गोली चलाकर दमन किया जा रहा है प्रदेश की पुलिस अनियंत्रित होती जा रही है और हत्याओं तथा लूट में लगी हुई है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अन्य संशोधन जो उपस्थित किए हुए माने गये हैं वह भी अस्वीकृत हुए।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 6 फरवरी, 1986 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत मुझे चार सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जिनमें से मैंने राजेन्द्र कुमार गुप्त और सत्य प्रकाश विकल जी की सूचना जो गंगा एस्बेस्टस सीमेन्ट लिमिटेड, रायबरेली के मजदूरों का वेतन न मिलने के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है। शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ : **भाल चन्द्र शुक्ल,**
सचिव, विधान सभा,
13 फरवरी, 1986 उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25 पर)

ग्राम	रकबा	मूल्य प्रति एकड़
याह्यापुर ..	0.07 एकड़	19285-71
	35-98 एकड़	14470-13
	31-48 एकड़	10659-73
	0-69 एकड़	10659-13
देहरा ..	7-37 एकड़	8407-20
	4-88 एकड़	14270-12

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत बस्ती में स्वीकृत कार्य

क्रम-सं0	विकास खण्ड/ प्रा0स्वा0 केन्द्र का नाम	मुख्य भवन	उच्चीउपकेन्द्र	उपकेन्द्र	जलापूर्ति	पहुंच मार्ग	पुराने स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युतीकरण	कुल स्वीकृत कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बहादुरपुर	2	4	6	0	0	0	12
2	कुदरहा	1	4	8	1	..	1	15
3	बनकटी	1	4	7	1	..	..	13
4	मरवटिया	1	3	5	2	..	..	11
5	साऊघाट	1	5	7	1	..	..	14
6	सालटौवा-गोपालपुर	1	4	7	1	..	1	14
7	खलीलाबाद	2	4	6	1	1	..	14
8	नाथनगर	..	5	6	1	..	..	12
9	हैसरबाजार	2	4	8	1	..	..	15
10	बघौली	1	5	7	1	..	..	14
11	मेहदावल	1	4	6	..	..	..	11
12	सेमरियावां	1	4	7	1	..	1	14
13	नौगढ़	1	4	6	..	..	..	11
14	बर्डपुर	..	4	7	..	..	1	12
15	उस्का बाजार	2	4	7	..	..	..	13
16	बढ़नी	1	5	7	..	..	1	14
17	जोगिया	1	4	6	..	..	1	12
18	हरैया	2	4	10	..	1	..	17
19	कप्तानगंज	1	5	11	1	..	..	18
20	गौर	1	4	8	1	..	1	15
21	विक्रमजीत	1	6	3	1	..	..	11
22	परशुरामपुर	1	4	5	1	..	..	11
23	डुमरियागंज	..	6	8	1	..	..	15
24	भानपुर	1	5	7	1	..	1	15
25	भदवापुर	1	4	8	1	..	..	14
26	इटवा	2	4	5	..	..	..	11
27	खुनियावां	1	5	5	1	1	..	13
28	बांसी	1	4	7	1	..	..	13
29	मिठवल	1	4	6	1	..	..	12
30	रुधौली	..	4	8	1	..	..	13
31	खेमरहा	1	4	6	1	..	..	12
32	सांधा	1	5	8	1	..	..	15
	कुल योग	34	139	218	24	3	8	426

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0 32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विज्ञप्ति दिनांक 29 जून, 1963 द्वारा जनसाधारण को जानकारी हेतु प्रकाशित रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अमान्य एवं अनाधिकृत संस्थाओं की सूची।

क्रम-सं0	संस्थाओं के नाम	प्रमाण-पत्र
1	2	3
1	प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिश्नर एसोसिएशन, रानी-रानीगंज, लखनऊ।	पी0एम0पी0
2	वी0आई0एम0सी0, मधुनगर, आगरा	एफ0आई0एम0सी0 तथा ए0 आई0 एम0पी0।
3	सिलवर जुबली मेडिकल कालेज, कलकत्ता	बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेद शास्त्री तथा एल0ए0एम0एस0।
4	अखिल भारतवर्षीय एस0एस0 विद्यापीठ, बी0 परीक्षा बोर्ड, ललितपुर, झांसी।	वैद्य विशारद
5	नैशनल मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद, आगरा	बी0आई0एम0
6	भारतीय आश्रम, सारगढ़	वैद्य विशारद
7	अखिल भारतीय धार्मिकाध्यात्मक संस्कृत विद्यापीठ श्री महामण्डल भवन, जगतगंज, वाराणसी।	आयुर्वेद शास्त्री
8	आयुर्वेद महाविद्यालय, हापुड़ तथा बड़ौत (मेरठ)।	आयुर्वेद सूचीवेद विशारद (ए0 एस0बी0)।
9	अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन अलीगढ़	आयुर्वेदाचार्य
10	केन्द्रीय आयुर्वेद यूनानी महाविद्यालय, कानपुर	वैद्य विशारद
11	आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, झांसी	एम0एस0सी0(ए), डी0एस0सी0 (ए)।
12	दि भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, पटना	आयुर्वेदाचार्य
13	अखिल भारतीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ, आगरा	बी0ए0एम0एस0(ए)
14	मेडिकल ट्रांसलेशन एन्ड इनफारमेशन इंस्टीट्यूट 112/104, बेनाझावर कानपुर।	आर0सी0एम0
15	बंगला मुखी आयुर्वेद विद्यापीठ, रसड़ा, बलिया	ए0एम0वी0एस0
16	अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विद्यापीठ, हजरतगंज लखनऊ।	बी0एम0वी0एस0 (आयुर्वेदाचार्य)
17	भारतीय ग्रामीण चिकित्सा परिषद, 11-मकबरा रोड, लालबाग, लखनऊ।	
18	अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन, अयोध्या	आयुर्वेदाचार्य
19	सोंधी मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, फतेहगंज गल्ला मण्डी, नेकपुर, बरेली।	एल0ए0एम0एस0
20	बोर्ड आफ मेडिकल एसोसिएशन, उ0 प्र0 (चिकित्सक संघ) चिनहट, लखनऊ।	आई0एम0एस0पी0

1	2	3
21	25/1, चन्दरनगर, आलमबाग, लखनऊ–3	आर0एम0पी0 (यू0पी0)
22	266, महावीर प्रसाद रोड, यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक के सामने, सदर बाजार, लखनऊ।	आर0एम0पी0(यू0पी0)
23	चैरिटेबिल मेडिकल आयुर्वेदिक जनरल संस्थान, बेंसल ग्लास नई बस्ती, फिरोजाबाद आगरा,	एम0ए0जी0एस0 तथा ई0एम0ए0 जी0एस0
24	रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन आफ इंडिया, सी0-1014, इंदिरा नगर लखनऊ।	आर0एम0पी0
25	राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान, 443, गीता भवन, साकेत नगर, कानपुर (यू0पी)0।	आर0एम0पी0
26	सेकेन्ड्री एजुकेशन बोर्ड, ख्वाजा कुतुब, बरेली	पी0एम0पी0
27	हिन्दू पब्लिक कोचिंग कालेज, पोली कोठी, किदवईनगर, कानपुर।	फार्मेसिस्ट रजिस्ट्रेशन एवं वी0ए0 एम0एस0, जी0ए0एम0एस0
28	शान्ति निकेतन आयुर्वेद महाविद्यालय, रानीगंज, सहारनपुर।	वैद्य विशारद एवं आयुर्वेद रत्न तथा पी0एम0पी0।
29	नालन्दा विश्वविद्यालय, झांसी	मेडिकल नैशनल साइन्स आफ आयुर्वेद

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0–47 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर।)

अस्थायी श्रमिकों की सूची

क्रमांक	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
1	श्री मुनीन्द्र प्रसाद	1–3–83
2	श्री रमेन्द्र सिंह	27–9–83
3	श्री कमरवीर सिंह	14–6–82
4	श्री शिव बहारी राम	30–3–82
5	श्री राघवेन्द्र सिंह	22–11–82
6	श्री आर0 पी0 सिंह	2–12–81
7	श्री नवीन दास	6–3–82
8	श्री ए0 के0 यादव	9–5–81
9	श्री रामअधार सिंह	9–7–80
10	श्री एस0 एल0 विश्वकर्मा	8–12–81
11	श्री धर्मनाथ सिंह	29–1–82
12	श्री ओ0 पी0 सिंह	25–7–83
13	श्री राधेश्याम	8–10–83
14	श्री जे0 पी0 सिंह	2–3–84
15	श्री एन0 जी0 वरगिश	4–9–84
16	श्री एस0आर0 जायसवाल	26–10–83
17	श्री मनजीत सिंह	11–9–84
18	श्री आर0 जे0 पाण्डेय	17–7–84
19	श्री आर0 ए0 शर्मा	11–8–84
20	श्री एम0 के0 बोहरा	2–12–83
21	श्री आर0 एल0 गुप्ता	8–1–83
22	श्री मोबीन अहमद	2–8–82
23	श्री देवराज	2–8–82
24	श्री यमुना दास	2–8–82
25	श्री ओ0 पी0 सिंह	22–9–83
26	श्री के0 बी0 सिंह	2–8–82
27	श्री बलवीर सिंह रन्धावा	8–10–84
28	श्री रामपलट राम	11–10–84
29	श्री सोमनाथ सिंह	5–11–84
30	श्री प्रमोद कुमार मिश्रा	11–10–84
31	श्री अशोक कुमार सिंह	6–11–84
32	श्री एस0 सी0 श्रीवास्तव	21–11–84
33	श्री जे0 एल0 ओझा	22–11–84
34	श्री मोती लाल सिंह	22–11–84
35	श्री एस0 एल0 गुप्ता	22–11–84
36	श्री भूपेन्द्र नाथ	22–11–84

अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
37	श्री श्याम लाल	.. 22–11–84
38	श्री अमानत उल्ला अन्सारी	.. 22–11–84
39	श्री अनिल कुमार सिंह	.. 23–11–84
40	श्री फूल सिंह	.. 23–11–84
41	श्री घनश्याम तिवारी	.. 24–11–84
42	श्री कुंज बिहारी	. 24–11–84
43	श्री विद्या सागर गुप्ता	.. 24–11–84
44	श्री बसन्त लाल	.. 29–11–84
45	श्री गोविन्द सिंह	.. 29–11–84
46	श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र	.. 30–11–84
47	श्री इफ्तेखार हैदर	.. 31–1–85
48	श्री राम आसरे	.. 1–2–85
49	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह	.. 1–2–85
50	श्री हरिशंकर	. 21–2–85
51	श्री अर्जुन सिंह	.. 21–2–85
52	श्री घनश्याम मिश्रा	.. 8–3–85
53	श्री बृजेश चन्द्र त्रिपाठी	.. 10–3–85
54	श्री उमेश चन्द्र	.. 15–3–85
55	श्री मुल्लन लाल	.. 19–3–85
56	श्री स्वर्णवीर सिंह	.. 18–4–85
57	श्री सुरजीत सिंह सिद्धू	.. 29–4–85
58	श्री राजेन्द्र सिंह	.. 22–5–85
59	श्री ए0 के0 यादव	. 17–6–85
60	श्री आशा राम पाल	.. 13–4–85
61	श्री अर्जुन सिंह	.. 21–2–85

अवर सदन सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता 0प्र 0सं 0—64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 42 पर ।)

क्रम सं0	निदेशालय का पदनाम अधिकारी का अनुभाग	1981–82 विभागीय धनराशि	1981–82 महालेखाकार धनराशि	1981–82 योग धनराशि	1982–83 वि0म0ले0योग ध0	1982–83 ध0	1982–83 ध0	1983 वि0 ध0	1983 मण्ले0 ध0	1983 योग ध0	1984–85 विभागीय धनराशि	1984–85 महालेखाकार धनराशि	1984–85 योग	महायोग धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	कृषि रक्षा, कृ0 निदेशालय, उप कृषि निदेशक	1,753	श्री कालीचरन शर्मा श्री आई0एन0टंडन	1,753	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1,753
2	कृषि अभियन्ता (मु0) कृषि अभियन्ता	65,777	1,87,198 श्री रमेश चन्द्र गोयल	2,52,975	..	..	..	..	..	..	5,00,731	..	5,00,731 श्री रमेशचन्द्र गोयल श्री वी0डब्लू0 अम्बेकर	7,53,706
3	प्रसार शिक्षा एवं प्रशि0 (ब्यूरो) संयुक्त कृषि निदेशक	..	43,266 श्री के0एन0श्रीवास्तव	43,266	..	..	..	..	..	..	1,31,614	..	1,31,614 श्री के0एन0 श्रीवास्तव श्री आई0सी0 अग्रवाल	1,74,880
4	जूट विकास अनुभाग जूट विकास अधिकारी	..	5,262 श्री नरेशप्रसाद सिन्हा	5,262	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5,262
5	उप कृषि निदेशक (मु0) भूमि संरक्षण)	..	33,71,564 श्री रमेशचन्द्र महेश्वरी	33,71,564	..	..	..	..	..	..	..	..	..	33,71,564
	योग	67,530	36,07,290	36,74,820	..	..	..	..	..	..	6,32,345	..	6,32,345	43,07,165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0प्र0सं0 072 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

सूची

लेखा शीर्षक	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	कुल पद	उ0प्र0राज्य सरकार के राजपत्रित तथा अराजपत्रित पदों की संख्या एवं वेतन क्रमांक अनुसूची (1-4-83 की स्थिति के अनुसार)	वेतनमान	
1	2	3	4	5	6	7	8
1—280 चिकित्सा आयोजनेत्तर	स्वास्थ्य निरीक्षक (हेल्थ निरीक्षक)	293	144	437	128	400–615	
तदैव	स्वास्थ्य निरीक्षक	100	41	141	129	470–735	141
तदैव	सफाई निरीक्षक (सेनेटरी इंस्पेक्टर)	1	146	147	129	470–735	147
280 वि0अपमिश्रण	स्वास्थ्य निरीक्षक	..	2	2	135	430–685	
282 सार्व0स्वास्थ्य	सफाई निरीक्षक	236	388	624	140	470–735	624
तदैव	हेल्थ इन्सपेक्टर	..	1252	1252	140	400–615	
तदैव	स्वास्थ्य निरीक्षक	..	7	7	142	400–615	
तदैव	स्वच्छता निरीक्षक	..	11	11	142	470–735	11
तदैव (शिक्षा ब्यूरो)	स्वास्थ्य निरीक्षक	..	1	1	143	470–735	1
282 सार्व0 स्वास्थ्य	हेल्थ इन्सपेक्टर	1306	40	1346	148	400–615	
						योग..	924

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0प्र0सं0–119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर।)

कृषि विभाग से सम्बन्धित मदों के अन्तर्गत झांसी जनपद को वित्तीय वर्ष 1982–83, 83–84, 84–85 तथा 85–86 में निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गयी—

(रुपए लाखों में)

मद	वर्ष 1982–83			वर्ष 1983–84		
	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
कृषि ..	50.88	15.80	66.68	45.25	30.87	76.12
कृषि शिक्षा ..	4.23	11	4.34	5.31	62	5.93
भूमि संरक्षण ..	4.79	20.09	24.88	4.05	18.01	22.06
उद्यान ..	10.84	4.39	15.23	14.85	2.53	14.38
कृषि विपणन ..	..	2.46	2.46	..	2.68	2.68
योग ..	70.74	42.85	113.59	66.46	54.71	121.17

मद	वर्ष 1984–85			वर्ष 1985–86		
	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग	आयोजनेतर	आयोजनागत	योग
कृषि ..	47.22	47.78	95.00	46.21	35.85	82.06
कृषि शिक्षा ..	4.67	1.18	5.85	3.82	1.29	5.11
भूमि संरक्षण ..	8.77	19.28	28.05	5.03	19.47	24.50
उद्यान ..	14.05	3.84	17.89	9.60	3.64	13.24
कृषि विपणन ..	2.70	. .	2.70	2.03	2.48	4.51
योग ..	77.41	72.08	149.49	66.69	62.73	129.42

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0प्र0सं0–156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

बुन्देलखण्ड के पांच जनपदों में निर्मित, निर्माणाधीन एवं निर्माण के लिए प्रस्तावित मण्डी स्थलों एवं उपमण्डी स्थलों का विवरण

क्रम-सं0	जनपद	निर्मित स्थल मण्डी स्थल/	उपमण्डी स्थल	निर्माणाधीन स्थल मण्डी स्थल,	उपमण्डी स्थल	भूमि प्राप्त होने की दशा में सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्माणार्थ प्रस्तावित स्थल मण्डी स्थल,	उपमण्डी स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झांसी	1–मऊरानीपुर 2–चिरगांव 3–मोंठ 4–झांसी		1–गुरसराय	1–गरौठा	1–बरूआ सागर	1–सुमथर 2–पूछ 3–एरिच
2	ललितपुर	1–ललितपुर	1–पाली	1–महरौनी			
3	जालौन	1–उरई 2–कालपी 3–कोंच 4–माधोगढ़ 5–एट 6–जालौन		1–कदौरा	1–कोटरा 2–नदीगांव		
4	हमीरपुर	1–मौदहा 2–राठ 3–कुरारा		1–चरखारी	1–जैतपुर 2–कबरई	1–महोबा 2–मरुआ-सुमेरपुर	
5	बांदा	1–बांदा 2–अतर्रा 3–बबेरू		1–कर्वी			1–राजापुर 2–खुरहण्ड 3–नरैनी 4–बिसण्डा

नत्थी 'झ'

(देखिए अता0प्र0सं0-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर।)

सेवा में,

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

द्वारा

श्रीमान परगनाधिकारी जी,
पुरवा, उन्नाव।

महोदय,

आज दिनांक 8-1-85 को राष्ट्रीय जनता पार्टी एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पुरवा तहसील के समक्ष मौरावां अस्पताल के डा0 डी0 सी0 खरे से सम्बन्धित निम्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देकर मांग करते हैं कि--

1--डा0 डी0सी0 खरे को प्राइवेट प्रैक्टिस की तत्काल जांच कराई जाय।

2--खुल्लम-खुल्ला रिश्वतखोरी की जांच कराई जाय।

3--अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 84 की कन्टीजेंसी के फर्जी बिल वाउचरों की जांच कराई जाय।

4--मरीजों को गत चार साल में दी गयी डाइट, दूध की लिस्ट की जांच कराई जाय।

5--ठकुराई खेड़ा के कन्धई सेठ से रिश्वत लेने की जांच कराई जाय।

6--मेडिको-लीगल की गड़बड़ियों की जांच कराई जाय।

आदि मांगों के तत्काल जांच कराई जाय तथा उनका स्थानान्तरण तत्काल किया जाय। अन्यथा दोनों पार्टियां डा0 डी0सी0 खरे के गलत कार्यों को लेकर व्यापक जन-आन्दोलन चलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

भवदीय,
बृजपाल सिंह, मन्त्री
जिला कौंसिल,
भा0 कम्यु0 पार्टी, उन्नाव।

हृदय नारायण दीक्षित,
मन्त्री,
राष्ट्रीय जनता पार्टी, उ0प्र0।
मौरावां बचाओ संघर्ष चेंमिति मौरावां, उन्नाव।

1--जगदीश सिंह 2--सुरेश चन्द्र त्रिपाठी,
3--हस्ताक्षर अपठनीय 4--शिवकान्त शुक्ल।

पी0एस0यू0पी0--एल0 11 वि0सभा (24)--1986--813।